मंगलवार, 10 अगस्त 1982

19 श्रावण, 1904 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

नौवाँ सत्र

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 22, मंगलवार, 10 अगस्त, 1982 / 19 श्रावण, 1904 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—27
*तारांकित प्रश्न संख्या : 430, 433 से 436, 438 और 439	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	27—218
तारांकित प्रश्न संख्या : 429, 431, 432, 437 और 440 से 448	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4741 से 4973	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	219—220
राज्य सभा से संदेश	220—221
चिट फंड विधेयक	221
राज्य सभा द्वारा संशोधित रूप में	221
नियम 377 के अधीन मामले	222—227
(एक) हिमाचल प्रदेश में नदियों से भूमि के कटाव का अध्ययन करने के लिए सर्वेक्षण दल भेजने की आवश्यकता	
श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी	222
(दो) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लघु-उद्योगों को वित्तीय सहायता दिये जाने की आवश्यकता	
श्री भीखा भाई	222

* किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

(तीन) सस्ती दरों पर बाल-साहित्य उपलब्ध कराने की आवश्यकता

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत 223

(चार) बांसपानी-जखपुरा रेल लाइन के निर्माण में विलंब के बारे में

श्री हरिहर सोरेन 224

(पांच) बंबई उपनगरीय रेल सेवा के बारे में

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी 224

(छः) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में नियुक्त किये गये भूतपूर्व सैनिकों की समस्यायें

श्री अमल दत्त 225

(सात) उत्तर प्रदेश में डाक और टेलीफोन व्यवस्था के बेहतर कार्यकरण के लिये कदम उठाने की आवश्यकता

श्री हरिकेश बहादुर 226

(आठ) सहारनपुर से लखनऊ के लिये एक प्रथम श्रेणी के सवारी डिब्बे की व्यवस्था करना और संगम एक्सप्रेस को सहारनपुर से चलाने की आवश्यकता

श्री जगपाल सिंह 226

(नौ) जलगांव से दिल्ली को केले भेजने के लिये अधिक माल डिब्बों का आवंटन करने की आवश्यकता

श्री वाई० एस० महाजन 227

मोटर-यान (संशोधन) विधेयक 227—275

विचार करने का प्रस्ताव

श्री सीताराम केसरी 227

श्री अमल दत्त 230

श्री वृद्धि चन्द्र जैन 234

श्री नारायण चौबे 237

श्री रामसिंह यादव 240

श्री ईरा मोहन 245

श्री हरीश रावत 247

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री 249

श्री मूल चन्द डागा 252

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा 255

श्री चिन्तामणि जैना 258

श्री रामलाल राही 261

श्री कृष्ण प्रताप सिंह 264

श्री जी० एम० बनातवाला 265

खंड 2 से 27 और 1 271—275

पास करने का प्रस्ताव

श्री सीताराम केसरी 274

प्रो० एन० जी० रंगा 275

मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक 275—296

विचार करने का प्रस्ताव

श्री भागवत झा आजाद 275

श्री एम० एम० लारेंस 277

श्री केयूर भूषण 281

श्री हरीश कुमार गंगवार 284

श्री मूल चन्द डागा 287

श्री बी० डी० सिंह 292

श्री एन० सेलवाराजू 295

लोक सभा

मंगलवार, 10 अगस्त, 1982/19 श्रावण, 1904(शक)

लोकसभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं देता ।(व्यवधान)** मैंने किसी बात की भी अनुमति नहीं दी है । मैंने पहले ही सूचित कर दिया है ।

प्रो० मधु दण्डवते : सारी प्रैस ने बहिष्कार कर दिया है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : एक असाधारण परिस्थिति पैदा हो गई है ।

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित न किया जाए । (व्यवधान)**

श्री हरीश कुमार गंगवार : मैंने एजोर्नमैंट मोशन दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती । (व्यवधान)**

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं कुछ कहना चाहता हूं । आप कुछ भी निर्णय ले सकते हैं । हम केवल कुछ कहना चाहते हैं । श्री वसंत साठे यहां उपस्थित हैं । वे हमें यह आश्वासन दें कि इस विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति की सिफारिश नहीं की जाएगी परन्तु इसे रोक लिया जाएगा, क्योंकि यह प्रजातन्त्र पर आघात करता है ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा है, माननीय सदस्य मेरी बात सुनें । जो मेरे बस में था, जो रूल्स के आधीन था, मैंने कर दिया । मैंने पूरी बहस करवा दी और आप ने जितनी चाही करवा दी । ...(व्यवधान)...आप को इतना पता नहीं कि जब मैं खड़ा हूं, तो आप बीच में न बोलें । ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : यह आप क्या कर रहे हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या संसद के इतिहास में पहले कभी ऐसा हुआ है कि समूचे प्रेस ने प्रश्न काल का बहिष्कार किया हो ?

अध्यक्ष महोदय : यह बात गलत है । आप मेरी बात नहीं सुनते । मैं खड़ा हूं और आप भी खड़े हैं ।

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या कभी ऐसा हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय : आप तो बड़े अच्छे हैं। मुझे आप से यह उम्मीद नहीं थी।

प्रो० मधु दण्डवते : हम अपने प्रश्न से आपको परेशान नहीं करना चाहते। परन्तु हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि संसद के इतिहास में ऐसा कभी हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय : यह या वह होने का प्रश्न नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती हैं, जिसमें मैं क्या कर सकता हूं। श्री आर० पी० गायकवाड़। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : गृह मंत्री जी ने छुट्टियों के मामले में यह कहा था कि अपोजीशन अगर इकट्ठा होकर कुछ कहें, तो वे सुनेंगे। इस मामले में सारा अपोजीशन इकट्ठा है।

अध्यक्ष महोदय : कोई अपोजीशन की उसमें बात नहीं थी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम ने ववेश्चन आवर को ससपैंड करने की मांग की है। ...(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जाती। नहीं, श्रीमान जी मैं इसकी अनुमति नहीं देता। श्री आर० पी० गायकवाड यहां उपस्थित नहीं है।

एक माननीय सदस्य : प्रश्न काल का क्या फायदा है ?

अध्यक्ष महोदय : सुभाष यादव।

प्रो० मधु दण्डवते : हम भी प्रश्न काल का बहिष्कार करते हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : महोदय, क्या मैं विरोध पक्ष को संतुष्ट कर सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : श्री साठे कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री वसंत साठे : यदि विरोधी दल इस बात से संतुष्ट हैं, तो मैं यह आश्वासन देता हूं कि सरकार प्रेस की आजादी के लिए वचनबद्ध है (व्यवधान) जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 19 में दिया गया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ थोड़ा सा डेकोरम रखिए।

श्री वसंत साठे : और हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे प्रेस की आजादी पर चोट पहुंचती हो और इसकी संविधान में गारन्टी दी गई है।

श्री रामलाल राही : यह प्रेस की स्वतन्त्रता की बात है। (व्यवधान)

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : सुभाष यादव । (व्यवधान)

श्री वसंत साठे : आज राष्ट्रपति की सहमति का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि अभी यह विधेयक सरकार के पास सहमति के लिए विचार करने हेतु आया ही नहीं है । कोई बात मैं पहले ही कैसे कह सकता हूं ? परन्तु मैंने अपना दृष्टिकोण बता दिया है । मैंने सरकार के दृष्टिकोण के बारे में आपको आश्वासन दे दिया है । मैं समझता हूं कि इससे विरोध पक्ष संतुष्ट होंगे ।

अध्यक्ष महोदय : विक्रम महाजन ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मंत्री महोदय यह अच्छी तरह जानते हैं कि विधेयक के उपबंध क्या हैं । संशोधन क्या है और हमारी आपतियां क्या हैं···

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती । (व्यवधान)** श्री यादव ।

(इसके पश्चात् श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा और कुछ अन्य सदस्य सभा से बाहर चले गए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को ग्रामीण विद्युत निगम के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव

*430. **श्री सुभाष यादव :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड ने संघ सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि मध्य प्रदेश के कुछ और क्षेत्रों को ग्रामीण विद्युत निगम के अन्तर्गत लाया जाए ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित क्षेत्रों के नाम क्या हैं ; और

(ग) केन्द्र सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं ।

विवरण-1

ग्रामीण विद्युतीकरण एक सतत कार्यक्रम है । ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा अपने निगमित होने से लेकर मध्य प्रदेश में स्वीकृत 693 स्कीमों के अतिरिक्त, ग्राम विद्युतीकरण निगम को अप्रैल-जून, 1982 की अवधि के दौरान 63 स्कीमें प्राप्त हुई हैं । इनमें से दो स्कीमें स्वीकृत की गई है तथा शेष 61 स्कीमें संशोधन के लिए राज्य बिजली बोर्ड को वापस भेज दी गई हैं । उपरोक्त अवधि के दौरान प्राप्त हुई स्कीमों के ब्यौरे विवरण-2 में दिए गए हैं ।

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

विवरण-2

ग्राम विद्युतीकरण निगम को अप्रैल-जून, 1982 की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड से प्राप्त स्कीमों के ब्यौरे दिखाने वाला विवरण

क्रम सं०	ब्लाक	जिला	स्कीम की श्रेणी	सम्मिलित गांवों की संख्या	पम्प सैटों की संख्या
1	2	3	4	5	6
(क) स्वीकृत स्कीमें					
1.	रायगढ़	रायगढ़	आर० एम० एन० पी०	93	155
2.	पुस्सौर	रायगढ़	आर० एम० एन० पी०	99	162
(ख) राज्य बिजली बोर्ड को संशोधन हेतु वापिस की गई स्कीमें					
1	पनधुराना	छिंदवाड़ा	एस० पी० ए०	—	400
3.	सोनखेड़ा और छिछली	नरसिंह पुर	एस० पी० ए०	—	800
3.	करेली और चावरपथ	नरसिंहपुर	एस० पी० ए०	—	400
4.	रेहली, देवरी, केसली राहतगढ़, सागर, जयसिंगर	सागर	एस० पी० ए०	—	400
5.	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	एस० पी० ए०	—	600
6.	बामेरी	गुना	एस० पी० ए०	—	200
7.	छाछोड़ा	गुना	एस० पी० ए०	—	300
8.	गुना	गुना	एस० पी० ए०	—	260
9.	चौराई	छिंदवाड़ा	एस० पी० ए०	—	280
10.	बांदा और शाहगढ़	सागर	एस० पी० ए०	—	400
11.	मुगेली और चमदेरी	गुना	एस० पी० ए०	—	160
12.	राघोगढ़ और अरोन	गुना	एस० पी० ए०	—	260
13.	अशोकनगर और इसानगर	गुना	एस० पी० ए०	—	300
14.	रेहली	सागर	एस० यू०	89	270
15.	जयसिंगार	सागर	एस० यू०	92	302
16.	सागर	सागर	एस० यू०	89	270

1	2	3	4	5	6
17.	कसदोल और रायपुर	रायपुर	आर० एम० एन० पी०	105	60
18.	चितमगी 1	सिधी	"	96	16
19.	चितमगी 2	"	"	96	16
20.	कुसमी	"	"	105	16
21.	बागबहारा	रायपुर	एस० यू०	74	40
22.	पिथौड़ा	रायपुर	एस० यू०	72	35
23.	बारगी	जबलपुर	आर० एम० एन० पी०	96	16
24.	सरायपाली	रायपुर	एस० यू०	36	15
25.	महासमुन्द	रायपुर	एस० यू०	65	50
26.	बसना	रायपुर	एस० यू०	72	25
27.	महासमुन्द	रायपुर	आर० एम० एन० पी०	64	30
28.	डोंगरागढ़	राजनन्दगांव	"	69	30
29.	पल्लड़ी	रायपुर	"	90	40
30.	तामनेर	रायगढ़	"	81	30+5 टी डब्ल्यू
31.	फिंगेश्वर	रायपुर	"	46	22
32.	ताओंथर	रीवा	"	162	415
33.	सरदारपुर	धार	एस० पी० ए०	—	600
34.	धार, नालचा	धार	"	—	600
35.	जयपुर	बिलासपुर	आर० एम० एन० पी०	51	36
36.	मंडला, मानपुर, बिछैया, मोनगांव	मण्डला	एस० पी० ए०	—	200
37.	वारासिओनी	बालाघाट	"	—	400
38.	टीकमगढ़	टीकमगढ़	"	—	400
39.	महेश्वर	खरगांव	"	—	700
40.	धरमपुरी	धार	"	—	600

1	2	3	4	5	6
41.	सींघवा	दतिया	एस० पी० ए०	—	200
42.	हरसूद, बलाई, खालवा	खण्डवा	"	—	600
43.	इन्दौर	इन्दौर	"	—	400
44.	दतिया	दतिया	"	—	200
45.	शिवपुरी	शिवपुरी	"	—	300
46.	लतेरी	विदिशा	"	—	100
47.	सिरोंज	विदिशा	"	—	100
48.	बेगमगंज	रायसेन	"	—	80
49.	सोसा	छिंदवाड़ा	"	—	400
50.	ईघट	सिओनी	"	—	600
51,	अमरवाड़ा	छिंदवाडा	"	—	400
52.	देवास	देवास	"	—	600
53.	सोनकार्च, इंकखुर्द	देवास	"	—	600
54.	नरसिंहपुर और गोटेगांव	नरसिंहपुर	"	—	400
55.	जबलपुर के 4 खंड	जबलपुर	"	—	400
56.	जबलपुर के 4 खंड	जबलपुर	"	—	400
57.	बीना और खुराय	सागर	"	—	200
58.	सिलवानी	रायसेन	"	—	100
59.	बरसिया	भोपाल	"	—	100
60.	नसरुल्लागंज	सेहोरा	"	—	100
61.	बारगी	जबलपुर	आर० एम० एन० पी०	96	96

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : बिहार की सरकार के बारे में सूचना मन्त्री जी ने कुछ नहीं कहा। वहां पर आप की पार्टी की सरकार चल रही है।···(व्यवधान)···

श्री रामावतार शास्त्री : संसद के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : बिहार के मुख्य मंत्री की सलाह से यह किया गया है। उसके बारे में कुछ नहीं बताया।

श्री वसंत साठे : मैंने बताया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेजी : क्या बताया है। आप क्या बात कर रहे हैं। ···(**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, कल मैंने आपसे इजाजत मांगी थी यह मामला उठाने के लिए। बिहार के मुख्य मन्त्री···(**व्यवधान**)···

अध्यक्ष महोदय : आपका आ गया है और मैंने भेज दिया है। मैं इसका उत्तर मंगा लूंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप क्वेश्चन-आवर ससपेंड कर सकते हैं।···(**व्यवधान**)

(इसके पश्चात् श्री अटल बिहारी वाजपेयी और कुछ अन्य सदस्य सभा से बाहर चले गए)

अध्यक्ष महोदय : हम देश के लिए ही बैठे हैं।

डा० कृपा सिन्धु भोई : मन्त्री महोदय के प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सदन की अवमान है कि नहीं—आपने प्रेस के लोगों को प्रेस दीर्घा से कार्यवाही की रिपोर्ट करने की सदैव अनुमति दी है—परन्तु आज वे प्रेसदीर्घा में नहीं हैं। ···(**व्यवधान**)···

श्री एडुआर्डो फैलीरो : वे अनुपस्थित नहीं हैं। प्रेस के लोग प्रेसदीर्घा में उपस्थित हैं और कार्यवाही को नोट कर रहे हैं।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने 63 स्कीमें सेन्टर के पास भेजी थीं जिनमें से दो को एक्सेप्ट किया गया और 61 को वापिस लौटा दिया गया, वे किन कारणों से लौटायी गयीं और वे कब तक मंजूर हो जाएंगी ?

दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासी और ग्रामीण रहते हैं। उन ग्रामों का विद्युतीकरण करने के लिए छठे प्लान में क्या योजना है और उनका कब तक विद्युतीकरण कर दिया जाएगा ? (**व्यवधान**)

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी) : इस वर्ष की प्रथम तिमाही, अप्रैल-जून, में मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड से ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की 63 योजनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से आर० ई० सी० ने 2 योजनाओं को पहले ही मंजूरी दे दी है और शेष 61 योजनाओं को राज्य विद्युत बोर्ड को यह कहकर लौटा दिया गया है कि इन्हें आर० ई० सी० द्वारा संशोधित मार्ग निदेशों के अनुसार तैयार किया जाए। मार्ग निदेशों के अनुसार एक योजना को दो भागों में तैयार किया जाता है। योजना बनाते समय मार्गनिदेशों का पालन करना अनिवार्य है। (क) आधारभूत भाग : इसमें कि० वा० ट्रांसमिशन लाईन और सब-स्टेशन के अपचामी की लागत शामिल होगी (ख) कोई मांग भाग नहीं इस भाग के लिए गांवों के अन्दर वितरण लाईन और सर्विस कनेक्शन होंगे। मानदण्ड में कहा गया है कि तैयारी के बाद ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं की मंजूरी के मानदण्ड हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना की मंजूरी के मानदण्ड

निर्धारित क्षेत्र पर निर्भर करते हैं। क्षेत्रों को विकसित क्षेत्र, पिछड़ा क्षेत्र और अविकसित क्षेत्र श्रेणियों में बांटा गया है। विकसित क्षेत्र में आर्थिक दर 20 प्रतिशत, पिछड़े क्षेत्र में 10 प्रतिशत और अविमानित क्षेत्र में 10 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विद्युतीकरण की एक चौथी श्रेणी है जिसे 'विशेष परियोजना कृषि' का नाम दिया गया है जिसका वित्तपोषण आर० ई० सी० और बैंकों द्वारा 1:2 के अनुपात में संयुक्त रूप से किया जाता है। यह योजना उन क्षेत्रों पर लागू होती हो जो पहले से ही विद्युतीकृत हैं और इसमें बिजली का विस्तार किया जाता है। इसमें दर 25 प्रतिशत होती है। तृतीय ग्रामीण विद्युतीकरण ऋण पर बातचीत करते समय विश्वबैंक ने ऋण देने की शर्तें में संशोधन कर दिया जोकि पहले 9.5 प्रतिशत वापसी के लिए सहमत था। अब उन्होंने इसे 20 प्रतिशत प्रतिवर्ष आवर्ती अन्तरिक धन एकमात्र निर्धारित कर दिया है। ऊर्जा मंत्रालय में राज्य सरकारों और राज्य विद्युत बोर्डों के परामर्श से इसे स्वीकार किया गया था। अधिक राज्य विद्युत बोर्ड आंतरिक धन एकत्रित करने में समर्थ होंगे। जैसे ही मध्य प्रदेश इन मार्ग निदेशों के अनुरूप योजनाएं बनाएगा उन्हें मंजूर कर लिया जाएगा।

जहां तक आदिवासी जनजातीय क्षेत्रों का सम्बन्ध है, जनजातियों के 28,95 गांव हैं। आर० ई० सी० के अन्तर्गत 3873 और राज्य योजना के अन्तर्गत 3822 है जिनकी कुल संख्या 7639 है जिनका विद्युतीकरण किया जाना है। आर० ई० सी० के अन्तर्गत शेष गांवों की संख्या 5401 है। इनका आर० ई० सी० योजनाओं के अन्तर्गत विद्युतीकरण किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : बहुत लम्बे प्रश्न हैं।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा था···।

अध्यक्ष महोदय : आपने तो पूछ लिया है न ? इनकी तरफ से पूछ रहे हैं ?

मुझे नहीं पता था कि यहां भी 'प्राक्सी' चलती है।

श्री दलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो आई० टी० डी० पी० मध्य प्रदेश में है, इसके अन्तर्गत आर० ई० सी० की स्कीम जो काम कर रही है, जिसके नार्म्स अभी आपने बताए हैं कि जहां आप फायदा देखेंगे वहां इलेक्ट्रीफिकेशन ले जाएंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आदिवासी उपयोजना के लिए भी यही नार्म्स लागू होंगे या नहीं।

ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : आदिवासियों के लिए हमें नियमों को उदार बनाना होगा। परन्तु ये आदिवासी गांवों पर ही लागू होंगे। उनके लिए कुछ छूट है।

श्री भीखा भाई : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को आदिवासी क्षेत्रों के गांवों के विद्युतीकरण का पृथक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मैं इसका उत्तर पहले ही दे चुका हूं। मुझे उत्तर दोबारा देना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री अटल बिहारी वाजपेयी। अनुपस्थित।

श्री सूरजभान—अनुपस्थित।

श्री राजेश पायलट—अनुपस्थित

श्री हरिकेश बहादुर—अनुपस्थित

श्री भीकू राम जैन।

दूरदर्शन के लिए वृत्तचित्रों का निर्माण

*433. **श्री भीकूराम जैन †**
श्री हरिकेश बहादुर } : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाहर के वृत्तचित्र निर्माताओं को काम देने के लिए दूरदर्शन वृत्तचित्र निर्माताओं का कोई पेनल बना हुआ है ;

(ख) क्या वृत्तचित्र निर्माताओं द्वारा करार के उल्लंघन का कोई मामला सरकार के ध्यान में आया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) दो वृत्तचित्र निर्माताओं, एक दिल्ली का और दूसरा बम्बई का, ने दूरदर्शन के साथ की गई संविदा का इतना तकनीकी उल्लंघन किया कि उन्होंने वृत्तचित्र की शूटिंग रंगीन में की जबकि संविदा वृत्तचित्रों को सादे में बनाने की थी। वृत्तचित्र निर्माताओं द्वारा प्रिंटों का विदेशों में गैर-कानूनी उपयोग किए जाने का कोई उदाहरण हमारे ध्यान में नहीं आया है।

श्री भीकूराम जैन : मन्त्री महोदय ने बताया है कि दूरदर्शन के साथ हुए संविदा का इतना तकनीकी उल्लंघन हुआ है कि उन्होंने वृत्तचित्र का शूटिंग रंगीन में की है जबकि संविदा वृत्तचित्रों को सादे में बनाने की थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो फिल्म रंगीन बनी थी उसका क्या हुआ। क्या इसे स्वीकार/अस्वीकार किया गया या यह कांट्रेक्टर पर छोड़ दिया गया कि वह जैसे चाहे इसका प्रयोग करे ? जैसा कि आपने कहा है कि संविदा का उल्लंघन हुआ है और उल्लंघन करने तथा फिल्म अस्वीकार किये जाने पर क्या हुआ ? इसका पश्चात् फिल्म का मालिक कौन बना ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : इस मामले पर बातचीत चल रही है। हमने पार्टी से कहा है कि हम फिल्म को स्वीकार करना चाहते हैं—जैसा कि आपको पता है कि हम रंगीन प्रसारण करने जा रहे हैं—और हम इस फिल्म का भी रंगीन प्रसारण कर सकेंगे।

श्री भीकूराम जैन : उतने ही दामों में या कुछ और देना पड़ेगा ?

श्री वसन्त साठे : यह तो स्पष्ट है कि अधिक दाम देने पड़ेंगे। हमने पार्टी को यह बात कही है। अब यह पार्टी की इच्छा है कि वह इसे स्वीकार करे या न करे। यदि वह इसे स्वीकार करती है तो हम कुछ अधिक दाम दे कर फिल्म को खरीद लेंगे।

श्री भीकूराम जैन : यदि पार्टी इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती, तो फिल्म का क्या होगा।

श्री वसन्त साठे : मैं एक काल्पनिक प्रश्न का क्या उत्तर दूं ?

श्री भीकूराम जैन : क्या उन्होंने इसकी पूछताछ की है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ? मेरा आरोप यह है कि जिन फिल्मों को दूरदर्शन द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता, ठेकेदार उनका प्रयोग यह बहाना बना कर करते हैं कि इन्हें स्वीकार नहीं किया गया है। सरकार इस बुराई को कैसे रोकना चाहती है ?

श्री वसन्त साठे : अभी तक हमारे ध्यान में यह बात नहीं लाई गई है कि हमारे द्वारा अस्वीकृत फिल्मों का फिल्म निर्माताओं द्वारा यह कह कर दुरुपयोग किया जा रहा है कि इसे हमने अस्वीकृत कर दिया है। अतः हमें इस आरोप को आरोप के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते।

श्री के० मायातेवर : क्या मद्रास विशिष्ट रूप से तमिलनाडू में दूरदर्शन केन्द्र तथा आकाशवाणी तमिलनाडू सरकार या केन्द्रीय द्वारा नियन्त्रित ? प्रतिदिन, जब संसद का सत्र चल रहा होता है, दूरदर्शन तथा आकाशवाणी से 'टूडे इन पार्लियामेंट' के नाम से कुछ कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। परन्तु इन कार्यक्रमों में अन्तर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय मामलों के सम्बन्ध में बड़े मन्त्रियों के कुछ संक्षिप्त वक्तव्यों के अतिरिक्त कुछ भी प्रसारित नहीं किया जाता।

अध्यक्ष महोदय : क्या बड़े मन्त्री का मतलब श्री सी० एम० स्टीफन जैसे मन्त्री से है ?

श्री के० मायातेवर : भारी-भरकम नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि वे मन्त्री जिनके पास बहुत ही महत्त्वपूर्ण विभाग हैं। वे सभी मायनों में महत्त्वपूर्ण हैं। मैं जानता हूं कि वे बहुत मजबूत तथा कठोर भी हैं।

क्या मन्त्री महोदय दूरदर्शन तथा आकाशवाणी को अनुदेश देंगे कि वे संसद उसी कार्यवाही का प्रसारण करें जो सभी राज्यों के संसद सदस्यों से सम्बन्धित हो ? हम अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम बहुत से मामलों पर चर्चा कर रहे हैं। परन्तु इसका उचित ढंग से प्रसारण नहीं किया जाता जबकि तमिलनाडू विधान सभा की कार्यवाही का प्रसारण इतने

विस्तार से किया जाता है कि प्रत्येक विधान सभा सदस्य का व प्रत्येक चिल्लाने वाले सदस्य का नाम बताया जाता है और यहां तक कि घिनौने भाषणों को भी आकाशवाणी और दूरदर्शन पर पढ़ कर सुनाया जाता है। क्या मद्रास आकाशवाणी और दूरदर्शन संसद सदस्यों को अधिक नहीं तो कम से कम विधान सभा सदस्यों के समान महत्त्व देंगे? क्या आप विभिन्न राज्यों के, विशेषकर तमिलनाडु दूरदर्शन और आकाशवाणी को विदेश देंगे वे हमारी कार्यवाही का प्रसारण करें?

श्री वसन्त साठे : पहले प्रश्न का उत्तर नहीं में है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि 'टूडे इन पार्लियामेंट' के नाम से संसद की कार्यवाही का प्रसारण किस प्रकार किया जाए। यह प्रति दिन नहीं किया जा सकता क्योंकि क्षेत्रीय केन्द्रों में इसका क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करना पड़ता है। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या हम 'टूडे इन पार्लियामेंट' या 'पार्लियामेंट रिपोर्ट' के नाम से साप्ताहिक बुलेटिन प्रसारित कर सकते हैं। यह 'टूडे इन पार्लियामेंट' नहीं होगा बल्कि 'वीक इन पार्लियामेन्ट' होगा।

प्रो० एन० जी० रंगा : 'वीक इन पार्लियामेंट' बेकार है। इसमें क्या प्रसारित किया जाएगा?

श्री वसन्त साठे : जो भी प्रसारित किया जा सकता है। कम से कम कुछ तो उसमें होगा ही। (व्यवधान)

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ये ठीक नहीं कह रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन पर केवल बड़े या छोटे मन्त्रियों की ही बात का प्रसारण किया जाता है। शायद वे स्वयं रेडियों नहीं सुनते या दूरदर्शन नहीं देखते।

श्री के० मायातेवर : मैंने रेडियो सुना है, इसीलिए यह प्रश्न उठाया है।

श्री वसन्त साठे : यदि वे इसको ध्यान से देखें तो उन्हें पता चलेगा कि सत्तारूढ़ दल के सदस्यों को यह शिकायत है कि विरोधी दलों के सदस्यों की बातों का अधिक प्रसारण किया जाता है···(व्यवधान)।

यह उनका कसूर नहीं है। क्योंकि शून्य काल, नियम 377 के अन्तर्गत और अन्य नियमों के अन्तर्गत विभिन्न प्रश्न केवल विरोधी दलों के सदस्यों द्वारा उठाए जाते हैं इसलिए उनका उल्लेख होता है।...(व्यवधान)। हमारे दल का भी उल्लेख किया जाता है। इससे पता चलता है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन का प्रसारण इतना उचित ढंग से होता है कि इससे पहले कभी नहीं होता था। दूरदर्शन और आकाशवाणी का प्रसारण इतना निष्पक्ष होता है कि उसे सबसे अधिक विश्वसनीय समझा जाता है।

प्रोड्यूसरों की वरीयता

*434. श्री रामायण राय †
श्री दिगम्बर सिंह } : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी लखनऊ और इलाहाबाद में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को प्रोड्यूसर, संगीतकार और लेखकों के रूप में नियुक्त किया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि उनमें से कुछ व्यक्तियों ने आकाशवाणी को छोड़ दिया है और अन्य व्यक्तिगत 15 से 20 वर्ष तक की अवधि से उन्हीं पदों पर काम कर रहे हैं, यद्यपि वे अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि नियमित कार्यक्रम श्रेणी के अत्यधिक कनिष्ठ व्यक्ति विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से सहायक निदेशक और केन्द्र निदेशक बन गए हैं तथा इन विशेषज्ञों के काम का अधीक्षण भी कर रहे हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि प्रोड्यूसरों को अब नियमित सरकारी कर्मचारी बनाया जा रहा है ; और

(ङ) यदि हाँ, तो नियमित कार्यक्रम श्रेणी से पदोन्नति प्राप्त किए व्यक्तियों की तुलना में उनकी वरीयता को बनाए रखने के लिए सरकार क्या उपाय करेगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) (क) से (ङ) : एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है ।

विवरण

उल्लिखित पद लखनऊ और इलाहाबाद सहित आकाशवाणी केन्द्रों में स्टाफ आर्टिस्ट संवर्ग में हैं । इस प्रकार के पदों के लिए अनुमोदित भर्ती नियम विद्यमान हैं जिनमें इस प्रकार के पदों पर नियुक्ति चाहने वाले व्यक्तियों से अपेक्षित अर्हताएं और अनुभव दर्शाए गए हैं ।

स्टाफ आर्टिस्टों के संवर्ग के भीतर, पदोन्नति के अवसर विद्यमान हैं । विभिन्न ग्रेडों के बहुत से स्टाफ आर्टिस्टों ने पदोन्नति प्राप्त की है और वे उच्चतर स्तरों पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे हैं । तथापि, इस बात की काफी संभावना है कि उनमें से कुछ व्यक्ति उसी ग्रेड में कार्य कर रहे हों और वे अपनी बारी तथा अपनी वरीयता और अनुभव के आधार पर पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हों ।

आकाशवाणी के कार्यक्रम संबंधी अर्मचारियों में कार्यक्रम संवर्ग तथा स्टाफ आर्टिस्ट संवर्ग से संबंधित व्यक्ति शामिल हैं । कार्यक्रमों का नियोजन और निर्माण दोनों श्रेणियों के कर्मचारियों

द्वारा सदा संयुक्त रूप से किया जाता है। किसी भी एकल श्रेणी को विशेषज्ञों की श्रेणी के रूप में नामनिर्दिष्ट करना ठीक नहीं होगा।

कार्यक्रम संवर्ग से संबंधित व्यक्तिओं के लिए पदोन्नति के अपने अवसर प्राप्त हैं। जिन व्यक्तियों ने अपना कैरियर ट्रांसमिशन एक्जीक्यूटिव या कार्यक्रम एक्जीक्यटिव के रूप में शुरू किया हो वे पदोन्नति के लिए या सीधे भर्ती कोटे के लिए संघ लोक सेवा आयोग की निर्धारित भर्ती प्रक्रियाओं के माध्यम से ऊपर उठकर उच्चतर स्तरों पर स्थानापन्न रूप से काम कर रहे हैं।

यह सही है कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि स्टाफ आर्टिस्टों दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जायेगा, अर्थात्

(क) आर्टिस्ट ; और

(ख) अन्य कर्मचारी, जो उसी तरह के कार्य करते हैं जिस तरह के कार्य नियमित श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए जाते हैं।

प्रोड्यूसर दूसरी श्रेणी में आते हैं। उनके विकल्प और स्क्रीनिंग के अधीन, नियमित कार्यक्रम संवर्ग में काम करने वाले व्यक्तियों बनाम उनके वरीयता के लिए दावों पर उनके अनुभव, समग्र सेवा रिकार्ड, आदि पर यथोचित रूप से विचार करने के बाद निर्णय लिया जायेगा।

श्री रामायण राय : मंत्री महोदय ने बताया है कि प्रसिद्ध साहित्यकार, संगीतज्ञ और अपने क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञ आकाशवाणी छोड़ कर चले गए थे। मैं जानना चाहता हूं कि उनके स्थान पर उनके समकक्ष अन्य कलाकार क्यों नहीं रखे गए। क्या सरकार ने इन लोगों के पद त्यागने के मूल कारणों पर विचार किया है, यदि हां, तो वह किस निष्कर्ष पर पहुंची है ? जो लोग आकाशवाणी छोड़ कर चले गए, उनमें से कुछ ये हैं : श्री अमृतलाल नागर, श्री सुमित्रानंदन पन्त, श्री भगवती चरण वर्मा, डा० लक्ष्मीनारायण लाल तथा बिस्मिल्ला खां आदि।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : माननीय सदस्य ने ये जो बड़े कलाकारों के नाम बताए हैं, वे स्टाफ आर्टिस्ट की कैटेगरी में आते हैं। अब यह तय हुआ है कि स्टाफ आर्टिस्ट सरकारी कर्मचारी बनेंगे—उन लोगों की छोड़ कर, जो केवल परफार्मिन्ग आर्टिस्ट (कलाकार) हैं और जिन के लिए अलग नियम बनाए जाएंगे। बाकी के स्टाफ आर्टिस्ट सरकारी कर्मचारी बन जाएंगे और उन्हें उसके मुताबिक सब सुविधाएं मिलेंगी। इसके नियम बन रहे हैं। इस महीने के अन्त तक उन्हें कहना है कि उनको सरकारी कर्मचारी बनना है या नहीं। उसके बाद नए नियमों के अनुसार सब लाभ उन्हें मिल जाएंगे।

श्री रामायण राय : मैं जानना चाहता हूं कि जब सभी सरकारी कर्मचारी बन रहे हैं, तो वर्तमान सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है ? जब नियम बन रहे हैं, तो तब तक इस पर रोक क्यों नहीं लगाई जाती है ?

श्री वसन्त साठे : इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती । जो आज के आदमी का हक है, वह तो उसे मिलेगा । लेकिन जब नए लोग आ जाएंगे, सरकारी कर्मचारी बन जाएंगे, तो वे भी हकदार बन जाएंगे और उनको भी मौका मिलेगा ।

श्री जेवियर अराक्कल : वकतव्य के अनुसार दो संवर्ग हैं—प्रोग्राफ स्टाफ तथा अन्य स्टाफ । विशेषज्ञ अन्य संवर्गों से लिए जाते हैं । अब इसका दो वर्गों में वर्गीकरण किया गया है । पहला कलाकार वर्ग है । दूसरे वर्ग में वे सभी हैं जो नियमित श्रेणिणों में सरकारी कर्मचारियों के समान कार्य करते हैं । जो प्रमुख व्यक्ति सेवानिवृत्त हो गए हैं उनकी सेवामुक्त कलाकार नामक एक विशेष श्रेणी है । क्या हम सेवामुक्त कलाकार श्रेणी में अनुभवशील तथा राष्ट्रीय पुरस्कार तथा मान्यता प्राप्त कलाकारों को शामिल करके इसका विस्तार नहीं कर सकते ? मैंने और हमारी सरकार ने भी, मेरा विचार है, क्षेत्रीय नामों तथा राज्य नामों का सुझाव दिया है । क्या मंत्री महोदय इसका विस्तार करने के लिए इस पहलू कर विचार करेंगे और इसका उपयोग करेंगे तथा लोगों को इस क्षेत्र में लायेंगे ।

श्री वसन्त साठे : अवकाश प्राप्त प्रोड्यूसरों का न कि अवकाश प्राप्त आर्टिस्टों का वर्ग ऐसा वर्ग है जो नियमित सरकारी कर्मचारी अथवा स्टाफ आर्टिस्टों के ढ़ांचे के अन्तर्गत नहीं आता। हम यह पद उनके सम्मान के लिए नहीं अपितु रेडियो तथा दूरदर्शन से सम्बद्ध अभिनय कलाओं तथा अन्य कलाओं के क्षेत्र में विख्यात लोगों की सेवाओं का उपयोग करने के लिए बनाते हैं । आज उनकी संख्या बहुत सीमित है परन्तु आपने जो सुझाव दिया वह विचारणीय है और हम उस पर विचार करेंगे । मैं आप को आश्वासन दे सकता हूं कि हम विख्यात कलाकारों की सेवाओं का अपनी क्षमता के अनुसार उपयोग करेंगे ।

श्री पी० नामग्याल : पिछले समय में आल इंडिया रेडियो में जो प्रमोशन्ज हुए हैं कि वह काफी हार्ड बर्निंग के विषय बने रहे हैं । आगे भी डाइरेक्टर जनरल रिटायर हो गए हैं और एक ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब उनकी जगह आफिशिएट कर रहे हैं । मैं यह जानना चाहूंगा कि यह जो पोस्ट आप फिलअप करने जा रहे हैं वह उसी कैडर से करेंगे या ब्यूरोक्रेट उस की जगह पर रखे जाएंगे ? अगर ब्यूरोक्रेट होंगे तो क्यों ऐसा किया जा रहा है ।

श्री वसंत साठे : यह दूसरा सवाल है । यह तो नीति की बात है । डी० जी० की पोस्ट सेलेक्शन पोस्ट है । यदि इसके जो कर्मचारी हैं उन में से कोई एलिजिबल है उस पोस्ट के लिए तो जरूर उसका विचार किया जायगा वरना ऐसा कोई बैन नहीं है कि डी० जी० की पोस्ट के लिए कहीं बाहर से या दूसरे सरकारी विभाग से व्यक्ति नहीं लिया जा सकता । ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है । तो सब चीजों का विचार किया जायगा और उसी के मुताबिक डी० जी० की पोस्ट भरने की कोशिश की जायगी ।

दूर-संचार सेवाओं का विस्तार

*435. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या संचार मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूर संचार सेवाओं के विस्तार के लिए कुछ योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं,

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं के नाम क्या हैं जिसके अन्तर्गत दूरसंचार सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है ;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां ऐसे विस्तार कार्यक्रम चलाए गए हैं ; और

(घ) वे राज्य कौन-कौन से हैं ; जहां उक्त विस्तार कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) से (घ) छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में समूचे देश के लिए दूर-संचार योजनाएं बनायी गयी हैं जिसमें सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। दूरसंचार सेवाओं का विस्तार करने के लिए बनाई गई योजना में शामिल स्कीमें कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। इस योजना के वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों को दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के अंतर्गत बनाई गई दूरसंचार योजना समूचे देश की एक समन्वित विकास योजना है जिसमें सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। दूरसंचार योजना में 13.30 लाख नये टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने, 20,000 नये सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने और इतने ही तार घर खोलने की मुख्य परियोजनाएं शामिल हैं। इस विस्तार कार्यक्रम में और अधिक सूक्ष्मतरंग रेडियो प्रसारण प्रणालियां और समाक्ष प्रणालियों की स्थापना द्वारा लम्बी दूरी की स्विचन सुविधाओं और लम्बी दूरी के संचारण माध्यमों का विस्तार करने की व्यवस्था भी शामिल है। छठी योजना के दौरान दूरसंचार क्षेत्र में इलेक्ट्रोनिक स्विचन प्रौद्योगिकी भी शुरू की जाएगी। विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत उपग्रह संचार प्रणालियों की व्यवस्था भी है जिसको कि योजना अवधि के दौरान स्थापित किया जायेगा।

2. योजना की विभिन्न स्कीमों का ब्यौरा और निश्चित किया वित्तीय परिव्यय नीचे दिया गया है :

(क) योजना के मुख्य वास्तविक लक्ष्य :

स्कीम	1980-की अवधि के लिए लक्ष्य
1. स्थानीय टेलीफोन प्रणाली	
1.1 स्विचन क्षमता (लाख लाइनें)	14.80

स्कीम	1980 की अवधि के लिए लक्ष्य
1.2 डी० ई० एल० एस० (लाख लाइनें)	13.30
1.3 टेलीफोन एक्सचेंज (संख्या)	3500
2. लम्बी दूरी की प्रणाली :	
2.1 टी० ए० एक्स० (मुख्य और गौण) संख्या	40
2.2 टी० ए० एक्स० क्षमता (लाइनें)	94770
2.3 एस० टी० डी० मार्ग (प्वाइंट-टू- प्वाइंट) संख्या	60
2.4 मेनुअल ट्रंक बोर्ड (संख्या)	2500
2.2 लम्बी दूरी की संचारण प्रणाली :	
2.2.1 समाक्ष केबिल (मार्ग कि० मी०)	12000
2.2.2 सूक्ष्मतरंग (मार्ग कि० मी०)	16000
2.2.3 यू० एच० एफ० (मार्ग कि० मी०	
(क) 60 चैनल की क्षमता	14000
(ख) लघु क्षमता	6750
2.2.4 ओपन वायर चैनल (संख्या)	7500
2.2.5 उपग्रह भू-केन्द्र (संख्या)	28
3. ओपन वायर टेलीग्राफ :	
3.1 तारघर (संख्या)	20000
3.2 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर (कुल)	20000
3.3 टेलेक्म एक्सचेंज (संख्या)	100
3.4 टेलेक्स क्षमता (लाइनें)	
(क) स्थानीय	2250
(ख)पारगमन	13000
3.5 टेलेक्स कनेक्शन	18300
3.6 वी० एफ० टी चैनल (संख्या)	7000

(ख) दूरसंचार योजना 1980-85 का वित्तीय परिव्यय

(करोड़ रुपये)

योजना स्कीमें	कुछ योजना परिव्यय
1. स्थानीय टेलीफोन प्रणालियां	1242.00
2.1 लम्बी दूरी की स्विचन प्रणाली	170.00
2.2 लम्बी दूरी की संचारण प्रणाली	407.00
2.3 इनसेट और इंटेलसेट*	63.00
3. टेलेक्स सहित औपन वायर और टेलीग्राफ	226.00
4.1 अन्य भूमि और भवन (स्टाफ क्वार्टर और प्रशासनिक कार्यालय)	126.00
4.2 दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र	108.00**
परीक्षण और अन्य संगठन	———
कुल योग :	2336.00

नोट: *योजना आयोग के० अ० शा० पत्र संख्या टी एन्ड टी-5 (5) 180 दिनांक 13-1-81 के अनुसार इस विवरण में दिये गए परिव्यय के अलावा अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए 51.65 करोड़ रुपये की राशि भी उपलब्ध करायी जायेगी।

**इसमें दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र (एस० एण्ड टी०) के लिए 40 करोड़ रुपये की राशि शामिल है।

श्रीमती जयंती पटनायक : यह देखा जा सकता है कि मंत्री महोदय ने प्रश्न के भाग के (ग) तथा (घ) बारे में कुछ नहीं कहा है। मेरा विचार है कि उनका कहने का तात्पर्य यह है कि सारा देश ही विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत है।

महोदय, जहां तक दूरदर्शन कार्यक्रम के माइक्रोवेव सम्पर्क का संबंध है मैं जानना चाहती हूं कि क्या यह कार्यक्रम विस्तार कार्यक्रम में सम्मिलित है अथवा नहीं। यदि हां तो उड़ीसा को इस प्रयोजन के लिए क्यों सम्मिलित नहीं किया गया है यद्यपि कलकत्ता तथा मद्रास के बीच स्थित माइक्रोवेव सम्पर्क का आसानी से लाभ उठाया जा सकता है। मैं यह भी जानना चाहती हूं कि क्या उड़ीसा सरकार यह बात विशेष रूप से संचार मंत्रालय के ध्यान में लाई है।

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : यह पहले से ही छठी योजना में सम्मिलित है और यदि माननीय सदस्या ने सभापटल पर रखा गया विवरण देखा है तो उससे पता चलता है कि हम संख्या 2.2.2 में माइक्रोवेव मार्ग 16,000 किलोमीटर है । जहां तक उड़ीसा का सम्बन्ध है, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि छठी पंचवर्षीय योजना में जहां तक उड़ीसा का सम्बन्ध है, उड़ीसा मण्डल में पांच स्टेशन सम्मिलित हैं ।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : उनके नाम क्या हैं ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं स्टेशनों के नाम माननीय सदस्य को बाद में बता दूंगा ।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : ऐसा कब तक किया जायेगा ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : छठी पंचवर्षीय योजना में ऐसा किया जायेगा ।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या देश के सभी जिला मुख्यालयों को निर्धारित समयावलि के अनुसार सीधी डायल सुविधा से जोड़ने का कोई कार्यक्रम है ? यदि हां तो यह समयावलि क्या है ? क्या कम से कम तूफान प्रवण क्षेत्रों को इस समयावलि के भीतर लिया जायेगा ? उनके ब्यौरे क्या हैं ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : सभी जिला मुख्यालयों को स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज देने का पहले से ही प्रस्ताव है । क्योंकि स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंजों की बिना सीधी डायल प्रणाली की सुविधा नहीं दी जा सकती और इस कारण छठी तथा सातवीं योजना में इसे लिया जायेगा ।

श्री० एन० जी० रंगा : तूफान-प्रवण क्षेत्रों की स्थिति क्या है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैंने कहा है कि इसे यथा संभव शीघ्रता से किया जायेगा ?

श्री भेरावदन के० गधावी : जहां तक दूर संचार प्रणाली का सम्बन्ध है, यह अच्छी बात है कि हम उसका विस्तार कर रहे हैं । परन्तु माननीय मन्त्री इसको गलत न समझें यदि मैं यह कहूं कि संचार प्रणाली न तो 'टेली' है और न 'सम्प्रेषणीय' है । हर समय शिकायतें सुनाई देती हैं ? प्रायः सभी टेलीफोन कार्य नहीं कर रहे हैं—यदि वह एस० टी० डी० हों अथवा स्थानीय । क्या मैं जान सकता हूं कि नई योजनाओं को कार्यान्वित करने के अतिरिक्त क्या सरकार इस ओर गम्भीरता से ध्यान देगी क्योंकि इसका प्रभाव आम जनता पर पड़ता है ? क्या सरकार गम्भीरता से इस पर विचार करेगी कि या तो वर्तमान इन्स्ट्रूमेन्ट्स को बदला जाए अथवा यह देखा जाये कि हर व्यक्ति का काम ठीक ढंग से काम करे । सरकार इस ओर क्या विशेष ध्यान दे रही है ?

एक माननीय सदस्य : यह तो बहुत पुराना मामला है ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : इसका उत्तर पहले दिया जा चुका है । इसमें कुछ कठिनाई है । यदि हम देश में आजादी के एक वर्ष पश्चात् अर्थात 1948 से अब तक इस प्रणाली को देखें तो पता चलता है कि 1948 में देश में केवल 82,000 लाईनें थीं जबकि इस समय इनकी संख्या

26 लाख है। यह वृद्धि 28 गुणा है। इस समय भी 28,000 की वृद्धि है। अतः देश में ग्रामीण क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण के कारण मांग में बहुत वृद्धि हुई है। हम मांग को पूरा करने में समर्थ नहीं हैं जो कारखानों में कम उत्पादन के कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। कारखानों की स्थापना करने तथा उसमें उत्पादन आरम्भ करने में समय लगता है। इस बीच केन्द्र सरकार ने इस बारे में बहुत कुछ किया है, फिर भी हम सन्तुष्ट नहीं हैं। हम छठी योजना तथा सातवीं योजना में दो डिजिटल इलैक्ट्रानिक कारखाने स्थापित कर रहे हैं। पालघाट कारखाने की क्षमता में भी 1.5 लाख लाइनों का विस्तार किया जा रहा है तथा राय बरेली की रडियन क्रास बार प्रणाली में भी 2 लाख लाइनों की वृद्धि की जा रही है जब इन सभी कारखानों तथा स्कूलों को चालू किया जायेगा तो उत्पादन आरम्भ हो जायेगा। स्थिति में उससे कुछ सुधार होगा तथा छठी योजना अथवा सातवीं योजना के अन्त तक हम मांग को पूरा करने की स्थिति में होंगे।

श्री वीरभद्र सिंह : यह बहुत ही दुःख की बात है कि आजादी के 34 वर्षों के बाद भी मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे दो जिला मुख्यालय अर्थात लाहौल तथा स्पिति जिला और किन्नौर जिला और बहुत से उप-मण्डलीय मुख्यालय हैं जिनमें दूर-संचार सुविधाएं नहीं है। मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्या कम से कम जिला मुख्यालयों में तथा उप-मण्डलीय मुख्यालयों में भी दूर-संचार सुविधा उपलब्ध कराने के बारे में छठी पंचवर्षीय योजना में कोई निश्चित कार्यक्रम है। हिमाचल प्रदेश के मेरे निर्वाचन क्षेत्र मण्डी में कुल्लु, केलौंग तथा अन्य स्थानों पर 'अर्थ स्टेशन' स्थापित करने का प्रस्ताव था। मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : मेरे माननीय सहयोग द्वारा यह बताया जा चुका है कि प्राथमिकता की योजना यह है कि राज्यों की राजधानियों को राष्ट्र की राजधानी से जोड़ा जाना है और जिला मुख्यालयों को राज्य की राजधानी से जोड़ा जाना है और उप-मण्डलीय मुख्यालयों को जिला मुख्यालयों से जोड़ा जाना है। इस दृष्टि से एक योजना तैयार की गई है और हम उसे कार्यान्वित कर रहे हैं। हमारा विचार है कि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रत्येक जिला मुख्यालय को राज्य की राजधानी से जोड़ा जा सकेगा और हम ऐसा कर सकेंगे।

एक ओर तो कार्यकरण में गिरावट तथा उसके असन्तोषजनक होने का तथा दूसरी ओर मांग का उल्लेख किया गया था। सुझाव दिया गया था कि जब तक स्थिति में सुधार न हो तब तक इसमें विस्तार नहीं किया जाना चाहिए परन्तु वास्तविकता यह है कि यह दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। जब तक विभिन्न क्षेत्रों में मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त उपकरण न हों तब तक कितने भी प्रयास किए जाएं कार्यकरण सन्तोषजनक नहीं हो सकता। हम प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यकता से पीछे हैं। स्विच गियर उपकरणों के क्षेत्र में हम पीछे हैं, टेलीफोन उपकरणों में हम पीछे हैं, परीक्षण लाइनों में हम पीछे हैं। और टी० ए० एस० उपकरणों में पीछे हैं। हर क्षेत्र में हम मांग से पीछे हैं। अतः मुख्य प्रयास उत्पादन क्षमताओं में मांग के अनुरूप वृद्धि करना है। हम इस में सफलता प्राप्त कर रहे हैं।

हम राय बरेली में विस्तार कार्यक्रम उत्पादन एकक की स्थापना कर चुके हैं। उत्पादन अक्तूबर मास में आरम्भ हो रहा है। हम दस लाख इलेक्ट्रानिक्स स्विच गियर उपकरणों का उत्पादन करने के लिए विस्तार कर रहे हैं जिसमें 52 लाख के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। जहां तक टेलीफोन उपकरणों का सम्बन्ध है। कारखाने की स्थापना के लिए सहयोग समझौते को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। जहां तक टी० ए० एस० कनैक्शनों का संबंध है हम कारखानों की स्थापना के लिए समझौता करने के अन्तिम चरण पर हैं।

मेरा कहना है कि देश भर की मांग को पूरा करने की दृष्टि से बड़े पैमाने पर विस्तार कार्यक्रम हाथ में लिया गया है। जब तक यह न हो जाये परिक्षण लाइनों के मामले में अपर्याप्तता की स्थिति रहेगी।

एक माननीय सदस्य : हिमाचल प्रदेश के बारे में क्या है ?

श्री सी० एम० स्टीफन : कृपया धैर्य रखें। यदि आप मेरी बात सुनना चाहते हैं तो धैर्य रखें।

एक्सचेंजों में 25 लाख चालू लाइनें काम कर रही हैं तथा 8 लाख नामों की प्रतीक्षा सूची है। इसका अर्थ यह है कि कुल काम कर रही लाइनों की तुलना में एक चौथाई प्रतीक्षा सूची में है। इस प्रकार एक्सचेंजों में बहुत भीड़ है। हम कभी भी स्थितियों में सुधार कर सकेंगे।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जिला मुख्यालयों को राज्य मुख्यालयों से जोड़ा जायेगा। जहां तक अर्थ स्टेशनों की बात है, कुछ स्थापित किए जा चुके हैं। जहां तक अन्य का सम्बन्ध है मैं तत्काल उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं।

उड़िया समाचार बुलेटिन का प्रसारण

*436. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि आकाशवाणी नई दिल्ली से अपराह्न 1.20 बजे प्रसारित होने वाले उड़िया समाचार बुलेटिन को 9 और 10 जुलाई, 1982 को लगातार दो दिन तक कटक के स्थानीय आकाशवाणी केन्द्र से रिले नहीं किया जा सका तथा उसके बजाय बांसुरी वादन प्रसारित किया जाता रहा ;

(ख) यदि हां, तो उसके विशिष्ट कारण क्या हैं ; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सम्बन्धित जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध क्या विशेष कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) अचानक आयन मण्डलीय गड़बड़ से हुए रेडियो परिमन्दन के कारण शार्टवेव आवृत्तियों की अनुपलब्धता के कारण 9.7.82 को कटक केन्द्र से अपराह्न 1 20 बजे का उड़िया समाचार बुलेटिन रिले नहीं किया गया था। 10.7.82 को, ट्रांसमीटर में तकनीकी खराबी के कारण इस बुलेटिन को अपराह्न 1.2 : बजे से 1.25 बजे तक रिले नहीं किया गया था।

(ग) आकाशवाणी केन्द्रों की नेटवर्किंग योजना के मुकम्मल हो जाने पर इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में नहीं होंगी।

श्री अर्जुन सेठी : महोदय, यह प्रश्न उड़ीसा राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्षेत्रीय आकाशवाणी केन्द्र लगातार दो दिन तक दोपहर बाद 1.20 बजे दिल्ली से प्रसारित होने वाले उड़िया समाचार बुलेटिन का प्रसारण नहीं कर सका। माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि आयन मण्डल की गड़बड़ी के कारण इसका प्रसारण नहीं किया जा सका, दूसरी बात इन्होंने यह कही है कि ट्रांसमीटर टावर में तकनीकी खराबी आने के कारण भी ऐसा हुआ। क्या मैं माननीय मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि यह जानते हुए कि पहले दिन ट्रांसमीटर टावर में तकनीकी खराबी आयी थी तो दूसरे दिन निर्धारित समय पर क्षेत्रीय भाषा में समाचार प्रसारित करने के लिए उपचारात्मक उपाय क्यों नहीं किए गए ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : यह दोनों बातें भिन्न-भिन्न हैं ? यद्यपि आकस्मिक घटना स्वरूप यह दोनों खराबियां एक के पश्चात दूसरी हुयी है, आयन मण्डल में गड़बड़ी यदा कदा ही होती है पर ऐसा होता है, इसने केवल शोर्ट वेव के प्रसारण प्रभावित किया था। यह केवल शोर्ट वेव को ही प्रभावित करता है, इससे मीडियम वेव प्रभावित नहीं होता है।

श्री भीकूराम जैन : बिजली नहीं आती है--यही सबसे बड़ी ट्रबल है।

श्री वसन्त साठे : बिजली का सम्बन्ध नहीं है, सन-स्पाट से डिस्टरबैंस पैदा होती है। इसके बाद दूसरे दिन तकनीकी खराबी आ गई थी। ऐसा रोज नहीं होता है, हमने दूसरी मद यानि ट्रांसमीटर की गड़बड़ी के बारे में सावधानी बरती हो, लेकिन ज्यों ही 'इनसैट' से सम्पर्क जोड़ दिया जायेगा और ज्यों ही सारे देश में स्थापित किए गए शक्तिशाली ट्रासमीटर टावरों का सम्पर्क एक दूसरे से कर दिया जायेगा यह सारी समस्याएं आसानी से दूर हो जायेंगी।

श्री अर्जुन सेठी : उड़ीसा के माननीय सदस्य गण जानते हैं और यह हमारा अनुभव है कि हमारे सामने ट्रांसमीटर समस्या जैसी समस्या रोज आती रहती है और धीरे-धीरे यह समस्या बढ़ रही है।

क्या माननीय मंत्री जी मुझे बता सकते हैं कि जब तक सारे देश में इस प्रकार के काम का जाल नहीं बिछा लिया जाता क्या कोई विरोध कदम उठाए जायेंगे ताकि आगे से इस प्रकार की

कठिनाई कभी न आए। आयन मण्डल की खराबी का मतलब देश भर में शोर्ट वेव में गड़बड़ी होगी। इसकी तात्पर्य यह हुआ कि सारे देश में शोर्ट वेव में गड़बड़ी होनी चाहिए।

क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अन्य स्टेशनों में भी इसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है और यदि हाँ, तो ऐसे कौन-कौन से स्टेशन है या खेल इसी स्टेशन में ही कभी-कभी ऐसी घटना घटित होती है।

श्री वसन्त साठे : जहां तक आयन मण्डल की गड़बड़ी का सवाल है इससे सम्बलकर, चन्द्रपुर, नागपुर, बम्बई और राजकोट के स्टेशनों पर भी गड़बड़ी पैदा हुई थी, केवल उड़ीसा के ही स्टेशन में खराबी नहीं आयी थी।

जहां तक ट्रांसमीटर की खराबी का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि नियामित ट्रांसमीटर में तकनीकी खराबी पहले हमारे ध्यान में नहीं आयी थी और रोज ही ऐसा होता है। यदि माननीय सदस्य मुझे यह बता दें कि यह बात उनके ध्यान में कब आयी, तो मैं इस मामले की जांच करूंगा। हम अपने नियामित प्रसारण से सम्बन्धित गड़बड़ी को दूर करेंगे।

डा० कृपा सिन्धु भोई : माननीय मन्त्री महोदय ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है। परन्तु सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात तो यह है कि दिल्ली में उड़िया समाचार बुलेटिन सुनना बहुत कठिन है। सम्बलपुर और भुवनेश्वर के ट्रांसमीटर टावरों में बहुत कम बिजली है। यदि आप रायपुर या अन्य राज्यों में जायें तो आप वहां के क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार बहुत अच्छी तरह सुन सकते हैं।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मन्त्री महोदय को यह तथ्य मालूम है जहाँ तक आकाशवाणी या दूर-दर्शन का सम्बन्ध है यह विभाग उड़ीसा के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं।

यदि माननीय मन्त्री महोदय इस बात से आश्वस्त है कि उड़ीसा के लोगों को आकाशवाणी और दूरदर्शन के संचार कार्यक्रमों और प्रसारण में यथोचित स्थान नहीं मिल रहा है तो छठी पंचवर्षीय योजना में निचले तबके और गरीब लोगों तक जनसंचार कार्यक्रमों को पहुंचाने के लिए माननीय मन्त्री जी ने क्या ठोस कदम उठाए हैं ?

श्री वसन्त साठे : मेरे माननीय मित्र यदि चाहे कि कटक से प्रसारित होने वाले क्षेत्रीय समाचारों को वे यहां पर दिल्ली में सुनना चाहते हैं तो यह असम्भव हैं क्योंकि आप मीडियम वेव में वहां से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम को दिल्ली में नहीं सुन सकते। यदि कोई आदमी दिल्ली में तमिलनाडु-क्षेत्रीय भाषा के समाचार सुनना चाहता है तो यह सम्भव नहीं है। प्रश्न यह है···

डा० कृपा सिन्धु भोई : हर आदमी सुन रहा है ।

श्री वसन्त साठे : कौन आदमी क्या सुन रहा है ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अब आप साठे साहब की बात सुनें ।

श्री वसन्त साठे : दिल्ली से हिन्दी समाचार तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में जो भी प्रसारित होता है, हर व्यक्ति सुनता है, यह एक बड़ी योजना है । यह एक मिनट में नहीं समझाई जा सकती है । कभी यदि ऐसा सम्भव हुआ तो मैं समझाऊंगा । (**व्यवधान**)

केवल उड़ीसा के ही बारे में न सोचे, सारे देश के बारे में सोचें । हमारे पास विभिन्न कोणों से शोर्ट वेव सम्पर्क स्थापित करने की योजना है ताकि शोर्ट वेव प्रसारण और दूर तक पहुंचाए जा सके । उदाहरण के लिए इसी कारण आप श्रीलंका के स्टेशन को इतना साफ-साफ सुन सकते हैं । इस प्रकार संसाधन के उपलब्ध होने पर हम देश के भीतर दोनों शोर्ट वेव प्रसारणों से और मीडियम वेव प्रसारण से भी और अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रयास कर रहे हैं ।

श्री राम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आल इंडिया रेडियो का ब्राडकास्ट राजस्थान के पश्चिमी नगरों बाड़मेर, जालौर, जैसलमेर में सुनाई नहीं देता है जबकि पाकिस्तान का ब्राडकास्ट इन नगरों में सुनाई देता है । आल इंडिया रेडियो का ब्राडकास्ट वहां सुनाई दे, इसके लिये आप क्या व्यवस्था करेंगे ? कई बार यह प्रश्न आपके माध्यम से यहां लाया गया है लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो सकी है ।

एक माननीय सदस्य : नार्थ ईस्टर्न रीजन में भी सुनाई नहीं देता है ।

श्री राम सिंह यादव : यहां का ट्रांसमीटर बहुत कमजोर है, उसे ठीक करने के बारे में कोई सुनवाई नहीं है । क्या मन्त्री जी इसके लिए गंभीरतापूर्वक सदन में यह आश्वासन देंगे कि कब तक वहां पर आल इंडिया के ब्राडकास्ट सुनाई देने लगेंगे और कब तक यह व्यवस्था हो जायेगी ?

श्री वसन्त साठे : मैं गंभीरतापूर्वक यह आश्वासन दे सकता हूं कि···

अध्यक्ष महोदय : अब तो आपको यकीन आ जाना चाहिये कि गंम्भीरतापूर्वक कह रहे हैं ।

श्री वसन्त साठे : यदि संसाधन उपलब्ध हुए तो हम ट्रांसमिशन क्षमता को शक्तिशाली बनाने का प्रयास करेंगे ताकि सभी क्षेत्र इसमें शामिल किए जा सकें ।

मेरठ, उत्तर प्रदेश में अतिरिक्त उर्वरक सन्यन्त्र स्थापित करना

*438. **श्री हरीश रावत :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ;

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके मन्त्रालय से मेरठ, उत्तर प्रदेश में एक अतिरिक्त उर्वरक सन्यन्त्र स्थापित करने हेतु अनुमति मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरठ प्रभाग में मथुरा रिफाइनरी से प्राप्त नेफ्था पर आधारित करने का प्रस्ताव किया है।

(ख) उत्तर प्रदेश में गैस पर आधारित प्रस्तावित चार उर्वरक-संयंत्रों की स्थापना से उस राज्य में 1989-90 तक नाइट्रोजनस उर्वरक की प्रायोजित मांग पूर्णतः पूरी की जाएगी। इसलिए, उत्तर प्रदेश में कोई अतिरिक्त नाइट्रोजनस उर्वरक संयंत्र स्थापित करने, जैसा कि राज्य सरकार ने सुझाव किया है, का कोई मामला नहीं है। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को तदनुसार सूचित किया गया है।

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने हमेशा की तरह मेरे प्रश्न का उत्तर ना में नहीं नहीं दिया है, लेकिन अब की बार कुछ घुमाफिराकर दिया है। मैं आपके माध्यम से अपना प्रथम सप्लीमेंटरी प्रश्न रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उनके सामंजस्य की तारीफ नहीं कर सकते ?

श्री हरीश रावत : मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरठ और उसके निकटवर्ती क्षेत्र, जिसमें दिल्ली, हरियाणा का भाग भी है, उस एरिया की फर्टिलाइजर्स की नीट को कैटर करने के लिए उनके पास क्या दूसरा प्रपोजल है ?

उत्तर प्रदेश सरकार ने जो नेफ्था बेस्ड फर्टिलाइजर प्लान्ट मेरठ में, लगाने का प्रपोज़ल दिया था, उसके पीछे उनकी इन्फार्मेशन यह है कि जो 4 फर्टिलाइजर प्लान्ट उत्तर प्रदेश में लगने की बात कहते हैं, उसके साथ-साथ और प्रान्तों में भी फर्टिलाइजर प्लान्ट्स लगने हैं, जो गैस लाइन बिछेगी, यह उन प्रान्तों में पहले बिछेगी, तो इस तरह से उत्तर प्रदेश का नम्बर सबसे आखिर में आता है। उत्तर प्रदेश में बाद में फर्टिलाइज़र प्लान्ट लग पायेंगे। जो मन्त्री जी ने उत्तर दिया है, मैं नही समझता कि उससे 1989-90 तक उत्तर प्रदेश की नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की नीड पूरी हो जायेगी। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि वह उत्तर प्रदेश में मथुरा रिफाइनरी से जो नेफ्था निकल रहा है, जो ईजीली एवेलेबल है, उसके आधार पर वह फर्टिलाइजर प्लान्ट पहले मथुरा में क्यों नहीं लगाते हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : राजस्थान में क्यों नहीं लगाते ?

श्री पी० शिव शंकर : जिन राज्यों में पाइप लाइनें बिछाई गई है सबसे पहले वहां गैस

जायेगी और अन्त में उत्तर प्रदेश का नम्बर आने तक गैस सफाया हो जायेगी। यह अनुमान सरासर गलत है।

श्री हरीश रावत : देर में दी जायेगी।

श्री पी० शिव शंकर : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि देर से गैस पहुंचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। गैस लगातार आती रहेगी इसलिए माननीय सदस्य का यह अनुमान लगाना कि गैस की कमी हो जायेगी ऐसा प्रश्न ही नहीं उठता। मुख्य प्रश्न मथुरा में नेप्था पर आधारित उर्वरक संयत्र के सन्दर्भ में है। इस समय जो स्थिति है मैंने उस स्थिति को स्पष्ट कर दिया है और जहां तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है वहां पर 6.79 लाख टन खाद उत्पादन करने की क्षमता है परन्तु नाइट्रोजन खाद का वास्तविक उत्पादन 5.15 लाख टन होता है। अब वर्ष 1989-90 तक 16.35 लाख टन तक की मांग बढ़ने की सम्भावना है, इतनी मांग होगी और इन चार उर्वरक संयत्रों की जिनकी क्षमता 13.6 लाख टन नाइट्रोजन खाद का उत्पादन करने की है, खाद का उत्पादन 12 लाख टन हो जायेगा। इससे वर्ष 1989-90 में उत्तर प्रदेश की सम्भावित सारी मांग पूरी हो जायेगी। इसलिए कमी का प्रश्न अथवा सम्भावित कम उत्पादन का प्रश्न पैदा नहीं होता।

यह सच है कि हरियाणा और पंजाब क्षेत्रों में कुछ कमी होगी परन्तु उसकी पूर्ति दूसरे ढंग से की जायेगी। उसके लिए मेरठ डिवीजन को पूर्ति करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए।

मैं एक बात और बता देता हूं कि गैस पर आधारित उर्वरक संयत्र की तुलना में नेप्था पर आधारित उर्वरक संयत्रों की लागत अधिक होती है।

श्री हरीश रावत : माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में 4 फर्टीलाइजर्स प्लांट लगाए जायेंगे और उन्होंने उसी के आधार पर यह कहा कि 1989 और 1990 तक उत्तर-प्रदेश फर्टीलाइजर्स की जो नीड होगी, उसको पूरा कर दिया जायेगा। मैं माननीय मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि उनके इस आधार का क्या यह मतलब है कि जो 4 की फर्टीलाइजर्स प्लांट्स उत्तर प्रदेश में लगाने प्रस्तावित हैं, वह 1989 तक अपना वर्क प्रारम्भ कर देंगे। मैं माननीय मन्त्री जी को यह जानकारी देना चाहूंगा कि अभी तक स्थान का चयन भी नहीं हुआ है और कोई प्रारम्भिक तैयारी अभी तक नहीं हुई। क्या माननीय मन्त्री जी इसकी सारी डिटेल्स बताने की कृपा करेंगे।

श्री पी० शिव शंकर : मुझे पूरा विश्वास है कि वर्ष 1989-90 तक उत्पादन पूरी तौर पर होगा और मैंने जो अनुमान लगाया है कि इन चार उर्वरक संयत्रों से 12 लाख टन नाइट्रोजन-युक्त उर्वरक का उत्पादन होगा यह निश्चित तौर पर पूरा होगा।

श्री हरीश रावत : कितना प्रोडक्शन होगा और कब तक ये प्लांट लग जायेंगे, एस्टाब्लिश हो जायेंगे ?

श्री पी० शिव शंकर : 12 लाख टन का प्रोडक्शन तक आ जाएगा, यह हमें विश्वास है।

एक माननीय सदस्य : यह कथन प्रश्न से अलग है।

श्री मूलचन्द डागा : प्रश्न से अलग से आपका क्या तात्पर्य है, आप यह क्या कह रहे हैं ?

पेट्रोलियम उत्पादों का आयात

* 439. **श्री चिन्तामणि जेना †**
श्री नवीन रवाणी } : क्या **पेट्रोलियम, रसायनिक और उर्वरक** मन्त्री

यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों का आयात पहले लगाए गए अनुमान से ज्यादा होने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कितना अधिक होगा और इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) वर्तमान अनुमान के अनुसार, लगभग 4 मि०मी० टन के प्रारम्भिक अनुमान की तुलना में 1982-83 में लगभग 6 कि० मी० टन पेट्रोलियम उत्पादकों का आयात करना आवश्यक होगा। परन्तु बम्बई हाई अशोधित तेल का निर्यात पूर्वानुमान से लगभग 2 कि० मी० टन अधिक होने की आशा है।

आयात की आवश्यकताओं में वृद्धि के कारण थे, अन्य बातों के साथ-साथ प्रधानतः जून, 1982 तक भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड की बम्बई स्थित शोधनशाला में औद्योगिक संबंध समस्या जिसके कारण क्रूड थ्रूपुट में कमी हो गई थी और साथ ही गौण संसाधन एककों का बन्द हो जाना। इन गौण संसाधन एककों द्वारा अब सितम्बर, 1982 या इसके आस-पास प्रचालन आरम्भ करने की आशा है। मथुरा तथा कोयाली शोधनशालाओं में गौण संसाधन एककों के पूरा होने में भी कुछ बिलम्ब हुआ है।

श्री चिन्तामणी जेना : माननीय मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि 60 लाख टन पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किए जाने की सम्भावना है। क्या माननीय मन्त्री मुझे बता सकते हैं कि वर्ष 1981-82 में कितने मूल्य के पेट्रोलियम पदार्थों का आयात किया गया था और मैं माननीय मन्त्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि सरकार ने भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन के सेकण्डरी प्रोसेसिंग यूनिटों से सामयिक उत्पादन करने के बारे में क्या कार्यवाही की है और क्या सेकेण्डरी यूनिटें सितम्बर 1982 के अन्त तक उत्पादन करने की स्थिति में होगी।

श्री पी० शिव शंकर : महोदय श्री डागा के बोलने के कारण उनका प्रश्न नहीं सुनाई

दिया। लेकिन कच्चे तेल के सम्बन्ध में वर्ष 1981-82 के बीच कितना आयात किया गया है सम्बन्धी इतनी बात मेरी समझ में आयी है।

वर्ष 1981-82 में 15.360 मिलियन टन कच्चे तेल और 4.974 मिलियन टन पेट्रोलियम उत्पादों का अनुमान लगाया गया था, जहां तक पेट्रोलियम पदार्थों और कच्चे तेल का सम्बन्ध है इतना आयात किया गया था। मुझे इस बात का खेद है कि मैं उनके प्रश्न का दूसरा भाग नहीं सुन पाया।

श्री चिन्तामणि जेना : मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि क्या सितम्बर 1982 तक सेकेण्डरी प्रोसेसिंग यूनिटें उत्पादन करने योग्य हो जायेगी जैसा कि उत्तर में बताया गया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तटदूर प्रौद्योगिकी का उन्नत किया जाना

*429. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अधिकारियों ने तटदूर प्रौद्योगिकी को उन्नत करने के प्रयास में प्रमुख तटदूर उपकरण याड़ों का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं ;

(ग) क्या इस बारे में किसी देश के साथ हुए किसी सौदे का अनुमोदन किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उरर्वक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत कर दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

ऐसे उपकरण बनाने के लिए प्रस्ताव देने वाले लोगों की योग्यता का पता लगाने के लिये तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के अधिकारियों ने उन अपतटीय उपकरण निर्माण याड़ों और कार्यशालाओं का दौरा किया है जो ओ० एन० जी० सी० द्वारा आर्डर दिये गए अपतटीय उपकरणों का निर्माण कर रहे हैं, अथवा जब कभी आवश्यकता हुई है दौरा किया है। ऐसे दौरों

के दौरान ओ० एन० जी० सी० के अधिकारियों को आरम्भ किये जा रहे नई तकनीकियों, नए डिजाइनों और सुधारों की पुनरीक्षा करने का अवसर मिला है ।

प्रौद्योगिकी विज्ञों ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, सेमीनारों और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लिया है और इनसे उनके प्रौद्योगिकी ज्ञान में सुधार लाने में सहायता मिली है ।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने अपतटीय प्रौद्योगिकी में विशेष प्रकार की प्रयोगशालाएं और अनुसंधान सुविधाओं की स्थापना और आवश्यक सुविधाओं को परिभाषित करने में, उनका प्रौद्योगिकी संस्थानों और विश्व विद्यालयों के साथ आपसी सम्बन्ध की जांच करने के लिए प्रौद्योगिकी विज्ञों का एक छोटा दल भी नियुक्त किया है ।

इस क्षेत्र में ओ० एन० जी० सी० के प्रयासों में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा सहायता दी गई हैं जिनके पास एक बड़ा समुद्री इंजीनियरिंग प्रभाग है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के लिए विभिन्न अपतटीय संरचनाओं के लिए डिजाइन तैयार करता है । इस प्रभाग ने प्रौद्योगिकी संस्थान के विभिन्न वैज्ञानिक ग्रुपों की सहायता से अपतटीय संरचनाओं के डिजाइन के कुछ पहलुओं में अनुसन्धान किया है जिससे तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वे इस क्षेत्र में अपनी क्षमताओं को बढ़ायें ।

बम्बई हाई में प्राकृतिक गैस का जल कर नष्ट हो जाना

*431. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी**
श्री सूरज भान } : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री

यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई और इसके आस पास के इलाके में गैस का उचित उपयोग किये जाने का निर्णय लेने में सरकार की सहायता के लिए अनेक बार कार्यकारी दल की नियुक्ति किये जाने के बावजूद बम्बई हाई में लगभग 10 लाख रुपये की प्राकृतिक गैस प्रतिदिन जल कर नष्ट हो जाती है ; और कार्यकारी दल की नियुक्ति के समय से अब तक पांच वर्ष बीत जाने के बाद भी कार्यकारी दल की अंतिम रिपोर्ट का पेश होना और उसे अमल में लाया जाना शेष है ;

(ख) प्राकृतिक गैस का उपयोग करने के लिए क्या तदर्थ प्रबंध किये गए हैं ;

(ग) किस तारीख से गैस जलकर नष्ट हो रही है और अब तक अनुमानतः कितनी हानि हो चुकी है ;

(घ) क्या बम्बई नगर के कुछ क्षेत्रों में गैस पाइप लाइन कनेक्शन उपलब्ध हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो जलकर नष्ट हो रही इस गैस के वितरण के लिए इन पाइप लाइनों का उपयोग क्यों नहीं किया गया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) यह सम्बद्ध गैस होती है जिसको कि जलाना पड़ता है। उन्मुक्त गैस (फ्री गैस) को कभी भी नहीं जलाया गया है।

सम्बद्ध गैस अशोधित तेल के साथ उत्पादित होती है। इस प्रकार की गैस का प्रयोग करने में समय लगता है जिसका उर्वरकों, पेट्रो-रसायनों आदि के उत्पादन में सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है, क्योंकि अधिक निवेश वाली विभिन्न किस्म की सुविधाओं को इस प्रयोजन हेतु स्थापित करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त तेल उत्पादन के आरम्भ में, सही-सही मूल्यांकन करना संभव नहीं है कि वास्तव में कितनी सम्बद्ध प्राकृतिक गैस उत्पादित होगी : इस मूल्यांकन के लिये स्वयं इस बात की आवश्यकता होती है कि तेल कूप कुछ समय से उत्पादन कर रहे हों। चूंकि अशोधित तेल का उत्पादन, जो कि बम्बई हाई में उत्पादित सम्बद्ध गैस की मात्रा का लगभग दस गुणा है, उच्च प्राथमिकता का होता है, इसको विलम्बित नहीं किया जा सकता यद्यपि यह मान लिया गया था कि जितनी सम्बद्ध प्राकृतिक गैस उत्पादित होगी उसका पूर्ण उपयोग किया जायेगा, अशोधित तेल के उत्पादन को हाल ही के वर्षों में तेजी से बढ़ाने के लिये निर्धारित समय के अन्तर्गत व्यवस्था करना संभव नहीं होगा। तथापि, यह देखने के लिए अग्रिम कार्यवाही की गई है कि अशोधित तेल के तीव्र उत्पादन के फलस्वरूप उस सम्बद्ध प्राकृतिक गैस जिसके उत्पादित होने की आशा है को किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से उपयोग में लगाया जाये। भारत सरकार ने वर्ष 1977 में एक कर्मचारी दल स्थापित किया था और किस प्रकार सम्बद्ध प्राकृतिक गैस को उपयोग में लाये जाने के सम्बन्ध में उनकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया था। इस कार्यकारी दल ने यह सिफारिश की कि लगभग 0.83 मिलयन घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस बम्बई शहर के घरेलू उपभोक्ताओं और कपड़े की मिलों को सप्लाई के लिए सुलभ कराई जानी चाहिए। वर्ष 1978 में भारत सरकार ने महाराष्ट्र सरकार से कहा था कि बम्बई शहर में प्राकृतिक गैस की इस मात्रा को वितरित करने के लिए ढंग निकाले : महाराष्ट्र सरकार ने एक अध्ययन दल स्थापित किया था परन्तु अध्ययन दल अभी तक अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं हो सका है। इस बात को ध्यान में रखते हुए और यह देखने के लिए कि क्या उन समस्याओं का हल पता लगाने में जिनमें वे अभी तक सफल नहीं हो सके हैं क्या सहायता की जा सकती है, पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने अध्ययन दल के सदस्यों और महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधियों के साथ अनेक बैठकें की थीं। इन विचार-विमर्श पर पेट्रोलियम मंत्री द्वारा महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री के साथ आयोजित बैठकों में अनुवर्ती कार्यवाही की गई। इसके परिणामस्वरूप, बम्बई शहर में उपभोक्ताओं को किस प्रकार गैस वितरित की जाए, इसकी एक विधि तैयार की गयी है और इस प्रकार शीघ्र ही निर्णय लिये जाने की आशा है।

जलाई जाने वाली सम्बद्ध प्राकृतिक गैस की मात्रा में इसके लिए कुछ आउटलेटों के सृजित किये जाने के कारण तेजी से कमी आई है हालांकि थाल बेशिट में नया उर्वरक संयंत्र अभी तैयार नहीं है और महाराष्ट्र सरकार बम्बई शहर में प्राकृतिक गैस के वितरण के लिए योजना कार्यान्वित करने में कठिनाइयों का अनुभव कर रही है। सारी सम्बद्ध प्राकृतिक गैस को तब तक जलाना

पड़ा था जब तक कि जुलाई, 1978 में गैस को परिवहन करने के लिए पाइपलाइन पूरी नहीं हो गई थी। इसके पश्चात् राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स के ट्राम्बे स्थित उर्वरक संयंत्र को और टाटा इलैक्ट्रिक कम्पनी को सम्बद्ध प्राकृतिक गैस की सप्लाई आरम्भ की गई थी। अशोधित तेल के उत्पादन में तीव्र वृद्धि होने के फलस्वरूप सम्बद्ध प्राकृतिक गैस की मात्रा में तेजी से वृद्धि हुई। हालांकि गैस का उपभोग जोकि वर्ष 1978-79 के अन्त में 0.8 मि० घन मीटर प्रतिदिन था। वर्ष 1981-82 में बढ़कर 2 मि० घन मीटर प्रतिदिन हो गया था, सम्बद्ध प्राकृतिक गैस की मात्रा जिसको 1981/82 में जलाया गया था 1.8 मि० घन मीटर प्रतिदिन की थी। तथापि, जुलाई, 1982 के अन्त से गत माह महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड की गैस टर्बाइनों के शुरू हो जाने पर अब गैस बहुत कम मात्रा में अथवा बिल्कुल नहीं जलाई जा रही है।

बम्बई हाई क्षेत्र में और अपतटीय प्रोसेस प्लेटफार्म के आरम्भ हो जाने पर आगामी महीनों में सम्बद्ध प्राकृतिक गैस का उत्पादन और अधिक बढ़ जायेगा परन्तु पहले से ही आउटलेटों को सृजित किया गया है जिससे कि इस बढ़ी हुई उपलब्धता के उचित रूप से प्रयोग किये जाने की भी आशा है।

भविष्य में प्राकृतिक गैस के अनुकूलतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए जिसके लिए पाइपलाइनों तथा विभिन्न प्रकार की सुविधाओं तथा इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना की आवश्यकता है, मार्च 1982 में मंत्रालय ने एक कार्यकारी दल की नियुक्ति की थी जिसमें तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, तेल समन्वय समिति तथा पेट्रोलियम विभाग के प्रतिनिधि शामिल थे। कार्यकारी दल ने अगले बीस वर्षों के लिये प्रति वर्ष के आधार पर अपतटीय प्राकृतिक गैस के उपयोग पर अपनी प्रथम रिपोर्ट पहले से ही प्रस्तुत कर दी है। पर्याप्त मात्रा में आउटलेटों का पता लगाया गया है जिससे कि यदि कुछ उपभोक्ताओं द्वारा उठान में कुछ विलम्ब हो, अन्य उपभोक्ता उपलब्ध हो सकने वाली गैस को प्रयोग में लाने में समर्थ हो सकेंगे।

(ख) तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (खाना पकाने की गैस) सम्बद्ध प्राकृतिक गैस से निकाली जाती है। बकाया सम्बद्ध प्राकृतिक गैस राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, टाटा इलेक्ट्रिक कम्पनी तथा महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड को सप्लाई की जा रही है।

अतिरिक्त आउटलेट जिनको सूचित किया गया है बम्बई में शोधनशालाएं तथा एक अमोनिया-कम- नाइट्रिक एसिड संयंत्र है जिन्हें शीघ्र ही शुरू किया जायेगा।

(ग) वर्ष 1976 से जबसे कि अशोधित तेल का उत्पादन आरम्भ हुआ था सम्बद्ध प्राकृतिक गैस को जलाना पड़ता था, जून, 1982 तक जलाई गई कुल मात्रा 1958.711 एम० एम० एम० 3 थी। इस गैस का मूल्य निर्धारित करना उचित नहीं होगा चूंकि इस अवधि के दौरान न तो इसको भण्डार किया जा सकता था और न ही इसका पूर्ण रूप से उपयोग किया जा सकता था।

(घ) और (ङ) बम्बई गैस कम्पनी का बम्बई शहर में एक क्षेत्र में लगभग 550 किलो मीटर का कोयला गैस पाइपलाइन सप्लाई का तन्त्र जाल है। यह कोयला गैस पाइपलाइनें

प्राकृतिक गैस के वितरण के लिए उपयुक्त नहीं है, जब तक कि इनमें विस्तृत संशोधन न किये जायें जिसमें भारी निवेश की आवश्यकता होगी। इनमें क्या सुधार करने पड़ेंगे तथा इस पर कितना निवेश किया जाना होगा इस सम्बन्ध में अध्ययन लगभग पूरे हो गये हैं।

छोटे उपभोक्ताओं को मिट्टी के तेल/डीजल की सप्लाई

*432. **श्री राजेश पायलट : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनसंख्या और आवश्यकता के अनुरूप छोटे उपभोक्ताओं को (जिलेवार) मिट्टी के तेल और डीजल की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या मानदण्ड और नियन्त्रण लागू किए हुए हैं ;

(ख) विभिन्न राज्यों के मिट्टी के तेल और डीजल के कोटे निश्चित करने के लिए यदि कोई मार्गनिर्देश जारी किए गये हैं, तो वे क्या हैं ;

(ग) क्या जिलेवार आवंटन के लिए ऐसे ही मार्ग निर्देशों का अनुपालन किया जाता है ; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को मिट्टी के तेल और डीजल का आवंटन पेट्रोलियम विभाग द्वारा किया जाता है। हाई स्पीड डीजल तेल के सम्बन्ध में मासिक राज्य-वार आवंटन सम्बन्धित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में पिछले वर्ष के तदनुरूपी मास में हुई वास्तविक बिक्री की 15% वृद्धि दर देकर किये जाते हैं। परन्तु ये आवंटन नाममात्र होते हैं, क्योंकि डीजल की बिक्री पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है और तेल कम्पनियों द्वारा मांग को पूरी तरह पूरा किया जा रहा है। मिट्टी के तेल के सम्बन्ध में हाल ही में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को आबंटन प्रत्येक चार मासिक ब्लाक में किया जा रहा है। दोनों ग्रीष्म महीनों (मार्च-जून) और वर्षा-कालीन महीनों (जुलाई-अक्तूबर) के लिए मिट्टी के तेल का मासिक आवंटन पिछले वर्ष के तदनुरूपी 4 महीनों की औसतन मासिक बिक्री से 5% अधिक की दर पर आधारित होता है, जबकि शीत कालीन महीनों (नवम्बर-फरवरी) के लिए आवंटन पिछले वर्ष के तदनुरूपी 4 महीनों में से किसी एक के अधिकतम आवंटन/बिक्री से 5% अधिक की दर पर आधारित होते हैं। मिट्टी के तेल के आवंटन में कभी-कभी प्राकृतिक विपत्तियों, पर्वों आदि के आधार पर तदर्थ वृद्धि की दी जाती है।

(ग) और (घ) राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को मिट्टी के तेल और डीजल का केवल सम्पूर्ण आवंटन पेट्रोलियम विभाग द्वारा किया जाता है। ऐसे आवंटन का विभाजन राज्यों के अन्दर विभिन्न क्षेत्रों/जिलों में राज्य सरकार द्वारा अपने आप किया जाता है। राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि राज्य के अन्दर इन उत्पादों का समान वितरण सुनिश्चित करें।

चलचित्र विकास निगम को हुए नुकसान

*437. श्री एस० एम० कृष्ण
श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव } : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चलचित्र विकास निगम को अपने काम करने के प्रथम वर्ष में ही 50 लाख रुपये की ऋण के रूप में दी गई ऐसी धनराशि को बट्टे खाते डालना पड़ा है, जिसकी वसूली सम्भव नहीं थी तथा 15 लाख रुपये की और धनराशि की भी ऋण की संदिग्ध वसूली मानकर व्यवस्था की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इन भारी नुकसानों के क्या कारण हैं ; और

(ग) ऐसे ऋणों को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) वर्ष 1980-81 के दौरान 53.75 लाख रुपए के लाभ में से, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने अशोध्य ऋणों के रूप में 49.14 लाख रुपये की राशि बट्टे खाते में डाली है तथा 4.50 लाख रुपये की राशि संदिग्ध ऋणों के रूप में दिखाई है। यह कहना सही नहीं है कि ये हानियां राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को हुई थी। ये अशोध्य तथा संदिग्ध ऋण भूतपूर्व फिल्म वित्त निगम/भारतीय चलचित्र निर्यात निगम से सम्बन्धित थे और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने इनका समंजन लेखा प्रयोजन के लिए किया है। निगम सम्बन्धित पार्टियों से राशि को वसूल करने के लिए कदम बराबर उठा रहा है।

भूतपूर्व फिल्म वित्त निगम तथा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को भी अच्छे सिनेमा के विकास के लिए प्रेरक और विकासात्मक भूमिका अदा करनी है। इस उत्तरदायित्व को निभाते समय ऐसी फिल्मों, जो वाणिज्यिक रूप से सफल न हों, को ऋण उपलब्ध करने के रूप में जाना बूझा जोखिम उठाना आवश्यक हो जाता है।

(ग) कड़ा वित्तीय अनुशासन ला करके, फिल्मों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता के लिए आवेदनपत्रों की पूरी छानबीन करके, भारतीय फिल्मों का अधिक निर्यात करके, भारतीय और आयातित फिल्मों के लिए वितरण और प्रदर्शन की सुविधाओं का विस्तार करके तथा 16 मिली मीटर केन्द्रो, उप शीर्षक यूनिट तथा वीडियो अन्तरण यूनिट जैसी परियोजनाओं को कार्यान्वित करके, जिनसे राजस्व प्राप्त होने की संभावना है है, निगम की वित्तीय स्थिति में सुधार किया जा रहा है।

राष्ट्रीय ताप शक्ति निगम (नेशनल थरमल पावर कारपोरेशन) गुजरात और महाराष्ट्र द्वारा संयुक्त रूप से किए जाने वाले ट्रांसमिशन कार्यक्रम

*440. **श्री सुधीर कुमार गिरि** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय ताप शक्ति निगम गुजरात और महाराष्ट्र द्वारा निकट भविष्य में बड़े पैमाने पर संयुक्त रूप से ट्रांसमिशन कार्यक्रम आरम्भ किया जा रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि विश्व बैंक उक्त कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता देगा ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस कार्यक्रम से लाभान्वित होने वाले राज्यों के नाम क्या हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (घ) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, गुजराज बिजली बोर्ड और महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली एक पारेषण परियोजना, जिसमें कुछ अति उच्च वोल्टता पारेषण लाइनें तथा अन्य सम्बन्धित सुविधाएं शामिल हैं, विश्व बैंक को प्रस्तुत की गई है, जिसका सितम्बर-अक्तूबर, 1982 के दौरान मूल्यांकन किए जाने की सम्भावना है। इस प्रस्तावित परियोजना से प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं गुजरात और महाराष्ट्र तथा परोक्ष रूप से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश।

"बल्क" औषधियों के उत्पादन के लिए नीति का पुनरीक्षण

***441. श्री धर्म दास शास्त्री** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा "बल्क" औषधियों के उत्पादन के लिए बनाई गई वर्तमान नीतियों का इस उद्योग की बदलती हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखकर समय-समय पर पुनरीक्षण नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो वर्षवार उन औषधियों के नाम क्या हैं, जिनका बदलती हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखकर पुनरीक्षण किया गया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिस्थिति में परिवर्तन के कारण 1978 औषध नीति के कार्यान्वयन में निम्नलिखित परिवर्धन अपनाए गए हैं—

(1) 1978 औषध नीति के अंग के रूप में यह निर्णय लिया गया था कि जहां तक औषधि उद्योग का सम्बन्ध है, डी० जी० टी० डी० के साथ पंजीकरण की योजना

समाप्त हो जायेगी। तथापि अप्रैल, 1978 में औद्योगिक विकास विभाग में सरकार ने सभी उद्योग के सम्बन्ध में डी० जी० टी० डी० के साथ पंजीकरण योजना में और उदारता दिखाई। औद्योगिक विकास विभाग के साथ परामर्श से पूरे मामले की जांच करने के बाद औषध नीति के पैरामीटरो की शर्त के अन्तिम निर्णय के लम्बित रहने तक औषध उद्योग के लिए डी० जी० टी० डी० के साथ पंजीकरण की योजना जारी रखने का निर्णय लिया गया।

(2) 1978 औषध नीति वक्तव्य में (1) सरकारी क्षेत्र (2) भारतीय क्षेत्र, (3) सभी क्षेत्रों के लिए मुक्त लाइसेंसिग के लिए मुक्त औषधों की सूचक सूची की घोषणा की गई थी। वर्ष 1980 में इरीथ्रोमाइसीन जो सरकारी क्षेत्रीय सूची में थी, उसे भारतीय क्षेत्र के लिए आरक्षित औषधों की सूची में स्थानान्तरित कर दिया गया। ऐसा इस मूल्यांकन के आधार पर किया गया कि आई० डी० पी० एल० वर्ष 1984-85 में इरीथ्रीमाइसीन की मांग पूरी करने में असमर्थ होगा।

(3) अधिक उत्पादन को नियमित करने के सम्बन्ध में औषध नीति के प्रावधानों को सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक नीति के आलोक में परिवर्तित किया गया है जिसमें स्थापित क्षमता (सितम्बर, 1980) और क्षमता (अप्रैल, 1982) के पुनर्पृष्ठांकन को मान्यता देने की व्यवस्था है।

हल्दिया उर्वरक संयंत्र

*442. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया में हिन्दुस्तान उर्वरक निगम एकक में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) उपरोक्त एकक में वाणिज्यिक उत्पादन कब शुरू होने की संभावना है ?

पेट्रोलियय, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) यद्यपि हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन का हल्दिया प्लांट यान्त्रिक रूप से नवम्बर, 1979 में पूरा हो गया था, लेकिन दिसम्बर, 1981 तक संचालन कार्यकलाप प्रारम्भ नहीं हो सका क्योंकि राज्य विद्युत बोर्ड से अपेक्षित बिजली उपलब्ध नहीं थी। आक्सीजन कम्प्रेशर में खराबी और नाइट्रोजन कम्प्रेशर में विकार के कारण वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने में और विलम्ब हुआ।

(ग) यूरिया और मेथानोल सहित फ्रन्ट एण्ड प्लांट के 1-10-1982 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने और नाइट्रोफास्फेट तथा सोडा ऐश के 1-4-1983 से उत्पादन प्रारम्भ करने की आशा है।

मेघालय में गारो हिल्स ताप परियोजना

*443. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गारो हिल्स ताप परियोजना का कार्य निष्पादन मेघालय राज्य सरकार को आबंटित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस परियोजना के कार्य-निष्पादन के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचा जैसे सड़कें, कार्यालय और स्टाफ क्वार्टर तथा जल सप्लाई और संचार की व्यवस्था उपलब्ध कराने में राज्य सरकार द्वारा कितना व्यय किया गया है ; और

(घ) इससे स्थानीय लोगों के हित साधन करने में कहां तक सहायता मिलेगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) उत्तर-पूर्वी परिषद के माध्यम से क्रियान्वयन के लिए परियोजना अनुमोदित कर दी गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) गारो हिल्स ताप-विद्युत केन्द्र को क्षेत्रीय विद्युत केन्द्र के रूप में स्वीकृत किया गया है और इससे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के लोगों के हितों को लाभ मिलेगा।

बरौनी में पेट्रो-रसायन समूह की स्थापना

*444. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस तथ्य के बावजूद कि बरौनी बिहार में देश का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना है, वहां अभी तक कोई पेट्रोलियम रसायन-समूह स्थापित नहीं किया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बिहार सरकार तथा संसद सदस्य पिछले 25 वर्षों से मांग कर रहे हैं कि वहां पेट्रो-रसायन समूह स्थापित किया जाये ;

(ग) क्या किसी प्रवर समिति ने 1981 में भारत सरकार को ऐसा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें उन्होंने बरौनी में ऐसा समूह स्थापित करने की सिफारिशें की थीं ; और

(घ) यदि उपरोक्त तथ्य सही है, तो समूह की स्थापना में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (घ) देश में बरौनी शोधनशाला छठी पुरानी शोधनशाला है ।

बिहार में एक पेट्रो-रसायन काम्पलैक्स की स्थापना के बारे में सुझाव और प्रतिवेदन दिये गये हैं ।

वर्ष 1981 में स्थल चयन समिति ने सिफारिश की थी कि बिहार में एक बड़ी पेट्रो-रसायन परियोजना भी स्थापित की जा सकती है ।

बिहार स्टेट फार्मास्यूटिकल्स एण्ड केमिकल डेवल्पमेंट कारपोरेशन को 10,000 मी० टन स्टाइरीन और 10,000 मी० टन पाली स्टाइरीन के निर्माण के लिए जून 1982 में एक आशय पत्र जारी किया गया ।

अन्य दो प्रमुख पेट्रो-रसायन एककों जिनकी पूंजीगत लागत करीब 200 करोड़ रुपये होने की सम्भावना है, की स्थापना के प्रस्ताव-विचाराधीन हैं ।

दामोदर खाटी निगम द्वारा कम विद्युत सप्लाई किए जाने के कारण कोल इण्डिया लि० को हानि

*445. **श्री अजित कुमार साहा**
श्री वासुदेव आचार्य } : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामोदर घाटी निगम द्वारा कम विद्युत सप्लाई किए जाने से कोल इण्डिया लि० को प्रति दिन कितनी हानि होती है ;

(ख) दामोदर घाटी निगम ने इस वर्ष के दौरान कोल इण्डिया लि० को विद्युत कितनी बार अपेक्षित मात्रा में सप्लाई की ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की जायेगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गानी खान चौधरी) : (क) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०, सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० और भारत कोकिंग कोल लि० को बिजली की सप्लाई दामोदर घाटी निगम द्वारा की जाती है । बिजली की इस सप्लाई में रुकावट आने पर कोयला कम्पनियों को उत्पादन में हानि उठानी पड़ती है । मार्च से जून, 1982 की अवधि में इन तीनों कम्पनियों को कोयले उत्पादन में जो परिगणित हानि उठानी पड़ी वह लगभग 11 लाख टन है । कोयला वाशरियों को भी बिजली में रुकावट होने पर उत्पादन में हानि होती है । कोल इण्डिया लि० की वाशरियों में मार्च-जून 1982 की अवधि में धुले कोयले के उत्पादन में जो परिगणित हानि हुई वह 3 लाख टन से कुछ ऊपर है ।

(ख) ई० को० लि०, भा० को० लि० और से० को० लि० की बिजली की अधिकतम आवश्यकता 320 एमवीए निर्धारित की गई हैं। परन्तु, औसत रूप में, यह आवश्यकता लगभग 200 एमवीए रहती है। मार्च-जून, 1982 की अवधि में दामोदर घाटी निगम से इन तीन कोयला कम्पनियों को वास्तविक औसत सप्लाई 190 एस. वी. ए. रही है। परन्तु इस बिजली सप्लाई में भी नियमित रूप से रुकावट होती रही है।

(ग) कोयला कम्पनियां को ग्रहीत जनरेटिंग सैट लगा रही हैं और दामोदर घाटी निगम से बिजली की सप्लाई करने वाले फीडरों में कोल लोड को नान-कोल लोड से अलग कर रही हैं।

दामोदर घाटी निगम अपनी क्षमता बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। और जून के महीने में यह प्रबन्ध किया गया था कि कुछ बिजली उत्तरी ग्रिड से लेकर दामोदर घाटी निगम के जरिए खानों की सप्लाई की जाए।

कास्टिक सोडा का उत्पादन

*446. **श्री रणजीत सिंह** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष देश में कास्टिक सोडा का कितना उत्पादन किया गया ;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान विदेशों से कास्टिक सोडा का कितनी मात्रा में आयात किया गया ; और

(ग) विदेशों में आयात किए गए कास्टिक सोडा के वितरण के लिए क्या तरीका अपनाया गया ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) वर्ष 1981-82 में 6.14 लाख टन कास्टिक सोडा का उत्पादन हुआ।

(ख) वर्ष 1980-81 (जनवरी, 1981 तक) के दौरान 34.218 टन कास्टिक सोडा आयात किया गया। जनवरी 1981 के बाद के आयात आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। आंकड़ों के संकलन तथा प्रकाशन में सामान्यतः समान्तर होता है। आयात आंकड़े महानिदेशक, वाणिज्यक आसूचना तथा सांख्यिकी, कलकत्ता द्वारा संकलित तथा प्रकाशित किए जाते हैं। आंकड़ों के संकलित हो जाने पर, उन्हें भारत के विदेश-व्यापार की मासिक सांख्यिकी खण्ड दो में प्रकाशित किया जायेगा, जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध होगी।

(ग) कास्टिक सोडा के वितरण पर कोई सांविधिक नियन्त्रण नहीं है। तथापि, इस मध्य की जब कभी पैदा हुई तब मांग और आपूर्ति के बीच की कमी को पूरा करने के लिए स्टेट

केमीकल्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स कारपोरेशन आफ इण्डिया (सी० पी० सी०) अब भारतीय व्यापार निगम का रसायन प्रभाग ने 1979-80 में 15,000 टन तथा 1980-81 में 21,425 टन का कास्टिक सोडा आयात किया। आयातित कास्टिक सोडा को वास्तविक उपभोक्ताओं, जिसमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रम तथा राज्य सरकारें शामिल हैं, में सी० पी० सी० में पंजीकृत उनकी आवश्यकताओं के आधार पर वितरित किया गया।

तेल-कर्षण उपकरण का आयात

*447. **श्री राम अवध** : क्या पेट्रोलियम, रसायन, और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विदेशों से विभिन्न प्रकार के तेल-कर्षण-उपकरणों का आयात किया है ;

(ख) यदि हां, तो विदेशी मुद्रा के रूप में उनकी कुल लागत कितनी है ; और

(ग) इन उपकरणों के प्रयोग से तेल-उत्पादन कितना बढ़ा है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) जी हां। तेल निकालने के विशिष्ट उपकरणों जैसे कि सकर रॉड पम्प, गैस उत्तोलन उपकरण, ट्यूबें कूप उद्दीपन उपकरण, पोलीमर आप्लावन उपकरण इत्यादि का तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा गुजरात तथा असम में पुराने तेल क्षेत्रों से अशोधित तेल के उत्पादन को कायम रखने तथा बढ़ाने के लिए कायम किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान तटीय क्षेत्रों के लिए तेल निकालने के उपकरणों पर तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा विदेशी मुद्रा का किया गया भुगतान नीचे दिया गया है :

वर्ष	रुपये करोड़
1979-80	1.78
1980-81	7.78
1981-82	7.76

आयल इण्डिया लिमिटेड के सम्बन्ध में इसी प्रकार की सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(ग) ऐसे उपकरणों की सहायता से आयल इण्डिया लिमिटेड असम में अपने तेल क्षेत्रों से अशोधित तेल का उत्पादन 3 एम० टी० पी० ए० की दर पर कायम रखने में समर्थ हो सका है। इसी प्रकार तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग गुजरात तथा असम में अपने तटीय तेल क्षेत्रों से अशोधित तेल के अपने उत्पादन को जो कि 1979-80 में 5.09 एम० टी० पी० ए० से बढ कर

1981-82 में 5.20 एम० टी०·पी० ए० हो गया था, कायम रख सका था तथा उसमें सुधार ला सकता था।

दूरदर्शन और मल्टी-चैनल प्रणाली

*448. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में दूरदर्शन पर मल्टी-चैनल प्रणाली आरम्भ करने के लिए कोई प्रयोग किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता उच्च न्यायालय में अण्डमान निकोबार प्रशासन के विरुद्ध लम्बित रिट अर्जियां

4741. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता उच्च न्यायालय में अण्डमान निकोबार प्रशासन के विरुद्ध कितनी रिट अर्जियां लम्बित हैं और कब से ;

(ख) क्या सरकार को अभ्यावेदन मिला है कि इन रिट अर्जियों को कलकत्ता उच्च न्यायालय के पोर्ट ब्लेयर स्थित सर्किट न्यायालय को अन्तरित किया जाए ; यदि हां, तो क्या कार्रवाई की गई है ;

(ग) क्या सरकार इस क्षेत्र की मुख्य भूमि से दूर और अलग-थलग स्थिति को देखते हुए विशेष मामले के रूप में, कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक स्थायी एक सदस्यीय न्यायपीठ की पोर्ट ब्लेयर में स्थापना करने के प्रश्न पर विचार करेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री को लिखा था जिन्होंने कलकत्ता के कार्यकारी मुख्य न्यायाधिपति से इस बारे में चर्चा की थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री ने जानकारी दी है कि अपील पक्ष के और रिट सम्बन्धी सुसंगत नियमों का इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त रूप से संशोधन कर दिया गया है।

(ग) और (घ) कार्यभार को देखते हुए स्थायी न्यायपीठ स्थापित किए जाने का कोई औचित्य नहीं है।

राष्ट्रीय कैमीकल्स एण्ड फर्टीलाइजर्स लिमिटेड द्वारा कर्नाटक में बारानी खेतो में किया गया काम

4742. **श्री एस० पी० सिदनाल** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने कनाटक में बारानी खेती के क्षेत्रों में कुछ काम किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां,

(ख) राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइज़र्स लि० ने कर्नाटक में निम्नलिखित परियोजनाओं पर बारानी खेती की है :

(1) 50 गांवों में 50 प्रदर्शन आयोजित किए गए थे जहां 9 जिलों में नारियल की बारानी खेती पर आयात कार्यक्रम में सुफला (15 :15 : 15) खाद का प्रयोग किया गया था।

(2) तीन जिलों के 20 गांवों में सुफला और उज्जवला खाद की मदद से ज्वार फसल पर बारानी विकास कार्यक्रम चलाया गया था।

(3) सात जिलों के 31 विभिन्न गांवों में सुफला और उज्जवला खाद की मदद से ज्वार और रागी फसलों पर वर्षापूरित या बारानी क्षेत्रों में उर्वरक प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

हिमाचल प्रदेश में डेरा गोपीपुर और सोलन डाक डिवीजन

4743. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के अन्य डाक डिवीजनों की भांति डेरा गोपीपुर और सोलन डाक डिवीजनों को जीपें उपलब्ध नहीं कराई गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा उन्हें किस तारीख तक जीपें उपलब्ध कराये जाने की आशा है ?

संचार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) सोलन पोस्टल डिवीजन को वर्ष 1978-79 के दौरान एक निरीक्षण वाहन पहले से ही दे दिया गया है।

देहरा पोस्टल डिवीजन जिसकी वर्ष 1980 में धर्मशाला पोस्टल डिवीजन से अलग कर दिया गया था, अभी तक निरीक्षण वाहन नहीं दिया गया है।

(ख) पोस्टल डिवीजन के लिए निरीक्षण वाहनों की व्यवस्था करने का कार्य चरणबद्ध ढंग से किया जा रहा है, जिसमें 5 वर्ष लगेंगे। देहरा गोपीपुर पोस्टल डिवीजन जिसका सृजन वर्ष 1980 में ही किया गया था, को अगले वित्तीय वर्ष 1983-84 के दौरान निरीक्षण वाहन दे दिया जाएगा।

बिजली की कमी

4744. **डा० सरदीश राय :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत पांच वर्षों के दौरान, वर्षवार बिजली की कितनी कमी रही है तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : 1977-78 से 1981-82 तक की अवधि के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता, सप्लाई और कमी के सम्बन्ध में वर्षवार ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

(आंकड़े मिलियन यूनिट में)

अवधि	ऊर्जा की आवश्यकता	ऊर्जा सप्लाई	कमी	प्रतिशतता
1977-78	102180	86343	15837	(—) 15.5
1978-79	108535	97349	11186	(—) 10.3
1979-80	118370	99302	19068	(—) 16.1
1980-81	120118	104932	15186	(—) 12.6
1981-82	129245	115274	13971	(—) 10.9
अप्रैल, 82-जुलाई, 82	44214	40098	4116	(—) 9.3

कच्चे तेल का उत्पादन

4745. **श्री वीरभद्र सिंह :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980, 1981 और 1982 में जून 1982 तक देश में कितने कच्चे तेल का उत्पादन हुआ ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : देश में वर्ष 1980, 1981 और जनवरी से जून 1982 के दौरान अशोधित तेल का कुल उत्पादन नीचे दिया गया है :—

1980—9.361 मिलियन मीटर टन

1981—13.889 मिलियन मीटर टन

1982— 9.468 मिलियन मीटर टन (अस्थाई) (जून तक)

क्लोरमफैनिकाल का उत्पादन करने वाली फर्में

4746. **श्री निहाल सिंह :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्लोरमफैनिकाल का उत्पादन करने वाली फर्मों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या 'एल-बेस' पर उत्पादन शुल्क में वृद्धि होने के बाद लघु इकाईयों ने "(एलबेस)" पर आधारित क्लोरमफैनिकाल के मूल्यों में वृद्धि करने के लिए सरकार से अनुरोध किया था और क्या अभी तक मूल्य नहीं बढ़ाए गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो लघु इकाइयों को बन्द होने से बचाने के लिए क्लोरमफैनिकाल के मूल्यों में सरकार का कब तक वृद्धि करने का विचार है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) देश में क्लोरमफैनीकाल का उत्पादन मैं० पोर्क डेविस, मैं० वोहरिंगर नौक लि०, एम० ए० सी० लैब्स, मैं० डे० सी० कैम और अनेक लघु एककों द्वारा किया जाता है। केवल मैं० पोर्क-डेविस और मैं० वोहरिंगर नौक लि० बेन्जलडिहाइड के मूल्य स्तर से औषध का उत्पादन करते हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) एल-बेस के आयात मूल्य से जो सीमा शुल्क में वृद्धि के समय 50 से 55 अमेरीकी डालर प्रति कि० ग्रा० था, तब से पर्याप्त कमी हुई है। यद्यपि एल-बेस को क्लोरमफैनीकाल में बदलने वाले कुछ परिवर्तनों ने एल-बेस से निर्मित क्लोरमफैनीकाल के मूल्य में संशोधन के लिए सरकार को अभिवेदन किया है। सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है और बाजार मूल्यों को देख रही है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में नियुक्तियां

4747. **श्री ए० के० राय :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में 1 जनवरी 1982 से 2 जुलाई, 1982 तक विभिन्न श्रेणियों में श्रेणीवार, अलग-अलग कुल कितने व्यक्तियों का साक्षात्कार हुआ और कितने व्यक्ति चुने गए ;

(ख) उसमें जो चुने गए तथा जिनका साक्षात्कार हुआ था, में से हरिजनों तथा आदिवासी लोगों तथा स्थानीय ग्रामीणों (विस्थापितों के आश्रितों सहित) और मृत तथा सेवा-निवृत कर्मचारियों की प्रतिशतता क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि हरिजनों तथा आदिवासियों के लिए कोटा नहीं रखा गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कदम उठाए गए ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पायराइट्स फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड में काम कर रहे कर्मचारी

4748. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पायराइट्स, फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड, अमझोर में कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं :

(ख) उनमें कितने कर्मचारी स्थाई हैं और कितने अस्थाई;

(ग) इन कर्मचारियों के वेतनमानों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या श्रेणी तीन और श्रेणी-चार की भर्ती में स्थानीय लोगों की अपेक्षा बाहर के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है ;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(च) क्या उन कर्मचारियों को बोनस दिया जाता है और यदि हां, तो उसके दर क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) पायराइट्स, फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड के अमझोर प्रोजेक्ट में 30.6. 1982 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या 1849 थी । वे सभी नियमित कर्मचारी हैं, केवल एक को छोड़ कर, जोकि दैनिक मजदूरी पर है ।

(ग) कर्मचारियों के वेतन-मान विवरण में दिए गए हैं ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

(च) बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के अनुसार बोनस के लिए हकदार सभी कर्मचारियों को 8.33 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बोनस का भुगतान किया जाता है ।

विवरण

पायराइट्स फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड में वेतन-मानों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

अधिकारी

1. 750-35-820=40-1100-50-1400 रुपये
2. 820-40-1100-50-1500 रुपये
3. 1250-50-1500=60=1800 रुपये
4. 1450-50-1500-60-1800=100=1900 रुपये
5. 1680-60-1800-100-2000 रुपये
6. 2000-100-2200 रुपये
7. 2000-100-2200-125-2450 रुपये
8. 2200-125-2450 रुपये

श्रमिक

1. 240-5-290-6-338-रुपये (250/-रुपये से आरम्भ)
2. 260-6-308-7-350 (266/-रुपये से आरम्भ)
3. 280-6-328-8-384 रुपये
4. 320-9-356-10-486 रुपये
5. (क) 350-10-410-52-506-15-521-(360/-रुपये से आरम्भ)
   (ख) 350-10-410-12-506-15-611-18-647 रुपये
6. (क) 400-10-480-12-576 रुपये
   (ख) 400-12-496-15-586=18-640 रुपये
7. 440-13-505-15-595-18-649 रुपये
8. 470-15=500-15-620-20-840 रुपये
9. 515-15-620-20-840 रुपये

नकली रेशे और औषधियों के एककों के विस्तार के लिए लाइसेंसों का जारी किया जाना

4749. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री सम्पर्क अधिकारियों का मंत्रालयों में प्रवेश के बारे में 23 फरवरी, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 389 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के सेवा-निवृत्त अधिकारियों के नकली रेशों और औषधियों का काम करने वाले नियोक्ताओं को, उन अधिकारियों द्वारा सम्पर्क-कार्य सम्भालने के पश्चात् से वर्तमान

एककों के विस्तार एवम् नए एककों की स्थापना के लिए जारी किए गए आशयपत्रों/औद्योगिक लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है तथा मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ उन अधिकारियों के सम्पर्क उनके नियोक्ताओं के हितों के प्रवर्धन में कहां तक सहायक थे ; और

(ख) उनके मंत्रालय द्वारा ऐसे सम्पर्क अधिकारियों की गतिविधियों पर यदि कोई निगरानी रखी जाती है तो क्या जिन्होंने विभिन्न स्तरों पर सम्बद्ध अधिकारियों के साथ बहुत ही निकट के सम्बन्ध स्थापित कर रखे हैं और फाइलों के दिन-प्रतिदिन आवागमन के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं और इस प्रकार प्राप्त जानकारी उद्योग में उनके अन्य प्रतियोगियों के हितों के विरुद्ध काम के लिए उन्हें सहायक सिद्ध होती है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) पेट्रोलियम विभाग के एक सहायक को जुलाई, 1978 में स्वेच्छिक सेवानिवृति प्रदान की गयी थी, यह पता चला है कि उसने संश्लिष्ट फाइबर का उत्पादन करने वाली एक कम्पनी में नौकरी कर ली है। उसकी उपर्युक्त सेवा निवृति के बाद उक्त कम्पनी को संश्लिष्ट फाइबर के लिए निम्नलिखित आशय-पत्र/औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत किये गये है :

(1) पोलिएस्टर स्टेपिल फाइबर के निर्माण के लिये 6,000 मी० टन/वर्ष से 12,000 मी० टन/वर्ष तक का क्षमता में विस्तार।

(2) पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न के उत्पादन के लिए 960 मी० टन/वर्ष से 6,960 मी० टन तक प्रति वर्ष क्षमता में विस्तार।

(3) एक्रीलिक फाइबर के उत्पादन के लिये 4,000 मी० टन/वर्ष से 10,000 मी० टन/वर्ष का क्षमता में विस्तार।

(4) नायलौन इंडस्ट्रियल यार्न/टायर कार्ड के उत्पादन के लिये 3,000 मी०टन/वर्ष से 5,000 मी० टन/वर्ष तक क्षमता का विस्तार।

औद्योगिक अनुमोदन के सचिवालय के तत्वावधान के अन्तर्गत औद्योगिक लाइसंसों के लिये आवेदन-पत्रों पर अन्तर-विभागीय समिति द्वारा विचार किया जाता है। आवेदन-पत्रों पर गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाता है।

दूसरे सेवा-विद्युत अधिकारी ने भेषज उत्पादक संघ में नौकरी ले ली है।

(ख) सचिवालय कार्यालय में मुलाकातियों का प्रवेश सचिवालय सुरक्षा संगठन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आगन्तुको को पूर्व निर्धारित समय पर अवर सचिव और उनसे उच्च पदों वाले अधिकारियों से स्वागत अधिकारी से आगन्तुक प्रवेश पत्र प्राप्त करने के बाद मिलने की अनुमति है।

समाचार पत्रों को विज्ञापन देने का मानदंड

4750. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा समाचार-पत्रों को विज्ञापन दिये जाने के मामले में क्या मानदंड अपनाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा सरकारी विज्ञापनों को रिलीज किये जाने के मानदण्ड 1.10.80 से लागू सरकार की विज्ञापन नीति, जिसे संसद की मेज पर पहले ही रखा जा चुका है, में निहित हैं।

आकाशवाणी में प्रोड्यूसर

4751. **श्री रामायण राय**
श्री कमला मिश्र मधुकर } : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी में कितने प्रोड्यूसर है तथा वे इस रूप में कब से काम कर रहे हैं;

(ख) आकाशवाणी में कितने "प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव" हैं तथा वे कब से नियमित 'प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव' के रूप में काम कर रहे हैं ;

(ग) क्या ऐसे प्रोड्यूसरों को, जिन्हें सरकारी कर्मचारी बनाया जा रहा है, "एक्सपर्ट्स" समझा जाता है ; और

(घ) क्या प्रोड्यूसरों के हित और वरिष्ठता की सुरक्षा के लिये सरकार का विचार नियमित प्रोग्राम कैडर में सभी पदोन्नतियों पर रोक लगाने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) 1.4.1982 के दिन की स्थिति के अनुसार आकाशवाणी में सामान्य/चयन ग्रेड में 159 प्रोड्यूसर स्थिति में है। उनको छोड़कर जिन्हें वरिष्ठ ग्रेड प्रोड्यूसर के पद पर पदोन्नति के लिये योग्य नहीं पाया गया है, वरिष्ठतम प्रोड्यूसर 1.4.1971 से सेवा में है।

(ख) आकाशवाणी में इस समय 620 कार्यक्रम एक्जीक्यूटिवों को स्वीकृति संख्या में से 480 कार्यक्रम एक्जीक्यूटिव स्थिति में है । एक, जो 21.10.1961 से कार्य कर रहा है, को छोड़कर ये कार्यक्रम एक्जीक्यूटिव 15.11.1974 से भिन्न भिन्न तारीखों से अब तक नियमित आधार पर कार्य कर रहे हैं।

(ग) आकाशवाणी के कर्मचारियों को विभिन्न विधाओं के विशिष्ट पदों पर उनकी अर्हताओं और अनुभव के आधार पर भर्ती किया जाता है। इस लिये कोई भी विशिष्ट श्रेणी विशेषण होने का अधिकार पूर्ण दावा नहीं कर सकती।

(घ) जी, नहीं।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की स्टाफ संबन्धी स्थिति

4752. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में कर्मचारियों की संख्या अपर्याप्त है ;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की कितनी कमी है ;

(ग) इस कमी को दूर करने के लिए सरकार की क्या योजना है ; और

(घ) यदि नहीं, तो दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की स्टाफ संबन्धी स्थिति का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) इन पदों को भरने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिर भी दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान इस स्थिति से संतुष्ट है कि उसके पास स्टाफ की कमी नहीं है।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के स्टाफ की स्थिति नीचे दिये अनुसार है :—

पदों का वर्गीकरण	स्वीकृत संख्या	खाली पद
श्रेणी-1 और 2	674	54
श्रेणी-3	10,046	287
श्रेणी-4	18,222	438
जोड	28,942	779

दामोदर घाटी निगम द्वारा उत्पादित बिजली

4754. **श्री नीरेन घोष** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी 1982 से जून, 1982 तक की अवधि में, महीने वार दामोदर घाटी निगम ने बिजली का कितना उत्पादन किया तथा अपने उपभोक्ताओं की कितनी बिजली सप्लाई की और उसका ब्यौरा क्या है ?

(ख) विभिन्न उपभोक्ताओं की मांग क्या हैं ; और

(ग) दामोदर घाटी निगम ने उनकी आवश्यकता अनुसार कितनी बार बिजली सप्लाई की ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) दामोदर घाटी निगम द्वारा जनवरी से जून, 1982 के दौरान उत्पादित की गई ऊर्जा तथा अपने उपभोक्ताओं को सप्लाई की गई ऊर्जा की मात्रा का महीने-वार ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

वर्ष / मास	उत्पादन (मिलियन यूनिट)	उपभोक्ताओं को सप्लाई (मिलियन यूनिट)			
		कोयला	इस्पात	मिश्रित तथा अन्य	कर्षण
1982					
जनवरी	505	127	149	95	47
फरवरी	470	112	132	89	43
मार्च	479	122	144	89	50
अप्रैल	492	114	146	91	50
मई	472	114	136	90	49
जून	114	141	141	93	45

(ख) और (ग) 650 मेगावाट के उत्पादन स्तर पर, विभिन्न उपभोक्ताओं को पूरी की जाने वाली उर्जा की मांग तथा उन दिनों की संख्या, जिनमें मांग पूरी की गई है, नीचे दी जाती है :—

उपभोक्ता	650 मेगावाट से पूरी की जाने वाली विभिन्न उपभोक्ताओं की मांग	मास में दिनों की संख्या जिनमें मांग पूरी की गई					
		1982					
	स्तर (मि० यू०/दिन)	जन०	फर०	मार्च०	अप्रैल	मई	जून
कोयला	3.66	28	26	24	21	19	23
इस्पात	4.26	27	24	22	24	19	25
मिश्रित तथा अन्य	1.95	31	28	31	30	31	30
कर्षण	1.73	कर्षण पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया।					

डिजिटल इलेक्ट्रोनिक्स स्विच उपकरण कारखाने की स्थापना

4754. **श्री आनन्द पाठक** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए डिजिटल इलेक्ट्रोनिक स्विच उपकरण का उत्पादन करने हेतु कारखाने

लगाने के लिए अब तक कौन-कौन से स्थानों का चयन किया गया है तथा तत्सम्बन्धी, राज्यवार, ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए डिजिटल इलेक्ट्रानिक स्विचिंग उपस्कर तैयार करने के लिए एक फैक्टरी की स्थापना के लिए समुचित स्थानों की सिफारिश करने के लिए गठित स्थान चयन समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो फिलहाल सरकार के विचाराधीन है। चूंकि स्थान चयन समिति की रिपोर्ट गोपनीय है अतः इसे सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं किया गया है।

जापानी सहयोग से यूरिया उर्वरक संयंत्र की स्थापना

4755. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में जापान के सहयोग से यूरिया संयन्त्र की स्थापना का अन्तिम निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्तावित यूरिया संयन्त्र की अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है तथा इसकी स्थापना किस स्थान पर किए जाने की आशा है ;

(ग) इस परियोजना के लिए ऋण के रूप में जापान से कितनी धनराशि मिलने की आशा है ; और

(घ) इस संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता क्या होगी तथा यह संयन्त्र कब तक काम करना शुरू कर देगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

ऊर्जा की उपलब्धता और मांग

4756. **श्री सुनील मैत्रा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऊर्जा की उपलब्धता और मांग का कोई राज्य वार सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में कितने राज्यों में ऊर्जा की कमी रहेगी और इन राज्यों के क्या नाम हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) 11 वें वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 1984-85 में ऊर्जा की उपलब्धता और आवश्यकता का ब्यौरा दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) पूरे देश में वर्ष 1 84-85 में मांग और सप्लाई बराबर होने की सम्भावना है यद्यपि नौ राज्यों में नामशः हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और नागालैंड में कुछ कमी होने की सम्भावना है। अधिक बिजली वाले क्षेत्र से कम बिजली वाले क्षेत्र को बिजली ले जाने की व्यवस्था करने के लिए क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं।

विवरण

वर्ष 1984-85 में विद्युत सप्लाई की राज्यवार स्थिति दिखाने वाला विवरण

राज्य	ऊर्जा की उपलब्धता (मिलियन यूनिट)	ऊर्जा की आवश्यकता (मिलियन यूनिट)	अधिशेष (+) कमी (—) मिलियन यूनिट	
1. हरियाणा	5858	6343	—	485
2. हिमाचल प्रदेश	1224	823	+	401
3. जम्मू और कश्मीर	1098	1728	—	630
4. पंजाब	9738	10315	—	577
5. राजस्थान	6696	8590	—	1894
6. उत्तर प्रदेश	21264	22638	—	1374
7. गुजरात	14826	14696	+	130
8. मध्य प्रदेश	12246	12227	+	19
9. महाराष्ट्र	26418	26923	—	503
10. आन्ध्र प्रदेश	13232	11557	+	1675
11. कर्नाटक	9829	13262	—	3433
12. केरल	5594	5539	+	55
13. तमिलनाडु	12204	15150	—	2946
14. बिहार	5822	5489	+	333
15. उड़ीसा	5816	5816	—	2
16. पश्चिमी बंगाल	10966	8561	+	2405
17. सिक्किम	101	34.5	+	66.5
18. असम	1660	1478	+	182
19. मणिपुर	240	78	+	162
20. मेघालय	319	169	+	150
21. नागालैंड	56	63	—	7
22. त्रिपुरा	129	103	+	26

सेवा निवृत कोयला के खनिक परिवार के सदस्य को रोजगार दिया जाना

4757. **श्री एन० ई० होरो** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवा निवृत कोयला खान कर्मचारी के परिवार के किसी एक बेरोजगार व्यक्ति को रोजगार देने संबंधी कोई सुविधा सरकार ने प्रदान कर रखी है ;

(ख) यदि हा, तो इसके लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है तथा गत दो वर्षों का दौरान ऐसे कितने बेरोजगार व्यक्तियों को कोयला खानों में रोजगार दिया गया हैं ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में निर्धारित उपबन्ध का उल्लेख करने की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) किसी सेवा निवृत्त कोयला खान कामगार के परिवार के बेरोजगार व्यक्तियों में से एक को रोजगार देने की कोई सुविधा नहीं है । परन्तु सेवा-निवृत्त हो रहे कामगारों के अश्रितों को कुछ प्राथमिकता दी जाती है यदि वह अन्य सभी तरह से रोजगार के पात्र होते हैं ।

हारमोन्स और इण्टरमीडिएट्स के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का अनुरोध

4758. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा "इण्टरमिडिएट्स" के बड़े पैमाने पर आयात को ध्यान में रखते हुए "हारमोन्स" और उनके निर्माण हेतु अपेक्षित "इण्टरमिडिएट्स" के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में लिखित अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) "हारमोन्स" और उनके "इण्टरमिडिएट्स" के आयात पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है तथा गत दो वर्षों के दौरान किन-किन कम्पनियों ने इनका आयात किया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) मैसर्स सिप्ला और मैसर्स वायथ लैब नामक दो कम्पनियों से हार्मोन डायोसजेनिन और मध्यवर्तियों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे । मामलों की जांच की गई और डायोसजेनिन के प्रतिबंधित सूची में डाल दिया गया । चौदह को आयात और निर्यात नीति 1982-83 में परिच्छेद 5 और परिच्छेद 26 में डाल दिया गया ।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान जिन कम्पनियों ने हार्मोन और मध्यवर्तियों का आयात किया है, के नाम सरकार के पास तत्काल उपलब्ध नहीं हैं। वर्ष 1980-81 में सी० आई० एफ० मूल्य के आधार पर 4.95 करोड़ रुपये मूल्य के हार्मोन और उनके मध्यवर्तियों का आयात किया गया। वर्ष 1981-82 के तदनुरूपी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

बंगलौर में टेलीफोनों का स्थानान्तरण

4759. **श्री के०मालन्ना :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ष 1981-82 के दौरान बंगलौर टेलीफोन डिवीजन में टेलीफोनों के स्थानान्तरण के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनमें से कितनों का स्थानान्तरण किया गया है और कितने अभी भी मन्जूर किए जाने हैं तथा कब से लम्बित हैं ; और

(ग) टेलीफोनों को शीघ्र स्थानान्तरित कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) 1-8-82 को टेलीफोन अन्तरण के 232 मामले बकाया थे जयनगर क्षेत्र से सम्बन्धित 80 मामले 31-1-82 से बकाया हैं। राजाजी नगर क्षेत्र से सम्बन्धित 152 मामले 22-8-82 से बकाया है। पहले ही अन्तरित कर दिए गए मामलों की संख्या इस समय उपलब्ध नहीं है तथा सूचना प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) टेलीफोनों के अन्तरण की मांग को पूरा करने के लिए जयनगर क्षेत्र में अन्तरण की व्यवस्था की जा रही है तथा यह अक्तूबर, 1982 के अन्त तक पूरी हो जायेगी। राजाजी नगर क्षेत्र के लिए एक नए टेलीफोन एक्चैंज की संस्थापना की जा रही है। यह मार्च 1983 तक पूरा हो जाएगा तथा अन्तरण कार्य अप्रैल, 1983 तक पूरा हो जायेगा।

सिन्थैटिक्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड, बरेली में उत्पादन

4760. **श्री एस० ए० दोराई सेवस्तियन :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों से सिन्थैटिक्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड, बरेली में अधिष्ठापित क्षमता के केवल 50 प्रतिशत भाग तक का सिन्थैटिक रबड़ का उत्पादन हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि इस एकक में अधिष्ठता

अनुसार क्षमता शत-प्रतिशत उत्पादन हो ताकि सिन्थैटिक रबड़ का आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा खर्च न करनी पड़े ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) सिन्थैटिक्स एण्ड केमिकल्स लि० बरेली द्वारा 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान स्टाइरीन बुटाडीन रबड़ (एस० बी० आर०) का उत्पादन क्रमश; 20,000, 18,100 और 16,000 मी० टन था । एकक की लाइसेंसीकृत क्षमता प्रति वर्ष 30,000 मी० टन है ।

(ख) एस० बी० आर० का कम स्तर पर उत्पादन होने के मुख्य कारण कच्चे माल की कमी और बाजारी प्रतिबन्ध बताए गए ।

एस० बी० आर ० की मांग इसकी स्वदेशी उपलब्धता से अधिक है ।

बिहार के जिलों में नए पब्लिक काल आफिस खोलना

4761. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या संचार मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाते वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के मधुबनी, दरभंगा सीता मुराट्टी और समस्तीपुर जिलों में काम कर रहे तथा प्रस्तावित सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की पूरी सूची क्या है ; और

(ख) उपरोक्त कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों में अब तक एक भी काल का उत्तर नहीं मिला है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) और (ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है तथा बाद में सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

आदिवासी बेरोजगार व्यक्तियों के लिए आरक्षित रसोई गैस एजेंसियों को पुन: विज्ञापित करना

4762. **श्री भीखाभाई**
श्री जी०एस०रेड्डी } : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डूंगरपुर तथा बंसवाडी जिलों में बेरोजगार आदिवासी स्नातकों हेतु आरक्षित रसोई-गैस एजेंसियों को पुन: विज्ञापित करने के लिय कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि जांच अधिकारियों ने कुछ बेरोजगार स्नातकों के नामों की सिफारिश की है, तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि हां, तो बेरोजगार स्नातकों का अब तक चयन न किए जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए मानदण्ड/शर्तें तथा नियम वही हैं, जो अनुसूचित जातियों और सामान्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के सम्बन्ध में लागू होते हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) 1981-82 की योजना के अन्तर्गत डूंगरपुर तथा बंसवाड़ा में प्रदान की जाने वाली एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटर शिपें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं न कि बेरोजगार स्नातकों के लिए । डूंगरपुर के लिए डिस्ट्रीब्यूटरशिप पहले ही अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित एक व्यक्ति को प्रदान कर दी गई है तथा बंसवाड़ा के लिए डिस्ट्रीब्यूटर शिप को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

(घ) अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों को डीलरशिपें प्रदान करने के मानदण्ड शर्तें भिन्न-भिन्न होने या एक समान होने का प्रश्न ही नहीं उठता है कि चूंकि डीलर शिपों का कुछ प्रतिशत केवल इन वर्गों के लिए उद्दिष्ट हैं ।

ऊर्जा मंत्रालय में पद और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण

4763. **श्री आर० एन० राकेश :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऊर्जा मंत्रालय में प्रत्येक श्रेणी/काडर में श्रेणीवार कुल कितने पद हैं और उनमें से कितने पद (श्रेणी-वार) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं ;

(ख) आरक्षित पदों पर इस समय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने लोग (श्रेणी-वार) नियुक्त किए गए हैं (उनको छोड़कर जो तदर्थ या नियमित आधार पर अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नत किए गए हैं) ;

(ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कुल कितने आरक्षित पद (श्रेणी-वार) अभी तक नहीं भरे गए हैं और इसके क्या करण हैं ?

(घ) उनके मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण आदेशों को कड़ाई से अनुपालन न किए जाने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(घ) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण आदेशों का ऊर्जा मंत्रालय में पालन किया जा रहा है ।

विवरण

(क) ऊर्जा मंत्रलय में पदों की कुल संख्या

(1) विद्युत विभाग का संवर्ग

(1) विद्युत विभाग के संवर्ग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा तथा केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के विकेन्द्रीकृत ग्रेडों जिसमें विद्युत विभाग के पदों में सिंचाई मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, केन्द्रीय जल आयोग तथा केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान केन्द्र के पद भी शामिल हैं :

समूह	ख	—	564
समूह	ग	—	1034

(2) अन्य पद

समूह	क	—	35
समूह	ख	—	2
समूह	ग	—	15
समूह	घ	—	9

(2) कोयला विभाग का संवर्ग

समूह	क	—	22
समूह	ख	—	59
समूह	ग	—	57
समूह	घ	—	38

सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार इस प्रयोजन हेतु अपेक्षित रोस्टरों के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए अपेक्षित अनुरक्षण रिक्तियों से संबंधित होते हैं न कि विभिन्न ग्रेडों में पदों से सम्बन्धित होते हैं। तदनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित पदों की संख्या भिन्न-भिन्न समय पर भिन्न-भिन्न होती है।

(ख) आरक्षित पदों पर इस समय सेवारत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों की कुल संख्या

(1) विद्युत विभाग का संवर्ग

1. केन्द्रीय सचिवालय सेवा के विकेन्द्रीकृत ग्रेडों के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा तथा केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा विद्युत विभाग

के संवर्ग की संख्या समस्त रूप से इस प्रकार है :—

समूह	ख	—	38 अनुसूचित जाति एवं 1 अनुसूचित जन जाति
समूह	ग	—	51 अनुसूचित जाति तथा 1 अनुसूचित जन जाति

2. अन्य पद

समूह	क	—	1
समूह	ख	—	—
समूह	ग	—	3 अनुसूचित जाति
समूह	घ	—	9 अनुसूचित जन जाति

(2) कोयला विभाग का संवर्ग

समूह	क	—	शून्य
समूह	ख	—	1 अनुसूचित जाति और 1 अनुसूचित जन जाति
समूह	ग	—	4 अनुसूचित जाति
समूह	घ	—	5 अनुसूचित जाति

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के रिक्त आरक्षित पदों की कुल संख्या तथा इसके कारण

(1) विद्युत विभाग का संवर्ग

1. केन्द्रीय सचिवालय सेवा के विकेन्द्रीकृत ग्रेडों के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा तथा केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा विद्युत विभाग के संवर्ग की संख्या समस्त रूप से इस प्रकार है :—

समूह	ख	—	38 अनुसूचित जाति एवं 1 अनुसूचित जन जाति
समूह	ग	—	51 अनुसूचित जाति तथा 1 अनुसूचित जन जाति

2. अन्य पद

समूह	क	—	शून्य
समूह	ख	—	शून्य
समूह	ग	—	शून्य
समूह	घ	—	2 अनुसूचित जाति

(2) कोयला विभाग का संवर्ग

समूह	क	—	शून्य	
समूह	ख	—	1	अनुसूचित जाति
समूह	ग	—	2	अनुसूचित जाति
			1	अनुसूचित जन जाति
समूह	घ	—	1	अनुसूचित जाति

उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण आरक्षित रिक्त पदों को नहीं भरा गया है।

उत्तर प्रदेश में ऐरोमेटिक संयंत्र

4764. **श्री चन्द्र पाल शैलानी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री उत्तर प्रदेश में एक ऐरोमेटिक निस्सारण संयंत्र लगाने के बारे में 8 सितम्बर, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3230 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयंत्र लगाने के लिये उपयुक्त स्थान का चयन कर लिया गया है और भूमि सर्वेक्षण तथा मिट्टी की जांच का काम पूरा हो गया है ;

(ख) प्रक्रिया का चयन, लाइसेंस और मंजूरी देने के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) इस काम्पलैक्स का निर्माण कार्य कब तक शुरू किये जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ग) इस अवस्था में यह बताना सम्भव नहीं है कि निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा।

डाक-तार विभाग के तमिलनाडु सर्किल में पदोन्नतियां

4765. **श्री के० वी० एस० मणि** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973 से डाक-तार विभाग के तमिलनाडु सर्किल में कितने पदोन्नतियों के आदेश हुए हैं ;

(ख) इनमें से कितने पद अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों से भरे गए ;

(ग) कितनी पदोन्नतियों को आगे के लिए रखा गया और कितनी पदोन्नतियों को एक दूसरे काडर की पदोन्नतियों से बदला गया ; और

(घ) क्या अनुसूचित जातियों की पदोन्नतियों में कोई कमी आई है, इन्हें न भरे जाने का क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) से (घ) इस समय जानकारी सुलभ नहीं है तथा तमिलनाडु डाक और दूरसंचार सर्किल से मंगाई गयी हैं। इसे जानकारी प्राप्त होते ही यथा समय सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

राज्यों की विद्युत परियोजनाओं को पांच वर्ष की अवधि में पूरा करने संबंधी निदेश

4766. श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सभी राज्य सरकारों को विद्युत परियोजनाएं विशेष रूप से ताप विद्युत परियोजनाएं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर पूरा करने के निर्देश दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश की उन ताप विद्युत परियोजनाओं की क्या स्थति है, जिनके लिये केन्द्रीय सरकार ने सहायता प्रदान की है ;

(ग) उनके पूरा होने संबंधी लक्षित तारीख क्या थी तथा उनको पूरा करने में अब कितना समय और लगेगा और राज्य सरकार ने इसके कारण बताए हैं ; और

(घ) क्या राज्यों को दिये गए निदेश के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार उन्हें अतिरिक्त वित्तीय तथा सामग्री के रूप में सहायता देने का भी आश्वासन दिया है और यदि हां, तो इस सम्बंध में निदेश के विवरण क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये उत्सुक है कि विद्युत परियोजनायें कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो जायें। केन्द्रीय वि० प्रा०. राज्य बिजली बोर्डों और उपस्कर सप्लाई कर्त्ताओं के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठकें करता है। ऊर्जा मंत्रालय द्वारा भी समीक्षा बैठकें की जातीं हैं। इन समीक्षाओं के परिणामस्वरूप, विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने में आने वाली विभिन्न बाधाओं को दूर करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

सरकार द्वारा राज्य बिजली बोर्डों की परियोजना प्रबन्ध पद्धति सहित अपनी प्रबन्ध प्रणाली में सुधार करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं।

(ख) आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रीय सैक्टर में रामागुन्डम सुपर ताप विद्युत परियोजना का इस समय निर्माण किया जा रहा है।

(ग) रामागुन्डम सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण-एक को चालू करने का मूल कार्यक्रम

तथा चालू करने की प्रत्याशित तारीख निम्नानुसार हैं :—

क्षमता (मे० वा०)	चालू करने का मूल कार्यक्रम		चालू करने की प्रत्याशित तारीख
3×210+1×500	यूनिट-1	12/82	2/84
	यूनिट-2	6/83	3/84
	यूनिट-3	12/83	2/85
	यूनिट-4	12/84	1987-88

चूंकि परियोजना का कार्यान्वयन केन्द्रीय क्षेत्र में राष्ट्रीय ता० वि० निगम द्वारा किया जा रहा है, अतः राज्य सरकार द्वारा देरी के कारणों के बारे में सूचना देने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) छठी योजना के दौरान निधियों की अतिरिक्त आवश्यकताओं के बारे में विद्युत विभाग ने हाल ही में मूल्यांकन किया है। इसके बारे में योजना आयोग को सूचित कर दिया गया है। योजना आयोग द्वारा इस पर योजना की मध्यावधि समीक्षा के दौरान विचार किए जाने की संभावना है।

सुपर तापीय विद्युत केन्द्रों में तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान

4767. **श्री हरिहर सोरन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक सुपर तापीय विद्युत केन्द्र में तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने हेतु प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो मामले पर निर्णय कब लिया जाएगा ; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कार्य किया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) उन सुपर ताप विद्युत केन्द्रों के पास तकनीकी प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है, जिनके पास ये सुविधाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं। इन सुविधाओं की व्यवस्था आवश्यक वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर ही की जायेगी। प्रत्येक मामले पर गुण-दोषों के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

तेल की खोज के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निविदाएं आमंत्रित का प्रस्ताव

4768. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय उप महाद्वीप के समुद्री किनारे से दूर के क्षेत्र में तेल

की खोज करने के लिये तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का विचार विदेशी तेल कम्पनियों से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निविदायें आमंत्रित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कौन से तट से दूर तथा तटवर्ती क्षेत्रों में विदेशी कम्पनियों को तेल छिद्रण का कार्य दिया जायेगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) सरकार के कुछ चुने हुए ब्लाकों में हाइड्रो-कार्बन्स के अन्वेषण और दोहन के लिए विदेशी तेल कम्पनियों से आमंत्रित करने का निर्णय लिया है और यह बोलियों का दूसरा दौर है ।

(ख) दूसरी दौर में प्रस्तुत किये गये ब्लाकों के सम्बन्ध में ब्यौरों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

वैकल्पिक निदेशकों की पूर्णकालिक प्रबन्ध/वैकल्पिक निदेशकों के रूप में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति

4769. श्री बालकृष्ण वासनिक : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियों में वैकल्पिक निदेशकों की पूर्णकालिक प्रबंध/वैकल्पिक निदेशकों के रूप में नियुक्ति/पुन : नियुक्ति के बारे में सरकारी नीति क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार वैकल्पिक निदेशकों को पूर्णकालिक वैकल्पिक निदेशकों के रूप में एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए नियुक्ति/पुनर्नियुक्त की मंजूरी देती रही है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकरात्मक है तो पिछले पांच वर्षों में कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 269/309/198 के अधीन कुल कितने मामलों में (1) एक वर्ष के लिए, (2) दो वर्षों के लिये; और (3) तीन वर्षों के लिये मंजूरी दी गई ;

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) कम्पनी अधिनियम, 1956, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों में वैकल्पिक निदेशकों की पूर्णकालिक प्रबन्धक निदेशकों के रूप में नियुक्ति को निषिद्ध नहीं करता है । तथापि, वैकल्पिक निदेशक को पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र पर गुणदोष और कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अन्तर्गत पूर्णकालिक/प्रबन्ध निदेशकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में सामान्य नीति के अनुसार तथा पूर्णकालिक/प्रबन्ध निदेशकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति और पारिश्रमिक के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मार्ग संदर्शिका पर, विचार किया जाता है ।

(ख) तथा (ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत 10,000 के आस-पास विनिगमित पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां हैं । इसलिए इन कम्पनियों में प्रत्येक के विषय में विवरणों की पुष्टि

किए बगैर मांगी गई सूचना देना सम्भव नहीं है तथा इस प्रकार की सूचना में लगने वाला श्रम और समय आशाजनक परिणाम का सम अनुपातिक भी नहीं होगा। तथापि, अगर किसी विशेष कम्पनी या कम्पनियों के समूह के सम्बन्ध में सूचना अपेक्षित हो तो, वह प्रस्तुत की जाएगी।

आयातित डी० एल० 2 अमीनोबुटनोल की लागत

4770. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 2 वर्षों के दौरान डी० एल० 2 अमीनोबुटनोल की तुलनात्मक रूप से लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य और "लेन्डेड" लागत क्या थी ;

(ख) 27 नवम्बर 1981 से पूर्व तथा बाद में आज तक के लिए डी० 2 अमीनोबुटनोल के आयात का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य क्या था और "लेन्डेड" लागत क्या थी ;

(ग) एकामिबुटेका एच० सी० एल० के दक्ष निर्माताओं की डी० एल० 2 डी०-2 अमीनोबुटनोल से रूपान्तरण की लागत तथा रूपान्तरण प्रतिशतता क्या है ;

(घ) क्या यह सच है कि 25 प्रतिशत आयात शुल्क के साथ डी० एल० 2 अमीनोबुटनोल से निर्मित एथामिबुटोल की लागत 80 प्रतिशत सीमाशुल्क के साथ डी० एल० 2 अमीनोबुटनोल से बनाए गए एथासिबुटोल की लागत से कम होनी चाहिए ; और

(ङ) यदि हां, तो उस बारे में ब्यौरे क्या हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) डी० एल० 2 अमिनोबूटानोल और डी-2 अमिनोबूटानोल के आयात मूल्यों की देख-रेख नहीं की जाती।

(ग) डी० एल० 2 अमिनोबूटानोल से निर्मित इथामबूटोल हाइड्रोक्लोराइड का मूल्य अभी निर्धारित किया जाना है। अतः डी० एल०-2 अमिनाबूथानोल से इथमबूटोल के निर्माताओं की परिवर्तन लागत और परिवर्तन अनुपात दर्शाना सम्भव नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न में केवल डी० एल०-2 अमिनोबूटानोल का हवाला दिया गया है, डी० एल० 2 अमीनोबुटानोल पर सीमा शुल्क को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 85 प्रतिशत करने के फलस्वरूप इथमबूटोल हाइड्रोक्लोराइड के मूल्य में वृद्धि होगी, जब तक कि डी० एल०-2 अमिनोबूटानोल का सी० आई० एफ० मूल्य तदनुसार कम नहीं हो जाता।

डाक-तार विभाग में ई० डी० तथा डी० ई० वी० पी० एम० कर्मचारियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

4771. **श्री थामाई एम० करुणानिधि :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में तथा विशेष रूप से तमिलनाडु में कुल कितनी ई० डी० तथा ई० डी० वी० पी० एम० कर्मचारी हैं ;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई आरक्षण है, और यदि हाँ, तो उसकी प्रतिशतता क्या है ; और

(ग) गत तीन वर्षों में इन कैडरों में प्रतिवर्ष कितने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातीय लोगों की नियुक्ति की गई ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) और (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) विभागेतर एजेन्ट अंशकालिक कर्मचारी हैं । वे पूर्णकालिक नियमित कर्मचारियों के ग्रुप "ग" एवं ग्रुप "घ" श्रेणियों में पदों के आरक्षण से सम्बन्धित सरकार द्वारा जारी किये गये आरक्षण आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते ।

तथापि, विभाग ने इन समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देने की सरकार की नीति को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया है कि मण्डलीय आधार पर विभाग में ग्रुप "सी" और "डी" पदों के अनुसार विभागेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति में निर्धारित न्यूनतम सीमा तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व रखा जाये ।

विटामिन, बी-1 का उत्पादन करने वाले एकक

4072. **श्री दया राम शाक्य :** क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री बल्क औषधियों का सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षण करने के बारे में दिनांक 20 जुलाई, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1051 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निजी क्षेत्र में तथा लघु क्षेत्र में विटामिन बी-1 का निर्माण करने वाले एककों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने लघु क्षेत्र के एकक को विटामिन बी-1 के निर्माण के लिए "थियो थियामाइन" का आयात करने की अनुमति दी है और दूसरी ओर हरियाणा में एक अन्य एकक को इस कच्चे माल से इन्कार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार इस समय मैं० कैमिकल्स एण्ड एटोमेटिक्स गैर-सरकारी और लघु क्षेत्र में विटामिन बी० के एकमात्र निर्माता है। 1980-81 तक थियोथिया-माइन का आयात ओ० जी० एल० के अन्तर्गत करने की अनुमति दी गई थी। 1980-81 की आयात नीति में थियोथियापाइन की प्रतिवर्धित मदों (परिशिष्ट-3) की सूची में सम्मिलित किया गया था और तब से यही स्थिति चल रही है। केवल मैं० कैमिकल्स एण्ड एटोमेटिक्स ही ऐसा यूनिट था जिसने 1980-81 और 1981-82 के दौरान थियोथियामाइन का आयात करने के लिए आवेदन दिया था और पूरक लाइसेंस के अन्तर्गत थियोथियामाइन का आयात करने की अनुमति दी गई थी। चालू वर्ष के दौरान थियोथिय'माइन के आयात के लिए लघु क्षेत्र की दो यूनिटों ने आवेदन किया है। उनके अनुरोध पर अभी निर्णय किया जाना है।

कम्पनी संघ द्वारा एल० बेस के मूल्य में वृद्धि करना

4773. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि क्लोरमफेनिकल तथा इसके इन्टरमीडिएट्स के निर्माताओं द्वारा एल बेस के मूल्य को बढ़ाकर 45 डालर प्रति किलो ग्राम करने के लिए विदेशों में एक संघ बनाया गया है ;

(ख) क्या इसका कारण बाद में अनचाहे लाभ पाने के लिए कम्पनी संघ द्वारा कमी के बहाने इन्टरमीडिएट्स का आयात करने हेतु सरकार पर दबाव डालता है ; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सरकार को विदेश में एल० बेस का मूल्य बढ़ाने के लिए गठित किसी व्यापार संघ की जानकारी नहीं है।

उज्जैन, मध्य प्रदेश में कूड़े में पाई गई अवितरित डाक वस्तुएं

4774. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 26 जुलाई, 1982 को उज्जैन, मध्य प्रदेश में कूड़े में कुछ अवितरित डाक वस्तुएं पाई गई थीं, जिनमें पोस्टकार्ड, अन्तर्देशीय पत्र तथा लिफाफे आदि थे और क्या "पंचनामा" तैयार करने के बाद इन वस्तुओं को डाक विभाग के एक अधिकारी को विधिवत रूप से सौंप दिया गया था ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई नियम है तथा यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) घटना का तथ्यात्मक ब्यौरा क्या है तथा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय डाकतार अधिनियम की धारा 52 के अंतर्गत यदि डाकतार का किसी भी स्तर का अधिकारी डाक द्वारा भेजी जा रही किसी डाक मद की अथवा इसमें रखी किसी भी चीज की चोरी करता है अथवा बेईमानी से गबन करता है अथवा किसी भी उद्देश्य से उसे छुपा देता, नष्ट कर देता या फेंक देता है तो वह कैद की सजा का हकदार होगा जो अवधि 7 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है तथा वह जुर्माने का भी पात्र होगा ।

(ग) 26-7-1982 को एक स्थानीय समाचार पत्र "ब्रिगेडियर" के सम्पादक ने प्रवर अधीक्षक डाकघर, उज्जैन को बताया कि दो व्यक्तियों को उज्जैन के बड़े गनेश क्षेत्र में एक नदी के पास 62 अवितरित पत्र पड़े मिले तथा वे सब उसके पास हैं । डाक अधिकारियों ने सम्पादक के कार्यालय से इन पत्रों को कब्जे में लिया, उनकी सूची बनाई तथा उनमें से 37 पत्रों को बांट दिया । अवितरणीय होने के कारण अन्य पत्रों को आर० एल० ओ० को भेज दिया गया । पता चला है कि पत्र एक डाकिये के क्षेत्र से सम्बन्धित थे तथा नियमित कर्मचारी छुट्टी पर था तथा एक बाहरी व्यक्ति को दैनिक मजदूरी के आधार पर 19-7-82 से 26-7-82 तक 8 दिन के लिए उक्त डाकिये के स्थान पर लगाया गया था । बाहरी व्यक्ति की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं तथा विभाग उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर भी विचार कर रहा है ।

गुजरात से ग्वालियर के रास्ते पेट्रोलियम पाईप लाइन बिछाने की योजना

4775. श्री एन० के० शेजवलकर : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात तथा कच्छ तेल क्षेत्रों से उत्तर भारत क्षेत्रों के लिए पेट्रोलियम पाईप लाइनें बिछाने की कोई योजना है और क्या पाईप लाइनें ग्वालियर होकर गुजरेंगी ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के कार्यान्वयन का विस्तृत कार्यक्रम क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सेलम में भारतीय टेलीफोन उद्योग शुरू करना

4776. श्री सी० पालानीअप्पन : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान टेलीप्रिण्टर लिमिटेड (एच० टी० एल०) होसूर में टेलीप्रिण्टर फैक्टरी शुरू कर रहा है ; और

(ख) क्या सेलम में भारतीय टेलीफोन उद्योग शुरू करने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

बम्बई नगर निगम द्वारा प्राकृतिक गैस का वितरण

4777. **श्री वी० एन० गाडगिल** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने प्राकृतिक गैस के वितरण का काम बम्बई नगर निगम को सौंपने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि बम्बई गैस कम्पनी ने एक ऐसे संगठन को तकनीकी मत पेश किया है जिसने लण्डन नगर में पुराने कास्ट आयरन पाईप लाइनों को बदलने का काम किया था ; और

(ग) क्या यह सच है कि बम्बई गैस कम्पनी द्वारा वितरण नगर निगम की अपेक्षा कम लागत वाला एवं अधिक दक्षतापूर्ण होगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) क्योंकि कोई ब्यौरे उपलब्ध नहीं है, इसलिए किसी प्रकार की तुलना करना संभव नहीं है ।

क्यू० एम० एस० सेवा वाले नगर

4778. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में उन नगरों के नाम क्या हैं जिनमें क्यू० एम० एस० सेवा की व्यवस्था है ;

(ख) क्या और अधिक नगरों को इस प्रणाली के अन्तर्गत लाने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) तुरन्त डाक सेवा के अन्तर्गत आने वाले शहरों की एक सूची संलग्न है । [ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी०-4464/82]

(ख) और (ग) किसी अन्य शहर में इस योजना का विस्तार करने के बारे में इस समय कोई कार्यक्रम नहीं है ।

जालन्धर (पंजाब) में एल० पी० जी० के रिफिल सप्लाई करने में विलम्ब

4779. श्री जयनारायण रौत : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन आयल कारपोरेशन ने पंजाब के जालन्धर नगर में एल० पी० गैस के वितरण के लिए नियुक्त किये गये एजेण्टों के नाम एवं ब्यौरे क्या हैं ;

(ख) इस नगर में प्रत्येक एजेण्ट को एल० पी० गैस के कितने उपभोक्ता आबंटित किये गये हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि ये एजेण्ट उपभोक्ताओं का एल० पी० गैस के रिफिल सप्लाई करते समय सन्तोषजनक सेवा नहीं देते ;

(घ) क्या यह भी सच है कि ये एजेण्ट उपभोक्ता द्वारा बुकिंग के पश्चात् उनको एक महीने अथवा लगभग अवधि के पश्चात् एल० पी० गैस के रिफिल सप्लाई करते हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं और उसके क्या कारण हैं और उपभोक्ताओं का समय पर एल० पी० गैस के रिफिल सप्लाई कराने के लिए सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ताकि उपभोक्ताओं को परेशान न किया जाये ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना नीचे दी गयी है :

वितरक का नाम	उपभोक्ताओं की संख्या
1. जालन्धर गैस सर्विस	5619
2. हरदेव गैस सर्विस	5602
3. एच० एस० गैस सर्विस	1769
4. कुमार गैस सर्विस	306
5. रोशन सिंह एण्ड सन्स	7657
6. राम सरूप एण्ड कम्पनी	208

(ग) और (घ) पिछले दो तीन महीनों से रिफिलों की सप्लाई में कुछ विलम्ब हो रहा है।

(ङ) इसका कारण यह है कि बिजली की भारी कटौती के कारण जालन्धर भरण संयंत्र अपनी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर रहा है।

बिजली की सामान्य सप्लाई पुन: शुरू करने के लिए इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा यह मामला राज्य सरकार से उठाया गया है और साथ ही संयंत्र में शीघ्र ही एक जैनरेटर

की स्थापना भी की जा रही है। इसके साथ ही, और अधिक क्षमता वाले एक और संयंत्र के शीघ्र ही शुरू किये जाने की आशा है।

थाल-वैशाट उर्वरक परियोजना के लिए इटालवी फर्म के साथ करार

4780. श्री बी० वी० देसाई
श्रीमती प्रमिला दण्डवते } : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री

यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थाल-वैशाट उर्वरक करार को अभी भी तय किया जाना है ;

(ख) यदि हां, तो यह भी सच है कि शक्तिशाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियां मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में स्थापित किये जाने वाले बम्बई गैस पर आधारित 6 उर्वरक संयंत्रों के लिए आपस में लड़ रही है ;

(ग) यदि हां, तो क्या दोनों कम्पनियों को गैस पर आधारित दो-दो उर्वरक संयंत्र लगाने तथा उनके लिए सारी पूंजी की पूर्ति करने को कहा गया है ; और

(घ) यदि हां, तो विलम्ब के क्या मुख्य कारण हैं और, सरकार द्वारा इन सभी संयंत्रों की स्थापना के लिए कम्पनियों को कब तक आदेश दिये जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) अमोनिया प्लांट और यूरिया टोप्सो प्लांट के लिए क्रमशः डेनमार्क के मैसर्स हाल्डोर टोप्सो के साथ 15-2-1981 तथा इटली के सनैम प्रोगटी के साथ 30-1-81 को परामर्शी करार तय किये गए हैं तथा उन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ख) से (घ) मध्य प्रदेश में और राजस्थान में एक-एक तथा उत्तर प्रदेश में चार गैस पर आधारित 6 प्लांट और क प्लांट लगाने के लिए उपक्रम स्थलों की सिफारिश करने के लिए रसायन और उर्वरक विभाग द्वारा एक स्थल चयन समिति नियुक्त की गई थी। प्रस्तावित उर्वरक प्लांटों को गैस सप्लाई करने के लिए पाइप लाइन उपक्रम का सुझाव देने के लिए पेट्रोलियम विभाग द्वारा दूसरी समिति की नियुक्ति की गई थी। दोनों समितियों की समूह रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है। और उसका यूरिया दिया जा रहा है। नये प्लांटों के लिए परामर्श व्यवस्थाओं पर तभी विचार किया जायेगा जब स्थल और स्वामित्व के मुद्दों पर निर्णय ले लिया जाए।

झालावाड़ जिला मुख्यालय के टेलीफोन और टेलीग्राफ प्रशासन के विरुद्ध शिकायतें

4781. श्री चतुर्भुज : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झालावाड़ जिला मुख्यालय के टेलीफोन और टेलीग्राफ प्रशासन के विरुद्ध

झालाकाड़, झालरपतन ट्रेड-ऐसोसिएशन की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार और राजस्थान के जयपुर मुख्यालय ने जिला मुख्यालय की टेलीफोन प्रणाली को सुधारने के लिए क्या निदेश जारी किए हैं और उपर्युक्त के लिए दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां ।

(ख) महाप्रबंधक, दूरसंचार ने स्थानीय अधिकारियों को टेलीफोन सेवाओं में सुधार करने के लिए आवश्यक उपाय अपनाने के लिए हिदायतें जारी की हैं ।

(ग) सुधार के लिए अपनाए गए उपायों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

1. झालावाड़ और झालरापट्टनम में उपभोक्ताओं के घरों की टेलीफोन फिटिंग की ओर ध्यान दिया गया है ।
2. झालावाड़ और झालरापट्टनम के बीच 14 युग्म जंक्शन केबिल बिछाने के लिए मांगपत्र जारी किया जा चुका है ।
3. भूमिगत केबिल बिछाने का कार्य चल रहा है ।
4. कोटा-झालावाड़ कैरियर प्रणाली के अगले महीने तक चालू हो जाने की संभावना है ।
5. 200 लाइनों के मौजूदा मैनुअल एक्सचेंज को 400 लाइनों के इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज द्वारा बदलने की योजना बनाई गई है ।
6. कोटा-झालवाड़ कैरियर प्रणाली की मंजूरी दी जा चुकी है और भंडार की प्रतीक्षा की जा रही है।
7. भवानी मंडी-रतलाम कैरियर प्रणाली को अगले महीने चालू किया जा रहा है जिससे झालावाड़ के लिए और अधिक कनेक्शन उपलब्ध होंगे ।
8. स्थानीय कर्मचारियों को चेतावनी दी गई है और उनको अत्यधिक सावधान रहने की हिदायत दी गई हैं ।
9. दैनिक अनुरक्षण एवं निरीक्षण प्रक्रिया को कठोर बनाया जा रहा है ।
10. सेवाओं में सुधार करने के लिए दूरसंचार समिति की विभिन्न सिफारिशों को उत्तरोत्तर कार्यान्वित किया जा रहा है ।

जल गए ट्रकों के मालिकों को कोयला की डिलीवरी के आदेश

4782. **श्री निहाल सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ ऐसे लोगों, जिनके ट्रक भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और सी० सी० एल० धनबाद के कोयले के ढुलान के दौरान जल गए थे, अच्छे किस्म के 10 हजार टन कोयले की डिलीवरी के आदेश दिए गए हैं ;

(ख) क्या ऐसे लोगों ने उनके ट्रकों के जल जाने के आधार पर जनरल इन्स्योरेंस कारपोरेशन ट्रकों की कीमत का दावा किया है ; यदि हाँ, तो कब, और ऐसे कितने ट्रक हैं जिनमें दावे दिए गए थे और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इन जले हुए ट्रकों के लिए मुआवजे के तौर पर कितनी धनराशि दी गई ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

सेंसर बोर्ड की पक्षपातपूर्ण नीति

4783. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ फिल्म-निर्माताओं ने वर्तमान भारतीय आयकर प्रणाली और सेंसर बोर्ड की पक्षपातपूर्ण नीति के विरुद्ध मन्त्रालय को शिकायतें की हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि फिल्म निर्माण करने वाली अनेक संस्थाएं और व्यक्तियों की, आयकर विभाग और सेंसर बोर्ड द्वारा अचानक पैदा की गई परेशानियों और बाधाओं के कारण, इस व्यवसाय में रूचि खत्म हो रही है ; और

(घ) यदि हां, तो फिल्म उद्योग की इस प्रकार की परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार की क्या नीति अपनाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (घ) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में वर्तमान भारतीय आय-कर प्रणाली या आयकर विभाग द्वारा पैदा की गई किन्हीं कठिनाइयों या अड़चनों के बारे में फिल्म निर्माताओं से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई हैं ।

हाल ही में फिल्म सेंसर बोर्ड के मद्रास कार्यालय के कार्यकरण के बारे में शिकायतें रही है । मुख्य आलोचना यह है कि फिल्म सेंसर बोर्ड के विभिन्न कार्यालयों द्वारा सेंसर के विभिन्न

मानक अपनाए जा रहे हैं और विभिन्न भाषाओं के फिल्मों के बारे में अपनाए जाने वाले मानकों में भिन्नता है।

सरकार द्वारा चलचित्र अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्त सभी फिल्मों के लिए सामान्य हैं और इसलिए मानकों में भिन्नता का कोई अवसर नहीं होना चाहिए। तथापि, वैयक्तिक दृश्यों के रूप में गणितीय समानता सुनिश्चित करना संभव नहीं है, क्योंकि एक ऐसा दृश्य, जो किसी फिल्म विशेष के संदर्भ में उल्लंघनकारी न हो, वह किसी अन्य में फिल्म विभिन्न संदर्भ में सेंसर सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों का उल्लंघनकारी हो सकता है। बोर्ड द्वारा यह सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास किया जाता है कि सेंसर सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों को सभी फिल्मों पर लागू करने में फिल्म के समग्र प्रभाव के रूप में समानता और संगतता हो।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभिन्न भाषाओं में डब की गई फिल्मों की जांच करते समय एक समान मानक लागू हो, अपीलीय प्राधिकारी के रूप में केन्द्रीय सरकार ने यह निर्णय लिया है कि डब की गई फिल्मों के मामले में दृश्यों का सेंसर नहीं होना चाहिए, बशर्ते कि सेंसर बोर्ड इस बात से संतुष्ट हो जाए कि डब किए गए रूपान्तरों के दृश्य बिल्कुल वही हैं जो मूल प्रमाणीकृत रूपान्तर के हैं। अब के बाद बोर्ड डब की गई फिल्मों की जांच इस निर्णय की रोशनी में करेगा।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में अधिकारियों का स्थानान्तरण

4784. **श्री के० लक्कप्पा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के वर्तमान चेयरमैन ने बम्बई समुद्र-तट दूर परियोजना से अनेक उच्च पदस्थ अधिकारियों और वैज्ञानिकों का स्थानान्तरण कर दिया ;

(ख) यदि हां, तो इस तरह के अधिकारियों का ब्यौरा तथा उनके पद क्या हैं; और

(ग) इतने अनेक अधिकारियों को परेशान करने, जिससे परियोजना की प्रगति को क्षति पहुंच रही है, के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थानान्तरण नीति के अनुसार और आयोग के कार्य के हित में 23 अधिकारियों का स्थानान्तरण बम्बई से अन्य कार्य केन्द्रों को किया गया है और अन्य कार्य केन्द्रों से बम्बई अपतटीय प्रायोजना को नहीं किया गया है।

(ख) बम्बई से बाहर स्थानान्तरित किये गये अधिकारियों के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना सहित एक विवरण संलग्न है।

(ग) अधिकारियों का स्थानान्तरण आयोग के वी० ओ० पी० और व्यक्तियों के अच्छे हित में किया गया था। ये सामान्य स्थानान्तरण है जो किसी भी संगठन में होते हैं।

विवरण

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	बम्बई में तैनाती की तिथि	से	स्थानान्तरित किया गया तक
1	2	3	4	5	6
	सर्व/श्री				
1.	एच० पी० अरेनहा	ग्रुप महा प्रबन्धक	12-6-75	बी० ओ० पी० बम्बई	पश्चिम क्षेत्र
2.	सी० के० करुणाकरण	महा प्रबन्धक	20-9-76	वही	नई दिल्ली
3.	एल० एल० भण्डारी	निदेशक	22-5-76	वही	देहरादून
4.	एस० एस० पेंटल	महा प्रबन्धक	28-1-75	वही	कलकत्ता
5.	जी० डी० ढ़ींगरा	निदेशक (कार्मिक)	28-2-80	वही	देहरादून
6.	एम० एस० मीरगुडे	संयुक्त निदेशक (रेस)	15-11-75	वही	आई०आई०एस० अहमदाबाद
7.	जे० वी० भय्या	उप सु० ई० (मैक)	4-6-73	वही	पश्चिमी क्षेत्र
8.	के० पी० पटेल	वरिष्ठ केमिस्ट	9-4-76	वही	वही
9.	टी० के० सौमायाजुलू	उपनिदेशक (रेस)	20-11-75	वही	पूर्वी क्षेत्र
10.	पी० आर० सरकार	वही	24-3-76	वही	देहरादून
11.	जी० वी० अय्यर	उप निदेशक (एस० एण्ड पी०)	9-7-73	वही	मद्रास
12.	अजीत सिंह	वही	9-2-76	वही	पूर्वी क्षेत्र
13.	यतिन्द्र नाथ	कार्यकारी इंजीनियर (उत्पादन)	25-9-81	वही	अहमदाबाद
14.	वी० एन० आचार्या	वरिष्ठ ड्रिलर	2-6-80	वही	देहरादून
15.	वाई० एस० बकानी	सहायक कार्यकारी इंजीनियर (पी०)	1-4-81	वही	अकलेश्वर
16.	एम० एल० जैन	वही	26-3-77	वही	देहरादून
17.	पी० के० भौमिक	भूगर्वेशास्त्री	26-3-77	वही	देहरादून

1	2	3	4	5	6
18.	एस० के० नारंग	केमिस्ट	20-3-76	बी० ओ० पी० बम्बई	देहरादून
19.	के० डी० सीकरी	सहायक निदेशक (रेस)	27-1-78	वही	आई०आर०एस० अहमदाबाद
20.	के० संथाराम	वही	24-11-77	वही	पश्चिमी क्षेत्र
21.	डी० ए० अछायानी	प्रशासानिक अधिकारी (पी० एण्ड ए०)	3-12-64	वही	पूर्वी क्षेत्र
22.	आर० एस० रोतेला	भण्डार और खरीद अधिकारी	13-8-73	वही	देहरादून
23.	एस० चक्रापानी	सहायक इंजीनियर (इलैक्ट्रोनिक्स)	21-8-81	वही	मद्रास

जोधपुर आकाशवाणी केन्द्र में स्टूडियो और ओडिटोरियम की स्थापना

4785. **श्री अशोक गहलौत** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जोधपुर स्थित आकाशवाणी केन्द्र में नया स्टूडियो और ओडिटोरियम के निर्माण में कितना और समय लग जाने की संभावना है ;

(ख) इस योजना पर कुल अनुमानित खर्चा कितना होगा ; और

(ग) इस योजना के कार्यान्वयन के पश्चात् इस रेडियो स्टेशन को क्या अतिरिक्त सुविधाएं दी जाएंगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) जोधपुर में उपकरणों के लगाने सहित स्टूडियो परियोजना के लिए विभागीय निर्माण कार्यों के नवम्बर, 1982 के अन्त तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। इस केन्द्र पर आडिटोरियम की व्यवस्था करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) पूरी योजना, जिसमें ट्रांसमीटर, स्टूडियो, संग्रहण सुविधाएं तथा स्टाफ क्वार्टर शामिल हैं, पर व्यय 107.19 लाख रुपए होने का अनुमान है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्तमान सुविधाएं		
विविध भारती प्रतिश्रवण स्टूडियो	—	1
मुख्य चैनल प्रतिश्रवण स्टूडियो	—	1
बहु-उद्देश्यीय स्टूडियो	—	1
रिकार्डिंग/डबिंग कक्ष	—	1

परियोजना के मुकम्मल होने के बाद सुविधाएं		
नाटक स्टूडियो	—	1
वार्ता स्टूडियो	—	1
संगीत स्टूडियो	—	1
विविध भारती प्रतिश्रवण स्टूडियो	—	1
मुख्य चैनल प्रतिश्रवण स्टूडियो	—	1
रिकार्डिंग और डबिंग कक्ष	—	2

शरणार्थियों का पुनर्वास

4786. **श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के क्या नाम हैं जिनसे शरणार्थी बड़ी संख्या में आए हैं और उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां से वे आए हैं और उसके क्या कारण हैं ;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान कितने शरणार्थियों को स्थायी रूप से बसा दिया गया है ; और

(ग) उन्हें दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) देश के विभाजन, साम्प्रदायिक दंगों तथा भारत-पाक संघर्ष, 1971 के परिणामस्वरूप भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान (अब पाकिस्तान), तथा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगलादेश) से बहुत बड़ी संख्या में शरणार्थी आए थे। 1959 में दलाई लामा के लहासा से पलायन कर जाने के परिणामस्वरूप तिब्बत से भी शरणार्थी आए थे। उन स्थानों के नाम, जहां से कि ये शरणार्थी आए थे, नहीं रखे गए हैं।

(ख) वर्ष 1981-82 के दौरान 3,939 शरणार्थी परिवारों को बसाया जा चुका है।

(ग) उन योजनाओं के स्वरूप के अनुसार, जिनमें कि उन्हे बसाया गया है, आवास, कृषि भूमि तथा निवेश, बैलों, सहायक व्यवसाय के लिए ऋण, कारोबार ऋण, दुकान तथा कारोबार स्थल के लिए ऋण आदि के रूप में उन्हें सहायता दी गई है।

सरीन समिति का प्रतिवेदन

4787. **डा० बसंत कुमार पंडित** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरीन समिति के प्रतिवेदन ने (एक) गलत संख्याओं, (दो) अधिक बिल बनने, (तीन) ट्रंकलाल में देरी, (चार) ग्रामीण संचार प्रणाली में सुधार के बारे में क्या विशेष उपचारात्मक उपायों का सुझाव दिया है ;

(ख) पुराने हो गए छोटे टेलीफोन केन्द्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में मानव संचालित प्रणाली को बदलने के बारे में क्या सुझाव दिए गए हैं ; और

(ग) कर्मचारी नियुक्त करने की प्रणाली और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में क्या सुझाव दिए गए हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : सरीन समिति ने कुल आठ रिपोर्ट प्रस्तुत की (जिसमें समापन रिपोर्ट भी शामिल है)। इन रिपोर्टों में संचार प्रणाली की कार्य कुशलता में सुधार से सम्बन्धित प्रचालन, लकनालाजी और प्रबन्ध के क्षेत्र में दूरसंचार सेवाओं के सभी पहलूओं का समावेश करने वाली 434 सिफारिशें हैं। रिपोर्टों की प्रतियां और सिफारिशों का सारांश संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है। समिति द्वारा सुझाई विभिन्न सिफारिशें में अपरिहार्य अतिव्यापन होने की वजह से समस्या विशेष के लिए सुझाए विशेष समाधान को चुनना और सुझाई गई अकेली सिफारिश को अपनाना कठिन है। फिर भी, अन्य बातों के अलावा समिति ने नीचे लिखे सुझाव रखे हैं :—

(क-एक) प्रयोक्ताओं के स्थानों का जहां फोन लगा है निरीक्षण; अधिक विश्वसनीय टेलीफोन उपकरणों का उत्पादन; मांग को हर तरह पूरा करने के लिए तय लक्ष्य को और आगे कर उपस्कर पर पड़ने वाले परियात के अतिभार और भीड़भाड़ को कम करना।

(क-दो) स्वचल संदेश लेखा प्रणाली का निश्चित क्रम के अनुसार आरम्भ।

(क-तीन) ट्रंक बोर्ड व परिपथों का और अधिक विस्तार; 1985 तक जिला मुख्यालयों और महत्वपूर्ण शहरों के लिए प्रयोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा सुलभ करने के उद्देश्य से ट्रंक परियात स्वचालित बनाना।

(क-चार) और (ख) तमाम देहाती इलाकों में 1990 तक लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घरों (एल० डी० पी० टी०) की व्यवस्था ताकि कोई भी गांव लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर से 5 कि० मी० से अधिक दूर न रहे; इन्टीग्रेटेड डिजिटल स्विचिंग और डिजिटल पारेषण प्रणाली का प्रयोग कर, 1995 तक, एक अन्य सहायक संचार तन्त्र को स्वचल बनाना।

(ग) (1) संवर्गों में अनेक प्रकार के पदों की बहुतायत में कमी;

(2) उत्पादकता में वृद्धि;

(3) जिम्मेवारी को निश्चित करना;

(4) दक्षता में सुधार और प्रोत्साहन में वृद्धि के उद्देश्य से अराजपत्रित संवर्गों के ढांचे का पुनर्गठन ।

अधिष्ठापन (इण्डक्शन), उपचरण रेमेडियल, परिवर्तन (कन्वर्शन) और पूर्वाभिमुखकरण पाठ्यक्रमों को विभिन्न स्तरों पर इस्तेमाल कर कार्य प्रधान पाठ्यक्रम को सभी तरह आधुनिक और सघन बनाना ।

खाना बनाने की गैस के लिये छोटे सिलेंडर

4788. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाना बनाने की गैस के लिए छोटे सिलेंडरों की शुरूआत किए जाने की बात सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इनका विपणन कब किया जाएगा और उनसे कितने व्यक्तियों के लाभान्वित होने की संभावना है ; और

(ग) क्या ये छोटे सिलेंडर वर्तमान घरेलू गैस के सिलेंडरों की तुलना में सस्ते और आम आदमी की पहुंच के भीतर होंगे ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां । तथापि इस सम्बन्ध में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्रियान्वित की जा रही योजनाएं

4789. **श्री कुंवर राम** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार में एल्युमीनियम और इस्पात संयंत्रों में कोयले की बढ़ती हुई मांग तथा सरकारी क्षेत्र में विशेषकर, जमशेदपुर में एक और इस्पात संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव को देखते हुए कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के नाम क्या हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : अल्युमिनियम इस्पात संयंत्रों तथा अन्य परियोजनाओं के लिए कोयले की मांग की पुनरीक्षा कोयला उत्पादन कार्यक्रम के साथ नियमित अवधियों पर कोयला विभाग की स्थायी संयुजन समिति द्वारा की जाती है । इस समिति में कोयला विभाग, इस्पात विभाग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, योजना आयोग, रेलवे और अन्य सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधि हैं । उत्पादन बढ़ाकर इस्पात क्षेत्र और अन्य उपभोक्ता क्षेत्रों की मांग पूरी करने के लिए नई खानें खोली जा रही हैं और चालू खानों का पुनर्गठन किया जा रहा है ।

दामोदर घाटी निगम द्वारा बिजली शुल्क बढ़ाया जाना

4790. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम द्वारा विद्युत शुल्क बढ़ाने का कोई निर्णय ले लिया गया है, । यदि हां, तो कितना शुल्क बढ़ाया है और ये बढ़ी हुई दरें किस तारीख से लागू होंगी ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री ने, इस प्रकार बिजली शुल्क की इस प्रकार एक-पक्षीय वृद्धि जिसकी विपरीत प्रतिक्रिया होनी ही है, के खिलाफ विरोध व्यक्त किया है और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या भागीदार राज्यों अर्थात् पश्चिम बंगाल और बिहार की बिना सहमति और परामर्श के दामोदर घाटी निगम ने बिजली शुल्क बढ़ाने का निर्णय किया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) टैरिफ में 7 पैसे प्रति यूनिट वृद्धि करने के बारे में दा० घा० नि० का प्रस्ताव 28 और 29 अप्रैल, 1982 को हुई, निगम की 440 वीं बैठक में रखा गया था । दोनों ही बिहार और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों के भाग लेने वाले सदस्य इस प्रस्ताव के बारे में सहमत नहीं थे । तदन्तर भारत सरकार ने टैरिफ में 7 पैसे यूनिट वृद्धि करने के लिए दा० घा० नि० अधिनियम 1948 (1948 का 14 वां) की धारा 48 के अन्तर्गत निर्देश जारी किया था । संशोधित टैरिफ लागू करने के निर्देश शीघ्र ही निगम के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का प्रस्ताव है तथा उसके पश्चात् दा० घा० नि० प्रबन्ध द्वारा उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किये जाने की तारीख से तीन महिने की अवधि के पश्चात् नये टैरिफ प्रभावी हो जाएंगे ?

(ख) पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री ने इस विषय पर केन्द्रीय सरकार को लिखा है। मुख्य मन्त्री को टैरिफ संशोधन के बारे में सूचित कर दिया गया है । टैरिफ का सम्बन्ध उत्पादन की लागत से है तथा जब उत्पादन लागत बढ़ जाती है और निवेश आवश्यकताओं को पूरा करना होता है तो टैरिफ को बढ़ाना पड़ता है ।

(ग) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय तेल निगम के कार्यकरण में भ्रष्टाचार

4791. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय तेल निगम के कार्यकरण और उसके द्वारा किए गए सौदो

में भ्रष्टाचार तथा भाई भतीजा बाद के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन शिकायतों के आधार पर कोई जांच करवाई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) सामान्य प्रकृति की शिकायतें समय-समय पर प्राप्त होती हैं और जहां आवश्यक होता है उनके उपचार के उपायों के लिये उनकी जांच की जाती है ।

तिरुनेलवेली और नागर कोइल, तमिलनाडु में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज लगाना

4792. श्री के० टी० कौसलराम : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिरुनेलवेली और नागर कोइल, तमिलनाडु में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज का भवन कब से खाली पड़ा है ;

(ख) नागर कोइल तमिलनाडु के स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज के भवन का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ था ; और

(ग) इन दोनों स्थानों पर स्व-चालित टेलीफोन एक्सचेंज कब तक लगाये जाने की सम्भावना है ?

संचार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) तिरुनेलवेली और नागरकोइल टेलीफोन भवन को अधिग्रहण के पश्चात् उपकरण भण्डारण के लिए प्रयोग किया गया । तिरुनेलवेली में ट्रंक एक्सचेंज एवं टैलेक्स का संस्थापन भी कर दिया गया था ।

(ख) नागरकोइल में स्वचल टेलीफोन एक्सचेंज के लिए भवन सितम्बर, 1980 में पूरा कर लिया गया था ।

(ग) तिरुनेलवेली तथा नागर कोइल स्वचल एक्सचेंज 1983 के दौरान चालू किए जाने की सम्भावना है ।

आकाशवाणी और दूरदर्शन हेतु स्वायत्ता

4793. श्री चित्त बसु : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए अधिक स्वायत्तता और उनके कार्यकरण में राज्य सरकारों के और अधिक शामिल किए जाने के बारे में मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार की कोई मांग नहीं की गई है। तथापि, राज्यों के सूचना मन्त्रियों के जुलाई, 1982 में हुए सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए, पश्चिम बंगाल के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के प्रभारी राज्य मन्त्री, ने अन्य बातों के साथ-साथ, यह सुझाव दिया था कि इन दोनों माध्यमों को ढील दी जानी चाहिए और उनके कार्यकरण में राज्य सरकारों की अधिक भागेदारी होनी चाहिए।

तथ्य यह है कि अब भी सम्बन्धित राज्य सरकार को केन्द्रों से सम्बद्ध कई कार्यक्रम समितियों या परामर्शदात्री पैनलों अर्थात् ग्रामीण कार्यक्रम सलाहकार समिति, औद्योगिक कर्मचारियों के लिए प्रसारणों, शैक्षणिक प्रसारणों, आदि से सम्बन्धित परामर्शदात्री पैनलों में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। यह एक संस्थागत प्रणाली है। जहां तक आकाशवाणी और दूरदर्शन के स्वायत्त दर्जे का सम्बन्ध है, जैसा कि भूतकाल में कई बार स्पष्ट किया गया है, सरकार की राय यह है कि यह इन माध्यमों को अपना मूल उद्देश्य अर्थात् लोगों की सेवा प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाने के लिए आवश्यक नहीं है।

भुवनेश्वर में टेलीफोन उद्योग

4794. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास भुवनेश्वर में एक टेलीफोन ऐक्सचेंज स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब क्रियान्वित किया जायेगा ; और

(ग) उपर्युक्त प्रस्ताव के क्रियान्वयन में अब तक कितनी प्रगति हुई ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) सवाल ही पैदा नहीं होता।

डाक-तार कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता

4795. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक-तार विभाग में समयोपरि प्रणाली अभी भी विद्यमान है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और समयोपरि भत्ते के परिणामस्वरूप विभाग का प्रति वर्ष कितनी धनराशि का घाटा होता है ;

(ग) क्या सरकार के पास समयोपरि भत्ते को समाप्त करने के लिए कोई स्पष्ट योजना है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) जी हां ।

(ख) समयोपरि भत्ता दिया जाता है बशर्ते कि निम्नलिखिल शर्तें पूरी की गई हों :

(1) जब कार्य इस प्रकार का हो कि उसे जनहित में अगले कार्य दिवस तक स्थगित न किया जा सके ।

(2) जब कोई लीव रिजर्व कर्मचारी उपलब्ध न हो ।

(3) जब कार्य को कर्मचारियों में बांटा जा सके ।

(4) जब कार्य किसी दूसरे विभाग, उसी कार्यालय की शाखा या अनुभाग के किसी कर्मचारी को न सौंपा जा सके जिसका कि कार्य रोका नहीं जा सकता ।

पिछले पांच वर्षों के दौरान समयोपरि भत्ते पर खर्चा किया गया, वह इस प्रकार हैं :—

1977-78	14.03 करोड़
1978-79	20.39 करोड़
1979-80	26.67 करोड़
1980-81	28.70 करोड़
1981-82	28-86 करोड़

(ग) समयोपरि भत्ते को कम करने के उद्देश्य से रिक्त पदों को भरने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं ।

(घ) अनुपस्थित कर्मचारियों के स्थान पर तथा कभी-कमी अत्यधिक कार्य कार्य बढ़ जाने की स्थिति, परियात के व्यस्त काल आदि से निपटने के लिए आरक्षित प्रशिक्षित पूल से कर्मचारियों को लगाने के लिए डाक सहायक, छटाई सहायक, टेलीफोन आपरेटरों के प्रचालन काडरों में आरक्षित-पूल बनवाए जा रहे हैं ।

तेल और गैस के लिए (राज्यवार) खुदाई

4796. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल/गैस की खोज के लिए इस समय कितने स्थानों में (राज्यवार) तेल/गैस के लिए खुदाई का काम चल रहा है ; और

(ख) इन परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च हुई है ?

पेट्रोलियम, रसायन, और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गुजरात में 8 स्थानों पर, असम में 12 स्थानों पर, त्रिपुरा में

3 स्थानों पर, पश्चिम बंगाल में एक स्थान पर, आंध्र प्रदेश में 2 स्थानों पर और राजस्थान में एक स्थान और आयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान पर तेल/गैस के लिए खुदाई की जा रही है। इन प्रायोजनाओं पर खर्च की गई धनराशि राज्यवार नीचे दी गई है :—

राज्य	अपने प्रारम्भ से 31-3-81 तक ओ० एन० जी० सी० द्वारा किया गया व्यय (करोड़ रुपयों में)	अपने प्रारम्भ से 31-3-82 तक ओ० आई० एल० द्वारा किया गया व्यय (करोड़ रुपयों में)
आन्ध्र प्रदेश	15.91	—
अरुणाचल प्रदेश	—	25.33
असम	199.25	—
त्रिपुरा	34.59	—
गुजरात	234.96	—
राजस्थान	1.21	—
पश्चिमी बंगाल	20.37	—

फ्रांस के सहयोग से डिजिटल टेलीफोन एक्सचेंज फैक्टरी का लगाया जाना

4797. **श्री तारिक अनवर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक पूंजी निवेश बोर्ड ने फ्रांस के सहयोग से देश के पहले इलैक्ट्रोनिक-डिवीजन टेलीफोन एक्सचेंज फैक्टरी लगाने के लिए इण्डिया टेलीफोन इन्डस्ट्री के 150 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है ;

(ख) क्या जिस कम्पनी से तकनीकी सहयोग मांगा गया है वह फ्रांस सरकार की कम्पनी है ;

(ग) क्या इस परियोजना के लिए विश्व भर से निविदायें मांगी गयी थीं या इसके बारे में आपसी बातचीत और समझौते से निर्णय लिया गया था ; और

(घ) समझौते का ब्यौरा क्या है और भुगतान किस प्रकार किया जायेगा ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) और (ख) सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के अधीन इलैक्ट्रानिक डिजिटल स्विचिंग उपस्कर की प्रति वर्ष पांच लाख लाइनें तैयार करने की क्षमता स्थापित करने हेतु अनुमानतः 149.19 करोड़ रुपये की पूंजी लागत वाले एक प्रस्ताव को हाल ही में मंजूरी दी है। इसके

लिए मैसर्स इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज ने एक फ्रांसीसी कम्पनी—मैसर्स सी० आई० टी०—अलकेटल के साथ तकनीकी सहयोग का करार किया है। इस फ्रांसीसी कम्पनी की मालिक कम्पनी का फ्रांसीसी सरकार ने राष्ट्रीयकरण कर दिया है।

(ग) फ्रांसीसी कम्पनी का प्रस्ताव, वहां की सरकार से प्राप्त प्रस्ताव का एक भाग ही था जो स्थानीय उत्पादन सहित भारतीय संचार तन्त्र में डिजिटल इलैक्ट्रानिक स्विचिंग प्रणाली शुरू करने के लिए तकनालाजी के बदलने से सम्बन्धित है। फ्रांसीसी प्रस्ताव का मूल्यांकन एक अन्तर्विभागीय समिति ने किया।

(घ) उपर्युक्त सहयोग के सम्बन्ध में नीचे लिखे अनुसार करार किए गए :—

(1) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज और सी० आई० टी०—अलकेटल के बीच अनुज्ञप्ति तकनीकी ज्ञान का अन्तरण, प्रतिवर्ष 5 लाख लाइनों की क्षमता वाले इलैक्ट्रानिक स्विचिंग प्रणाली के कारखाने की स्थापना के लिए करार।

(2) भारतीय डाकतार विभाग और सी०आई०टी०—अलकेटल के बीच संचार प्रणाली की अगली पीढ़ी के विकास के लिए, अनुसंधान और विकास सम्बन्धी सहयोग।

(3) उपकरणों की स्वीकृति पूर्व जांच के लिए उपकरण देने, विश्वसनीयता मापक केन्द्र प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता के सम्बन्ध में भारतीय डाकतार विभाग और फ्रांस के डाक, दूरसंचार व प्रसारण मन्त्रालय के अधीन काम कर रही कम्पनी 'सोप्रोकॉम' के बीच एक करार।

इसके अलावा भी भारत और फ्रांस के बीच दो अन्य समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। इनमें एक दूरसंचार सेवा के क्षेत्र में लगातार तकनीकी सहायता और उपस्कर उत्पादन के लिए, तथा दूसरा सम्बन्धित अनुसंधान केन्द्रों के बीच दूरसंचार के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास सम्बन्धी गतिविधियों में सहयोग से संबन्धित है।

फ्रांसीसी कम्पनी को दी जाने वाली राशि फ्रांसीसी सरकार से प्राप्त ऋणों द्वारा दी जायेगी। कुल रकम का आधा भाग आसान राजकोष ऋण के रूप में और दूसरा आधा भाग खरीददार को दिए ऋण के रूप होगा।

बिजली घरों की बढ़ती हुयी क्षमता

4798. श्री बी० आर० नहाटा : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक राज्य में, ऊर्जा के तापीय, सुपर तापीय जल एवं स्वचालित तथा अन्य स्रोतों की अधिष्ठापित क्षमता को कितना बढ़ाया जायेगा ; और

(ख) कितनी परियोजनाओं पर काम चल रहा और कितनी परियोजनाएं निर्धारित

कार्यक्रम से पीछे हैं तथा कितने पीछे हैं जैसे उनके पूरा होने की तिथि क्या है और उनके कब तक पूरे होने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बी० सी० सी० एल० की वित्तीय प्रणाली और अनियमिताओं की जांच के लिए समिति

4799. श्री ई०बालानन्दन
श्री नीरेन घोष } : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सी० आई० एल० (कोल इण्डिया लिमिटेड) की सी० सी० एल० की वित्तीय प्रणाली और अनियमितताओं की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) भा० को० को० लि० के प्रशासनिक और वित्तीय कार्यकलापों की जांच करने और उसमें सुधार के उपाय सुझाने के लिए इस विभाग ने हाल ही में कोयला खान प्राधिकरण लि० के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री जे० जी० कुमारमंगलम के अधीन एक "एक-सदस्यीय- समिति" नियुक्त की है।

छठी योजना के विद्युत सम्बन्धी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विदेशी संसाधनों द्वारा वित्तपोषित विद्युत परियोजनाएं

4800. श्री राम विलास पासवान : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छठी योजना के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार का विचार विदेशी संसाधनों द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित पनबिजली और तापीय दोनों ही तरह के विद्युत केन्द्रों की स्थापना करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने यदि कोई निर्णय किया हो, तो वह क्या है और छठी योजना का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इन विद्युत केन्द्रों की स्थापना कितनी अवधि तक किए जाने की आशा है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) विंध्याचल सुपर ताप विद्युत केन्द्र का प्रथम चरण (6×210 मेगावाट) तथा रिहन्द सुपर ताप विद्युत केन्द्र का प्रथम चरण (2×500 मेगावाट) क्रमशः यू० एस० एस० आर० और यू० के० की सहायता से स्थापित किए जा रहे हैं। इन परियोजनाओं की पहली यूनिटें 1987-88 के दौरान चालू किए जाने की आशा है।

सरकारी ऋण, सप्लाईकर्त्ताओं के ऋण और वाणिज्यिक ऋणों के माध्यम से वित्तीय सम्भाव्यताओं के साथ विद्युत परियोजनाओं के लिए उपस्कर की सप्लाई के लिए और विदेशों/-विदेशी कम्पनियों से भी सरकार को प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

बुलन्दशहर में डाक-तार भवनों का निर्माण

4801. **श्री त्रिलोक चन्द :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बुलन्दशहर प्रधान डाक घर का भवन गत अनेक वर्षों से जीर्ण-शीर्ण हालत में पड़ा हुआ है ; और यदि हां, तो भवन की मरम्मत न किये जाने या नया भवन न बनाये जाने के क्या कारण हैं और इसमें विलम्ब के लिये कौन-कौन व्यक्ति उत्तरदायी हैं ; और

(ख) जिला बुलन्दशहर (उत्तर-प्रदेश) के किन-किन स्थानों पर डाक घरों के भवन बनाने का प्रस्ताव है और इन भवनों के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

संचार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) बुलन्दशहर के मुख्य डाक घर के भवन के पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। इसलिए बुलन्दशहर के मुख्य डाक घर के भवन के पुनः निर्माण सम्बन्धी परियोजना को छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के कार्यक्रम में शामिल किया गया है। पुराने भवन को गिरा दिया गया है तथा नये भवन का निर्माण कार्य जनवरी, 1982 में शुरू कर दिया गया है नये भवन के 1983 के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है।

(ख) ऐसा प्रस्ताव किया गया है कि छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के दौरान बुलन्दशहर जिले में खुर्जा मुख्य डाक घर के लिए एक विभागीय भवन का निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है। पोस्टमास्टर जनरल, उत्तर प्रदेश सर्किल, लखनऊ ने प्रारम्भिक प्राक्कलन प्राप्त कर लिया है तथा वे इस मामले में आगे आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं।

बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश) जिले में तार घर के लिए कोई भवन निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दामोदर घाटी निगम द्वारा प्रशुल्क में और वृद्धि किया जाना

4802. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम अपना विद्युत प्रशुल्क पुनः लगभग 5 प्रतिशत तक बढ़ाने पर विचार कर रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है दामोदर घाटी निगम ने एक वर्ष पहले भी विद्युत प्रशुल्क बढ़ाया था ;

(ग) यदि दोनों भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो पिछले प्रशुल्क की किस आधार पर गणना की गई थी ; और

(घ) उसे इतना जल्दी बदले जाने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) दामोदर घाटी निगम ने अन्तिम बार लगभग 7 वर्षों के अन्तराल के बाद 1.7.1981 से पिछली बार टैरिफ का संशोधन किया था। समग्र दरों में 7 पैसे प्रति यूनिट की और बढ़ोतरी करने का अब विचार किया जा रहा है। टैरिफ का सम्बन्ध उत्पादन की लागत से है और जब लागत में वृद्धि होती है और निवेश आवश्यकताओं को पूरा करना होता है तब इसमें संशोधन करना पड़ता है।

अगरतला टेलीफोन एक्सचेंज में स्थानीय व्यापारियों के लिए निःशुल्क ट्रंककालें

4803. **श्री अजय विश्वास** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगरतला टेलीफोन एक्सचेंजों में एक ऐसा गिरोह पनप रहा है जो, स्थानीय व्यापारियों को निःशुल्क ट्रंककालें करने देता है ;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच की है ; और

(ग) इस कदाचार को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) से (ग) जी नहीं। निःशुल्क ट्रंक काल लगाने के मामलों का पता लगाने के लिए कड़ा निरीक्षण किया जा रहा है। यदि कोई मामला पकड़ा जाता है तो दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी प्रशासनिक कार्यवाही की जाती है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा नये "प्लोटिंग प्लेटफार्म" का उपयोग

4804. **श्री रेणुपद दास** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा नये "प्लोटिंग प्लेटफार्म" का उपयोग किये जाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति

4805. **श्री के० राममूर्ति** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे कि :

(क) 1871.53 मिलियन घनमीटर के गैस के उत्पादन सहित 1982-83 में 17.91 मिलियन टन तेल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 186 कुएं खोदने के लिए जिनमें कुल 437,644 मीटर का छिद्रण कार्य अन्तर्ग्रस्त है, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी कार्यों में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि ये लक्ष्य पूरे किये जा सकें ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) 1982-83 की वार्षिक योजना के अनुसार तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के अन्वेषण तथा उत्पादन कार्यक्रम के ब्यौरे नीचे दिए गये हैं :

		कूप खुदाई मीटरों में	आयोजित तेल उत्पादन (मि० मी० टनों में)	आयोजित गैस सप्लाई (मि० घन मीटरों में)
तटीय	110	2,71,644	5.80	900.00
अपतटीय	76	1,66,000	12.11	971.55
योग	186	4,37,644	17.91	1871.53

(ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये कर्मचारियों के लिये कल्याण के उपायों को बहुत महत्व दे रहा है। इस सम्बन्ध में उठाये गये कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं वित्तीय अभिप्रेरण योजना, क्षेत्र स्थलों पर कार्य करने के लिये मुक्त परिवहन सुविधाएं, दूरस्थ के तथा दुर्गम व्यधन स्थलों पर मुक्त रहने की सुविधाएं दूर दराज की व्यधन स्थल कालोनियों में उदार भोजन प्रतिकर या पौष्टिक खाना सुविधाएं, मुफ्त चिकित्सा सुविधा इत्यादि। और आगे कल्याण के उपायों पर भी विचार किया जा रहा है।

उर्वरक संयंत्रों में हानियां

4806. **श्री अनादि चरण दास** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ उर्वरक संयंत्र घाटे में चल रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन उर्वरक संयंत्रों के नाम क्या हैं जिनको ऐसी हानियां हो रही हैं ;

(ग) इन हानियों के क्या कारण हैं ; और

(घ) उन उर्वरक संयंत्रों की दशा सुधारने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) इस मन्त्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निम्नलिलित उर्वरक कम्पनियों ने 1981-82 के दौरान हानि उठाई :—

(1) फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि०, इसके संयंत्र गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, सिन्दरी, बिहार, रामागुण्डम, आन्ध्र प्रदेश, तलचर, उड़ीसा में हैं।

(2) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लि० : इसके संयंत्र नामरूप, असम, बरौनी, बिहार, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में हैं।

(3) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि० : इसके संयंत्र उद्योग मण्डल, केरल, कोचीन, केरल में हैं।

(ग) हानियों के मुख्य कारण विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लगाई गई बिजली की कटौती के कारण निम्न क्षमता उपयोगिता, कोयले की तरह के कच्चे माल की गैर-उपलब्धता तथा उपस्कर समस्याएं और डिजाइन अवरोध हैं।

(घ) अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा बिजली की कटौती समाप्त कर दी गई है। उर्वरक संयंत्रों को फीडस्टाक तथा कच्चे माल की आपूर्ति अपेक्षित स्तर तक बढ़ा दी गई हैं। संयंत्र प्रक्रिया सुधार कार्यक्रमों, डी बाटल नैकिंग योजनाओं तथा केपटिव पावर जेनेरेशन सुविधाओं आदि के माध्यम से इन बिल्ट अवरोधों को हटा कर क्षमता उपयोगिता को बढ़ाने के उपाय भी किए जा रहे हैं।

रोजगार केन्द्र के माध्यम से नियुक्ति के लिए एन० टी० पी० सी० अधिकारियों के साथ चर्चा

4807. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के विद्युत राज्य मंत्री और श्रम राज्य मंत्री ने रोजगार केन्द्र के माध्यम से नियुक्ति के बारे में 25-6-82 को नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के अधिकारियों के साथ बातचीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त बैठक में क्या निर्णय लिया गया था ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली के लिए सुपरतापीय विद्युत केन्द्र

4808. श्री अमल दत्त : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल दिल्ली को बिजली की सप्लाई के लिए एन० टी० पी० सी० द्वारा सुपर तापीय विद्युत केन्द्र की स्थापना करने का निर्णय किया गया है यदि हां, तो उसकी क्षमता फेजिंग और प्रत्येक फेज की लागत क्या होगी ?

(ख) क्या विद्युत केन्द्र को बी. एच. ई. एल. द्वारा निर्मित उपकरण या आयातित उपकरण सप्लाई किए जाएंगे यदि उपकरणों का आयात किया जाएगा तो कुल उपकरण लागत का आयात संघटक क्या होगा ; और

(ग) यदि किसी अन्य स्थान पर विद्युत केन्द्र स्थापित करने हेतु कोई अन्य योजनाएं हैं तो वे कहां स्थापित होंगी। स्थान, क्षेत्र या ग्रिड क्षमता और फेजिंग फेज-वार लागत का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) दिल्ली की विद्युत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा एक सुपर ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन अभी किया जाना है। व्यवहार्यता अध्ययन पूरे हो जाने के बाद ही क्षमता और लागत की सोपानबद्धता को अन्तिम रूप दिया जा सकता है।

(ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की निर्माणाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा विवरण में दिखाया गया।

इनके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश में विन्ध्याचल सुपर ताप विद्युत परियोजना के प्रथम चरण (1260 मेगावाट) और उत्तर प्रदेश में रिहन्द सुपर ताप विद्युत परियोजना के प्रथम चरण (1000 मेगावाट) का सरकार ने हाल ही में अनुमोदन कर दिया है। विन्ध्याचल सुपर ताप विद्युत परियोजना के प्रथम चरण का 210 मेगावाट का पहला यूनिट तथा रिहन्द सुपर ताप विद्युत परियोजना के प्रथम चरण का 500 मेगावाट का पहला यूनिट 1987-88 के दौरान चालू किए जाने की सम्भावना है। इन परियोजनाओं की स्वीकृत लागत क्रमशः 911.57 करोड़ रुपये तथा 1033 करोड़ रुपये है। ये सभी क्षेत्रीय विद्युत केन्द्र हैं जो अपने-अपने क्षेत्रों में विभिन्न राज्यों की विद्युत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं।

कहलगांव सुपर ताप विद्युत केन्द्र के प्रथम चरण (4×200 मेगावाट) की स्थापना के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के प्रस्ताव को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति दे दी है। इसके लिए निवेश सम्बन्धी निर्णय की प्रतीक्षा है।

विवरण

परियोजना	क्षमता (मेगावाट)	स्वीकृत लागत (करोड़ रुपये)	सोपानबद्धता
सिंगरौली (उ० प्र०)			
चरण 1	600(3×200)	303.75	1982-84
चरण 2	1400(2×200+2×500)	494.37	1983-88
कोरबा (म० प्र०)			
चरण 1	1100(3×200+500)	527.62	1983-87
चरण 2	1000(2×500)	457.98	1987-89
रामागुण्डम (आ० प्र०)			
चरण 1	1100(3×200+500)	459.14	1984-88
चरण 2	1000(2×500)	501.89	1988-90
फरक्का (प० बं०)			
चरण 1	600(3×200)	290.60	1985-86

राजस्थान में टेलीफोन एक्सचेंजों और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों का खोला जाना

4809. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के किन-किन रेगिस्तानी और पिछड़े जिलों में अधिक टेलीफोन एक्सचेंज और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र और डाकघर खोलने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ख) क्या सरकार कम जनसंख्या वाले रेगिस्तानी तथा पर्वतीय क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लिए जनसंख्या के निर्धारित अनुपात को कम करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है और यदि हां, तो इस दिशा में निर्णय कब तक किया जायेगा ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) (1) **टेलीफोन एक्सचेंज** : ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिए उदारीकृत नीति के अन्तर्गत नए लघु टेलीफोन एक्सचेंज टेलीफोन कनेक्शनों के लिए मांग होने पर और योजना के मितव्ययी होने के आधार पर खोले जाते हैं। इस नीति के अन्तर्गत क्षेत्रवार (अर्थात् पिछड़े/जनजातीय/पहाड़ी/रेगिस्तानी) वितरण नहीं किया जाता है। राजस्थान में पिछड़े क्षेत्रों के नाम और 1982-83 के दौरान खोले जाने वाले टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या, जिनकी अस्थायी तौर पर योजना बनाई गई है, विवरण में दी गई है।

(2) सार्वजनिक टेलीफोन घर : हालांकि रेगिस्तानी जिलों के लिए विभाग के पास कोई विशेष नीति नहीं है परन्तु इन क्षेत्रों को कुल मिलाकर पिछड़े जिलों की सूची में शामिल किया जाता है। पिछड़े क्षेत्रों में उदारीकृत आधार पर सार्वजनिक टेलीफोन घर प्रदान किए जाते हैं। राजस्थान के पिछड़े जिलों के नाम और 1982-83 के दौरान खोले जाने वाले वशर्ते कि भंडार उपलब्ध हों, लम्बी दूरी के प्रस्तावित सार्वजनिक टेलीफोन घरों की संख्या विवरण में दी गई है।

(3) डाक घर : बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और श्रीगंगानगर जिले, चुरू जिले की डूंगरगढ़ तहसील और उदयपुर जिले की गोगुंडा तहसील को डाक विकास के प्रयोजनार्थ पिछड़े क्षेत्रों के बतौर वर्गीकृत किया गया है। इन क्षेत्रों में वार्षिक योजना 1982-83 के अधीन 15 डाक घर खोलने का प्रस्ताव है।

(ख) जी नहीं, सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में पिछड़े/जनजातीय क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लिए निर्धारित मानदण्डों में जनसंख्या की शर्त को पहले से ही अधिक उदार बनाया गया है।

विवरण

1982-83 के दौरान राजस्थान के पिछड़े जिलों में खोले जाने के लिए टेलीफोन एक्सचेंजों, सार्वजनिक टेलीफोनों की संख्या, जिनकी अस्थायी तौर पर योजना बनाई गई है, दशाने वाला विवरण।

क्रम० सं०	जिले का नाम	टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या	सार्वजनिक टेलीफोनों की संख्या
1.	अलवर	3	1
2.	बांसवाड़ा	शून्य	6
3.	बाड़मेर	शून्य	14
4.	चुरू	3	3
5.	डूंगरपुर	शून्य	6
6.	जैसलमेर	1	1
7.	जालोर	9	6
8.	झुनझुनू	1	1
9.	जोधपुर	1	8
10.	नागौर	शून्य	3
11.	सिरोही	शून्य	1
12.	उदयपुर	2	4
13.	भीलवाड़ा	2	शून्य
14.	झालावाड़	शून्य	शून्य
15.	सिकर	शून्य	शून्य
16.	टोंक	शून्य	शून्य

भारतीय उर्वरक निगम के गोरखपुर एकक का विस्तार

4810. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम के गोरखपुर एकक के विस्तार के लिये कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इस संयन्त्र के आधुनिकीकरण कार्य को कब तक आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उरर्वक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) गोरखपुर के लिए विस्तार योजना की व्यवहार्यता सिद्ध नहीं हुई है ।

फ्रांसीसी कम्पनी द्वारा टेलीफोन उपकरण कारखाने की स्थापना

4811. **श्री के० प्रधानी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टेलीफोन एक्सचेंज उपकरण कारखाने की स्थापना के लिए एक फ्रांसीसी कम्पनी को एक आशय पत्र जारी किया है ;

(ख) यदि हां, तो वह आशय पत्र कब जारी किया गया था ;

(ग) उस फ्रांसीसी कम्पनी का नाम क्या है जिसे आशय पत्र जारी किया गया है ;

(घ) फ्रांसीसी कम्पनी उस प्रस्तावित टेलीफोन उपकरण कारखाने की स्थापना किस स्थान पर कर रही है ; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) टेलीफोन एक्सचेंज उपस्कर फैक्टरी की स्थापना करने के लिए फ्रेंच कम्पनी के साथ करार पर हस्ताक्षर किए गए ।

(ख) इस करार पर 24.7.82 को हस्ताक्षर किए गए थे ।

(ग) सी० आई० टी०-अलकाटेल ।

(घ) अभी निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ङ) निम्नलिखित करार किए गए :

(1) भारतीय टेलीफोन उद्योग एवं सी० आई० टी०—अल्काटेल के बीच

—लाइसेंस तथा प्रौद्योगिक जानकारी के अन्तरण के लिए करार ।

—प्रतिवर्ष 5 लाख लाइनों की उत्पादन क्षमता वाली फैक्टरी स्थापित करने के —लिए करार ।

(2) सरकार तथा सी० आई० टी०—अल्काटेल के बीच

—भविष्य की प्रणाली के विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास सहयोग ।

—तैयार उपस्कर की 2 लाख लाइनों की सप्लाई ।

2. उपरोक्त करारों में कुल 112.1 कासेद (001 मिलियन फ्रैंच फ्रैंक के बराबर) रुपए की एफ०ई० लागत शामिल है ।

3. फर्म का यह प्रस्ताव फ्रांस सरकार के माध्यम से प्राप्त हुआ था जिसमें आपसी क्रेडिट के जरिए परियोजना की वित्तीय व्यवस्था है ।

एशियाई खेलों के लिए पृथक कार्य-बल

4812. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की इन्जीनियर्स एसोसिएशन ने एशियाई खेलों सम्बन्धी परियोजनाओं के लिए एक पृथक कार्य-बल बनाने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उक्त सुझाव पर क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) इस उपाय से अब तक प्राप्त हुए परिणाम का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) एशियन खेलों के निर्माण कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए एक पृथक कार्यदल का सृजन करने के बारे में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के इन्जीनियर संघ की ओर से कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । तथापि सामान्य कार्यों के लिए रखे गए स्टाफ का एशियन खेलों के लिए निर्माण कार्य में प्रयोग करने के बारे में संघ ने एक अभ्यावेदन में अप्रासंगिक रूप से हवाला दिया था । एशियन खेलों के निर्माण कार्यों को करने के लिए दि० वि० प्रा० संस्थान में निम्नलिखित अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया है :—

1.	अधीक्षक इन्जीनियर	2
2.	कार्यपालक इन्जीनियर	8
3.	सहायक कार्यपालक इन्जीनियर	1
4.	सहायक इन्जीनियर	8
5.	अधीक्षक (तकनीकी)	24
6.	चार्जमैन	14

7.	शिफ्ट इन्चार्ज	19	
8.	वरिष्ठ इलैक्ट्रिक फिटर	7	
9.	वरिष्ठ इलेक्ट्रोनिक्स फिटर	6	
10.	वरिष्ठ टैस्टर	4	
11.	वरिष्ठ आशुलिपिक	1	
12.	कनिष्ठ आशुलिपिक	3	
13.	निरीक्षक	21	
14.	सहायक लेखाकार	3	
15.	वरिष्ठ लिपिक	2	
16.	कनिष्ठ लिपिक	7	
17.	सहायक टाइम कीपर	3	
18.	वरिष्ठ लाइनमैन	6	
19.	कनिष्ठ लाइनमैन	18	
20.	लोहकार	1	
21.	मिस्त्री	1	
22.	बढ़ई	1	
23.	सहायक इलैं० फिटर	15	
24.	हेन्डलिंग मिस्त्री	1	
25.	ड्राइवर	5	
26.	क्लीनर	5	
27.	चपरासी	8	
28.	मजदूर	48	(40 वर्कचार्ज आधार पर तथा 8 समायोजन करके)
	कुल	242	

चंडीगढ़ में मनीआर्डर जालसाजी

4813. **श्री एम० एम० लारेंस :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चंडीगढ़ में व्यापक रूप से फैली हुई मनीआर्डर जालसाजी की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

संचार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) विभाग को मई, 1982 में चंडीगढ़ में कुल 700 रुपये के मूल्य के 3 मनीआर्डरों के बारे में 3 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। जांच करने से पता चला कि एक पोस्टमैन ने प्राप्त कर्त्ताओं के जाली हस्ताक्षर करके रुपये रख लिये थे।

(ग) पोस्टमैन की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। उससे राशि वसूल कर ली गई है और सही प्राप्त कर्त्ताओं को उसका भुगतान कर दिया गया है।

पंजीकृत कम्पनियों और भारत में विदेशी कम्पनियों की शाखाओं वाली सहायक कम्पनियां

4814. **श्री आर० प्रभु** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1982 को कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनियों की कुल संख्या कितनी थी ;

(ख) 20 बड़े औद्योगिक गृहों से सम्बन्धित कम्पनियों और विदेशी कम्पनियों की सहायक कम्पनियों तथा विदेशी कम्पनियों की भारतीय शाखाओं की संख्या 31 मार्च, 1982 को कितनी थी ;

(ग) 31 मार्च, 1981 को कुल कितनी कम्पनियों का निरीक्षण किया गया ;

(घ) उन कम्पनियों की संख्या कितनी है जो 20 बड़े औद्योगिक गृहों से सम्बन्धित हैं अथवा विदेशी कम्पनियों की सहायक कम्पनियां हैं अथवा विदेशी कम्पनियों की भारतीय शाखाएं हैं जिनका गत 10 वर्ष के दौरान एक बार निरीक्षण नहीं किया गया है ; और

(ङ) उन कम्पनियों की संख्या कितनी है जिनका गत दस वर्षों के दौरान एक से अधिक बार निरीक्षण किया गया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) 31 मार्च, 1982 तक कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हिस्सों द्वारा सीमित कम्पनियों की संख्या 71,689 थी।

(ख) मांगी गई सूचना निम्न प्रकार है—

(1) प्रथम 20 बृहद औद्योगिक घरानों (एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत पंजीकरण के अनुसार) से सम्बन्धित कम्पनियों की संख्या, 1 जनवरी, 1981 से 31 मार्च, 1982 तक नवीन पंजीकरणों/अ-पंजी-

करणों को समायोजित करने के पश्चात, 31 दिसम्बर, 1980 तक 387

(2) 31 मार्च, 1981 तक कार्यरत विदेशी कम्पनियों की भारतीय सहायता कम्पनियों की संख्या 111

(3) 31 मार्च, 1982 तक विदेशी कम्पनियों की शाखाओं की संख्या 311

(ग) 31 मार्च, 1981 की वर्ष समाप्ति के दौरान, कम्पनी अधिनियम की धारा 209-क के अन्तर्गत 383 कम्पनियों की लेखा-बहियों तथा अन्य अभिलेखों के निरीक्षण किये गये थे।

(घ) तथा (ङ) गत 10 वर्षों के दौरान, लगभग 3800 निरीक्षण किये गये हैं। तथापि, इन 20 बृहद औद्योगिक घरानों से सम्बन्धित उन कम्पनियों की संख्या, जिनका गत 10 वर्षों के दौरान एक बार भी निरीक्षण नहीं किया गया है, अथवा एक से अधिक बार निरीक्षण किया जा चुका है, की बाबत सूचना संकलन करना, अत्याधिक बृहद कार्य होगा, एवं इसमें विपुल वैयक्तिक प्रयास करने होंगे, परन्तु इसका परिणाम, इसमें लगाये जाने वाले सम्भावी समय व व्यय के समनुरूप नहीं होगा। तथापि, किसी विशेष कम्पनी अथवा कम्पनियों के समूह की बाबत सूचना अपेक्षित होने पर भेजी जा सकती है।

एशियाड, 82 के दौरान दिल्ली में विद्युत संकट

4815. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एशियाड "82" के दौरान दिल्ली में बिजली का बहुत बड़ा संकट आ सकता है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ताकि बिजली के संकट को टाला जा सके ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ङ) देश में विद्युत की स्थिति पहले वर्षों की तुलना में बहुत अच्छी है। विद्युत की उपलब्धता सामान्य तौर पर इसकी मांग से अधिक है। नवम्बर/दिसम्बर, 1982 के दौरान, जब एशियायी खेल आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है, दिल्ली की अधिकतम मांग 650 मैगावाट होने का अनुमान है, जिसमें विभिन्न एशियायी खेल कामप्लेक्सों, विभिन्न होटलों, पालम हवाई अड्डे, रिंग रेलवे आदि के लिए लगभग 50 मैगावाट विद्युत की मांग शामिल है। इस मांग को पूरा करने के लिए तथा विभिन्न एशियायी

खेल कामप्लेक्सों को पर्याप्त तथा लगातार विद्युत की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये नई पारेषण लाईनों और भूगत केवलों का कार्य पूरा कर लिया गया है। निम्नलिखित स्थलों पर नए ट्रांस्फार्मर बढ़ाकर अथवा नए उपकेन्द्रों का निर्माण करके परिवर्तित क्षमता में भी वृद्धि की गई है—

(क) महरौली	100 एम० वी० ए०
(ख) रिजवैली	60 एम० वी० ए०
(ग) बेयर्ड रोड	25 एम० वी० ए०
(घ) विद्युत भवन	40 एम० वी० ए०
(ङ) एस० पी० मार्ग	25 एम० वी० ए०
(च) तिलक मार्ग	12·5 एम० वी० ए०
(छ) लोदी रोड	40 एम० वी० ए०
(ज) ओल्ड फोर्ट	23 एम० वी० ए०
(झ) आई० पी० स्टेडियम	15 एम० वी० ए०

कुछ एशियायी खेल काम्पलेक्सों में आपातकालीन स्थिति में उपयोग हेतु डीजल उत्पादन सैट भी सहारे के लिए लगाये जा रहे हैं। एशियायी खेलों के दौरान लगातार और विश्वसनीय विद्युत की सप्लाई करने के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं।

विद्युत की मांग सामान्य तौर पर इन्द्रप्रस्थ केन्द्र और बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र से पूरी होगी। इन संसाधनों से कमी होने की स्थिति में केन्द्रीय उत्पादन परियोजनाओं से विद्युत ली जाएगी तथा उत्तर क्षेत्रीय ग्रिड से दिल्ली को लगातार विद्युत की सप्लाई करने के लिये आकस्मिक अवसरों के लिये योजना तैयार की गई है।

इसके अतिरिक्त इन्द्र प्रस्थ और बदरपुर ताप विद्युत केन्द्रों में मशीनों के अनुरक्षण और ओवरहालिंग की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि एशियायी खेलों के दौरान सभी मशीनें उपलब्ध रहें।

आर० एफ० ओ० के मूल्यों में वृद्धि

4816. **श्री नरसिंह मकवाना :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष आर० एफ० ओ० के मूल्यों में कितनी बार वृद्धि हुई और इसके क्या कारण हैं ;

(ख) आर० एफ० ओ० के वर्तमान मूल्य क्या हैं और क्या सरकार का विचार इसके मूल्यों में और वृद्धि करने का हैं ;

(ग) आर० एफ० ओ० के मूल्यों में कमी करने के लिये सरकार को कितनी मांगे प्राप्त हुई और ये मांगे किन लोगों से प्राप्त हुई है ; और

(घ) किन-किन तारीखों को इन मांगों पर विचार किया गया और उन पर निर्णय लिया गया ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) अन्य बातों के साथ-साथ आयोतित अशोधित तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ी हुई कीमत के परिणामस्वरूप तथा देशी अशोधित तेल के मूल्यों में संशोधन के कारण अतिरिक्त लागत के भार को पूरा करने के लिये 1981 में आर० एफ० ओ० (एल० एस० एच० एस०) सहित पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में दो बार वृद्धि की गयी थी।

(ख) आर० एफ० ओ० (एल० एस० एच० एस०) के मूल्य इस बात पर कि इसका किस प्रयोजन के लिये प्रयोग होता है तथा सप्लाई स्रोत पर निर्भर करते हैं। आर० एफ० ओ० (एल० एस० एच०एस०) का प्रति मी० टन मूल मूल्य (अधिमूल्कों को सम्मिलित करके) 1071.07 रुपये से 2424.92 रुपये के बीच है। प्रवरण पावर स्टेशन तथा असम राज्य विद्युत बोर्ड को की गयी एल० एस० एच० एस० की सप्लाई के मामले में वसूल किया जाने वाला मूल्य सम्बद्ध अवार्ड/संविदा की शर्तों के अनुरूप है।

वर्तमान में, आर० एफ० ओ० (एल० एस० एच० एस०) के मूल्यों में और वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, तेल की स्थिति पर प्रभाव डालने वाली बातों पर कड़ी दृष्टि रखी जा रही है।

(ग) और (घ) गुजरात सरकार इस बात पर जोर डाल रही है कि प्रवरण पावर स्टेशन को सप्लाई किये जा रहे एल० एस० एच० एस० के मूल्य निर्धारण के लिये कोयले की तुल्यता को आधार के रूप में स्वीकार किया जाये। गुजरात चैमबर आफ कॉमर्स तथा इंडस्ट्री ने भी हाल ही में एक प्रतिवेदन भेजा है जिसमें प्रार्थना की गयी है कि कोयले की तुल्यता को एल० एस० एच० एस० का मूल्य निर्धारण के लिये आधार बनाया जाये। प्रवरण पावर स्टेशन को सप्लाई किये जा रहे एल० एस० एच० एस० के मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में गुजरात सरकार से बातचीत प्रगति पर है।

खाना बनाने की गैस के प्रयोक्ताओ की सलाहकार समितियां

4817. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ताओं को खाना बनाने की गैस के दोबारा भरने की सप्लाई से सम्बन्धित बड़ी संख्या में शिकायतों को ध्यान में रखते हुये सरकार का विचार क्षेत्र स्तर पर और नए तथा एजेन्सियों के स्तर पर प्रयोक्ताओं की सलाहकार समितियां बनाने का है ;

(ख) क्या सरकार उपभोक्ताओं की सहकारी समितियों के माध्यम से एजेन्सियों के वितरण हेतु नये मार्गदर्शन सिद्धांत तैयार करने की सोच रही है ; और

(ग) हमारे देश में उपभोक्ता सहकारी समितियों के साथ कितनी एजेन्सियां राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) तेल क कुकिंग गैस (एल० पी० जी०) के वितरण के सम्बन्ध में उपभोक्ताओं से शिकायतें प्राप्त लिये अपने विभिन्न प्रभागीय कार्यालयों और प्रतिष्ठानों में उपभोक्ता सेवा कक्षों की स्थ है। इसके अतिरिक्त तेल कम्पनियों को अनुदेश दिये गये हैं वे अपने विभिन्न वितरण प्व और कुछ केन्द्रीय स्थलों पर स्थित फुटकर बिक्री केन्द्रों में उपभोक्ताओं द्वारा दी ज शिकायतें लेने के प्रबन्ध करें। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए एल० पी० जी० उप की क्षेत्र/कस्बा स्तर की परामर्शदात्री समितियों की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

तेल कम्पनियों द्वारा उपभोक्ता सहकारी समितियों की एल० पी० जी० वितर नियुक्ति के राज्य-वार ब्यौरे।

आन्ध्र प्रदेश	—	2
बिहार	—	4
दिल्ली	—	1
गुजरात	—	12
उड़ीसा	—	1
मध्य प्रदेश	—	2
महाराष्ट्र	—	9
पंजाब	—	1
उत्तर प्रदेश	—	9
तमिलनाडु	—	7
राजस्थान	—	3
वेस्ट बंगाल	—	5
	योग	56

तापीय विद्युत संयन्त्रों में क्षमता के उपयोग के लिए
राज्याध्यक्ष समिति द्वारा सुझाये गये मानदण्ड

4818. **प्रो० रूप चन्द पाल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तापीय विद्युत संयन्त्रों में औसतन क्षमता के उपयोग के लिए राज्याध्यक्ष समिति द्वारा क्या मानदण्ड सुझाये गए हैं ;

(ख) कितने विद्युत संयन्त्र उक्त मानदण्डों पर चलते हैं ; और इन संयन्त्रों के नामों सहित उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) अन्य संयन्त्रों द्वारा उक्त मान दण्ड पर न चलने के कारणों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे कारणों का कोई मूल्यांकन किया है; यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस क्षेत्र में कठिनाइयां दूर करने के लिए सरकार ने क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) राज्याध्यक्ष विद्युत समिति ने देश के ताप विद्युत केन्द्रों का औसत संयन्त्र भार अनुपात 58 प्रतिशत होने का सुझाव दिया है ।

(ख) 1981-82 के दौरान जिन यूनिटों/केन्द्रों ने 58 प्रतिशत और इससे अधिक का संयन्त्र भार अनुपात प्राप्त किया है उनके ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं ।

(ग) और (घ) ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन पर कुप्रभाव डालने वाले मुख्य कारण ये हैं :—

(1) आयोजना, संयन्त्र तथा उपस्कार, प्रणाली इन्जीनियरिंग आदि में कमी ।

(2) संयन्त्र अनुरक्षण तथा उपस्करों की जबरन बन्दियों में अनावश्यक अधिक समय लगाना ।

(3) अतिरिक्त पुर्जों की अपर्याप्त उपलब्धता ।

(4) नई चालू की गई यूनिटों के स्थिरीकरण में अपेक्षाकृत अधिक समय लगाना ।

(5) प्रचालन तथा अनुरक्षण के लिए प्रशिक्षित कार्मिकों का न मिल पाना ।

(6) घटिया किस्म के कोयले की सप्लाई होना आदि ।

(ङ) ताप विद्युत केन्द्रों के क्षमता समुपयोजन में सुधार करने के लिए अनेक उपाय किए

गए हैं। इनमें ये शामिल हैं :—

(1) संयन्त्र सुधारात्मक कार्यक्रम बनाने तथा हाथ में लेने के लिए राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत केन्द्रों की सहायता करना।

(2) बन्दी की अवधियों को कम करने के लिए सुधारात्मक अनुरक्षण तकनीकें अपनाना।

(3) स्वदेशी तथा विदेशी स्रोतों से अतिरिक्त पुर्जों का प्रबन्ध करना।

(4) अपेक्षित गुणवत्ता तथा मात्रा में कोयले का प्रबन्ध करना।

(5) 110/120 मेगावाट तथा 200/210 मेगावाट की यूनिटों में शीघ्र स्थिरीकरण तथा अधिक अच्छा कार्यनिष्पादन प्राप्त हो सके इसके लिए विशेषरूप से कृतिमबल का गठन करना।

(6) प्रचालन प्रक्रियाओं की मानीटिरिंग करने के लिए तथा सलाह देने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के प्रचालन विशेषज्ञों के भ्रमणशील दलों के दौरों का प्रबन्ध करना।

(7) विद्युत केन्द्रों के इंजीनियरों तथा प्रचालन और अनुरक्षण कार्मिकों को प्रशिक्षण देना।

विवरण

ऐसे संयन्त्र/केन्द्र जिनके द्वारा 58 प्रतिशत का और इससे अधिक का संयन्त्र भार अनुपात प्राप्त कर लिया गया है।

प्रणाली/राज्य	संयन्त्र/केन्द्र का नाम	क्षमता (मेगावाट)	संयन्त्र भार अनुपात (प्रतिशत)
1	2	3	4
उत्तर प्रदेश	पनकी	29	62
	रेणु सागर 1-3 (निजी)	192.5	95
गुजरात	धुवारन (ता० वि०)	534	71
	उकाई-4	200	62
	साबरती (निजी)	110	67
	गांधी नगर-2	120	70
	उत्राण	61	70

1	2	3	4
मध्य प्रदेश	सतपुड़ा 1-5	312.5	63
	अमर कंटक	60	79
	कोरबा 3-1	120	63
	अमर कंटक विस्तार-2	120	58
महाराष्ट्र	कोराडी 1-5	680	60
	ट्रोम्बे (निजी)	330	77
	नासिक 1-2	280	63
	भुसावल-1	62.5	68
	पारली 1-2	60	81
आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा 1-2	420	73
	रामागुन्डम बी	62.5	61
तमिलनाडु	नेवेली	600	64.5

ईरान और इराक की लड़ाई का तेल की सप्लाई पर प्रभाव

4819. **श्री आर० आर० भोले** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईराक पर ईरान के हमले का प्रभाव भारत को दी जाने वाली तेल की सप्लाई पर पड़ा है, विशेषकर ऐसी स्थिति में जबकि बसरा पर आक्रमण किया गया हो ; और

(ख) क्या पश्चिम एशिया में लम्बे समय से चल रही अस्थिरता के कारण ईराक के साथ लम्बे समय तक के लिए किए गए ठेकों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) ईरान और ईराक से अशोधित तेल सप्लाई अभी तक अनुबंधित स्तरों पर कायम रखी गई है । स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ।

भारतीय तेल कम्पनी गौहाटी द्वारा बहुमूल्य वन उत्पादों की खरीद

4820. **प्रो० अजित कुमार मेहता**
श्री रशीद मशूद
श्री सुभाष यादव } : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22-7-1982 को "पेट्रीयट" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारतीय तेल कम्पनी गौहाटी और निविदाताओं के बीच

बहुमूल्य वन उत्पादों में लाखों रुपये मूल्य का अवैध व्यापार किया गया और मामले को दबाने की चेष्टा की गई ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम , रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) सरकार ने समाचार-पत्र की रिपोर्ट देख ली है । इण्डियन आयल कारपोरेशन ने अभी हाल में दो पार्टियों से अगरवुड खरीदी है । राज्य सरकार के प्राधिकारियों ने आई० ओ० सी० को बताया है कि इस मद पर कुछ रायल्टी और विक्रय-कर शुल्कों का भुगतान किया जाना था । जैसे ही यह बताया गया, राज्य सरकार प्राधिकारियों को समस्त शुल्क, जिसकी 12,290/-रुपये की राशि थी, का भुगतान कर दिया गया था ।

राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड

4821. **श्री जगदीश टाइटलर** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड के अन्तर्गत बिजली के उत्पादन और वितरण के सम्बन्ध में सरकार के सुझाव के बारे में राज्य सरकारों ने सहमति व्यक्ति नहीं की है ;

(ख) क्या यह सच हैं कि ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड बनाने की स्थिति धूमिल होती जा रही है ; और

(ग) सरकार किस प्रकार 1995 तक अथवा इससे पूर्व राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड बना सकेगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ग) कुछ राज्य सरकारें इस सुझाव पर सहमत हो चुकी हैं कि केन्द्र सरकार अति उच्च वोल्टता लाइनों और सम्बद्ध उप केन्द्रों को क्रियान्वित कर सकती है , उनका स्वामित्व ले सकती है और उन्हें प्रचालित कर सकती है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम में रिक्त पद

4822. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम में विभिन्न स्तरों के अधिकारी संवर्ग में कितने पद रिक्त हैं ;

(ख) उपरोक्त भाग (क) उल्लिखित पदों में से विभिन्न स्तरों के कितने पद अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित और रिक्त हैं ;

(ग) अनुसूचित जन जातियों के उन रिक्त पदों को भरने के लिए राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम द्वारा क्या कदम उठाए गए है ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ चुने गए अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थी हैं जो तैनाती की प्रतीक्षा में हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो वे कब से प्रतीक्षा में हैं और इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) 30-6-82 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम में अधिकारियों की श्रेणियों में विभिन्न स्तरों में 450 रिक्तयां हैं।

(ख) 149 पद अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित हैं।

(ग) केवल अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों के लिए अखिल भारत के आधार पर राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा विज्ञापन जारी किए गए हैं ; आकाशवाणी के माध्यम से विशेष प्रसारण का भी प्रबंध किया गया है। व्यापक प्रचार के लिए अनुसूचित जन जाति की विभिन्न ऐसोशिएसनों को विज्ञापन की प्रतियां भेजी गई हैं। लिखित -परीक्षा तथा साक्षात्कार के मूल्यांकन में अनुसूचित जन जाति से सम्बन्धित उम्मीदवारों को छूट दे दी जाती है। आयु, अर्हताओं तथा अनुभव में भी छूट की अनुमति दी जाती है। साक्षात्कार के लिए, बुलाए गए उम्मीदवारों को यात्रा भत्ता दिया जाता है। तथा उन्हें आवेदन पत्र शुल्क से भी छूट दी गई है।

(घ) और (ङ) चयन किया गया कोई भी अनुसूचित जन जाति का उम्मीदवार तैनात किए जाने की प्रतीक्षा नहीं कर रहा है। एक उम्मीदवार जिसने उप प्रबन्ध (ठेका) के पद के लिए आवेदन दिया था और जो इसके लिए उपयुक्त नहीं पाया गया था, अप्रैल, 1981 में आनुषंगिक विकास के क्षेत्र के पैनल में इसका नाम रखा गया था, केवल इसके लिए इन्हें उपयुक्त पाया गया था। चूंकि आनुषंगिक विकास के क्षेत्र में कोई पद खाली नहीं है, इसलिए इनको कोई नियुक्ति पत्र नहीं भेजा गया है।

बैरा सियोल परियोजना द्वारा खरीदे गए मीटर

4823. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैरा सिओल परियोजना ने कितने बिजली के मीटर खरीदे वे किस किस्म के थे और मीटर की कीमत कितनी थी ;

(ख) प्रत्येक मीटर का नम्बर क्या था और उसकी मूल रीडिंग क्या थी ;

(ग) कितने मीटर कहां पर और किस काम के लिए लगाए गए ;

(घ) कितने मीटर उतार लिए गए ;

(ङ) क्या यह सच है कि परियोजना ने उतारे गये मीटरों के रजिस्टर में कोई रिकार्ड नहीं रखा है औरअनेक मीटर अभी भी बिना गिनती के हैं ; और

(च) सार्वजननिक सम्पति के रख-रखाव में इस प्रकार की असावधानी के लिए कौन उत्तरदायी है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

विकलांग व्यक्तियों द्वारा चलाए जाने वाले सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों का खोला जाना

4824. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश भर में विकलांग व्यक्तियों द्वारा सेवित सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने का निर्णय किया है ; और यदि हां, तो देश में, राज्यवार कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोले गये हैं ; और

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान बिहार राज्य में ऐसे कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोले जायेंगे ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां, सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है और समूचे देश में विकलांग व्यक्तियों द्वारा चलाए जा रहे 1628 नए सार्वजनिक टेलीफोन घर (30-6-1982 तक) खोले हैं । राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है और सभा पटल पर रख दी गई है ।

(ख) बिहार राज्य में ऐसे 30 सार्वजनिक टेलीफोन घर खोले जाने हैं जिनमें से 30-6-82 तक 14 सार्वजनिक टेलीफोन घर खोले जा चुके हैं ।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	30.6.82 तक खोले गये सार्वजनिक टेलीफोन घरों की संख्या जिनको विकलांग व्यक्तियों द्वारा चलाया जा रहा है ।
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	348
2.	बिहार	14

1	2	3
3.	गुजरात	141
4.	जम्मू एवं काश्मीर	—
5.	कर्नाटक	46
6.	केरल	99
7.	मध्य प्रदेश	41
8.	महाराष्ट्र	271
9.	उत्तर पूर्वी राज्य (मेघालय, असस मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश नागालैंड, त्रिपुरा)	05
10.	उत्तर पश्चिमी राज्य (हरियाणा, हिमाचल एवं पंजाब)	64
11.	उड़ीसा	11
12.	राजस्थान	29
13.	तमिलनाडु	400
14.	उत्तर प्रदेश	64
15.	पश्चिमी बंगाल	34
16.	चण्डीगढ़ संघ शासित प्रदेश	03
17.	दिल्ली संघ शासित प्रदेश	58
		1, 628

1981-82 में पूरी की गई और निर्माणाधीन कोयला परियोजनायें

4825. **श्री रवीन्द्र वर्मा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1981-82 में कौन-कौन-सी कोयला परियोजनायें पूरी हो गई हैं ;

(ख) कौन-कौन-सी कोयला परियोजनायें इस समय निर्माणाधीन हैं ; और

(ग) उपरोक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में लागत और समय में कितनी वृद्धि हुई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) मूनीडीह वाशरी, कुमारखेला-1, बलारपुर ओपेनकास्ट परियोजना और गोदावरी खानी नं० 9 ए इन्क्लाइन वर्ष 1981-82 के दौरान पूरे हो गए थे।

(ख) और (ग) उन परियोजनाओं का नाम अनुबन्ध-1 में दिया गया है जिसका इस समय कार्यान्वयन हो रहा है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी.-4465/82] परियोजना की स्वीकृति के समय के रुपये के सतत मूल्य पर इन परियोजनाओं की कुल स्वीकृत लागत रु० 2017 करोड़ है। अनुमान है कि परियोजनाओं के पूरा होते समय स्वीकृत लागत से 30 से 70% अधिक होगी।

गुजरात को विद्युत उत्पादन के लिए भट्टी के तेल तथा कोयले की सप्लाई

4826. **श्री मोती भाई आर० चौधरी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले, भट्टी के तेल और गैस की, जिनका उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है, ऊंची लागत को देखते हुए और जिसके कारण गुजरात में विद्युत प्रभार अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है, क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने का है कि गुजरात राज्य के भट्टी का तेल तथा कोयला राज-सहचारित दरों पर सप्लाई किया जाये ;

(ख) क्या यह सुनिश्चित किए जाने का विचार है कि भट्टी के तेल की कीमतें न बढ़ें और ईंधन की सप्लाई उचित दर पर की जाये ताकि विद्युत दरों में वृद्धि न हो ; और

(ग) क्या बिजली के लिए राज सहायता दी जायेगी ताकि उपभोक्ताओं को बिजली की सप्लाई उचित दरों पर की जा सके ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

शिवपुरी और झांसी के बीच यू० एच० एफ० रेडियो रिले प्रणाली

4827. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिवपुरी और झांसी के बीच यू० एच० एफ० रेडियो रिले प्रणाली की व्यवस्था करने की योजना को अंतिम रूप दे दिया गया हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) से (ग) यद्यपि, शिवपुरी और झांसी के बीच 60 चैनल यू० एच० एफ० रेडियो प्रसारण प्रणाली की एक योजना पहले से ही बना ली गई है, जिसकी राष्ट्रीय परिपथ जाल पर एक बृहत् क्षमता की समाक्ष केबिल प्रणाली

के लिये शिवपुरी को भोपाल से जोड़ने के अनुवर्ती प्रस्ताव को मद्देनजर रखते हुए अब पुनः जांच की जा रही है।

मथुरा तेल शोधक कारखाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग के तकनीकी परीक्षक की रिपोर्ट

4828. **श्री दिगम्बर सिंह :** क्या पेट्रोलियम, रसायन, और उर्वरक मन्त्री मथुरा तेल शोधक कारखाने में प्रयोग में लाई जाने वाली सामग्री के बारे में दिनांक 12 अगस्त, 1980 के अता० प्रश्न संख्या 7789 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग के तकनीकी परीक्षक की रिपोर्ट की जांच कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो इससे क्या पता चलता है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) सम्बन्धित दोषी ठेकेदारों और अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) केन्द्रीय सतर्कता आयोग के तकनीकी परीक्षक की रिपोर्ट की सम्बन्धित प्राधिकारियों के परामर्श से जांच की जा रही है।

सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र की व्यवस्था करने के बाद विभागेतर शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ा कर उन्हें विभागेतर उप डाकघर बनाया जाना

4829. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र की व्यवस्था करने के बाद विभागेतर शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें विभागेतर उप डाकघर बना दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा किस तारीख से किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसा कब तक किया जायेगा और इसमें देरी होने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस मामले के सभी पहलुओं की जांच करने के लिये विभाग द्वारा गठित कार्य अध्ययन ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। ग्रुप द्वारा की गई सिफारिशें विचाराधीन हैं।

कार्यभार में ढील देने के बारे में विचार करने के लिए नियुक्त की गई अधिकारियों की समिति

4830. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या विभागेतर शाखा/डाकघरों विभागेतर उप-डाकघरों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें विभागीय उप-डाकघर बनाने के लिये उनके 5 घंटे के कार्यभार की शर्त में ढील देने के बारे में विचार करने के लिये नियुक्त की गई अधिकारियों की समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के निष्कर्ष क्या हैं तथा उस पर क्या सिफारिशें की गई हैं ;

(ग) इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये ; और

(घ) यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं ; और उन्हें कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) सार्वजनिक टेलीफोनघर की सुविधा वाले विभागेतर शाखा डाक घरों का दर्जा बढ़ाकर विभागेतर उप डाक घर करने की नीति की जांच करने के लिये विभाग द्वारा एक अध्ययन ग्रुप का गठन किया गया था । बाद में अध्ययन ग्रुप को विभागेतर डाक घरों का विभागीय उप डाक घर बनाने के मौजूदा मानदण्डों की जांच करने के लिये भी कहा गया था । अध्ययन ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ।

(ख) अध्ययन ग्रुप का विचार है कि विभागेतर डाक घर का दर्जा बढ़ाकर विभागीय डाक घर बनाने के उद्देश्य से मौजूदा निर्धारित कार्य भार को कम करना व्यवहार्य नहीं है । तथापि उन्होंने सिफारिश की है कि ऐसे दर्जा बढ़ाने पर होने वाली क्षति की निर्धारित सीमा पिछड़े/जन जातीय क्षेत्रों के मामले में बढ़ाई जा सकती है ।

(ग) और (घ) अध्ययन ग्रुप द्वारा जांच किये गये इस मुद्दे तथा अन्य मुद्दों पर दी गयी विभिन्न सिफारिशों पर वित्त मंत्रालय (कर्मचारी निरीक्षण यूनिट) के साथ परामर्श कर विचार किया जा रहा है ।

अंकीय इलैक्ट्रानिक स्विच उपकरण कारखाने की स्थापना

4831. **श्री अजित कुमार साहा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेलीफोन एक्सचेंज के लिए अंकीय इलैक्ट्रोनिक स्विच उपकरण कारखाने की स्थापना के लिये स्थल चुनाव समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति ने क्या-क्या सिफारिशें की हैं ;

(ग) क्या सरकार ने कोई निर्णय ले लिया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसमें असाधारण देरी के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां ।

(ख) स्थान चयन समिति की रिपोर्ट गोपनीय है और इस समय सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) अंतिम निर्णय लेने से पहले इस मामले के सभी पहलुओं की गहराई से जांच करने की आवश्यकता है ।

मथुरा में नैफ्था पर आधारित उर्वरक एकक की स्थापना

4832. **श्री दिगम्बर सिंह**
श्री गुलाम मोहम्मद खां } : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या मथुरा तेलशोधक कारखाने से प्रतिवर्ष तीन से चार लाख टन तक नैफ्था उपलब्ध होगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस नैफ्था का उपयोग करने के लिए उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में, जो कि औद्योगिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा हुआ है, किसी स्थान पर एक उर्वरक एकक की स्थापना पर विचार करने का है ; और

(ग) क्या उस स्थिति में नैफ्था उठाना लाभकर होगा यदि लगभग 2000 टन की प्रतिदिन की क्षमता वाली उर्वरक एकक मथुरा तेलशोधक कारखाने के आस-पास ही स्थापित किया जाये ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) मथुरा शोधनशाला द्वारा मोटर स्पिरिट के 3.5 लाख मी० टन प्रति वर्ष के उत्पादन स्तर पर लगभग 8 लाख मी० टन प्रति वर्ष नैफ्था उत्पादित करने की परिकल्पना है । तथापि, नैफ्था का वास्तविक उत्पादन परिवर्तनशील होगा तथा वास्तविक क्रूड मिश्रण तथा मोटर स्पिरिट के उत्पादन स्तर पर निर्भर करेगा । उत्तर प्रदेश में गैस पर आधारित प्रस्तावित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना किये जाने पर, उत्तर प्रदेश में मथुरा शोधनशाला से नैफ्था पर आधारित अतिरिक्त उर्वरक संयंत्र की स्थापना नहीं की जायेगी ।

सरकारी कर्मचारी बनने पर प्रोड्यूसरों की वरिष्ठता

4833. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ट्रांसमिशन एक्जीक्यूटिवों को प्रोग्राम एक्जीक्यूटिवों के रूप में

पदोन्नत करने के लिये 1973-74 में भर्ती नियमों में परिवर्तन किया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 1973-74 में 150 से अधिक व्यक्ति प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव के पद पर पदोन्नत किये गये थे ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उनमें से कुछ को 1981 में सहायक केन्द्र निदेशकों के रूप में पदोन्नत किया गया था ;

(घ) क्या यह भी सच है कि अब प्रोड्यूसरों से सरकारी कर्मचारी बनने के लिए कहा गया है और इनमें से अधिकांश प्रोड्यूसर 10 वर्षों से अधिक समय से प्रोड्यूसरों के रूप में कार्य कर रहे हैं ; और

(ङ) यदि वे सरकारी कर्मचारी बन जाते हैं तो क्या वे उन व्यक्तियों से वरिष्ठ हो जायेंगे जिन्हें 1974 में प्रोग्राम एक्जीक्यूटिवों के रूप में पदोन्नत किया गया था और अब सहायक केन्द्र निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ग) जी, हाँ ।

(ख) लगभग इतनी संख्या में स्थानापन्न कार्यक्रम एक्जीक्यूटिवों की भर्ती नियमों के अनुसार नियमित किया गया है ।

(घ) स्टाफ आर्टिस्टों को नियमित सरकारी कर्मचारियों में परिवर्तित करने के सरकार के निर्णय के अनुसरण में, सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के समान कार्य करने वाले स्टाफ आर्टिस्टों के संवर्ग की अन्य श्रेणियों के समान प्रोड्यूसरों से सरकारी कर्मचारी बनने के लिए अपना विकल्प देने के लिए कहा गया है । प्रोड्यूसरों की श्रेणी में, विभिन्न ग्रेडों में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या 159 है और इनमें से उनकी संख्या 41 है जिन्होंने 10 वर्ष से भी अधिक सेवा पूरी कर ली है ।

(ङ) इस प्रकार के मामलों में, विलय केवल समकक्ष ग्रेडों में ही हो सकता है और वरीयता इस प्रकार के ग्रेडों में वरीयता की तुलना में हो सकती है ।

अमझोर में पाइरीटा की खानें

4834. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के रोहतास जिले के अमझोर में पाइरीटा (सल्फर) की कोई खान है :

(ख) यदि हां, तो वहां वर्ष 1978-79, 1979-80, 1980-81 और 1981-82 का उत्पादन संबंधी पृथक्-पृथक् ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि पी० पी० सी० लिमिटेड़ घाटे में चल रही है ;

(घ) यदि हां, तो पिछले चार वर्ष के घाटे का ब्यौरा क्या है ;

(ङ) घाटे के क्या कारण हैं ; और

(च) घाटा न होने देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) रात चार वर्षों के दौरान अमझोर में एसिड ग्रेड पाइराइट्स और कृषि ग्रेड पाइराइट्स सहित पाइराइट्स का उत्पादन नीचे दिया गया है :—

वर्ष	एसिड ग्रेड पाइराट्स	कृषि ग्रेड पाइराइट्स
1978-79	55,449	53,471
1979-80	54,335	26,153
1980-81	43,410	28,403
1981-82	33,113	52,326

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

उर्वरक संयंत्रों की क्षमता का उपयोग किया जाना

4835. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 30 जून, 1982 तक गत वर्ष की समान अवधि की तुलना में "आप्रेशनल" उर्वरक संयंत्रों की कितनी क्षमता का उपयोग किया गया ;

(ख) भरपूर क्षमता का उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं तथा उससे अनुमानत: कितनी हानि हुई ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) अप्रैल-जून, 1982 और अप्रैल-जून, 1981 की अवधि के दौरान उर्वरक संयंत्रों की 'क्षमता उपयोगिता' दर्शाने वाला विवरण सदन पटल पर प्रस्तुत है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-4466/82]

(ख) अप्रैल-जून, 1982 की अवधि के दौरान उत्पादन यथानुपात क्षमता से 52,000 टन नाइट्रोजन तथा 91,000 टन पी० ओ० 5 का उत्पादन कम रहा। यह स्पष्ट

किया जाता है अधिकांश सयत्र इस अवधि के दौरान वार्षिक मरम्मत के लिए अपने संयंत्र को बन्द रखते हैं।

उर्वरकों के उत्पादन में कमी मुख्यत: उपस्कर की समस्याओं, बिजली की समस्याओं के कारण हुई।

(ग) उर्वरक संयत्रों के उत्पादन निष्पादन में सुधार लाने की दृष्टि से उपस्करों के संशोधन/प्रतिस्थापन, अस्थिर बिजली की आपूर्ति से प्रभावित होने वाले संयंत्रों में केपटिव पावर जेनरेशन सुविधाओं के स्थापन आदि जैसे विभिन्न उपचारी उपाय किये जा रहे हैं।

आकाशवाणी में नैमित्तिक एनाउंसर

4836. **श्री रामायण राय** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी में नैमित्तिक एनाउन्सर के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति रखे जाते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बहुत से जनरल एसिस्टेंट और प्रोडक्शन एसिस्टेंट हैं जो मिलान कार्य कर रहे हैं और उनकी आवाज बहुत अच्छी है ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे क्या कारण हैं जिससे इन्हें अपनी ड्यूटी के अतिरिक्त एनाउंसर के रूप में कार्य करने का अवसर नहीं दिया गया है ;

(घ) क्या यह सच है कि स्टाफ आर्टिस्ट कई वर्षों से एक ही पद पर कार्य कर रहे हैं और उन्हें आकाशवाणी में कोई प्रोत्साहन नही दिया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का विचार जनरल एसिस्टेंटों और प्रोडक्शन एसिस्टेंटों को प्राथमिकता देने और उन्हें ध्वनि परीक्षा के बाद एनाउंसर के रूप में कार्य करने के लिए अवसर देने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। इनको डेस्क कार्यों के लिए भर्ती किया गया है और इनको केवल इसी प्रकार के कार्य ही सौंपे जाते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जैसा कि विभिन्न श्रेणियों के भर्ती नियमों में प्रावधान है, अनुबन्धित स्टाफ आर्टिस्टों के लिए पदोन्नति के अवसर उपलब्ध हैं। इसके अलावा जनरल एसिस्टेंटों और प्रोडक्शन एसिस्टेंटों को एक ऐसी श्रेणी के रूप में माना गया है जो सरकारी कर्मचारी होंगे और उन्हें पेंशन दी जाएगी। इसलिए उनके लिए पदोन्नति के अवसर और भी बढ़ने की उम्मीद हैं

(ङ) जी, नहीं। अब भी जनरल एसिस्टेंट और प्रोडक्शन एसिस्टेंट शैक्षणिक अर्हताओं आदि के अनुसार पात्र होने पर सीधे भर्ती के कोटे के अन्तर्गत उद्घोषक के पदों के लिए प्रतियोगिता कर सकते हैं।

लघु दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना

4837. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या सचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सीमा क्षेत्रों में स्थित विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों में लघु दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किन-किन केन्द्रों के बारे में विचार किया जा रहा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करने की विशेष योजना में अल्प शक्ति वाले रिले ट्रांसमीटरों का उपयोग करने की व्यवस्था है।

पोर्ट ब्लेयर में पेट्रोल और डीजल का मूल्य

4838. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में पोर्ट ब्लेयर, रंगट माया बुंदर, दिगलीपुर, कार निकोबार में पेट्रोल और डीजल का प्रति लीटर मूल्य क्या है ; और

(ख) क्या सरकार की एक समान दर पर, जो पूरे देश में प्रचलित है, इन आवश्यक वस्तुओं को वेचने की कोई योजना है ; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

पोर्ट ब्लेयर के लिए "एस० टी० डी०" सुविधायें

4839. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में दिगलीपुर मायाबुंदर, रंगट और कैंपबेल बेय के लिये हमारे अपने उपग्रह के जरिए उपग्रह संचार की सुविधाएं देने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; यदि हां, तो सरकार का विचार इस बारे में क्या कार्यवाही करने का है ; और

(ख) क्या सरकार पोर्ट ब्लेयर के लिये एस० टी० डी० सुविधाएं देने पर विचार कर रही है और इसे कब तक कार्यान्वित किया जायेगा और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां, कम परियात वाले ऐसे दूर दराज के क्षेत्रों में इनसेट के साथ कार्य करने वाले अत्यन्त छोटे भू-केन्द्रों के उपयोग का अध्ययन किया जा रहा है।

(ख) जी हां। सरकार इनसेट चैनलों का उपयोग करते हुग पोर्ट ब्लेयर को एस०टी० डी० सुविधाएं देने पर विचार कर रही है।

इस उद्देश्य हेतु पोर्ट ब्लेयर को कलकत्ता टी० डी० एक्स० से जोड़े जाने की सम्भावना है और इस स्कीम को चालू योजना के दौरान लागू किए जाने की सम्भावना है।

तमिलनाडु में नई तार प्रणाली

4840. **श्री चिन्तामणी जैना**
श्री अनन्त रामुलु मल्लु } : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में तार शीघ्र प्रेषण के लिये ताथल में नई तार प्रणाली शुरू की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले ;

(ग) क्या यह प्रणाली देश के अन्य भागों में भी शुरू किए जाने की संभावना है ; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी-हां।

(ख) भंडार एवं अग्रेषण प्रणाली के जुड़े तार सीधे ही माइक्रो प्रोसेसर (सूक्ष्म संसाधक) मेमोरी में कार्य करते हैं जो कि उसकी वरीयता के अनुसार प्रत्येक सन्देश का, विश्लेषण करता है तथा उसे पुनप्रेषित करता है। सन्देश कुछ ही मिनटों में गन्तव्य स्थान पर पूर्णतः पुनर्विरचित सन्देशों के साथ मुद्रित होता है। बाधा के समय प्रणाली सन्देश को भंडार कर लेती है तथा बाधा दूर हो जाने पर उसे तत्काल अग्रेषित कर देती है। मौजूदा प्रणाली का डिजाइन इस प्रकार तैयार किया गया है कि अन्य प्रणालियों से अन्तकार्य करने की सुविधा सहित 14 स्टेशन जोड़े जा सकें। यह प्रयोगिक आधार पर पहले ही हैदराबाद में द्वितीय प्रणाली से जुड़ा है। प्राप्त परिणाम बड़े ही उत्साह वर्द्धक हैं। असाधारण पारगमन विलंबों में भारी कमी आई है।

(ग) देश के अन्य भागों में भंडार एवं पारेषण प्रणाली के विस्तार का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(घ) समय लक्ष्य अभी निर्धारित किए जाने हैं।

कोयले पर आधारित उर्वरक का नया संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव

4841. **श्री नवीन रवाणी :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) उक्त संयंत्र किस शहर में लगाया जाएगा और इसके कब तक चालू होने की संभावना है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) रामागुण्डम और तालचर में कोयले पर आधारित दो उर्वरक संयंत्र हैं। कोरबा में कोयले पर आधारित तीसरे उर्वरक संयंत्र पर, जिस पर कार्य बन्द कर दिया गया है, कोयले पर आधारित प्रथम दो संयंत्रों के संचालन से पर्याप्त अनुभव प्राप्त दो जाने के पश्चात ही पुन: कार्य प्रारम्भ किया जाएगा। देश में कोयले पर आधारित कोई अन्य संयंत्र स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

छठी पंचवर्षीय योजना में आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना

4842. **श्री नवीन रवाणी :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ आकाशवाणी केन्द्रों के विस्तार या कुछ केन्द्र स्थापित करने के प्रश्नों पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में अद्यतन प्रगति कितनी हुई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4467/82]

"ए टाइस टु राइज" शीर्षक फिल्म

4843. **श्री नीरेन घोष :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि सेंसर बोर्ड की परीक्षण और पुनरीक्षा समिति द्वारा फिल्म "ए टाइम टु राइज" के लिए प्रमाण पत्र देना रोक दिये जाने के विरुद्ध फिल्म उद्योग के 13 सुप्रसिद्ध व्यक्तियों ने रोष प्रकट किया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रमाण पत्र को रोक रखने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) श्री आनन्द पटवर्धन द्वारा निर्मित "उत्थान दा बेला : ए टाइम टू राइज" नामक फिल्म में कनाडा में कृषि मजदूरों के किसानों और ठेकेदारों के विरुद्ध संघर्ष का चित्रण किया गया है। सेंसर बोर्ड की पुनरीक्षण समिति की यह राय है कि इस फिल्म को विदेश मन्त्रालय को उनकी विशेषज्ञ सलाह के लिए दिखाया जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिये श्री पटवर्धन से इस फिल्म की प्रिन्ट नई दिल्ली में अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए सैंसर प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका।

संसद सदस्यों के माध्यम से गैस-कनेक्शन हेतु आवेदन

4844. श्री दयाराम शाक्य : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मन्त्रालय को कुछ संसद सदस्यों के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर गैस कनेक्शन हेतु कुछ आवेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस समय इस प्रकार के आवेदनों की संख्या कितनी है ;

(ग) कब तक इन आवेदनों पर विचार किये जाने और इन्हें निपटा दिए जाने की आशा है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) इस वर्ष के दौरान अब तक मन्त्रालय में इस प्रकार के कुल 6420 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से 4520 आवेदनों पर कार्रवाई की जा चुकी है। शेष आवेदनों का उनके गुणों के आधार पर शीघ्र निपटान किया जायेगा।

डोल्स बंधु उदवंशु संगम समिति, रानाघाट, कूपर कैम्प का अभ्यावेदन

4845. श्री मनोरंजन भक्त : क्या पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को डोल्स बन्धु उदवंशु संगम समिति रानाघाट, कूपर कैम्प का तथा उसके पश्चात उसी विषय पर संसद सदस्य का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो प्रमुख मांगें क्या हैं, और यह अभ्यावेदन किस तारीख को प्राप्त हुआ है;

(ग) सरकार ने भूतपूर्व कैम्प परिवारों के पुनर्वास के लिये क्या कदम उठाये हैं ;

(घ) क्या सरकार का निर्णय लागू कर दिया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो आदेश कब दिया गया था और इसे अब तक लागू न करने के क्या कारण हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है ।

(ग) कूपर्स शिविर स्थल पर 1068 विस्थापित व्यक्ति परिवार थे । 471 परिवारों को छोड़कर शेष परिवार बसा दिये गये हैं । शेष 471 परिवारों में से 100 परिवार वृद्ध और अशक्त हैं और पश्चिमी बंगाल सरकार से, उनके द्वारा चलाए जा रहे और प्रबन्ध किये जा रहे स्थायी दायित्व गृहों में से किसी एक में इन परिवारों को प्रवेश देने के लिए अनुरोध किया गया है । 371 परिवारों के पुनर्वास के बारे में, भवन-निर्माण ऋण की सीमा को प्रति परिवार 2,000/-रु० से बढ़ाकर 4,500/-रु० कर दिया गया है ।

(घ) यह निर्णय पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जाना है ।

(ङ) 25-5-82 को राज्य सरकार को आदेश जारी किए गए थे । राज्य सरकार द्वारा अभी तक अनुवर्ती कार्यवाही की रिपोर्ट नहीं भेजी गई है ।

विवरण

आरम्भ में डोल्ड बन्धु उद्वशु संगम समिति, कूपर्स शिविर, रानाघाट, जिला नाडिया, पश्चिमीबंगाल की निम्न दो दो मांगें थी :—

(1) उन परिवारों को नकद बेकारी अनुदान का फिर से चालू किया जाना जिनका नकद बेकारी अनुदान बन्द कर दिया गया था ।

(2) इन परिवारों को निम्न ऋण दिए जाएं—

(क) प्रति परिवार 2,000 रु० भवन निर्माण ऋण ।

(ख) प्रति परिवार 5,000 रु० लघु व्यवसाय ऋण ।

2. बाद में श्रीमती राजिन्द्र कुमारी वाजपेयी और अन्य तीन संसद सदस्यों ने 31 अगस्त, 1981 के अपने पत्र द्वारा निम्न मांगों सहित इन परिवारों के मामले उठाए थे—

(1) चूंकि भवन निर्माण सामग्री की लागत में वृद्धि हो गई है, आवासीय ऋण की 2,000 रु० की राशि में अनुपातिक वृद्धि की जानी चाहिए अथवा मानक मकानों का निर्माण करा कर इन्हें सौंप दिया जाना चाहिए ।

(2) समीक्षा समिति की सिफारिश के अनुसार औद्योगिक काम्पलैक्स उपलब्ध कराये जाएं ताकि इन व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सके अथवा इन्हें प्रति परिवार 10,000 रु० का व्यावसायिक ऋण दिया जाए, ताकि वे लघु व्यापार आदि में स्वयं आजीविका के साधन जुटा सकें।

(3) 471 परिवारों में से 100 परिवार वृद्ध, अशक्त और अवयस्क है। उनके भरण-पोषण के लिए उन्हें स्थायी दायित्व शिविर में भेज दिया जाए।

3. इन परिवारों के पुनर्वास के लिए अभी हाल में भी मनोरंजन भक्त, संसद सदस्य ने अपने दिनांक 16 जून, 1982 के पत्र में निम्न प्रस्ताव भेजे हैं—

(क) निर्माण की लागत के पहलू पर विचार करते हुए, राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, इन सभी प्रवासी परिवारों को 9,700 रुपये का गृह निर्माण ऋण दिया जाय अथवा मकान सरकार द्वारा बनाए जाएं।

(ख) ऐसे परिवारों को 10,000 रुपये का व्यापार ऋण दिया जाए ताकि उनका आर्थिक दृष्टि से पुनर्वास हो सके।

(ग) उस स्थान में पुनर्वास उद्योग निगम की फैक्टरी इस प्रयोजन के लिए संगठित की गई सहकारिता को पट्टे पर सौंप दी जाए जिससे उन्हे रोजगार के असवर उपलब्ध होंगे।

आदिवासी लोगों हेतु आरक्षित रसोई-गैस को डीलरशिप के लिए मार्गदर्शी नियमों में परिवर्तन

4846. **श्री भीखाभाई** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें आदिवासी लोगों हेतु आरक्षित रसोई-गैस को डीलरशिप की सूचना जारी करने सम्बन्धी मार्ग दर्शी नियमों में परिवर्तन करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसे आदिवासी, जिनका सम्बन्ध विभिन्न जातियों और धर्मों से है, उन कानूनों से नियन्त्रित नहीं होते, जो सामान्य श्रेणी तया अनुसूचित जातियों पर लागू होते हैं ; और

(ग) क्या उनके मन्त्रालय ने समाचार पत्र में डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के विज्ञापन देने से पहले विधि मन्त्रालय से परामर्श किया था ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न इस तथ्य पर आधारित प्रतीत होता है कि आम श्रेणी और अनुसूचित जाति श्रेणी को लागू कानून और पद्धति अनुसूचित जनजातियों के लिए भी लागू होने चाहिएं। यदि ऐसा है तो इसकी पुष्टि की जाती है।

(ग) जी नहीं।

भारतीय तेल भवन के विपणन विभाग के नैमित्तक कर्मचारियों को स्थाई किया जाना

48 7. **श्री चन्द्रपाल सैलानी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल भवन, नई दिल्ली स्थित भारतीय तेल निगम (विपणन विभाग) में कार्य कर रहे कर्मचारियों को नियमित करने के लिए जून, 1981 में एक साक्षातकार आयोजित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने कर्मचारियों को नियमित किया गया और उन्हें कब नियमित किया गया है ;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बद्ध कर्मचारियों को भी नियमित किया गया है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या यह भी सच है कि गैर अनुसूचित जाति के नैमित्तिक कर्मचारियों को चपरासी, खलासी और सिलेंडर दोबारा भरने में सहायक के पदों पर स्थाई किया गया है ;

(च) यदि हां, तो किन कारणों से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के नैमित्तिक कर्मचारियों को उपरोक्त पदों पर नियमित नहीं किया गया ; और

(छ) क्या उनकी तुलना में और इससे प्रभावित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को बिना किसी और विलम्ब के नियमित किया जाएगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां।

(ख) 1981 में 8 तथा 1982 की प्रथम छमाही के दौरान 40।

(ग) जी, हां।

(घ) उपरोक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) गैर-अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जाति दोनों से सम्बन्धित कुछ आकस्मिक श्रमिकों को चपरासी खलासी तथा रिफ्यूलिंग सहायक के पदों पर नियमित किया गया था।

(च) उपरोक्त (ङ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(छ) जो बाकी बचे हैं उन्हें जब भी पद रिक्त होंगे रोस्टर में आरक्षित प्वाइन्टों के अनुसार तथा पैनल में मैरिट क्रम के अनुसार नियमित किया जायेगा।

इंडियन आयल कारपोरेशन (एम. डी.) उत्तरी क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति

4848. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन आयल कारपोरेशन (एम०डी०) क्षेत्र में 1981 में टाइपिस्ट/क्लर्क ग्रेड में कुछ पदोन्नतियां की गई थीं ;

(ख) उनमें से किन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय से सम्बन्धित हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि क्षेत्रीय कार्यालय, इण्डियन आयल भवन में कार्य कर रहे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सभी कर्मचारियों को पदोन्नति पर दिल्ली से बाहर नियुक्त किया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो किन कारणों से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को दिल्ली से बाहर नियुक्त किया गया था और गैर-अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों का पदोन्नति कर दिल्ली में ही रखा गया ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां।

(ख) 14

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिमी बंगाल के निर्वाचन में मतपत्रों की चोरी

4849. **श्री बी० बी० देसाई**
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर } : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1982 के दौरान बंगाल प्रेस से मतपत्र चुराये गये थे और पश्चिमी बंगाल के मुख्य निर्वाचन आफिसर ने जांच के आदेश दिये थे ;

(ख) यदि हां, तो कितने मतपत्र चुराये गये थे ; और जांच का क्या परिणाम निकला ;

(ग) क्या सरकार को पश्चिमी बंगाल में हाल के निर्वाचन के दौरान बड़े पैमाने पर हुई हेराफेरी की कोई शिकायत प्राप्त हुई ; और

(घ) उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) निर्वाचन आयोग ने बताया है कि मतदान की तारीख से पूर्व इस आशय की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि निर्वाचनों में उपयोग किए जाने के लिए बड़ी संख्या में मतपत्र चोरी से बाहर ले जाये गये थे। इस सम्बन्ध में तारीख 17 मई, 1982 के आनन्द बाजार पत्रिका में एक समाचार भी प्रकाशित हुआ था। 188-बालागढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के एक मतपत्र का जिसका क्रमांक 166561 था, नमूना भी उक्त समाचारपत्र में प्रकाशित हुआ था। पश्चिमी बंगाल मुख्य निर्वाचन आफिसर ने आरम्भिक जांच करके आयोग को सूचित किया था कि वे दो मतपत्र जिनके भा. ज. पा. कार्यकर्त्ताओं के कब्जे में होने के बारे में दावा किया गया है, वास्तव में सरकारी मुद्रणालय से प्राप्त मतपत्रों के बंडलों में उपलब्ध हैं। उसके पश्चात् मुख्य निर्वाचन आफिसर ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की जिसमें केवल असली मतपत्रों का प्रयोग किये जाने को सुनिश्चित करने की दृष्टि से मतपत्रों के मुद्रण और मतदान में उनके प्रयोग में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को स्पष्ट किया था। उन्होंने यह मामला पश्चिमी बंगाल सरकार के गृह सचिव और वाणिज्य और उद्योग विभाग के सचिव की जांच करके यह सुनिश्चित करने के लिए भी भेजा था कि क्या कोई मतपत्र अनाधिकृत रूप से मुद्रणालय से बाहर ले जाया गया था। इस सम्बन्ध में उनकी और आगे रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) और (घ) पश्चिमी बंगाल में निर्वाचनों में धांधली के बारे में शिकायतें निर्वाचन आयोग को प्राप्त हुई थीं। उनमें से कुछ शिकायतें सामान्य प्रकृति की थीं और कुछ अन्य विनिर्दिष्ट प्रकृति की थीं। विनिर्दिष्ट शिकायतें राज्य सरकार को, उनके सम्बन्ध में पूरी जांच करने के लिए भेज दी गई थीं।

उत्तर प्रदेश से फालतू बिजली का अन्य राज्यों में भेजा जाना

4850. **श्री बी वी० देसाई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को ऐसे कथित संकेत भेजे हैं जिनमें वहां की फालतू बिजली को पड़ोसी राज्यों को भेजने के शीघ्र उपाय करने का आग्रह किया गया है ;

(ख) क्या राज्य ने यह भी सुझाव दिया कि सिंगरौली में स्थित सुपर ताप संयंत्र को बन्द

कर दिया जाए ताकि यह अपनी ही क्षमता से बिजली का उत्पादन कर सके तथा इस प्रकार हानि को कम-से-कम किया जा सके ;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को चालीस पैसे प्रति यूनिट की दर से प्रतिदिन 4.8 करोड़ रुपए की हानि हो रही है ;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य से राजस्थान को बिजली देने का अनुरोध किया है ;

(ड.) क्या यह भी सच है कि पंजाब और हरियाणा ने उत्तर प्रदेश से बिजली लेने को मना कर दिया है ; और

(च) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार क्या उपाय करने के बारे में विचार कर रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) यह एक अस्थायी घटना थी। 14 जून से 20 जून, 1982 तक गैर मौसमी वर्षा होने के कारण सारे उत्तरी क्षेत्र में विद्युत उपलब्धता आवश्यकता से अधिक थी।

(ख) 14 जून से 20 जून, 1982 तक की अवधि के दौरान उत्तरी क्षेत्र में मांग कम होने के कारण सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र को कुछ समय के लिए उत्पादन को कम करना पड़ा था।

(ग) जी, नहीं। 14 जून से 20 जून, 1982 तक की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश की अधिशेष विद्युत अन्य राज्यों को दी गयी थी।

(घ) 14 जून से 20 जून, 1982 तक की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य ने राजस्थान को विद्युत सप्लाई की थी परन्तु पारेषण प्रणाली में बाधाएं आने और कम वोल्टता कठिनाई के कारण राजस्थान को अधिक मात्रा में विद्युत सप्लाई नहीं की जा सकी थी।

(ड.) 14 जून से 20 जून, 82 तक समग्र उत्तरी क्षेत्र में विद्युत अधिशेष होने के कारण पंजाब और हरियाणा के लिए उत्तर प्रदेश की अधिशेष विद्युत को लेना संभव नहीं था।

(च) ऐसी कभी-कभी और अस्थाई घटना की अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र में विद्युत की मांग में बहुत अधिक कमी के कारण अधिशेष विद्युत उपलब्ध हो जाती है। मितव्ययता पूर्ण स्तर तक ताप विद्युत उत्पादन को कम करके जल विद्युत केन्द्रों में कमी को निम्नतम करने के लिए प्रयास किए गए। शून्य लागत वाली जल विद्युत ऊर्जा की खपत के लिए तथा ताप विद्युत केन्द्रों

पर कोयले के संरक्षण के लिए प्रोत्साहन देने के लिए कार्य प्रणालियां तैयार करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

विट्ठलभाई पटेल हाउस के बिजली के मासिक बिल

4851. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विट्ठलभाई पटेल हाउस के कमरों के बिजली के बिल प्रति मास भेजने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उत्राण, गुजरात में पुराने तथा छोटे युनिटों के स्थान पर 120 मेगावाट युनिट लगाना

4852. **श्री आर०पा० गायकवाड़** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात बिजली बोर्ड ने उत्राण में पुराने तथा छोटे यूनिटों के स्थान पर 120 मेगावाट के यूनिट लगाने की एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसकी लागत अनुमानत: 76.80 करोड़ रुपये है ;

(ख) परियोजना रिपोर्ट कब तक विचाराधीन पड़ी रहेगी ; और

(ग) इस परियोजना को स्वीकृति प्रदान न करने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) उत्राण में 1 × 120 मेगावाट के विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए और पुराने तथा इसी तहर के यूनिटों की प्रति-स्थापना के लिए एक स्कीम तकनीकी-आर्थिक मुल्यांकन के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास है और राख निपटान, राख निपटान के लिए भूमि की उपलब्धता आदि की व्यवस्था करने के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण राज्य बिजली बोर्ड द्वारा अभी दिए जाने हैं। राज्य बिजली बोर्ड द्वारा आवश्यक सूचना देने के बाद ही तकनीकी -आर्थिक स्वीकृति के लिए उक्त प्रस्ताव का मूल्यांकन किया जा सकता है।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स का कार्यकरण

4853. **श्री सुभाष यादव** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की स्थापना के पश्चात् इसके कार्यकरणी की जांच की है ; यदि हां, तो क्या कोई अनियमितताएं पाई गई हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार कोल इण्डिया लिमिटेड की सहायक कम्पनी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के विरुद्ध गंभीर आरोपों की जांच के लिए संसद सदस्यों की एक समिति बनाने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ग) जी, नहीं । परन्तु कम्पनी के खातों की परीक्षा के लिए कम्पनी निधि बोर्ड हर वर्ष सांविधिक लेखा-परीक्षक नियुक्त करता है । फिलहाल, ऐसी कोई समिति गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

ताप तथा पनबिजली संयंत्रों का क्षमता उपयोग

4854 **श्री अटल बिहारी वाजपेयी**
श्री सूरज भान } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जो ताप पनबिजली और डीजल बिजलीघर पूर्णरूप से या आंशिक रूप से सरकार के नियंत्रण में हैं उनका 1981-82 में क्षमता उपयोग कितना है ; और

(ख) देश में जो बिजली घर गैर-सरकारी हैं उनके नाम तथा उनका उक्त अवधि में क्षमता उपयोग कितना है ; और

(ग) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र का तुलनात्मक कार्य निष्पादन क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) 1981-82 में ताप विद्युत तथा जल विद्युत केन्द्रों के क्षमता समुपयोजन को दिखाने वाला विवरण संलग्न है, उपबंध-1 । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या-एल० टी०-4468/82]

ताप विद्युत तथा न्युक्लीय विद्युत केन्द्रों की क्षमता समुपयोजन कई बातों पर निर्भर करता है यथा, मांग का स्वरूप, जल विद्युत केन्द्रों से व्यस्ततम समय में उपलब्ध सहायता, ईंधन की गुणवत्ता तथा उपस्कर की अवस्था, प्रचालन तथा अनुरक्षण आदि की गुणवत्ता । जल विद्युत केन्द्रों का डिजाइन प्रायः व्यस्तमकालीन सहायता उपलब्ध कराने के लिए बनाया जाता है तथा उत्पादन का स्वरूप ऋतुओं के साथ-साथ भिन्न-भिन्न होता है । इसलिए जल विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन नापने के लिए क्षमता समुपयोजन एक अच्छा मान दण्ड नहीं है ।

(ख) 1981-82 के दौरान निजी स्वामित्व वाले विद्युत संयंत्रों के क्षमता समुपयोजन सम्बन्धी विस्तृत ब्यौरे भी संलग्न विवरण के उपबंध-2 में दिये गये हैं । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-4868/82]

(ग) वर्ष 1981-82 के दौरान ताप विद्युत केन्द्रों का औसत संयंत्र भार अनुपात

47 प्रतिशत था। निजी क्षेत्र के रेणुसागर ताप विद्युत केन्द्र का उच्च कार्य निष्पादन मुख्यत: यूनिट में अतिरिक्त बायलर उपलब्ध होने के कारण था। ट्राम्बे विद्युत केन्द्र के मामले में अच्छे कार्य निष्पादन का मुख्य कारण केन्द्र का मुख्य आयल फायरिंग आधार पर प्रचालन किया जाना है।

हिन्दुस्तान ऐंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी की संस्थापित क्षमता का उपयोग

4855. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी**
श्री सूरज भान } : **क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी की क्षमता के कम उपयोग तथा कोटि नियंत्रण के अभाव में इसे 1981-82 में 17 करोड़ रुपये का क्षय हुआ है।

(ख) कितने मूल्य की टेट्रा साइक्लिन स्टेप्टोमाईसिन, इशरथोमाइसिन, विटामिन "सी" की गोलियां तथा अन्य महत्वपूर्ण औषधियों को पिछले तीन वर्षों के दौरान कई-बार अस्वीकृत किया गया ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विश्व बैंक से सहायता लेने के लिए राज्यों की बिजली परियोजनायें

4856. **श्री राजेश पायलट** : क्या ऊर्जा मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिजली के उत्पादन के लिये विश्व बैंक की सहायता लेने हेतु विभिन्न राज्यों द्वारा कितने प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं और उनका ब्यौरा क्या है और सरकार ने उन पर शीघ्र कार्यवाही करने के लिये क्या कदम उठाए हैं ; और

(ख) क्या ऐसी परियोजनाओं की निगरानी के लिए कोई कक्ष स्थापित किया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार राज्यों ने निम्नलिखित राज्य परियोजनाओं को विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।

उड़ीसा

1. अपर इन्द्रावती जल विद्युत परियोजना	(600 मेगावाट)

उत्तर प्रदेश

1. अनपारा "ख" ताप विद्युत केन्द्र	(2×500 मेगावाट)
2. ऊंचाहार ताप विद्युत केन्द्र	(2×210 मेगावाट)
3. रोसा ताप विद्युत केन्द्र	(3×210 मेगावाट)
4. जवाहरपुर ताप विद्युत केन्द्र	(3×210 मेगावाट)
5. अनपारा "ग" ताप विद्युत केन्द्र	(3×500 मेगावाट)
6. टिहरी बांध परियोजना	(4×250 मेगावाट)
7. मानेरी भाली जल विद्युत परियोजना (चरण-दो)	(4×64 मेगावाट)
8. पाला मानेरी जल विद्युत परियोजना	(2×47.5 मेगावाट)
9. लोहाड़ी नागपाला जल विद्युत परियोजना	(3×94 मेगावाट)

मध्य प्रदेश

1. बोधघाट जल विद्युत परियोजना	(4×125 मेगावाट)
2. हसदेव बांगो जल विद्युत परियोजना	(3×45 मेगावाट)

आंध्र प्रदेश

इंचामपल्ली बहुद्देशीय परियोजना

बिहार

1. संख परियोजना	(5×90 मेगावाट)
2. गंडक जलविद्युत परियोजना	(8×7.5 मेगावाट)
3. उत्तरी कोइल परियोजना	(2×12 मेगावाट)

परियोजना की परस्पर तैयारी को, परियोजनाओं को हाथ में लेने के लिए राज्य की वार्षिक योजनाओं में उपलब्ध संसाधनों और राज्य बिजली बोर्डों की संगठनात्मक क्षमता को ध्यान में रखते हुए विश्व बैंक की सहायता के लिए विचाराधीन परियोजनाओं की सूची में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित परियोजनाओं को शामिल करने का प्रस्ताव है :—

वर्ष 1983 के लिए (जुलाई 82 से जून 83)

1. पांचवीं विद्युत पारेषण परियोजना
2. अपर इन्द्रावती जल-विद्युत परियोजना

3. दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना-I

4. बोधघाट जल विद्युत परियोजना ।

वर्ष 1984 के लिए (जुलाई 83 से जून 84)

1. नाथपा झाकरी जल-विद्युत परियोजना

2. फरक्का विस्तार सुपर ताप विद्युत केन्द्र

3. केन्द्रीय क्षेत्र में ताप विद्युत परियोजना

4. काली नदी चरण-II जल विद्युत परियोजना ।

वर्ष 1985 के लिए (जुलाई 84 से जून 85)

1. ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना-4

2. पुयानकुट्टी जल-विद्युत परियोजना

3. मानगुरु/तलचेर सुपर ताप विद्युत परियोजना

4. विष्णु प्रयाग/लोहाड़ी नागपाला जल-विद्युत परियोजना

5. रंगा नदी/कामेंग

विश्व बैंक को प्रस्तुत करने के लिए संबंधित एजेंसियों को परियोजना की रूपरेखा/रिपोर्टें तैयार करनी अपेक्षित है ।

तेल की खोज पर खर्च

4857. **श्री राजेश पायलट :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल की खोज पर पिछले पांच वर्षों के दौरान, वर्ष-वार कितनी धनराशि खर्च की गई है ;

(ख) भारतीय तथा विदेशी एजेंसियों और तकनीकी जानकारी का क्या प्रभाव रहा है ;

(ग) भारतीय विशेषज्ञों और उपस्करों का शेयर बढ़ाने के संबंध में क्या प्रगति हुई है ;

(घ) प्रशिक्षित भारतीय तेल अन्वेषण यूनिटों में कितनी वृद्धि हुई है और पिछले तीन वर्षों के दौरान उनकी संख्या शक्ति में कितनी वृद्धि हुई है ;

(ङ) क्या भारतीय अन्य विकासशील देशों की तेल खोज में सहायता के लिये कोई योजना बनाई है ; और

(च) तेल खोज कार्य की उपलब्धि और पिछले तीन वर्षों में इसकी उपयोगिता क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) गत पांच वर्षों के दौरान तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (ओ० एन० जी० सी०) और आयल इण्डिया लिमिटेड (ओ० आई० एल०) द्वारा अन्वेषी व्यधन और सर्वेक्षण कार्य पर खर्च की गई धनराशि निम्नलिखित रूप में :—

वर्ष	ओ० एन० जी० सी०	(करोड़ रुपयों में) ओ० आई० एल०
1976-77	73.88	—
1977-78	78.86	2.89
1978-79	79.38	5.93
1979-80	86.14	23.32
1980-81	110.80	27.45
1981-82	धन राशि को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।	4.23

(ख) से (घ) इन दो संगठनों के भारतीय कार्मिकों द्वारा ही समस्त अन्वेषी कार्य-संचालनों का प्रबन्ध किया जाता है। कुछ चुने हुए विशेष अध्ययन के क्षेत्रों में विदेशी विशेषज्ञता और/अथवा सेवाएं भुगतान आधार पर प्राप्त की जाती है और सामान्य रूप से ऐसे प्रबन्ध किये जाते हैं जिससे प्रौद्योगिकी में भी स्थानान्तरण हो। वास्तव में तटवर्ती क्षेत्रों में समस्त व्यधन कार्य और भूकम्पीय सर्वेक्षण भारतीय कार्मिकों द्वारा किया जा रहा है। तथापि अपतटीय क्षेत्रों में, कुछ अधिक कार्य विदेशी ठेकेदारों द्वारा किराये पर लिए गए व्यधन रिगों और सर्वेक्षण जलपोतों के माध्यम से किया जा रहा है। तथापि, भारतीय कार्मिक धीरे-धीरे इन कार्य को लेते जा रहे हैं।

(ङ) जहां अन्य विकासशील देशों की सहायता के लिए कोई विशिष्ट योजनाएं नहीं है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ऐसे अवसरों का अधिक मात्रा में पता लगा रहा है और उसने अभी हाल में इस कार्य में कुछ सफलता प्राप्त की है। ओ० एन० जी० सी० और आयल इण्डिया लिमिटेड दोनों ने विगत में ऐसी सहायता दी है।

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान अशोधित तेल का उत्पादन जो वर्ष 1979-80 में 11.73 मिलियन मी० टन था वर्ष 1981-82 में बढ़कर 16.18 मिलियन मी० टन हो गया।

कोयला क्षेत्र में आग

4858. **श्री राजेश पायलट** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला क्षेत्रों में पिछले तीन वर्षों के दौरान लगी आग को बुझाने (लागत सहित)

जिस पर अभी काबू नहीं पाया गया है, जिस पर काबू पा लिया गया है परन्तु पूरी तरह बुझी नहीं है और विभिन्न नई लगी आग के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ; और

(ख) जो आग बुझाई नहीं जा सकी उसके कारण कितना नुकसान हुआ है और कोयला क्षेत्रों की आग पर काबू पाने के लिए क्षमता बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

औद्योगिक घरानों को रक्षित संयंत्रों की सलाह

4859. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने औद्योगिक घरानों को बिजली में कटोती और अनियमित बिजली सप्लाई से महत्वपूर्ण उद्योगों को बचाए रखने के लिए रक्षित संयंत्र रखने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो इनमें से किन घरानों को ऐसे संयंत्र स्थापित करने को मंजूरी दी गई है, वह कहां पर स्थित हैं तथा उनकी क्षमता कितनी है, उनमें आयातित संयंत्र और मशीनरी किस देश के हैं इसमें कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है तथा कब तक इन संयंत्रों से बिजली का उत्पादन होने की सम्भावना है;

(ग) क्या यह बिजली केवल उनके अपने उपयोग के लिए होगी या जनता अथवा अन्य समीप के उद्योगों को बेचे जाने के लिए खुली होगी; और

(घ) यदि हां, तो जनता या गैर-सरकारी राज्य एककों को इस प्रकार सप्लाई की जाने से बिजली की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) विद्युत (सप्लाई) अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अनुसार संबंधित राज्य बिजली बोर्ड से अनुमति प्राप्त करके कोई भी व्यक्ति कैप्टिव विद्युत संयंत्र लगा सकता है । 25 मेगावाट से अधिक के कैप्टिव विद्युत संयंत्र के मामले में अनुमति देने से पूर्व राज्य बिजली बोर्ड के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से परामर्श करना अपेक्षित होता है ।

(ख) 25 मेगावाट से कम क्षमता वाले कैप्टिव संयंत्रों के ब्यौरे इस समय उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ) जब किसी निजी क्षेत्र उद्योग को कैप्टिव विद्युत संयंत्र लगाने की अनुमति दी जाती है तो संयंत्र से उत्पादित विद्युत केवल उसी उद्योग द्वारा इस्तेमाल की जाती है ।

बंगाल-बिहार क्षेत्र में कोयला और इस्पात उद्योग पर बिजली की अत्यधिक कमी का प्रतिकूल प्रभाव पडना

4860. श्री एस० एम० कृष्ण
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी
श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगाल-बिहार क्षेत्र में कोयला और इस्पात जैसे प्रमुख उद्योगों पर बिजली की अत्यधिक कमी का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(ख) क्या दामोदर घाटी निगम से बिजली की अनियमित सप्लाई इस स्थिति के लिये जिम्मेदार है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उत्तरी ग्रिड से भी बिजली की सप्लाई रोक दी गई है और दामोदर घाटी निगम में कुछ एककों का पहले से अधिक उपयोग किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति में कब सुधार होने की संभावना है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) 1981-82 में लगभग 47% के अखिल भारत औसत की तुलना में दामोदर घाटी निगम ने 1982 के पहले छः महीनों में 52.4% का संयंत्र भार अनुपात प्राप्त किया था। दामोदर घाटी निगम से इस्पात और कोयला उद्योगों को विद्युत की सप्लाई में 1981 की इसी अवधि के दौरान हुई विद्युत सप्लाई की तुलना में जनवरी-जून 1982 की अवधि में बढ़ोतरी हुई है। यह वृद्धि नीचे दी गई सारणी से देखी जा सकती है :—

अवधि	को सप्लाई इस्पात	कोयला
जनवरी-जून 1981	756.4 मि० यू०	689.7 मि० यू०
जनवरी-जून 1982	843.0 मि० यू०	702.98 मि०यू०

दामोदर घाटी निगम प्रणाली से सम्बद्ध इस्पात और कोयला उद्योगों ने यह दावा किया है कि विद्युत सप्लाई में घट-बढ़ के कारण उनको उत्पादन में कुछ हानि हुई है। इस समय फालतू विद्युत उपलब्ध न होने के कारण उत्तरी ग्रिड से दा० घा० निगम को कोयले के लिए विद्युत सप्लाई करने के लिए कोई सहायता नहीं दी जा रही है।

राज्यों में डीजल की कमी

4861. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश राज्यों में डीजल की सप्लाई कम है क्योंकि मानसून की देरी होने से मांग बढ़ गई है और सिंचाई सेटों/पंपों तथा कृषि क्षेत्र में अन्य कार्यों के लिए अधिक डीजल की आवश्यकता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वह प्रभावित राज्यों को और अधिक डीजल भेजने पर विचार कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो किन राज्यों को और उसकी क्या मात्रा है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) वर्षा के एक सप्ताह देर से होने और बिजली की अपर्याप्त सप्लाई के कारण अधिकांश राज्यों में हाई स्पीड डीजल तेल की मांग बढ़ गई है। कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों से इस उत्पाद की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए सप्लाई प्रतिष्ठानों और डिपों में डीजल बड़ी मात्रा में स्टाक में रखा जा रहा है।

जुलाई 1982 के दौरान डीजल की सप्लाई जुलाई 1981 की तुलना में 13% अधिक थी और मांग को पूर्णतः पूरा किया गया।

अगस्त 1982 के लिए डीजल का परिवहन 20% की वृद्धि दर पर मांग को पूरा करने के लिए अधिक किया गया जबकि मूल में 6% की वृद्धि दर की परिकल्पना थी। तेल कम्पनियों को देश में डीजल की बाजारी मांग को पूर्णतः पूरा करने के लिए कसा गया है।

पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से दिल्ली और लखनऊ के लिए "नौ डिले सिस्टम" आरम्भ किया जाना

4862. **श्री हरीश रावत** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय (उत्तर प्रदेश) टेलीफोन केन्द्र से लखनऊ और दिल्ली के लिए "नौ डिले सिस्टम" आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो यह सेवा कब तक आरम्भ की जाएगी ?

संचार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) पिथौरागढ़ (उ० प्र०) से लखनऊ और दिल्ली के लिए अविलंब ट्रंक सेवा 1985 तक प्रदान कर दी जाएगी।

अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों (उत्तर प्रदेश) के लिए कुकिंग गैस एजेंट की नियुक्ति

4863. **श्री हरीश रावत** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों के विभिन्न स्थानों यथा ताड़ी खेत-चिलियानौला, बागेश्वर-द्वाराहाट-बेरीनाग-मंगोलीघाट-चंपावत लोहाघाट डी० दी० घाट-धारचुला-मुन्शीयारी को कुकिंग गैस का वितरण करने के लिए कुमार विकास निगम को नियुक्त किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब और क्या इन स्थानों में उपभोक्ताओं को कुकिंग गैस वितरित की जा रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इन स्थानों के उपभोक्ताओं को गैस किस तिथि तक मिलेगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हाँ। द्वारहाट और चंपावत रहित।

(ख) जी, नहीं।

(ग) कुमांऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड ने इन क्षेत्रों में खाना पकाने की गैस (एल० पी० जी०) के वितरण के लिए अभी तक आवश्यक व्यवस्थाएं नहीं की है। आवश्यक व्यवस्था करने के लिए निगम लगभग 6 महीनों की और अवधि लेगा।

हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के दुर्गापुर उर्वरक संयंत्र के समक्ष समस्यायें

4864. **श्री सुधीर कुमार गिरि** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के दुर्गापुर एकक को मार्च, 1982 से उत्पादन सम्बन्धी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि खतियां पूरी तरह से भरी हुई हैं ; और

(ख) दुर्गापुर एकक में 15-7-82 को बिना निकासी का स्टाक कितनी मात्रा में पड़ा था ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) मैसर्स हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड के दुर्गापुर यूनिट से 19 फरवरी, 1982 से 11 मार्च, 1982 तथा 6 अप्रैल, 1982 से 5 मार्च, 1982 तक की अवधि में उत्पादन में कटौती की थी क्योंकि उस अवधि के दौरान काफी स्टाक जमा हो गया था।

(ख) दिनांक 15 जुलाई, 1982 को दुर्गापुर के गोदाम में 18,638 मी० टन बिना बिके यूरिया का स्टाक पड़ा था।

बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए नीति

4865. **श्री सुधीर कुमार गिरि** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार की अल्पकालीन और दीर्घ कालीन नीति क्या है;

(ख) इस शताब्दी के अन्त तक देश की बिजली की अल्पकालीन और दीर्घकालीन मांग क्या होगी और उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) शताब्दी के अन्त तक बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार के वर्षवार और राज्यवार कार्य-निष्पादन लक्ष्य क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के लिए 1966 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता की बढ़ोतरी करने का कार्यक्रम तैयार किया गया है। क्षमता की इस बढ़ोत्तरी में 14208 मेगावाट की ताप विद्युत, 4768 मेगावाट की जल-विद्युत और 690 मेगावाट की न्यूक्लीय विद्युत क्षमता शामिल है। छठी पंचवर्षीय योजना में विद्युत क्षेत्र के लिए 19,265 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। मौजूदा विद्युत केन्द्रों से इष्टतम विद्युत उत्पादन करने के लिए कई दीर्घकालीन और अल्पकालीन उपाय भी किए गए हैं। इनमें 210 मेगावाट के यूनिटों के लिए कृतिक बलों को पुनः सक्रिय करना, 100/110/120 मेगावाट के यूनिटों के लिए इस प्रकार के कृतिक बलों की स्थापना करना प्रचालन प्रक्रियाओं/पद्धतियों की मानीटरिंग करने और सलाह देने के लिए विभिन्न विद्युत केन्द्रों का केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के प्रचालन विशेषज्ञों के भ्रमणकारी दलों द्वारा दौरा करना आदि, नवीकरण और बेहतर कार्यकम तैयार करना तथा उनको क्रियान्वित करना आदि इसमें शामिल हैं। इसके अलावा, क्षेत्र में सभी विद्युत प्रणालियों का समेकित प्रचालन करने के लिए, फालतू बिजली वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों को विद्युत का अन्तरण करने के लिए तथा आपातकालीन बन्दी की परिस्थितियों में विद्युत का आदान-प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं।

छठी योजना अवधि के दौरान लाभ हेतु स्वीकृत 19,666 मेगावाट की प्रतिष्ठापित क्षमता की परियोजनाओं के अतिरिक्त 15372 मेगावाट की कुल क्षमता की स्कीमों को स्वीकृति दी गई है और सातवीं योजना में लाभ हेतु इनको कार्यान्वित किया जा रहा है।

देश में विद्युत के विकास के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण भी एक विस्तृत दीर्घकालीन

संदर्शी योजना तैयार कर रहा है। प्रारम्भ में योजना में 1995 तक 15 वर्षों की अवधि होगी तथा बाद में इसको 2000 ई० वी० तक बढ़ा दिया जायेगा।

(ख) 11वें वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण में, जिसको हाल ही में अन्तिम रूप दिया गया है, 1991-92 तक की ऊर्जा की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है। 1984-85 और 1991-92 के राज्यवार ब्यौरे उपबंध-I में दिये गए हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4469/82].

(ग) शताब्दी के अन्त तक प्रतिष्ठापित क्षमता में बढ़ोत्तरी करने के वर्षवार और राज्य वार लक्ष्यों का हिसाब नहीं लगाया गया है। तथापि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान परिकल्पित प्रतिष्ठापित क्षमता की राज्यवार बढ़ोत्तरी उपबंध-2 में दी गई है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-4469/82]

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड से प्रतिनियुक्ति पर आने वाले इंजीनियरों और तकनीशियनों को दामोदर घाटी निगम द्वारा सुविधायें न दिया जाना

4366. **श्री सुधीर कुमार गिरि** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दामोदर घाटी निगम के प्रबन्ध दामोदर घाटी निगम की विस्तार परियोजनाओं के लिए भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड से बुलाये गए इन्जीनियरों और तकनीशियनों को आवास की सुविधाएं नहीं दे रहे हैं जिसके कारण परियोजनाएं निर्धारित कार्यक्रम से बहुत पीछे रह गई हैं;

(ख) क्या दामोदर घाटी निगम द्वारा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को दिये गये एक मात्र मकान के कारण हाल में कानून तथा व्यवस्था की समस्या पैदा हो गई थी;

(ग) क्या इस घटना से दामोदर घाटी निगम की विस्तार परियोजनाओं की सभी गति विधियां पूरी तरह से बन्द हो गई हैं ;

(घ) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) दामोदर घाटी निगम के अधिकारियों ने भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड और इसी तरह की एजेंसियों से बुलाये गए स्टाफ को आवास सुविधाएं देने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ङ) दामोदर घाटी निगम द्वारा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्ज लिमिटेड को दिए गए आशय पत्र की शर्तों के अनुसार दामोदर घाटी

निगम द्वारा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्ज लिमिटेड को 10 स्थायी क्वार्टर दिए हुए हैं। जिसमें से एक रेजीडेन्ट इन्जीनियर के लिए, एक अन्य इंजीनियर के लिए तथा आठ क्वार्टर विभिन्न श्रेणियों के स्टाफ के लिए उपयुक्त हैं। आवास व्यवस्था के कारण किसी कानून और व्यवस्था संबंधी समस्या की दामोदर घाटी निगम को कोई जानकारी नहीं है।

"बल्क" औषधियों के उत्पादन के लिए लघु क्षेत्र की क्षमता

4867. **श्री धर्म दास शास्त्री** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक लाइसेंस के अन्तर्गत आवेदन पत्रों पर विचार करते हुए किन मामलों में सरकार ने "बल्क" औषधियों के निर्माण के लिये लघु क्षेत्र के अधीन बनाई गई क्षमता पर विचार किया है : और

(ख) इन मामलों में लघु क्षेत्र के अन्तर्गत विचार की गई क्षमतायें क्या थी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) बल्क औषधों हेतु औद्योगिक लाइसेंसों के लिये आवेदन पत्रों पर अन्य बातों के साथ-साथ लघु क्षेत्र के लिये आरक्षित मदों और विकास आयुक्त, लघु उद्योग, जिनका प्रतिनिधि इस सम्बन्ध में निर्णय करने की प्रक्रिया में शामिल है, के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना है।

तेल की खोज के लिए अमरीका के उपकरण

4868. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने देश में तेल की खोज के लिये अमरीका से उपकरणों का एक सैट खरीदा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने भारत में तेल अन्वेषण के लिये यू० एस० ए० से निम्नलिखित उपकरण समय-समय पर प्राप्त किये हैं—रिग, बी० ओ० पी०, वेल हैड्स/क्रिसमस ट्रीज बी० ओ० पी० आक्यूम्यूलेटर यूनिट, हैंडलिंग इक्विपमेंट, डिसेन्डर, डिसिल्टर, सीमेंटिंग यूनिट्स, स्लेश पम्पस, इंजनस, डिजिटल साइजमिक यूनिट, इलेक्ट्रोलोजिंग यूनिट्स, शार्ट होल ड्रिलिंग रिग, मड टेस्टिंग इक्विपमेंट, वाइब्रोसिस यूनिट्स और वायर लाइन इक्विपमेंट आदि।

सम्बलपुर में रंगीन कार्यक्रम के प्रसारण के लिए व्यवस्था करना

4869. **डा० कृपा सिन्धु भोई :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एशियाड 82 के दौरान सम्बलपुर स्टेशन में रंगीन कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए व्यवस्था करने हेतु विचार कर रही है ;

(ख) क्या सरकार द्वारा टेलीविजन कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र को बढ़ाने हेतु किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) प्रथम चरण में, दिल्ली, बम्बई, पुणै, मद्रास, बंगलौर, जलन्धर, कलकत्ता और मसूरी के 8 ट्रांसमीटरों, जो डाक तार के माइक्रोवेव मार्गों पर आते हैं, रंगीन प्रचालन के लिए परिवर्तित करने हेतु कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बाद के चरणों में अन्य ट्रांसमीटरों के साथ, सम्बलपुर के दूरदर्शन ट्रांसमीटर को रंगीन परिचालन के लिए परिवर्तित किए जाने की उम्मीद है।

(ख) और (ग) सम्बलपुर के दूरदर्शन ट्रांसमीटर की सेवा परिधि बढ़ाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

औषध उद्योग के लिए विकास दर

4870. **डा० कृपा सिंधु भोई :** क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ औषध उद्योगों के लिए विकास दर निर्दिष्ट की गई है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके अन्तर्गत किन उद्योगों को शामिल किया गया है;

(ख) "बल्क" औषधियों के मामले में विकास दर क्या है और तत्सम्बन्धी शर्तें क्या हैं; और

(ग) उन पर क्या नियन्त्रण लगाने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) विभिन्न बल्क औषधों की वृद्धि दर जो बल्क औषधों की कुल खपत का लगभग 90 प्रतिशत है, औषध और भेषज उद्योग पर गठित कार्यकारी दल द्वारा तैयार किया गया था। इसमें एन्टी-बायोटिक्स, सल्फेनोमाइड, क्षयरोग निरोधी औषधें, पेचिस विरोधी औषधें, विटामिन आदि शामिल हैं। इस बल्क औषधों की अनुमानित वृद्धि दर को संलग्न विवरण पत्र में दर्शाया गया है। वृद्धि दर प्राप्त करने की कोई शर्त निर्दिष्ट नहीं की गई है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—4470/82]

(ग) विभिन्न बल्क औषधों की सम्भावित मांग की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं।

पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों पर रोक

4871. **डा० कृपा सिंधु भोई :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों पर रोक लगी हुई है;

(ख) क्या पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों के लिए भारी मांग है; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय फिल्मों के लिए पाकिस्तानी बाजार की खोज करने और इस मामले पर पाकिस्तान सरकार के साथ विचार-विमर्श करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) जी हां। पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों के आयात पर प्रतिबन्ध है। पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों की पर्याप्त मांग प्रतीत होती है।

(ग) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि०, बम्बई ने अपने प्रतिस्थानी अर्थात् पाकिस्तान के राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के साथ दोनों देशों के बीच फिल्मों के आदान-प्रदान के लिए बात-चीत शुरू कर दी है।

पारादीप उर्वरक संयंत्र के लिए नौरू के साथ करार

4872. **डा० कृपा सिंधु भोई :** क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और नौरू ने उड़ीसा में पारादीप में एक फास्फेट उर्वरक संयंत्र की संयुक्त रूप से स्थापना करने के लिए किस करार पर हस्ताक्षर किये हैं :

(ख) यदि हां, तो इसकी शर्तें क्या हैं; और

(ग) इस परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार तथा नौरू सरकार के बीच किए गए करार की मुख्य विशेषतायें निम्न प्रकार हैं :—

(1) पाराद्वीप में फास्फेट उर्वरक प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए ये दो सरकारें कम्पनी में संयुक्त रूप से भाग लेंगी।

(2) कम्पनी के शेयर में नौरू सरकार की सहभागित 40% होगी तथा भारत सरकार की 60 प्रतिशत।

(3) अपने तत्सम्बन्धी शेयरों की संख्या के अनुपात में दोनों सरकारें कम्पनी में अपने निदेशक नामित करेंगी।

(ग) पाराद्वीप उर्वरक परियोजना में 6,52,000 टन डी-2 अमोनियम फास्फेट, 117360 टन नाइट्रोजन और 3,00,000 टन पी 2 ओ 5 के समकक्ष के उत्पादन के लिए सुविधाएं स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। इस प्रोजेक्ट को दो चरणों में स्थापित करना है। पहले चरण में जून, 1982 से तथा दूसरे चरण से फरवरी, 1986 से वाणिज्यिक उत्पादन के आरम्भ होने की सम्भावना है। यह अनुमान है कि परियोजना की कुल लागत 183.64 करोड़ होगी।

राजधानी में टेलीफोन पद्धति

4873. **श्री अजित कुमार साहा**
श्री गदाधर साहा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में बिजली की कटौती के कारण राजधानी में टेलीफोन पद्धति अत्यन्त खराब हो गई है ; और

(ख) इस स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जायेंगे ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) राजधानी में टेलीफोन एक्सचेंजों का कार्यनिष्पादन कुछ सीमा तक प्रभावित हो जाता है चूंकि बिजली के चले जाने से एअर-कंडीशनर नहीं चल पाते हैं।

(ख) टेलीफोन एक्सचेंजों को निरन्तर बिजली की सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने विद्युत सप्लाई प्राधिकारियों के समक्ष मामला उठाया है।

जयपुर के लिए दूरदर्शन केन्द्र

4874. **श्री राम अवध : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जयपुर में शीघ्र ही एक पूर्ण दूरदर्शन केन्द्र शुरू किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी प्रगति हुई है और यह कब कार्य करना शुरू कर देगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) जयपुर में एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर पहले ही 1-3-77 से चालू है। जयपुर में स्टूडियो को छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस प्रयोजन के लिए 4 एकड़ भूमि को अधिग्रहण किया जा चुका है और भवन निर्माण कार्य चल रहा है। परियोजना के 1984-85 के दौरान मुकम्मल हो जाने की उम्मीद है।

अशोधित तेल पर रायल्टी की दर का निर्धारण

4875. **श्री मोहन लाल पटेल :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात असम और देश के अन्य भागों में उत्पादित कच्चे तेल की रायल्टी पिछली बार कब निर्धारित की गई थी और किन दरों पर;

(ख) रायल्टी निर्धारित करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है;

(ग) क्या यह सच है कि उत्पादन करने वाले राज्यों ने रायल्टी की दर के पुनरीक्षण करने की माँग की है; और

(घ) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) अशोधित तेल पर देय रायल्टी अन्तिम बार 61 रुपये प्रति मी० टन की दर से दिनाँक 1-4-1981 को निर्धारित की गयी थी।

(ख) देश में उत्पादित अशोधित तेल पर देय रायल्टी का तेल क्षेत्र (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1948 की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत विनियमन किया जाता है। इस अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुसार, रायल्टी की दर को किसी की चार वर्षों की अवधि के दौरान एक बार से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है तथा यह तेल क्षेत्रों में या तेल कूप शीर्ष जैसा भी उचित हो, पर खनिज तेल के विक्रय मूल्य के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ग) जी, हाँ।

(घ) मामला विचाराधीन है।

लघु औषध एककों को प्रोत्साहन देना

4876. **डा० बसन्त कुमार पंडित :** क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उरर्वक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लघु एककों को ऐसी वस्तुओं जो संगठित क्षेत्र द्वारा पूरी तरह से उत्पादित नहीं की जा रही हैं के उत्पादन के लिए मध्यवर्ती औषधियों पर सीमा शुल्क घटाने के रूप में कोई प्रोत्साहन नहीं दिए गए हैं;

(ख) ऐसे कौन से नए उत्पादों का पता लगाया गया है जो केवल लघु क्षेत्र में ही उत्पादित की जायेंगे : और

(ग) देश में इन उत्पादों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं। 23 औषध मध्यवर्तीयों के आयात पर सीमा शुल्क की रियायत सभी यूनिटों को उपलब्ध है।

(ख) और (ग) सिर्फ लघु क्षेत्र में ही निर्माण के लिए आरक्षित औषध मदें समय-समय पर उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित की जाती हैं। सामान्यतः इस क्षेत्र में संगठित क्षेत्र के नए एककों को लाइसेंस देने/ अथवा पुराने एककों के विस्तार के लिए उनको अनुमति नहीं दी जाती है।

नोपोरोक्सन और इबूप्रोफन का निर्माण

4877. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपोरोक्सन और इबूप्रोफन का देश में बिल्कुल भी निर्माण नहीं किया जाता है; और

(ख) इन उत्पादों का निर्माण करने के लिए छोटे पैमाने के बल्क औषधि एककों को प्रोत्साहित करने हेतु उन्हें क्या रियायत देने की पेशकश की गई है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) देश में आइबुफ्रोफेन का निर्माण दो यूनिटें कर रही हैं। नेपोरोक्सेन के उत्पादन की कोई सूचना नहीं दी गई है।

(ख) इन बल्क औषधों के निर्माण के लिए कोई विशेष रियायत नहीं दी गई है। तथापि; लघु उद्योग को दी गई विभिन्न रियायतों/छूटें इन बल्क औषधों के निर्माण के लिए भी उपलब्ध है।

विशेष स्मारक डाक टिकटों में गलत छपाई, गलतियों और अक्षरों की गलतियों का होना

4878. **श्री बसंत कुमार पंडित** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिलिस्तीनी लोगों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय एकता दिवस पर 29-11-81 को एक रुपये का विशेष डाक टिकट जारी किया गया था ;

(ख) क्या उनका ध्यान गलतियों की ओर दिलाया गया है अर्थात् अशोक चक्र को नेवी ब्लू के बजाय बैंगनी रंग में छापा गया ; और हिन्दी भाषा में फिलिस्तीनी के स्थान पर फिलास्तीनी लिखा गया है ;

(ग) क्या 1-9-81 को भारतीय पुष्पित वृक्षों पर जारी किए 50 पैसे की टिकट में 14-11-81 को जारी किए बाल दिवस के एक रुपये की टिकट में और 19-11-81 को नवें एशियाई खेलों पर जारी किये गये टिकट में भी ऐसी ही गलतियां पाई गई हैं ;

(घ) क्या इन गलतियों के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए कोई जाँच पड़ताल पाई गई हैं ;

(ङ) क्या इन टिकटों को परिचालन से वापस लिया गया था और शुद्धि के साथ उन्हें दुबारा जारी किया गया था जिसके परिणामस्वरूप घाटा हुआ ; और

(च) डिजायन और छपाई प्रक्रिया की व्यवस्था और ठीक करने के लिए क्या विशेष कदम उठाए गये जिससे कि इस प्रकार की गलतियां न हों ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां ।

(ख) डाक टिकट जारी करने के बाद अशोक चक्र के रंग की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया था । (फिलिस्तीनी का हिन्दी रूपांतर जो फिलस्तीनी छपा था, उसको ठीक माना गया है) ।

(ग) से (ङ) जी नहीं ।

(च) डाक-टिकट की डिजायन तैयार करने और मुद्रण में गलतियों से बचने के लिए सभी संभव सावधानियां बरती जाती हैं ।

"अंडरग्राउंड माइन्स डिवलेपमेंट-इण्डिया सीक्स पोलिश कोल टैक्नोलोजी" शीर्षक से समाचार

4879. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 मार्च 1982 के "इकोनामिक टाइम्स" में प्रकाशित "अंडरग्राउन्ड माइन्स डिवलपमेंट-इण्डिया सीक्स पोलिश कोल टेक्नोलोजी" शीर्षक समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो पोलिश प्रतिनिधिमण्डल से किस किस्म की बातचीत हुई और उनके साथ हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है;

(ग) पोलिश परियोजना और टेक्नोलोजी में कितना समय लगेगा और उस पर कितना खर्च आएगा; और

(घ) रानीगंज टाऊनशिप को डूबने से बचाने और पश्चिम बंगाल के अन्य कोयला खानों के विकास के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हाँ ।

(ख) मार्च, 1982 के महीने में पोलैण्ड के कोयला उपमंत्री के नेतृत्व में आए पोलिश शिष्ट-मण्डल के दौरे के समय कोयला क्षेत्र से सम्बन्धित आपसी हितों के मामलों पर चर्चा हुई थी । पोलैण्ड

के अधिकारियों ने अन्य बातों के साथ-साथ सतग्राम और पूटकी-बलिहारी में शॉफ्ट सिंकिंग, मधुबंद-फुलारीटाँड खान के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, सिंकिंग वाइन्डरों की रीमाडलिंग करने तथा मूनीडीह का पुनर्गठन करने में भी रुचि दिखाई थी।

(ग) पोलिश पक्ष ने निर्धारित शुल्क के भुगतान पर केवल तकनीकि सहयोग देने की पेशकश की है। यदि विभिन्न परियोजनाओं को पोलैण्ड का तकनीकी सहयोग लेकर शुरू किया जाता है तो कार्यान्वयन की समयावधि अलग-अलग होगी क्योंकि यह कार्यान्वयन अन्य अनेक बातों पर निर्भर करेगा।

(घ) रानीगंज शहर को धंसने से बचाने के लिए बनाई गई एक योजना में पोलैण्ड अपने विशेषज्ञों को प्रतिनियुक्त करने के लिए राजी हो गया है। आरम्भिक अध्ययन और कार्य के लिए तीन पोलिश विशेषज्ञों के शीघ्र आने की आशा है। सरकार ने एक पाइलट प्लांट अध्ययन के लिए भी मंजूरी दे दी है।

कोयले पर आधारित उर्वरक सम्बन्धों का बन्द होना

4880. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय उर्वरक निगम (एफ० सी० आई०) की कोयले पर आधारित उर्वरक यूनिट 2 मार्च, 1982 से बन्द पड़ी हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा लागू की गई विद्युत कटौती के कारण तालचर में कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र 2 मार्च, 1982 को बन्द कर दिया गया था। उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड और उड़ीसा राज्य सरकार के साथ मामला उठाया गया था। हाल ही में विद्युत सप्लाई पुनः प्रारम्भ कर दी गई है और उत्पादन के लिये संयंत्र को प्रारम्भ किया जा रहा है।

बरौनी तेल शोधक कारखाने का प्रसार

4881. **श्री कुवंर राम** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में बरौनी तेल शोधक कारखाने के नजदीक क्षेत्रों में सहायक उद्योग लगाने और औद्योगिक अवशिष्ट का उपयोग करने के लिए इसकी क्षमता बढ़ाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस प्रकार की कोई योजना बनाने का बिचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) बरौनी शोधनशाला सहित उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में शोधन क्षमता को बढ़ाने के लिये एक अध्ययन

किया गया है, जिससे कि उस क्षेत्र से प्रस्तावित त्वरित अशोधित तेल उत्पादन कार्यक्रम के कार्यान्वित किये जाने पर उपलब्ध होने वाले अतिरिक्त क्रूड को संशोधित किया जा सके। इस विस्तार के साथ कोई भी अनुषंगी उद्योग जुड़ा हुआ नहीं है। जब अतिरिक्त क्षमता का सृजन होगा तो इससे उत्पादित सभी उत्पाद बहुत विक्रय पेट्रोलियम उत्पाद होंगे तथा किसी प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों/सामग्री के पैदा होने की आशा नहीं है।

प्राचीन कथाओं एवं गीतों का संकलन

4882. **श्री कुंवर राम** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी दूरदर्शन और गीत तथा नाटक प्रभागों ने प्राचीन कथाओं और गीतों पर अनुसंधान तथा उनके संकलन की कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या महाकवि सूरदास के 25 लाख पदों पर अनुसंधान के लिए कोई विशेष योजना का विस्तार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) प्राचीन कथाओं के संकलन के लिए इन माध्यम एककों द्वारा कोई योजना तैयार नहीं की गई है। तथापि, आकाशवाणी के 20 क्षेत्रीय केन्द्रों में लोक संगीत के संकलन और परिरक्षण के लिए आकाशवाणी के लिए एक विशेष योजना स्वीकृत की गई है।

पी० पी० सी० लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन

4883. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमझोर क्षेत्रीय संघर्ष समिति (अमझोर रीजनल एक्शन कमेटी) के तत्वाधान में 23 जुलाई, 1982 को पी० पी० सी० लिमिटेड अमझोर के कार्यालय के समक्ष आम जनता ने प्रदर्शन किया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या प्रदर्शनकारियों ने पी० पी० सी, लिमिटेड के महाप्रबन्धक को कोई ज्ञापन दिया था;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) (क) जी, हाँ।

(ख) जी, हाँ।

(ग) ज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रमुख मांगे निहित हैं :—

(1) गाँवों में पेय जल की सफाई की व्यवस्था की जानी चाहिए जहाँ पाइराइट खनन के कारण जल प्रदूषित हो गया है।

(2) कम्पनी को या तो भूमि अधिग्रहित करनी चाहिए या भूमि की उर्वरा शक्ति कायम करनी चाहिए जिसमें प्रदूषण के कारण उर्वरा शक्ति का विनाश हो गया है।

(3) चूँकि कम्पपी का मुख्यालय अमझोर में स्थित है, इसलिए सभी पदों के लिए साक्षात्कार अमझोर में होना चाहिए और रोजगार के मामले में स्थानीय लोगों को तरजीह दी जानी चाहिए।

(घ) कम्पनी ने इस बात का खण्डन किया है कि पाइराइट खनन के कारण पेय जल दूषित हो गया है और इसलिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का प्रश्न ही नहीं उठता। जहाँ तक आस पास के क्षेत्र में उर्वरा शक्ति के क्षीण होने के सम्बन्ध हैं, कम्पनी ने स्पष्ट किया है कि सामान्यतया ऐसा नहीं होता है क्योंकि खेतों का जल नाले से प्रवाहित होता है जो सोन नदी में गिरता है। तथापि वर्षा ऋतु में ऐसे जल के उतप्रवाह की आवश्यता को पूरा करने के लिए कम्पनी किसानों को मुफ्त मसूरी रौक फास्फेट वितरित करती है जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति को कायम रखा जा सके।

अभी कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय देहरी-आन-सोन में स्थित है जिसे अमझोर से जाने का प्रस्ताव है। कम्पनी की नीति के अनुसार समूह "ग" और "घ" पदों में भर्ती के मामले में स्थानीय लोगों को तरजीह दी जानी है। अन्य पदों के लिए अखिल भारतीय आधार पर भर्ती की जाती है और जन कार्य की आवश्यकता के अनुसार साक्षात्कार के स्थल के बारे में निर्णय लिया जाता है।

बड़े एककों को क्लोरमफेनिकोल और डाक्सीसाइकिलीन की खरीद में लाभ होना

4884. **श्री भीखाभाई** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री डाक्सीसाइकिलीन और क्लोरमफेनिकोल की बिक्री के बारे में 9 मार्च, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2556 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खुले बाजार से क्लोरमफेनिकोल और डाक्सीसाइकिलीन की खरीद के कारण बड़े-बड़े एककों को हुए अप्रत्याशित लाभ को प्राप्त करने के लिये सरकार ने क्या निश्चित कदम उठाये हैं;

(ख) क्या इन बड़े एककों ने 2 करोड़ रुपये से अधिक राशि देनी है और सरकार को यह धनराशि प्राप्त करने में बहुत बिलम्ब हुआ है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस पूरे मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) मूल्य नियंत्रित फार्मूलेशनों के निर्माताओं को उनके फार्मूलेशनों के मूल्यों में क्लोरमफेनीकल पावडर और डाकसीसाइक्लीन हाइड्रोक्लोराइड के लिए स्वीकृत मूल्यों और उन मूल्यों, जिन पर औषधों को

प्राप्त किया गया है, के अन्तर को समाप्त करने के लिए पहले से ही कार्यवाही की जा रही है। इस प्रकार देय राशि के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है।

इथमबुटोल हाइड्रोक्लोराड का आयात

4885. **श्री भीखाभाई** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी ऐजेन्सी द्वारा इथमबुटोल हाइड्रोक्लोराइड के आयात के बेहतर मूल्य हेतु पुनः बातचीत की थी;

(ख) यदि हाँ, तो निर्माताओं को अपनी संशोधित पेशकश भेजने के लिए कितना समय दिया गया था;

(ग) क्या ऐसे निर्माता को फिर आर्डर दिया गया है, जिसका माल गत सप्लाई में अपेक्षित जाँच में असफल रहा था; और

(घ) इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) मैं० राज्य व्यापार निगम ने 6 मी० इथमबुटोल एच०सी०एल० की खरीद के लिये 3.5.82 को विज्ञापन दिया था जिसकी अन्तिम तारीख 6.5.1982 थी। आयात की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अन्तिम तारीख का थोड़ा समय रखा गया। इस विज्ञापन के उत्तर में राज्य व्यापार निगम ने इथमबुटोल एच०सी०एल० के चार अन्तर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं को आर्डर दिये। इनमें से एक आपूर्तिकर्ता इटली के मै० सिपोफर थे, जिनका 3-5-1982 के उत्तर में निम्नतम वैध प्रस्ताव था। आर्डर देते समय एस०टी०सी० को यह सूचना मिली थी कि मै० सिपोफर इटली द्वारा पहले आपूर्ति किये गये 3 मी० टन इथमबुटोल एच० सी० एल० का प्रेषण किस्म परीक्षण पर सही नहीं उतरा। 3.5 टन इथमबुटोल हाइड्रोक्लोराइड़ का आयात नहीं हो सका क्योंकि आपूर्तिकर्ता द्वारा दी जाने वाली निष्पादन गारन्टी एस०टी०सी० को जून 1982 के अन्तिम सप्ताह में प्राप्त हुई जबकि ऋण पत्र 18.5.1982 तक वैध था। एस०टी०सी० ने अब मै० सिपोफर इटली के खिलाफ उनके द्वारा आपूर्ति की गई इथमबुटोल एच०सी०एल० की मात्रा जो किस्म परीक्षण में विफल हो गई, के सम्बन्ध में आवश्यक दावे दायर किये हैं।

मैसर्स पार्क-डेविस द्वारा क्लोरमफेनिकोल पैलमिटेड का उत्पादन किया जाना

4886. **श्री भीखाभाई** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में क्लोरमफेनिकोल पैलमिटेड का उत्पादन कर रहे बहुत से लघु एककों द्वारा मैसर्स पार्क-डेविस द्वारा प्रयुक्त पद्धति ही है;

(ख) क्या सरकार ने मैसर्स पार्क-डेविस के लिए प्रति किलोग्राम 800.00 रुपये से अधिक

का विक्री मूल्य अनुमोदित किया है जबकि लघु एकक इस उत्पाद को खुले आम प्रति किलोग्राम 700.00 रुपये से कम पर बेच रहे हैं; और

(ग) ऐसे क्या कारण और आधार हैं जिसके लिए मैसर्स पार्क डेविस लिमिटेड के लिए अधिक मूल्य निर्धारित किया गया था जबकि लघु एकक इस उत्पाद को कम मूल्य पर बेच रहे हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सूचना प्राप्त हुई है कि देश में कई लघु उद्योग एकक क्लोरमफेनिकोल पैलमिटेड का उत्पादन कर रहे हैं। इन एककों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग) मैसर्स पार्क डेविस के लिए रुपये 708.42 प्रति कि०ग्रा० का प्रतिधारण मूल्य निर्धारित किया गया है न कि रुपये 800/-प्रति कि०ग्रा०। तथापि, पूल वितरण के लिए इस औषध का विक्री मूल्य रूप 806/-प्रति कि० ग्रा० है। पार्क डेविस के लिए प्रतिधारण मूल्य औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो द्वारा क्लोरमफैनिकोल पैलमिटेड के सम्बन्ध में किए गए लागत-एवं-तकनीकी अध्ययन के आधार पर निर्धारित किया गया था।

राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन की स्मृति में स्मारक डाक टिकट जारी करना

4887. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन महान क्रांतिकारियों, राजनीतिज्ञों इत्यादि के नाम क्या हैं जिनकी स्मृति में वर्ष 1981-82 में डाक टिकट जारी किए गए;

(ख) क्या सरकार का विचार राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन की स्मृति में निकट भविष्य में स्मारक डाक टिकट जारी करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) 1981-82 के दौरान जिन विशिष्ट व्यक्तियों की याद में स्मारक डाक टिकट जारी किए गए हैं, उनके नामों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तम दास टंडन के सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी करने के प्रस्ताव पर डाक टिकट सलाहकार समिति ने अपनी 30 अक्तूबर, 1981 की बैठक में विचार किया था परन्तु इस प्रस्ताव की सिफारिश नहीं की। फिर भी, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं को दर्शाने वाली डाक टिकटों की श्रृंखला जारी करने के संदर्भ में श्री पुरुषोत्तम दास टंडन के नाम पर भी विचार किया जा रहा है। डाक टिकटों के विषयों के ब्यौरों और समय सीमा को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

विवरण

विशिष्ट व्यक्तियों पर जारी किए गए डाक-टिकटों की सूची

दिनांक	विषय	मूल्य वर्ग
	1981	
2.1	मजहरुल हक (स्वतंत्रता सेनानी तथा राजनीतिज्ञ)	35 पैसे
27.2	जी० वी० मावलंकर (राजनेता एवं सभाचतुर)	35 पैसे
0.4	हाइनरिश फॉन स्टेफान (विश्व डाक संघ के संस्थापक)	100 पैसे
22.6	नीलमणि फूकन (कवि)	35 पैसे
23.6	संजय गांधी (युवा नेता)	35 पैसे
31.10	वल्लारि राघव (प्रख्यात अभिनेता)	35 पैसे
27.11	के० पी० जायसवाल (इतिहासकार)	35 पैसे
14.12	हेनरी हेरास (भारत विद्याविद्)	35 पैसे
	1982	
15.3	पाब्लो-पिकासो (चित्रकार)	285 पैसे
9.5	श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख (समाज सेविका)	35 पैसे
1.7	डा० विधान चन्द्र राय (राजनेता-चिकित्सक)	50 पैसे

डीजल और पैट्रोल में मिलावट

4888. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **पैट्रोलियस, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1981-82 के दौरान डीजल और पेट्रोल में मिलावट के कितने मामले, अलग-अलग दर्ज किए गए; और

(ख) मिलावट करने वालों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है और प्रत्येक को क्या सजा दी गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

बड़े समाचार-पत्रों के विज्ञापनों के शेयर में कटौती

4889. **श्री बी० वी० देसाई**
श्री बाला साहिब विखे पाटिल } : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय वार्षिक सरकारी विज्ञापनों के बड़े समाचार-पत्रों के तीन करोड़ रुपये के मूल्य के विज्ञापनों में भारी कटौती करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस समय बड़े समाचार-पत्रों को कितने प्रतिशत विज्ञापन मिल रहे हैं;

(ग) इसमें कहां तक कमी की जायेगी;

(घ) किस समाचार-पत्र को अब तक सबसे ज्यादा सरकारी विज्ञापन मिले;

(ङ) छोटे समाचार-पत्रों को कितने प्रतिशत विज्ञापन मिले हैं;

(च) उनको किस दर से भुगतान किया जाता है; और

(छ) क्या दर में वृद्धि करने का भी कोई प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री आरिफ मौहम्मद खां) : (क) मझोले और छोटे समाचार-पत्रों को यथोचित उपलक्ष धन देने की सरकार की नीति के अनुरूप सरकारी विज्ञापनों के लिए इस प्रकार के समाचार-पत्रों का यथासंभव अधिक से अधिक उपयोग करने के सदा प्रयास किए जाते हैं।

(ख) से (ङ) गत वर्ष (1981-82) के दौरान विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के विज्ञापनों में समाचार-पत्रों का श्रेणी-वार हिस्सा इस प्रकार था—

श्रेणी	स्थान (कालम सेंटीमीटर में)	कुल स्थान की प्रतिशतता	लागत (रुपयों में)	कुल लागत की प्रतिशतता
(1) छोटे और मझोले	37,95,880	77.85	1,96,02,996	49.96
(2) बड़े	10,79,796	22.15	1,96,36,913	50.04

अब यह निर्णय लिया गया है कि बड़े और मझोले/छोटे समाचार-पत्रों को सरकारी विज्ञापन 40 : 60 के अनुपात में रिलीज किए जाने चाहिएं।

1981-82 के दौरान हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली को सबसे ज्यादा सरकारी विज्ञापन मिले।

(च) और (छ) विभिन्न समाचार-पत्रों की विज्ञापन दरों का निर्धारण प्रवृत्त दर ढाँचे के अनुसार, उनकी प्रसार संख्या के आधार पर वार्षिक रूप से किया जाता है। विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय की दरें बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा भारतीय जहाजरानी निगम से जहाज खरीदा जाना

4890. **श्री बी० वी० देसाई**
श्री रेणुपद दास : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का विचार भारतीय जहाजरानी निगम से एक बड़ा जहाज खरीदने का है जिससे उसका उपयोग प्रोसेस प्लेटफार्म अथवा अशोधित तेल के लिए किया जा सके;

(ख) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का विचार जैक अप रिंग को फ्लोटिंग प्लेटफार्म में बदलने का भी है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान तेल की खोज के सम्बन्ध में सरकार का क्या अन्य उपाय अपनाने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या जलडमरू मध्य और तट-दूर गोदावरी में चौथे कुएं की ड्रिलिंग का काम पूरा हो गया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) चालू वर्ष के दौरान अतिरिक्त रिगों को लगाकर और साथ ही ठेके के आधार पर विदेशी सर्वेक्षण पार्टियों सहित भू-कम्पीय पार्टियों को लगाकर तेल अन्वेषण कार्यक्रम को और अधिक बढ़ाया जा रहा है। वर्ष 1982-83 के लिये वार्षिक योजना में और भी अधिक वित्तीय व्यय की व्यवस्था की गयी है।

(घ) अभी तक तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा पाक जलडमरू मध्य में 5 कूपों को पूरा किया गया है। जबकि कृष्णा-गोदावरी अपतटीय क्षेत्र में 6 कूपों का व्यधन किया गया है।

जल डमरू मध्य में ड्रिलिंग

4891. **श्री के० लकप्पा** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जल डमरू मध्य में किए गए ड्रिलिंग और खोज के काम का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त काम का क्या परिणाम निकला है;

(ग) क्या यह सच है कि यद्यपि अब तक खोदे गए कुओं को सूखा घोषित किया गया है परंतु दूसरे कुएं के लिए ड्रिलिंग का काम अन्य क्षेत्र में आरम्भ किया गया है। जिसमें भारी व्यय होगा;

(घ) धन की बर्बादी वाले ऐसे कार्यों के लिए कौन जिम्मेदार है; और

(ङ) क्या जल डमरू मध्य में आगे ड्रिलिंग का काम आरम्भ करने से पूर्व विदेश के किसी सक्षम प्राधिकारी से कोई तकनीकी सलाह ली गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) करीब 1500 किलोमीटर की भूकम्पीय रूपरेखा चिह्नित की गई है। पांच कूपों की खुदाई की गई है और एक की खुदाई हो रही है।

(ख) उपर्युक्त कूपों में से एक में परीक्षण होने पर तेल निकला। अन्य शुष्क थे।

(ग) जी नहीं, तेल एक कूप में मिला है। तेल पूलों की सीमाओं का पता लगाने के लिए और क्षेत्र में आगे और अन्वेषण करने के लिए और खुदाई की जा रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इस सम्बन्ध में कोई विदेशी परामर्श लेना आवश्यक नहीं समझा गया है।

गोदावरी बेसिन में ड्रिलिंग और खोज

4892. **श्री के० लकप्पा** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोदावरी बेसिन में ड्रिलिंग और खोज कार्य का कोई ठोस परिणाम नहीं निकला और अब तक किये गये प्रयोग में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के लाखों डालर की लागत के उपकरण बेकार हो गये; और

(ख) यदि हां, तो कितना घाटा हुआ है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, नहीं। गोदावरी थाले में खुदाई और अन्वेषी कार्यों ने दोनों तटीय और अपतटीय कूपों में हाईड्रोकार्बन्स के निश्चित संकेत दिये हैं। तथापि कोई वाणिज्य क्षेत्र अभी तक स्थापित नहीं किया गया है और अन्वेषण अभी भी चल रहा है। वृथा नष्ट होने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि व्यय तेल क्षेत्रों की खोज के लिए ही किया जाता है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

छिद्रण पोत "सागर प्रशांत"

4893. **श्री के० लकप्पा** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छिद्रण पोत सागर प्रशांत कब प्राप्त किया गया था और किस मूल्य पर;

(ख) क्या यह सच है कि छिद्रण पोत "सागर प्रशांत" की उपलब्ध कराई गई सीमेंटिंग यूनिट पुरानी थी लेकिन एक फर्म से इस पर रंग कराया गया जिससे यह एकदम नई दिखें;

(ग) क्या यह सच है कि छिद्रण पोत का खोल भी पुराना था;

(घ) क्या यह भी सच है कि इसे खरीदने से पूर्व पोत के लिए आवश्यक समुद्र में परीक्षण भी नहीं किए गए थे; और

(ङ) यदि हां, तो इसके तथा अत्यन्त ऊँचे मूल्यों पर सीमेंटिंग यूनिट सहित सागर प्रशांत को खरीदने के क्या कारण थे ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा "सागर प्रशान्त" ड्रिलशिप मई 1982 में 57.05 मि० अमरीकी डालर, जिसमें संघटन और बीमा प्रभार शामिल हैं, की लागत पर प्राप्त किया गया।

(ख) जी नहीं। सीमेंटिंग यूनिट पुरानी नहीं थी, न ही यह फर्म द्वारा नई लगने के लिए पेंट करवाई गई थी।

(ग) जी, नहीं। "सागर प्रशांत" ड्रिलशिप का आवरण नया है।

(घ) समय-सूची के अनुसार समुद्री-परीक्षण सफलतापूर्वक किये गये।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आकाशवाणी केन्द्रों के समाचार अनुभागों का दर्जा बढ़ाया जाना

4894. **श्री ए० नीला लोहिथादसन नाडार** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में देश के कुछ महत्वपूर्ण आकाशवाणी केन्द्रों के समाचार अनुभागों का दर्जा बढ़ाया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) आकाशवाणी के त्रिवेन्द्रम केन्द्र के समाचार अनुभाग का दर्जा न बढ़ाये जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

डाक-तार कर्मचारियों को मकान निर्माण हेतु अग्रिम धनराशि

4895. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978 से डाक व तार विभाग में मकान निर्माण अग्रिम राशि हेतु कितनी धन-राशि का आवंटन किया गया और उसका राज्यवार तथा वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1978 के कितने प्रार्थना-पत्र अभी भी स्वीकृति हेतु लम्बित पड़े हैं उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी राज्य के डाक व तार विभाग को आबंटित धनराशि व्यपगत हुई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार उन राज्यों को अधिक धनराशि आवंटित करने का है जिन्हें वास्तव में अधिक धनराशि की आवश्यकता है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) 1978-79, 1979-80, 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान डाक-तार विभाग को मकान निर्माण अग्रिम के लिए क्रमशः 8.32; 6.74; 6.86 तथा 6.85 करोड़ रुपए की निधि का आवंटन किया गया। उपरोक्त राशि का सर्किलवार वितरण संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—4471/82]

(ख) एवं (ग) फील्ड कार्यालयों से जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) मकान निर्माण अग्रिम निधियां निर्माण एवं आवास मंत्रात्रय द्वारा केन्द्रित रूप से नियंत्रित की जाती हैं और यह निधियों के मंत्रालय/विभाग-वार आबंटन के बारे में निर्णय करता है। डाक-तार कार्यालयों को अधिक राशि का आबंटन इस बात पर निर्भर करता है कि वह मंत्रालय इस विभाग को कितनी राशि का आबंटन करता है।

केरल में पत्रों की छटनी में विलम्ब

4896. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में पत्रों की छंटने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में विलम्ब को दूर करने हेतु सरकार के पास कोई विशिष्ट योजना है ताकि प्रेषितियों को पत्र उचित समय पर मिल जाये; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) केरल में पत्रों की छंटाई में विलम्ब का कारण आंशिक रूप से कर्मचारियों की कमी तथा आंशिक रूप से अनुपस्थिति एवं कुछ एक कर्मचारियों की कार्य करने की धीमी गति है।

(ख) और (ग) डाक में विलम्ब से बचने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। तीन मंडलों में छंटाई सहायकों के 1258 पदों में से 110 पद खाली हैं। कमी को पूरा करने के लिए 102 अल्पकालिक छंटाई सहायक नियुक्त किए गए हैं तथा कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते पर लगाया गया। 53 उम्मीदवारों के अतिरिक्त जो प्रशिक्षण की प्रतीक्षा में हैं, 75 उम्मीदवार पहले से ही प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। दोषी कर्मचारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई पर भी विचार किया जा रहा है।

तेल शोधक कारखानों की अधिष्ठापित क्षमता

4897. **श्री बीरभद्र सिंह** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन तेल शोधक कारखानों की संख्या और नाम क्या हैं जो पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं और उसके क्या कारण हैं; और

(ख) इस समय प्रत्येक तेल शोधक कारखाने की अधिष्ठापित क्षमता क्या है और प्रत्येक तेल शोधक कारखाने में वास्तविक वार्षिक उत्पादन क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) देश की 12 शोधनशालाओं में से केवल बोंगई गांव और मथुरा शोधन शालाएं अपनी पूरी क्षमता पर काम नहीं कर रही हैं। इसके मुख्य कारण इन शोधन शालाओं के अनुपूरक परिशोधन एककों से सम्बन्धित हैं। जबकि पहली शोधनशाला के सम्बन्ध में अनुपूरक परिशोधन एककों में परिचालन समस्याएं हैं और इसके फलस्वरूप उत्पाद परिवहन में कठिनाइयां हैं, दूसरी शोधनशाला के सम्बन्ध में अनुपूरक परिशोधन एकक के चालू होने में विलम्ब हुआ है।

(ख) वर्ष 1981-82 के लिए प्रत्येक शोधनशाला की वर्तमान स्थापित क्षमता और वास्तविक कूड थ्रुपुट के आंकड़े निम्न प्रकार हैं—

(मि० मी० टन)

	स्थापित क्षमता	वास्तविक थ्रुपुट (1981-82)
इंडियन आयल कारपोरेशन गोहाटी	0.85	0.75
आई० ओ० सी०—बरौनी	3.30	3.03

	1	2
आई० ओ० सी०—कोयाली	7.30	7.04
आई० ओ० सी०—हल्दिया	2.50	2.28
आई० ओ० सी०—मथुरा	1.50*	0.52
आई० ओ० सी०—दिग्बोई	0.50	0.50
बी० पी० सी० एल०—बम्बई	5.25	4.99
एच० पी० सी० एल०—बम्बई	3.50	3.48
सी० आर० एल०—कोचीन	3.30	3.12
एच० पी० सी० एल०—विज़ाग	1.50	1.18
एम० आर० एल०—मद्रास	2.80	2.80
बी० आर० पी० एल०—बोंगई गांव	1.00	0.45
योग	3.30	30.14

* 6 मि० मी० टन की क्षमता वाली मथुरा स्थित नई शोधनशाला जनवरी 1982 में परीक्षण आधार पर चालू की गई थी।

तेल और गैस का पता चलना

4898. **श्री वीरभद्र सिंह :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में उन स्थानों की संख्या क्या है जहाँ गत तीन वर्षों के दौरान तेल/गैस का पता चला है; और

(ख) प्रत्येक स्थान में तेल/गैस के बहाव की अनुमानत: दर क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) 1 जनवरी, 1980 से 30 जून, 1982 की अवधि के दौरान तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गुजरात में 7 स्थानों पर और असम में एक स्थान पर और आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा असम में दो स्थानों पर तेल/गैस की खोज की गई है।

(ख) प्रत्येक स्थान में प्रति दिन का तेल/गैस का प्रवाह दर बताना जनहित में नहीं होगा, क्योंकि यह वर्गीकृत सूचना है।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड की विद्युत उपकरणों की आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता

4899. **श्री सोमनाथ चटर्जी**
श्री हन्नान मौल्लाह } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी उपक्रम भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० द्वारा अपने 100 करोड़ रुपये के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के बाद उसके पास सातवीं पंचवर्षीय योजना और उसके बाद विद्युत उपकरणों की सम्पूर्ण आवश्यकता का उत्पादन और सप्लाई करने की पर्याप्त क्षमता हो गई है ;

(ख) यदि हाँ तो एन० पी० टी० सी० परियोजनाओं के लिये उत्तर प्रदेश में विन्ध्याचल, रिहन्द, अन्नपारा तथा महाराष्ट्र में चन्द्रपुर आदि का ठेका विदेशी निर्माताओं को दिये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) भारत हैवीइलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड की उपयोग क्षमता के बारे में ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इस संबंध में अपनी नीति बदल रही है;

(ङ) यदि हां, तो कब और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत क्षेत्र की सही-सही आवश्यकताओं का पता लग सकेगा जब योजना अवधि के लिए विद्युत विकास योजना तैयार की जाएगी। तथापि, आगामी वर्षों में विद्युत क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वदेशी निर्माताओं की क्षमता में वृद्धि करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(ख) से (च) विद्युत उपस्कर का आयात सरकार की आयात नीति के द्वारा विनियमित किया जाता है। इस नीति में कोई सामान्य छूट नहीं दी गई है परन्तु आयात के मामलों पर निर्णय लेते समय सरकार अनेक सम्बन्धित पहलुओं पर विचार करती है, जिनमें ये शामिल हैं—समुचित लागत पर देश में निर्मित स्वदेशी निर्माण क्षमता, आन्तरिक और बाह्य साधनों की उपलब्धता आदि। विंध्याचल सुपर ताप-विद्युत परियोजना चरण-एक (1260 मेगावाट) तथा रिहन्द सुपर ताप-विद्युत परियोजना चरण-एक (1000 मेगावाट) के लिए संयंत्र और उपस्कर के आयात के लिए सरकार ने अनुमोदन दे दिया है। ऐसा मुख्य रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि छठी योजना में नई विद्युत परियोजाएं हाथ में लेने के लिए आन्तरिक तौर पर पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं हैं, तथा विदेशी स्रोतों से आकर्षक शर्तों पर वित्तीय सहायता उपलब्ध हो जाएगी।

जहाँ तक उत्तर-प्रदेश में अनपारा 'ख' विद्युत परियोजना तथा महाराष्ट्र में चन्द्रपुर विद्युत केन्द्र परियोजना का संबंध है, ये परियोजनाएं राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित की जानी हैं। ठेका देने के संबंध में निर्णय आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद संबंधित राज्य सरकारों के किया जाएगा। इस संबंध में किसी ठेके को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

कलकत्ता में 55 केन्द्रों की टेलीफोन सेवाएं

4900. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कलकत्ता में 55 केन्द्रों के अन्तर्गत प्रयोक्ताओं की स्थिति दयनीय है ;

(ख) यदि हां, तो क्या 55 केन्द्रों की टेलीफीन सेवा में सुधार लाने के लिये कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो कब और तत्सबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति की गई है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) कलकत्ता में 55 ऐक्सचेंज के कुछ उपभोक्ताओं की टेलीफोन सेवा विभिन्न एजेंसियों द्वारा सड़क की खुदाई करने के फलस्वरूप केबिलों के टूट-फूट जाने के कारण प्रभावित हुई।

(ख) जी हाँ।

(ग) क्षतिग्रस्त केबिलों की मरम्मत की जा रही है। विभिन्न मार्गों पर कुछ नए केबिल बिछाये जा रहे हैं।

(घ) पुनर्स्थापन का लगभग 60 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।

विद्युत उत्पादन की लागत

4901. **श्री बी०आर० नहाटा :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में प्रत्येक विद्युत परियोजना की विद्युत उत्पादन की लागत क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केरल में कम्पनियों का बन्द होना

4902. **श्री ई० बाला नन्दन :** क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अब केरल में कुछ कम्पनियाँ फारमिक एसिड के उदार आयात के कारण बंद हो गई है;

(ख) क्या यह सच है कि देश का फारमिक एसिड का उत्पादन पहले ही अपनी आवश्यकता से अधिक है; और

(ग) यदि हां, तो फारमिक एसिड के आयात को बंद करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) केरल सरकार ने सूचना दी है कि मैसर्स पेरियार कैमिकल्स लि० केरल ने फोर्मिक एसिड के निर्माण के लिए अपना संयंत्र बन्द कर दिया है।

मैसर्स पैरियार कैमिकल्स लि० उसी स्थान पर एफ० ए०सी०टी० के संयंत्र से उपलब्ध टेल गैस के आधार पर प्रति वर्ष 1500 टन की लाइसेंस शुदा क्षमता से फार्मिक एसिड का उत्पादन कर रहे हैं। यह एक पिछले तीन वर्षों के दौरान 60 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक की स्थापित क्षमता पर नियमित रूप से फार्मिक एसिड का उत्पादन करता रहा है। उत्पादन के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	उत्पादन
1979-80	935 टन
1979-81	1007 टन
1981-82	877 टन

फर्म ने गत दो महीनों की अपनी उत्पादन रिपोर्ट में यह भी सूचना दी है कि स्टाक जमा हो जाने के कारण उनका उत्पादन रुक गया है। यह सच हो सकता है क्योंकि फोर्मिक एसिड को प्रतिबंधित आधार पर आयात किए जाने की अभी भी अनुमति है। क्योंकि अभी तक देश में फोर्मिक एसिड के निर्माण के लिए केवल एक ही एकक है और इस एकक से 2000 टन की कुल माँग को पूरा नहीं किया जा सकता। गत तीन वर्षों के दौरान फोर्मिक एसिड का आयात निम्न प्रकार हुआ है :—

1978-79	1348 टन
1979-80	1085 टन
1981-82	अनुपलब्ध

मैसर्स केरल एसिड्स एण्ड कैमिकल्स लि०कोचीन के नाम से एक अन्य एकक 1200 टन प्रतिवर्ष की लाइसेंस शुदा क्षमता के साथ इस वर्ष चालू होने वाला है। दसरे एकक द्वारा नियमित उत्पादन आरम्भ कर देने के बाद आयात नीति की समीक्षा की जा सकती है।

प्रोडक्शन सहायकों की पदोन्नति

4903. **श्री राम विलास पासवान**
श्री कमला मिश्र मधुकर } : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी में प्रोडक्शन सहायक और ट्रांसमिशन अधिकारी एक ही ग्रेड अर्थात् 425/-रु० से 750/-रु०के ग्रेड में काम कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ट्रांसमिशन अधिकारियों को अपने संवर्ग में 6 वर्ष की सेवा के बाद विभागीय पदोन्नत समिति द्वारा प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव के रूप में पदोन्नत किया जाता है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि आकाशवाणी में प्रोडक्शन सहायकों के लिये पदोन्नत का कोई चैनल नहीं है और प्रोडक्शन सहायक के रूप में 20-25 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद भी वे अभी तक प्रोडक्शन सहायक के रूप में काम कर रहे हैं और उनकी विभागीय पदोन्नत समिति द्वारा कभी पदोन्नति नहीं की गई; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है और प्रोडक्शन सहायकों को वरिष्ठ ग्रेड न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हाँ।

(ख) मौजूदा भर्ती नियमों के अनुसार, आकाशवाणी में कार्यक्रम एक्जीक्यूटिव के 25% पदों को ग्रेड में पाँच वर्ष की अनुमोदित सेवा रखने वाले ट्रांसमिशन एक्जीक्यूटिवों में से पदोन्नति द्वारा भरा जाता है।

(ग) प्रोडक्शन सहायक, स्टाफ आर्टिस्टों की अन्य श्रेणियों के साथ, सीमित चयन द्वारा प्रोड्यूसर के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र हैं। तथापि, कुछ प्रोडक्शन सहायक 20 वर्ष से अधिक समय से प्रोडक्शन सहायक के रूप में ही काम कर रहे हैं।

(घ) सरकार ने हाल ही में आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों के स्टाफ आर्टिस्टों को दो श्रेणियों अर्थात् (क) आर्टिस्ट और (ख) अन्य कर्मचारी, जो उसी तरह के काम करते हैं जिस तरह के काम नियमित श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों द्वारा किये जाते हैं, में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। यह आर्टिस्ट/सरकारी कर्मचारी, जैसी भी स्थिति हो, बनने के लिए उनके द्वारा विकल्प दिये जाने और उनकी स्क्रीनिंग के अधीन है। प्रोडक्शन सहायक श्रेणी (2) के अन्तर्गत आयेंगे। जो प्रोडक्शन सहायक सरकारी कर्मचारी बनेंगे उनको इस निर्णय के अन्तर्गत पदोन्नति के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति का कोटा पूरा करना

4904. **श्री राम विलास पासवान :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय, आकाशवाणी और दूरदर्शन में 31-7-82 के अनुसार कर्मचारियों की अलग-अलग संख्या क्या है;

(ख) प्रत्येक विभाग में प्रत्येक श्रेणी में कितने कर्मचारी अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं; और

(ग) क्या प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति का आरक्षित कोटा नहीं

भरा गया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा आरक्षित कोटे भरने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

जनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित कोटे का भरा जाना

4905. **श्री राम विलास पासवान** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में 31-8-82 के अनुसार प्रत्येक श्रेणी में कुल कितने कर्मचारी हैं;

(ख) प्रत्येक विभाग में प्रत्येक श्रेणी में कितने कर्मचारी अनुसूचित जातियों के व्यक्ति हैं; और

(ग) क्या प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जातियों का आरक्षित कोटा नहीं भरा गया है और यदि हां, तो उनके क्या कारण हैं तथा आरक्षित कोटा भरने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) 31-7-1982 की यथा स्थिति को कुल कर्मचारियों की संख्या निम्नलिखित रूप में थी :

	पेट्रोलियम विभाग	रसायन और उर्वरक विभाग
ग्रुप "ए" —	33	51
ग्रुप "बी" —	94	103
ग्रुप "सी" —	106	140
ग्रुप "डी" —	64	33

(ख) इनमें अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की संख्या निम्नलिखित रूप में थी—

	पेट्रोलियम विभाग	रसायन और उर्वरक विभाग
ग्रुप "ए" —	3	5
ग्रुप "बी" —	7	8
ग्रुप "सी" —	6	13
ग्रुप "डी" —	27	27

(ग) जी, नहीं। कुछ श्रेणियों में पूरे कोटे की सीमा तक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के लोगों द्वारा पदों की नियुक्ति द्वारा भरा जाना संभव नहीं रहा है। अनुसूचित जातियों और

अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियां भर्ती करने वाली एजेन्सियों को अपेक्षित संख्या में उम्मीदवारों को भेजने/सिफारिश करने के लिए सूचित कर दी जाती हैं।

सिनेमा गृहों का निर्माण

4906. **श्री मोहम्मद असरार अहमद**
श्री सी० पलानी अप्पन : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय, राज्य-वार, कितने सिनेमा गृह हैं;

(ख) क्या सरकार को निम्न तथा मध्य आय वर्ग लोगों के लाभ के लिए जिनके लिए मनोरंजन का सबसे मुख्य साधन सिनेमा है और अधिक सिनेमा गृहों का निर्माण करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) 31-3-1982 को देश में 11,239 सिनेमाघर थे। 31-3-1982 को प्रत्येक राज्य में सिनेमाघरों की संख्या दर्शाने वाला **विवरण** संलग्न है।

(ख) और (ग) सिनेमाघर और फिल्मों के प्रदर्शन को विनियमित करने वाले नियम राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। इस प्रकार और अधिक सिनेमाघरों का निर्माण करने का मुख्य दायित्व राज्य सरकारों का है। तथापि, केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के माध्यम से सहायक भूमिका अदा करती है।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की सिनेमाघरों के निर्माण की योजना है जिसके अन्तर्गत सिनेमाघरों के निर्माण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 1.00 लाख रुपये तक के और शहरी क्षेत्रों में 7.50 लाख रुपये तक के ऋण मंजूर किये जाते हैं। ऋणों को पांच वर्ष की अवधि के अन्दर वापिस करना होता है और उन पर ब्याज 12½% वार्षिक होता है। निगम को 5 वर्ष की अवधि के लिए फिल्म के प्रदर्शन समय के 50% तक के समय का उपयोग करने का अधिकार है।

क्र० सं०	राज्य का नाम	31-3-1982 को सिनेमाघरों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	1961
2.	असम	223
3.	बिहार	321
4.	गुजरात	514

1	2	3
5.	हरियाणा	121
6.	हिमाचल प्रदेश	30
7.	जम्मू व काश्मीर	32
8.	कर्नाटक	1117
9.	केरल	1194
10.	मध्य प्रदेश	516
11.	महाराष्ट्र	1195
12.	मणिपुर	9
13.	मेघालय	8
14.	नागालैंड	4
15.	उड़ीसा	161
16.	पंजाब	158
17.	राजस्थान	242
18.	सिक्किम	2
19.	तमिलनाड	1777
20.	त्रिपुरा	8
21.	उत्तर प्रदेश	778
22.	पश्चिम बंगाल	668
23.	अन्दमान व निकोबार	4
24.	अरुणाचल प्रदेश	4
25.	चण्डीगढ़	8
26.	दादरा एवं नगर हवेली	2
27.	दिल्ली	73
28.	गोआ, दमन और दीव	29
29.	मिजोरम	3
30.	पाण्डिचेरी	53
31.	ए० पी० ओ०	24
	योग :	11,239

("स्क्रीन" दिनांक 14-5-1982)

अनुसूचित जाति के लोगों की उन्नति और विकास हेतु दी गई धनराशि

4907. **श्री सूरज भान** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में वर्ष 1980-81 और 1981-82 के लिये अलग-अलग "विशेष संघटक योजना" के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के लोगों की उन्नति और विकास हेतु कितनी धनराशि दी गई;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि वास्तव में खर्च की गई; और

(ग) प्रत्येक वर्ष के लिये कम व्यय/न व्यय करने के क्या कारण हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) "विशेष संघटक योजना" के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के लिए पुनर्वास विभाग की कोई योजना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

बुलंदशहर में नये डाकघरों का खोला जाना

4908. **श्री त्रिलोक चन्द** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के जिला बुलन्दशहर में इस समय क्रमशः कितने-कितने डाक और तारघर, उप-डाकघर और प्रधान डाकघर काम कर रहे हैं तथा ये डाक और तारघर कहाँ-कहाँ स्थित हैं;

(ख) इनमें से कितने डाक और तारघर किराये के भवनों में चल रहे हैं तथा उनमें से प्रत्येक को किराये के रूप में कितनी धनराशि देनी पड़ रही है; और

(ग) जिला बुलन्दशहर के किन-किन स्थानों पर नये डाक और तारघर के खोलने का विचार किया गया है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जिले में 2 मुख्य डाकघर और 51 विभागीय उप-डाकघर हैं। जिले में विभागेत्तर उप-शाखा डाकघरों सहित, जहां तार सुविधाएं प्रदान की गई हैं, डाक-तार घरों की कुल संख्या 62 है वहां एक विभागीय तारघर भी है। स्थानों के नाम विवरण-1 में दिए गए हैं।

(ख) विभागेत्तर डाकघरों के लिए कोई किराया नहीं दिया जाता। ऐसे मामलों में विभागेत्तर एजेंटों द्वारा स्वयं ही आवास की व्यवस्था की जाती है और उनको केवल डाकघर के रख-रखाव का भत्ता ही दिया जाता है। विभागीय डाक तार घरों में से, 27 किराये के भवनों में कार्य कर रहे हैं। इन प्रत्येक भवनों के लिए दिया जा रहा मासिक किराया विवरण-2 में दिया गया है।

(ग) बुलंदशहर जिले में जिन स्थानों पर तार सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है, उनके नाम विवरण-3 में दिए गए हैं। जहां तक नए डाकघरों का संबंध है, साथ में एक विभागीय उप-डाकघर खोलने का प्रस्ताव है तथा इसके अतिरिक्त 1982-83 के दौरान एक ग्रामीण शाखा डाकघर खोलने का भी प्रस्ताव है। इसके लिए स्थान का निर्धारण विचाराधीन विभिन्न प्रस्तावों में से किया जाएगा।

विवरण—1

बुलन्दशहर जिले के वे स्थान जहां पर डाक-तार कार्यालय हैं—

1. अनूपशहर
2. औरंगाबाद
3. अगौता
4. अरनिया
5. अकबरपुर
6. अहमदगढ़
7. बु० शहर-भूड़
8. बु० शहर—ए० जी० आर० स्कूल
9. बु० शहर—आई०एन०डी०-स्टेट
10. बुगरासी
11. भाईपुर-ब्राह्मणन
12. भों बहादुर नगर—बी०एस०आर०
13. भटौना
14. बनाली
15. बिलासपुर
16. छतारी
17. डिबाई
18. दनकौर
19. डिप्टीगंज
20. दानपुर
21. गेसापुर
22. गुलावठी
23. जहांगीराबाद
24. जेवर
25. जहाँगीराबाद मंडी
26. जहांगीरपुर
27. जरगांवा
28. खुर्जा मुख्यालय
29. खुर्जा जंक्शन रेलवे स्टेशन
30. ककोड़
31. कोटा
32. खानपुर
33. कुचेसर
34. लोहारली
35. लखावटी
36. मेहाना
37. नरौरा
38. पहासु
39. पन्नीनगर
40. प्रतापपुर
41. पिरा फिरोजपुर
42. रबुपुरा
43. राजघाट
44. रामघाट
45. सिकन्दराबाद
46. सिकन्दराबाद गुरुकुल

47. स्याना
48. शिकारपुर
49. शिकारपुर मंडी
50. सूरजपुर मखाना
51. सरावा
52. सहकारीनगर
53. सराय
54. सुरजावली
55. सैदपुर
56. सिकन्दराबाद—आई० ई०
57. सलेमपुर
58. तौली
59. थोरा
60. ऊंवागांव
61. वैरा फिरोजपुर
62. बुलन्दशहर केटीवाई
[बुलन्दशहर में एक विभागीय तारघर भी है।]

विवरण—2

उन स्थानों की सूची जहां पर डाक-तार कार्यालय, किराये की इमारतों में कार्य कर रहे हैं—

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	प्रतिमाह दिया जाने वाला किराया
किराये की इमारतें :		रु० पै०
1.	कृषि विद्यालय बुलन्दशहर	37.00
2.	औरंगाबाद	59.00
3.	बुगरासी	100.00
4.	भौं बहादुर नगर बुलन्दशहर	150.00
5.	बुलन्दशहर केटीवाई	124.00
6.	दनकौर	75.00
7.	डिबाई	60.00
8.	डिप्टीगंज बुलन्दशहर	172.00
9.	दानपुर	30.00
10.	छतारी	100.00
11.	गुरुकुल सिकन्दराबाद	175.00
12.	गुलावठी	70.00
13.	जहांगीराबाद	250.00

1	2	3
14.	जहांगीराबाद मंडी	75.00
15.	जहांगीरपुर	200.00
16.	जेवर	250.00
17.	ककोड़	40.00
18.	खानपुर	100.00
19.	नरौरा	18.00
20.	पहासु	90.00
21.	स्याना एल० एस० जी०	100.00
22.	सिकन्दराबाद	350.00
23.	सराय	50.00
24.	खुर्जा जंक्शन रेलवे स्टेशन	150.00
25.	भूड़	150.00
26.	इंडस्ट्रीयल एस्टेट सिकन्दराबाद	155.70
27.	रामघाट	80.00

(इसके अलावा जिस किराये की इमारत में मंडल तारघर कार्य कर रहा है उसके लिए प्रतिमाह 850.00 रु० किराया दिया जा रहा है।)

विवरणी—3

बुलन्दशहर के उन स्थानों के नाम जहां पर तार कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है :—

1. घनौरा
2. खालुर
3. मातागढ़
4. सरदा हबीबपुर
5. बानभोई
6. निसरखा
7. भामरौली
8. हाडोल
9. नाप्प नरौरा
10. चितसौरा
11. अकबरपुर
12. पिन्दरावल
13. मुमनी
14. कुरेला
15. करोलीबांगर
16. पारसौल
17. तिवेगामपुर
18. अहमदपुर चौरलिया
19. धानौरी
20. केशोपुर सैंथला
21. तुलसुरी
22. चंदेरा

23. हालमाबाद
24. अहर
25. हाजीपुर
26. बड़ौली
27. माकड़ी
28. पोवसेरा
29. बरांडा
30. दयानतपुर
31. शेखपुर गोटवा
32. मिर्जापुर
33. जलेलपुर
34. तलवार
35. नीमघाना

बिजली की कमी के कारण दिल्ली के लघु प्लास्टिक एककों की परेशानी

4909. **श्री अजित बाग**
श्री सुशील भट्टाचार्य } : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिजली में कटौती के कारण दिल्ली के लघु प्लास्टिक एककों को बड़ी कठिनाई हो रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो लघु क्षेत्र के उद्योगों की रक्षा करने के लिये क्या उपचारात्मक उपाय किए जायेंगे ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) दिल्ली में विद्युत की उपलब्धता इसकी आवश्यकता से अधिक है। तथापि, वितरण सम्बन्धी कुछ अस्थायी बाधाओं के कारण विद्युत सम्बन्धी कुछ बाधाएं आई थीं। तथापि छोटे पैमाने की प्लास्टिक यूनिटों को विद्युत की सप्लाई में बाधा भी कुछ ऐसी यूनिटों के कारण हुई हैं जो स्वीकृत भार से अधिक अनाधिकृत भार पर प्रचालित हो रही है।

(ख) महरौली में 100 एम०वी०ए० 220/66 के०वी० के एक ट्रांसफार्मर, रिज वैली में दो 30 एम०वी०ए० 66/33 के०वी० के दो ट्रांसफार्मर तथा पार्क स्ट्रीट में 30 एम०वी०ए० के एक ट्रांसफार्मर के चालू हो जाने से स्थिति में काफी सुधार हुआ है।

बोकारो ताप संयंत्र की विस्तार परियोजना निर्धारित कार्यक्रम से पीछे

4910. **श्री अजित बाग** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम (डी०वी०सी०) की बोकारो ताप संयंत्र की विस्तार परियोजना निर्धारित कार्यक्रम से काफी पीछे है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके विस्तृत कारण क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उपरोक्त परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) उपरोक्त परियोजना के कब पूरा हो जाने की आशा है; और

(ङ) लक्ष्य का निर्धारित समय और पूरे होने का समय क्या था ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ङ) परियोजना को स्वीकृत करते समय बोकारो "बी" ताप विद्युत केन्द्र की यूनिट-1 (210 मेगावाट) को 1981-82 में चालू करने का विचार था। तथापि, कानून और व्यवस्था सम्बन्धी समस्या और भूमि के अधिग्रहण में हुई कठिनाइयों की वजह से परियोजना पर कार्य केवल 1980 के मध्य में ही प्रारम्भ किया जा सका। छठी योजना के लक्ष्य के अनुसार यूनिट को अप्रैल, 1984 में चालू करने का कार्यक्रम है। अब इसको दिसम्बर, 1984 में समकालित किए जाने की आशा है। सिविल इंजीनियरी कार्यों के पूरा होने में विलम्ब तथा बिजलीघर संरचनात्मक इस्पात कार्य के लिए मैचिंग स्टील सेक्शनों की देर से प्राप्ति के कारण हुई कमी से इस्पात संरचना की गढ़ाई पर प्रभाव पड़ा है। बोकारो "बी" की यूनिट 2 और 3 (प्रत्येक 210-210 मेगावाट) मूल लक्ष्य के अनुसार क्रमशः 1985-86 और 1986-87 में चालू किए जाने की सम्भावना है।

राज्य सरकारों को बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक राशियां दिया जाना

4911. **श्री अजित बाग** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में गम्भीर विद्युत संकट को देखते हुए सरकार राज्यों को और अधिक राशियाँ दे रही हैं ताकि वे अपने विद्युत उत्पादन में वृद्धि कर सकें; और

(ख) विद्युत उत्पादन के लिए राज्य-वार क्या आवंटन किए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) देश में इस समय विद्युत की स्थिति पहले के वर्षों की तुलना में काफी अच्छी है। छठी पंचवर्षीय योजना में राज्यों के विद्युत सेक्टर के लिए स्वीकृत परिव्यय 14324.16 करोड़ रुपए है। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। योजना आयोग द्वारा छठी योजना मध्यावधि मूल्यांकन करते समय विद्युत क्षेत्र के लिए निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता की समीक्षा की जाएगी।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	विद्युत क्षेत्र के लिए छठी योजना का परिव्यय : (करोड़ रुपए में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	789.70
2.	असम	370.30
3.	बिहार	800.00
4.	गुजरात	945.00

1	2	3
5.	हरियाणा	545.00
6.	हिमाचल प्रदेश	139.73
7.	जम्मु और कश्मीर	170.00
8.	कर्नाटक	601.40
9.	केरल	312.73
10.	मध्य प्रदेश	1500.00
11.	महाराष्ट्र	2157.00
12.	मणिपुर	18.65
13.	मेघालय	45.00
14.	नागालैण्ड	15.25
15.	उड़ीसा	410.00
16.	पंजाब	732.94
17.	राजस्थान	675.00
18.	सिक्किम	12.00
19.	तमिल नाडु	1022.80
20.	त्रिपुरा	22.11
21.	उत्तर प्रदेश	2153.00
22.	पश्चिम बंगाल	886.55
	जोड़	14324.16

सिल्चर रेडियो स्टेशन पर मणिपुरी विष्णु प्रिय-भाषा में कार्यक्रम का प्रसारण

4912. **श्री अजय बिश्वास** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी का सिल्चर केन्द्र (स्टेशन) मणिपुरी विष्णु प्रिय भाषा में निरन्तर कार्यक्रम प्रसारित करता है;

(ख) क्या यह सच है कि तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री श्री आई० के० गुजराल ने 1974 में आकाशवाणी के सिल्चर, केन्द्र से मणिपुरी विष्णु-प्रिय भाषा का कार्यक्रम आरम्भ न करने का वायदा किया था; और

(ग) आकाशवाणी, सिल्चर से लम्बे समय तक मणिपुरी विष्णु-प्रिय भाषा में कार्यक्रम आरम्भ न करने में सरकार के सामने क्या बाधाएं हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं। आकाशवाणी सिल्चर "मणिपुरी विष्णु-प्रिय" भाषा में नियमित कार्यक्रम प्रसारित नही करता। तथापि, यह मणिपुरी में 30 मिनट की अवधि का एक दैनिक कार्यक्रम प्रसारित करता है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। अवबोध, विष्णु-प्रिय "में एक दैनिक कार्यक्रम प्रसारित करने का था न कि" मणिपुरी विष्णुप्रिय में। क्योंकि "भारत की जनगणना 1971 : जनगणना शताब्दी मोनोग्राफ नं 10" में इस प्रकार का कोई नाम नहीं पाया जाता, अतः 1981 की जनगणना के निष्कर्षों के उपलब्ध होने के बाद स्थिति का पुनरीक्षण किया जायेगा।

अगरतला आकाशवाणी केन्द्र पर मैनपुरी मैती और मैनपुरी विष्णु-प्रिय भाषाओं में कार्यक्रम का प्रसारण

4913. **श्री अजय बिश्वास** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा आकाशवाणी केन्द्र पर मैनपुरी मैती और मैनपुरी विष्णु-प्रिय भाषाओं में कार्यक्रम नियमित रूप से प्रसारित किए जाते हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार अगरतला आकाशवाणी केन्द्र पर इन उपरोक्त भाषाओं में यथासंभव शीघ्र प्रसारण शुरू करने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) जनसंख्या के आधार पर इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

टर्बो जेनेरेटर बारों की देश की आवश्यकता

4914. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टर्बो जेनेरेटर बारों के लिए देश की कुल आवश्यकता कितनी है;

(ख) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०, जिसने हाल ही में "माइकालेस्टिक सिस्टम आफ़ इंसुलेशन" और "रेशिन रिच थर्मोएक्टिव एपोक्सी इंसुलेशन" सिस्टम के साथ टर्बो जेनेरेटर बारों का उत्पादन शुरू किया है, देश की आवश्यकता पूरी करने की स्थिति में है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है तो देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) टर्बो जेनेरेटर बार टर्बो जेनेरेटर का अनिवार्य भाग है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्ज लिमिटेड ने सूचित किया है कि किसी तरह के भी अतिरिक्त टर्बो-जेनेरेटर बारों सहित टर्बो-जेनेरेटरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनके पास पर्याप्त क्षमता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गत पांच वर्षों के दौरान निर्धारित समय से पूरी हुई विद्युत योजनाएं

4915. **श्री नीरेन घोष** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान कितनी मंजूरशुदा बिजली योजनाएं निर्धारित समय पर पूरी हुई हैं;

(ख) उनमें से कितनी योजनाएं निर्धारित समम से पीछे रहीं और क्यों;

(ग) इस प्रकार की योजनाओं के विलम्ब के कारणों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रकार के कारणों पर काबू पाने के लिए सरकार द्वारा किए गए मूल्यांकनों और सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) पिछले पांच वर्षों में पूर्ण हो गई विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के प्रचालन की मूलतः अनुसूचित और उनके पूर्ण होने की वास्तविक तारीखें संलग्न उपाबन्ध में दी गई हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 4472/82] इनके चालू करने में हुए विलम्ब के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

1. धन की अपर्याप्त व्यवस्था।
2. भूमि अधिग्रहण में विलम्ब।
3. परियोजनाओं के लिए इंजीनियरी विशिष्टियों को अन्तिम रूप देने में विलम्ब।
4. आनुषंगिक उपस्कर/ठेके देने के आदेश में विलम्ब।
5. विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उपस्करों की सप्लाई में विलम्ब।
6. महत्वपूर्ण निर्माण सामग्रियों की कमी।
7. सिविल निर्माण-कार्यों में विलम्ब।
8. औद्योगिक सम्बन्धों में तनाव।

परियोजनाओं को शीघ्रतापूर्वक पूरा करने के लिए किए गए उपाय

बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से, परियोजनाओं को मानीटरिंग करने में काफी तेजी लाई गई है। परियोजनाओं के विभिन्न कार्यकलापों की पूरी तरह से मानीटरिंग करने के लिए केन्द्रीय

विद्युत प्राधिकरण में निर्माण मानीटरिंग निदेशालय स्थापित किए हैं। केन्द्री विद्युत प्राधिकरण में समन्वय और पुनरीक्षा करने के लिए परियोजना प्राधिकारियों, उपस्कर आपूर्ति-कर्ताओं तथा निर्माताओं के साथ बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गई हैं यथासम्भव उपचारात्मक कार्यवाई करने के लिए सभी रुकावटों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी परियोजना स्थलों का दौरा करते हैं और बाधाओं को दूर करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करते हैं। उपयुक्त कार्रवाई के लिए विद्युत विभाग में भी राज्य सरकारों के साथ तथा केन्द्रीय सरकार के स्तर पर भी, पुनरीक्षण बैठकें की जाती हैं। ऊर्जा मन्त्री के स्तर पर राज्यों के विद्युत मन्त्रियों की बैठकें भी राष्ट्रीय स्तरों पर आयोजित की गई हैं जिनमें उपचारात्मक कार्यवाही करने के लिए निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं को चालू करने की समीक्षा की गई है। परियोजना स्तर पर प्रबन्ध में सुधार करने के लिए जुलाई, 1980 में राज्य बिजली बोर्डों को विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त भी जारी किए गए हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में अन्य बातों के साथ-साथ परियोजनाओं की विभिन्न गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए विभिन्न नैट वर्क और पद्धतियां शामिल थीं। मुख्य आपूर्तिकर्ताओं नामशः भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्ज लि०, इस्ट्रूमेंटेशन लि०, कोटा से उपस्कर की समय पर प्राप्ति और परियोजना प्राधिकारियों द्वारा विभिन्न अन्य निवेशों की उपलब्धता में कुशल और कारगर समन्वय करने के लिए इस वर्ष एक सुसंगत प्रणाली शुरू की गई है। भविष्य में चालू करने का कार्यक्रम परियोजना प्राधिकारियों द्वारा सुसंगत प्रणाली द्वारा समन्वित किया जाएगा।

पश्चिम बंगाल में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में एक नैमित्तिक श्रमिकों की नियुक्ति

4916. **श्री रेणु पद दास** : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में पुराने नैमित्तिक श्रमिकों की नियुक्ति के बारे में कलकत्ता में 11 फरवरी, 1982 को एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि समझौते का पालन नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

मेरठ क्षेत्र में टेलीफोन व्यवस्था की दशा

4917. **श्री रेणु पद दास** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मेरठ क्षेत्र में टेलीफोन व्यवस्था की दशा के बारे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश कार्यकारी पत्रकार संगठन के महामंत्री का कोई पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त पत्र का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) महामन्त्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश संचालन पत्रकार एसोसिएशन से कोई सूचना नहीं मिली, अत: कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।

मेरठ क्षेत्र में टेलीफोन एक्सचेंज के वातानुकूलन संयंत्र का खराब होना

4918. **श्री सुशील भट्टाचार्य**
श्री हन्नान्न मोल्लाह
श्री आनन्द पाठक } : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस वर्ष जून में पर्याप्त समय तक प्रशीतन और दाबीकरण प्रणाली के कार्य न करने के कारण मेरठ क्षेत्र में ठप्प पड़े 8000 टेलीफोनों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इतने समय तक प्रशीतन और दाबीकरण प्रणाली के काम न करने के क्या कारण है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान कितने टेलीफोनों पर प्रभाव पड़ा; और

(ङ) वहाँ की टेलीफोन प्रणाली को सुधारने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) हालांकि मेरठ टेलीफोन एक्सचेंज का वातानुकूलन संयंत्र खराब था परन्तु टेलीफोन प्रणाली सामान्य रूप से कार्य कर रही थी। जून, 1982 के दौरान दोषों की प्रतिदिन औसत संख्या 135 थी। मेरठ में 5690 टेलीफोन हैं।

(ख) मेरठ एक्सचेंज का वातानुकूलन संयंत्र जून, 1982 में 18 दिन तक खराब रहा।

(ग) कम्प्रैसर में तकनीकी दोष, कुछ पालतू पुर्जे तथा प्रियन-12 गैस न मिलने के कारण वातानुकूलन संयंत्र खराब रहा।

(घ) इस अवधि के दौरान 100 टेलीफोन में औसतन 1·9 टेलीफोन प्रतिदिन खराब रहे।

(ङ) वातानुकूलन संयंत्र पुन: चालू कर दिया गया है। एक्सचेंज संतोषजनक ढंग से कार्य

कर रहा है। व्यापक परीक्षण तथा दोषों को तुरन्त ठीक करके प्रणाली में और अधिक सुधार करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

दण्डकारण्य विकास परियोजना का बन्द किया जाना

4919. **श्री अनादि चरण दास**
श्री के० प्रधानी } : क्या पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दण्डकारण्य विकास परियोजना को बन्द करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त प्रस्ताव को कब कार्यान्वित किया जायेगा;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उपरोक्त मामले पर क्या कदम उठाए गए हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरिधर गोमाँगो) : (क) इस समय दण्डकारण्य परियोजना को बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) और (घ) दण्डकारण्य परियोजना के तीन खण्डों में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास से सम्बन्धित कार्य प्रायः पूरा हो गया है और सरकार ने मध्य प्रदेश में परियोजना के कोंडा गाँव परलकोट खण्डों और उड़ीसा के उमरकोट खण्ड, जहाँ कि पुनर्वास कार्य लगभग पूरा हो चुका है, प्रशासन को सामान्य बनाने और इन खण्डों में दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण द्वारा अर्जित की गई परिसम्पत्तियों तथा संस्थानों को, सम्बन्धित राज्य सरकारों को निःशुल्क हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने इन परिसम्पत्तियों तथा संस्थानों की कमियों को पूरा करने तथा इस प्रकार की परिसम्पत्तियों को 1983-84 के अन्त तक, या ऐसी अवधि जो निश्चित की जाएगी, देख-रेख सम्बन्धी व्यय को वहन करने की भी सहमति दे दी है। परिसम्पत्तियों के हस्तांतरण की रीति तथा विस्तृत शर्तों पर, जिनके अनुसार सम्बन्धित स्टाफ को राज्य सेवाओं में खपाया जाएगा, राज्य सरकारों के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के 8 लाख रुपये मूल्य के जी० आई० पाईपों की चोरी

4920. **श्री ए० के० राय** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान धनबाद से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक "दी कोलफील्ड टाइम्स" दिनांक 23 अक्तूबर, 1981 में "थेफ्ट आफ बी० सी० सी० एल'स जी० आई० पाइप्स 8 लेक्स रूपीज" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है और सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या 1981 में पाइपों की इससे अधिक मात्रा में चोरी के मामलों की सूचना अन्य क्षेत्रों से भी मिली है; यदि हाँ, तो उसके ब्यौरे क्या हैं और भारत कोकिंग कोल लि० को उस चोरी में कितनी हानि हुई; और

(घ) पिछले एक वर्ष में पाइपों की चोरियों के उन सभी मामलों की जाँच के सम्बन्ध में प्रगति क्या है और उस पर क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) जी, हाँ। रु० 1.25 लाख मूल्य के पाइपों की चोरी हो जाने का मामला 14-10-1981 को पता चला था जिन तीन कर्मचारियों पर इस मामले में संदेह किया गया था; उन्हें निलम्बित कर दिया गया है और उनके विरुद्ध अगली विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

(ग) और (घ) ठेकेदार के कब्जे से रु० 70,000.00 मूल्य के पाइपों के गायब हो जाने के सम्बन्ध में डकैती के दो मामलों की रिपोर्ट मिली है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर की गई थी। हानि की धनराशि ठेकेदार से वसूल कर ली गई है।

मई, 1981 में एक दुर्घटना में पकड़ा गया लौह सामान ले जा रहा ट्रक

4921. **श्री ए० के० राय**
श्री निहाल सिंह } : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि लौह सामग्री ले जा रहा एक ट्रक मई, 1981 में अरवाझी पुलिस स्टेशन पर राँची के मार्ग में एक दुर्घटना में पकड़ा गया था;

(ख) क्या यह सच है कि वह ट्रक सी० सी० एल० के एक उच्च अधिकारी के रांची स्थित निजी मकानों के बनाने के व्यक्तिगत प्रयोग के लिए कथारा कोयला खान का सामान चोरी छिपे तौर से ले जा रहा था; और

(ग) क्या इस मामले को पहले भी उठाया गया था और मन्त्री महोदय के नोटिस में लाया गया था, यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन): (क) सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड द्वारा की गई जाँच से पता चला कि कम्पनी का ट्रक नं० बी०आर०वाई०—2394 भण्डार सामग्री लेने के लिए 22-5-1981 को रांची जा रहा था। उसे मौसम की खराबी के कारण रुकना पड़ा था। पीछे से आ रही एक टैक्सी का चालक खड़े हुए ट्रक को खराब मौसम के कारण नहीं देख सका और ट्रक के पिछले हिस्से से टैक्सी टकरा गई। ट्रक में किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं लगी थी। टैक्सी की कुछ सवारियों को चोटें लगी थीं। स्थानीय पुलिस ने एक मामला दर्ज किया और जांच करने के बाद टैक्सी-चालक को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279/338 के अन्तर्गत आरोप-पत्र दिया। चूंकि ट्रक-चालक की गलती नहीं थी इसलिए पुलिस ने उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हाँ। मामला एक रिपोर्ट के लिए कम्पनी को दिया गया था। कम्पनी से प्राप्त रिपोर्ट में इस मामले में कोई अनियमितता नहीं पता चली है।

मेरठ क्षेत्र में टेलीफोन व्यवस्था

4922. **श्री हन्नान मोल्लाह**
श्री आनन्द पाठक : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष जून में मेरठ क्षेत्र में टेलीफोन व्यवस्था काफी समय तक निष्क्रिय पड़ी रही;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस व्यवस्था में इस प्रकार की गड़बड़ी के क्या कारण हैं ?

(घ) उस अवधि के दौरान कितने टेलीफोन कुप्रभावित हुए; और

(ङ) भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति की रोक थाम के लिए सरकार ने क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) टेलीफोन प्रणाली में कोई खराबी नहीं थी।

(घ) जून 1982 के दौरान औसतन 135 दोष प्रतिदिन थे। मेरठ में 5690 टेलीफोन हैं।

(ङ) वातानुकूल संयन्त्र जो कि जून 1982 में खराब हो गया था, पुनः ठीक कर दिया गया है। अब एक्सचेंज संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है। व्यापक परीक्षण तथा दोषों को तुरन्त ठीक करके प्रणाली में और अधिक सुधार करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों का निपटारा

4923. **श्री नवीन रवाणी**
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लगभग 1000 मामले दस वर्ष से अधिक समय से लम्बित हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उनमें से कितने मामले उच्चतम न्यायालय में और कितने विभिन्न उच्च न्यायालयों में लम्बित हैं;

(ग) इन मामलों के इतने लम्बे समय से लंबित रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) लम्बे समय से लम्बित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की रजिस्ट्रियों ने उन न्यायालयों के बारे में जो जानकारी भेजी है वह संलग्न विवरण-1 में दी गई है।

(ग) और (घ) न्यायालयों में मामलों के बड़ी संख्या में इकट्ठे होने के अनेक जटिल कारण हैं। ऐसी परिस्थितियों में न्याय प्रशासन में सुधार की एक निरन्तर प्रक्रिया रखनी होगी। इस समय सरकार 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों और अन्य लम्बित मामलों के बीच कोई भेद करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। सरकार बकाया मामलों की समस्या को स्वयं सुलझाने के लिए निरन्तर प्रयास कर रही है। लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए की गई कार्यवाही संलग्न विवरण-2 में बताई गई है।

विवरण—1

10 वर्ष या उससे अधिक समय से लम्बित मामले

उच्चतम न्यायालय (1-4-1982 को जो स्थति थी उसके अनुसार)	2045
उच्च न्यायालय (31-12-81 को जो स्थिति थी उसके अनुसार)	
1. इलाहाबाद	815
2. आन्ध्र प्रदेश	2
3. बम्बई	769
4. कलकत्ता*	7671
5. दिल्ली	1837
6. गोहाटी	66
7. गुजरात	19
8. हिमाचल प्रदेश	123
9. जम्मू-कश्मीर	39
10. कर्नाटक*	6

11. केरल	—
12. मध्य प्रदेश*	298
13. मद्रास	5
14. उड़ीसा	51
15. पटना*	1864
16. पंजाब और हरियाणा	217
17. राजस्थान	280
18. सिक्किम	—
	योग 14061

* केवल मुख्य मामले।

विवरण—2

लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए की गई कार्रवाई

उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए की गई कार्रवाई :—

(1) उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधी के द्वितीय अपील में निर्णय से लेटर्स पेटेंट अपील को समाप्त करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता में 1976 में संशोधन किया गया (देखिए धारा 100 क)।

(2) विधि आयोग की सिफारिशों पर आधारित दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अधिनियमित की गई और उसका 1978 और 1980 में संशोधन किया गया।

(3) उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) अधिनियम, 1956 का संशोधन करके 31-12-1977 से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 13 से बढ़ाकर 17 कर दी गई, इसमें मुख्य न्यायाधिपति सम्मिलित नहीं हैं।

(4) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या में समय-समय पर वृद्धि की गई है।

(5) उच्चतम न्यायालय के नियमों का संशोधन करके रजिस्ट्रारों और चैंबर में न्यायाधीशों को अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं जिससे कि न्यायालय का समय छोटे प्रकीर्ण मामलों में नष्ट न हो।

(6) उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित उपाय भी किए हैं :—

(1) कतिपय मामलों की पूर्विकता दी जाती है।

(2) प्रकीर्ण मामले प्रति-दिन सुनवाई के लिए रखे जाते हैं।

(3) ऐसी रिट पिटीशनों को जिनमें एक जैसे प्रश्न अन्तर्वलित होते हैं, एक ग्रुप में रखा जाता है और 50 से लेकर 100 मामले सुनवाई के लिए एक साथ बैचों में रखे जाते हैं।

(4) ऐसे अन्य मामलों का भी जिनमें एक समान प्रश्न अन्तर्वलित है, समय-समय पर पता लगा कर उन्हें एक साथ रखा जाता है और इस बात का ध्यान रखने का प्रयास किया जाता है कि ऐसे ग्रुपों का निपटारा शीघ्र हो जाए।

(5) उच्चतम न्यायालय नियमों को 1966 में पुनरीक्षित किया गया था और उसमें यह उपबंध किया गया था कि अभिलेखों का मुद्रण उच्चतम न्यायालय के पर्यवेक्षण में ही कराया जाए। इसमें भी काफी समय लग जाता था अतः कुछ दिनों से इस न्यायालय ने जहां कहीं भी संभव होता है अभिलेख तैयार करने की आवश्यकता को समाप्त करना और अपील की सुनवाई विशेष इजाजत पेपर बुक पर करना आरम्भ कर दिया है परन्तु वह ऐसा तब करता है जब दोनों पक्षकार अपने शपथ पत्र और प्रति शपथ पत्र दाखिल कर देते हैं।

(7) उपर्युक्त के अतिरिक्त, कुछ उच्च न्यायालय मामलों के बेहतर निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई कर रहे हैं :—

(क) जिन मामलों में एक समान प्रश्न अंतर्वलित होते हैं उन्हें कई उच्च न्यायालयों द्वारा ग्रुप में रखा जा रहा है।

(ख) सूचना तामील के लिए थोड़ा समय देकर सुनवाई के लिए मामले नियत करना;

(ग) अभिलेख के मुद्रण की आवश्यकता को समाप्त करना; और

(घ) कुछ अधिनियमों के अधीन वाले मामलों में शीघ्र कार्रवाई करना और उन्हें पूर्विकता देना।

(8) सरकार ने देश में न्यायिक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करते रहने के लिए विधि आयोग (10वें विधि आयोग) की भी नियुक्ति की है। विधि आयोग को निर्दिष्ट विषयों में से कुछ निम्नलिखित हैं :—

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यायिक प्रशासन प्रणाली समयोचित माँगों के अनुकूल हो और विशेष रूप से—

(1) इस आधारभूत सिद्धांत पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कि विनिश्चय न्यायोचित और निष्पक्ष होने चाहिए, मामलों के शीघ्र और कम खर्च पर निपटारे को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विलंब समाप्त करने, बकाया मामलों को शीघ्र निपटाने और खर्चों में कमी करने के लिए;

(2) तकनीकी बारीकियों और विलम्बकारी युक्तियों को कम करने और उन्हें समाप्त

करने के उद्देश्य से जिससे कि वह साध्य के रूप में नहीं बल्कि न्याय प्राप्त करने के साधन के रूप में कार्य करे, प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए;

(3) न्याय प्रशासन से सम्बद्ध सभी व्यक्तियों के स्तरों में सुधार करने के लिए;

न्यायिक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करते रहना।

(ख) सार्वजनिक महत्व के केन्द्रीय अधिनियमों का पुनरीक्षण करना जिससे कि उन्हें सरल बनाया जा सके और उनकी विषमताओं, संदिग्धताओं और अनुचित बातों को दूर किया जा सके।

(ग) अप्रचलित विधियों और अधिनियमितियों को या उनके ऐसे भागों को जिनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है, निरूपित करके कानून पुस्तक को अद्यतन बनाने के उपायों की सरकार को सिफारिश करना।

कृषि क्षेत्र के लिए बिजली की सप्लाई

4924. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने 12 जुलाई, 1982 को राज्यों को यह मार्ग-निर्देश जारी किए थे कि उन्हें कृषि क्षेत्र के लिए किसानों को प्रतिदिन 8 से 10 घंटे तक बिजली की सप्लाई करनी चाहिए;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जो उक्त मार्गनिर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि राजस्थान सरकार कृषि क्षेत्र को प्रतिदिन 4 से 5 घंटे बिजली की सप्लाई करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि राज्य बिजली के भारी संकट से गुजर रहा है और यदि हाँ, तो इस कार्य हेतु केन्द्र द्वारा क्या विशेष सहायता दी जा रही है अथवा दिए जाने की विचार है।

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां। देश के कुछ भागों में मानसून के देर से आने तथा अन्य भागों में इसकी अनियमित प्रवृति को मद्देनजर रखते हुए आगामी महीनों में कृषि के लिए कम-से-कम 8 से 10 घंटे की विद्युत सप्लाई करने के लिए केन्द्रीय ऊर्जा मन्त्री ने 13 जुलाई, 1982 को विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखे हैं। मुख्य मंत्रियों से इस सम्बन्ध में राज्य बिजली बोर्डों को समुचित अनुदेश देने के लिए अनुरोध किया गया था।

(ख) कृषि क्षेत्र की विद्युत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अभी तक किसी भी राज्य सरकार ने अपनी असमर्थता व्यक्त नहीं की है।

(ग) चूंकि राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र में यूनिटों के जबरन बंदी के परिणामस्वरूप राजस्थान पहले अस्थायी रूप से विद्युत की कमी का सामना कर रहा था, इसलिए राज्य में कृषि पर विद्युत सप्लाई के प्रतिबन्ध लगाए हुए थे। तथापि 24 जुलाई, 1982 से राजस्थान में कृषि

उपभोक्ताओं पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। राज्य में विद्युत की कमी की स्थिति से निपटने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र के बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र तथा सिंगरौली सुपर ताप विद्युत और उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से भी राजस्थान को यथासम्भव सहायता दी गई है।

राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज

4925. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के सभी जिला मुख्यालयों को एस० टी० डी० सुविधाओं से कब तक जोड़ दिया जाएगा और इस बारे में राज्यवार ब्यौरे क्या हैं; और

(ख) राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के कौन-कौन से स्थानों पर छठी योजनावधि के दौरान इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जायेंगे और प्रत्येक मामले में उनकी स्थापना कब तक की जाएगी ?

संचार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) प्रत्येक जिला मुख्यालयों को उनके राज्यों की राजधानियों से एस० टी० डी० द्वारा जोड़ने की प्रक्रिया आंशिक रूप से छठी तथा सातवीं योजना में उत्तरोत्तर लागू करने का विचार है। फिर भी देश में सभी जिला मुख्यालयों को एस० टी० डी० से जोड़ना अन्ततोगत्वा भावी योजनाओं में उत्तरोत्तर प्रदान की जाने वाली देश व्यापी सीधी डायलिंग सेवा के उद्देश्य का ही एक भाग है।

(ख) फिलहाल छठी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान निम्नलिखित स्थानों पर इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज स्थापित करने की अभी योजना है :—

1. कानपुर (उत्तर प्रदेश)
2. श्री गंगानगर (राजस्थान)
3. अलवर (राजस्थान)
4. पालीमारवाड़ (राजस्थान)
5. ब्यावर (राजस्थान)
6. पठानकोट (पंजाब)
7. खन्ना (पंजाब)
8. अबोहर (पंजाब)
9. सिरसा (हरियाणा)
10. गुड़गाँव (हरियाणा)

उपरोक्त एक्सचेंजों को 1985 तक चालू किए जाने की सम्भावना है।

निर्धनों की विधिक सहायता देने के लिए धनराशि का आबंटन

4926. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने निर्धनों को विधिक सहायता देने के लिए राज्य सरकारों को वर्ष 1981-82 में कितनी धन-राशि आबंटित की है;

(ख) राज्यों ने कितनी धन-राशि खर्च की है; और

(ग) सरकार ग्रामीण निर्धनों को, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के भूमिहीन लोगों को, अपनी भूमि पर कब्जा संबंधी मुकदमा लड़ने के लिए विधिक सहायता देने के लिए क्या कारगर कदम उठा रही है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विधिक सहायता कार्य-क्रमों का वित्त-पोषण, अधिकांशतः संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दिए गए अनुदानों से होता है। केन्द्रीय सरकार ने विधिक सहायता स्कीम समिति की सिफारिशों पर कुछ राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों, विधिक सहायता के क्षेत्र में कार्यरत सामाजिक और स्वैच्छिक संस्थाओं और संगठनों को वर्ष 1981-82 के दौरान सहायता अनुदान मंजूर किए हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) 11,32,272.25 रु० की आबंटित धनराशि में से 8,30,983 रु० की धनराशि खर्च की गई। दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र ने 3,00,000 रु० की धनराशि खर्च नहीं की है और लौटा दी है।

(ग) राज्यों के विधि मंत्रियों के हाल ही में 18 और 19 जून, 1982 को हुए सम्मेलन में इस स्कीम के क्रियान्वयन पर चर्चा हुई थी। निर्धनों की विधिक सहायता देने के कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने को सुनिश्चित करने के लिए तथा जहां आवश्यक हो, केन्द्रीय विधिक सहायता समिति की वित्तीय सहायता से उसके विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया गया। जहां कहीं सर्वेक्षण बंदोबस्त अभी तक नहीं किया गया है वहां राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से इसे तुरन्त आरम्भ करने का अनुरोध किया गया है। भगवती समिति द्वारा तैयार की गई आदर्श स्कीम के अनुसार उन विवादों की दशा में आय के बारे में कोई परिसीमा नहीं है जहां विधिक सहायता के लिए आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति और खाना-बदोश जनजाति का है या वह महिला या बालक है।

विवरण

विधिक सहायता स्कीम क्रियान्वयन समिति की सिफारिश पर विशिष्टयाँ दर्शित करने वाला विवरण

क्र०सं०	बोर्ड/संस्था आदि का नाम	सहायता अनुदान की रकम	प्रयोजन
1.	उच्चतम न्यायालय विधिक सहायता समिति।	1,00,000.00	उच्चतम न्यायालय के समक्ष आने वाले मामलों में विधिक सहायता।
2.	दिल्ली विधिक सहायता और सलाह बोर्ड-मार्फत दिल्ली प्रशासन।	7,00,000.00	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में विधिक सहायता कार्य-क्रम।

1	2	3	4
3.	आंध्र प्रदेश विधिक सहायता और सलाह बोर्ड ।	1,17,000.00	विधिक सहायता शिविर और विधिक जानकारी बढ़ाने का कार्यक्रम ।
4.	गुजरात राज्य विधिक सहायता समिति ।	15,500.00	विधिक सहायता शिविर और विधिक सहायता क्लीनिक ।
5.	उड़ीसा राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड ।	1,00,000.00	विधिक सहायता कार्यक्रमों का क्रियान्वयन ।
6.	उत्तर प्रदेश विधिक सहायता और सलाह बोर्ड ।	66,272.25	विधिक सहायता शिविर, विधिक सहायता क्लीनिक और पुस्तकालय आदि का निर्माण ।
7.	पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ ।	3,500.00	चचरौली में विधिक सहायता शिविर ।
8.	लायर्स क्लैक्टिव, बंबई ।	20,000.00	विधि विकास और योजना पर संगोष्ठी ।
9.	प्रौद्योगिकी केन्द्र, आई०आई०टी०, दिल्ली ।	10,000.00	परा विधिक और सामाजिक कार्रवाई केन्द्र की स्थापना ।
	योग	11,32,272.25	

खलीला बाद, उत्तर प्रदेश में उर्वरक संयंत्र की स्थापना

4927. **श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे :** क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खलीलाबाद, जिला बस्ती में एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, और यदि हां, तो यह संयंत्र कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है : और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में पश्चिमी तट से उपलब्ध गैस पर आधारित चार उर्वरक प्लांट लगाने का निर्णय

लिया गया है। प्लांटों के उपयुक्त स्थलों की सिफारिश करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त स्थल चयन समिति को उत्तर प्रदेश सरकार ने गैस पर आधारित उन 4 उर्वरक प्लाँटों के लिए 16 संभाव्य स्थलों का सुझाव दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थल चयन समिति को सुझाव संभाव्य स्थलों की सूची में बस्ती जिले में किसी स्थल को सम्मिलित नहीं किया। समिति ने अपना अध्ययन पूरा कर लिया है और अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है। उत्तर प्रदेश में गैस पर आधारित 4 उर्वरक प्लांटों के सही स्थल के बारे से शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की आशा है। इस समय उर्वरक प्लांट के लिए बस्ती जिले के खलीलाबाद पर विचार करना सम्भव नहीं है।

गोरखपुर रेडियो स्टेशन का विस्तार

4928. **श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के गोरखपुर केन्द्र का विस्तार करने की योजना काफी समय से सरकार के विचाराधीन है; और

(क) यदि हाँ, तो आकाशवाणी के इस केन्द्र का विस्तार कब तक किया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं। आकाशवाणी का गोरखपुर केन्द्र 100 किलोवाट मीडियम वेव के उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर पर पहले ही विकीर्ण कर रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के गांवों में शाखा डाकघर का खोला जाना

4929. **श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में शाखा डाकघर खोलने के बारे में बहुत बड़ी संख्या में अनुरोध सरकार के पास लम्बित पड़े हैं और जनता की मांग के बावजूद अब तक कोई शाखा डाकघर नहीं खोला गया है;

(ख) यदि हाँ, तो बस्ती जिले में ऐसे गांवों के नाम क्या हैं जहाँ 1982-83 के दौरान शाखा डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि शाखा डाकघर नहीं खोले जाने का विचार है तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) बस्ती जिले में शाखा डाकघर खोलने के लिए 26 आवेदन पत्र विचाराधीन हैं। दो शाखा डाकघर 1982-83 के दौरान पहले ही खोल दिए गए हैं जिनमें से एक छत्ता ग्राम में और दूसरा कौवा ठौर ग्राम में खोले गए हैं।

(ख) 1982-83 के दौरान निम्नलिखित ग्रामों में डाकघर खोलने का प्रस्ताव है :— गौरी, अगियाउना, काकरा, पाखेर और तेनवा ग्रान्त।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्मारक टिकटों की श्रृंखला का जारी किया जाना

4930. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय स्वाधीनता की स्मृति में तथा प्रमुख स्वतन्त्रता आन्दोलन सेनानियों की जन्म शताब्दियों के अवसर पर उनके सम्मान में डाक टिकट जारी कर के स्मारक टिकटों की श्रृंखला जारी करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या डाक तार विभाग द्वारा इस कार्य के लिए गठित किए गए कार्यकारी दल ने अपना प्रतिवेदन इस बीच पेश कर दिया है;

(ग) कार्यकारी दल की सिफारिशें क्या हैं और सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) उन स्वतन्त्रता सेनानियों के नाम क्या हैं जिनको इस सम्मान के लिए चुना गया है और उसके सम्मान में डाक टिकटें कब तक जारी की जायेंगी;

(ङ) क्या डाक टिकटें जारी करने में उन महापुरुषों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनकी पुण्यतिथियां 1982 और 1983 में पड़ती हैं; और

(च) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) और (ख) जी हाँ।

(ग) से (च) कार्य ग्रुपों की सिफारिशों की जांच की जा रही है। इनका ब्यौरा फिलैटली सलाहकार समिति और डाक तार विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लिए जाने के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है।

विभागेतर शाखा डाकघरों का विभागीय उप डाकघर बनाने के लिए उनके कार्यभार आदि की शर्तों और नियमित मानदण्डों में ढील देना

4931. **श्री नारायण चन्द्र पराशर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार (1) विभागेतर शाखा डाकघरों को विभागीय उप डाकघर का दर्जा देने (2) विभागीय उप डाकघर को निम्न चयन ग्रेड के कार्यालयों और प्रधान डाकघरों का दर्जा देने और (3) देश के पहाड़ी और/अथवा आदिवासी क्षेत्रों में, जहां विशेष रूप से औद्योगिक दृष्टि से दुरुह क्षेत्रों में जिनमें प्रभावी कार्यकरण क्षेत्रों में जिनमें प्रभावी कार्यकरण के लिए के लिए छोटे प्रशंसनीय एककों की जरूरत है, नये डाक/तार उप डिवीजन और डिवीजन बनाने के लिए नियमित मानदण्डों और शर्तों (कार्यभार, आयु आदि की) शर्तों में कोई छूट दी जाती है;

(ख) यदि हाँ, तो किस प्रकार की छूट दी जाती है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या इन दुरुह क्षेत्रों में अच्छी सेवाओं के लिए इस प्रकार की छूट दी जाएगी ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) (1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) डाक डिवीजनों/उप डिवीजनों के मामले में कोई रियायत नहीं दी गई है। तथापि तार/टेलीफोन इंजीनियरी डिवीजनों/उप डिवीजनों के लिए मानदंडों में कठिन व पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विशेष महत्व की व्यवस्था है।

(ख) पर्ववतीय, पिछड़े तथा जनजाति क्षेत्रों में प्रतिवर्ष विभागीय उप डाकघरों में दर्जा बढ़ाने हेतु मंजूर किए गए मामलों में से 10 प्रतिशत में विभागेतर डाकघरों का दर्जा बढ़ाकर विभागीय उप डाकघर बनाने के लिए किसी भी शर्त में रियायत देने के लिए सर्किल अध्यक्षों को शक्ति प्राप्त है। तार/टेलोफोन इंजीनियरी डिवीजनों तथा उप डिवीजनों के बारे में कठिन व पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कार्यभार के मानदण्डों में 25 प्रतिशत की विशेष छूट देना भी शामिल है।

(ग) पर्वतीय/जनजाति क्षेत्रों में डाक डिवीजनों/उप डिवीजनों तथा निम्न चयन पदक्रम उप डाकघरों तथा मुख्य डाकघरों के सम्बन्ध में मानदण्डों में ढील देने का प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इन यूनिटों के कार्य को दृष्टिगत रखते हुए मानदण्डों में ढील देना आवश्यक नहीं समझा गया। इंजीनियरी डिवीजनों/उप डिवीजनों के मामले में कार्य का ढाँचा कुछ अलग किस्म का है क्योंकि इसमें क्षेत्र की प्रकृति के अनुसार लाइनों, तारों तथा केबिलों का तकनीकी अनुरक्षण शामिल है।

बिजली की कमी के कारण औद्योगिक उत्पादन में हुआ अनुमानित घाटा

4932. **श्री आनन्द पाठक** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छठी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान बिजली की कमी के कारण देशों में कम से कम 1900 करोड़ रुपये का औद्योगिक उत्पादन का घाटा होगा;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बिजली की कमी को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) विद्युत का उत्पादन बढ़ाने के लिए तथा विद्युत की मांग को सप्लाई के अनुरूप बनाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। सामान्यतः थोड़ी सी कमी का औद्योगिक उत्पादन पर प्रभाव नहीं पड़ता और उद्योग विद्युत कटौतियों को गैर-आवश्यक भारों पर लेते हैं। व्यस्ततमकालीन समय के दौरान क्षमता की कमी के कारण मांग कटौतियों का औद्योगिक उत्पादन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता चूंकि उद्योग अपनी मांग को सोपानबद्ध करने का प्रयास करते हैं। यद्यपि विद्युत की कमी का औद्योगिक उत्पादन

पर प्रभाव पड़ सकता है तथापि केवल विद्युत की कमी के कारण औद्योगिक उत्पादन में हुई हानि की मात्रा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

(ग) विद्युत परियोजनाओ के निर्माण कार्यों के प्रगति की नजदीकी मानीटिरिंग करके उपादन क्षमता में अधिकतम वृद्धि करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उपस्कर की शीघ्र सुपुर्दगी के लिए राज्य बिजली बोर्डों तथा उपस्कर सप्लाईकर्ताओं के बीच समन्वय बैठकों का प्रबंध किया जा रहा है। बाधाओं का पता लगाने के लिए तथा जहाँ पर आवश्यक हो उपचारात्मक कार्यवाही करने के लिए समय-समय पर समीक्षा बैठकें की जा रही हैं। वर्तमान विद्युत केन्द्रों में आवश्यक आशोधन करके विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों को स्थापित किया जा रहा है तथा अन्तर्राज्यीय/अन्तःक्षेत्रीय पारेषण लिंकों को सशक्त किया जा रहा है ताकि देश में विद्युत प्रणालियों का सम्बद्ध रूप से प्रचालन किया जा सके तथा आपात-कालीन स्थिति में विद्युत का आदान-प्रदान किया जा सके।

कम्पनियों से वसूल की गई फीस

4933. **श्री आर० प्रभु : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पाँच वित्तीय वर्षों में प्रत्येक वर्ष फीस के रूप में कम्पनियों से कितनी राशि वसूल की गई और कम्पनी अधिनियम का पालन करने के लिए कितनी राशि व्यय की गई;

(ख) क्या सरकार को पता है कि हाल ही में उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि अन्त फीस, प्रदान की गई सेवा के अनुपात से होनी चाहिए; और

(ग) इस सम्बन्ध में न्यायालय के निर्णय के कार्यान्वयन के बारे में सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा क्या विशिष्ट उपाय किए गए ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) 31 मार्च, 1977 से 31 मार्च, 1981 तक समाप्त गत पाँच वित्तीय वर्षों के दौरान, कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत वसूल किए गए शुल्क की राशि तथा कम्पनी अधिनियम व एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के प्रशासन पर किए गए व्यय की राशि प्रदर्शित करते हुए एक विवरण संलग्न है। वसूल किए गए शुल्क में, अधिनियम की धारा 611 (2) के अन्तर्गत लगाया गया अतिरिक्त शुल्क भी सम्मिलित है।

(ख) तथा (ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अदा करने योग्य शुल्कों को निश्चित करते समय, सरकार सामान्यत: इस तथ्य को ध्यान में रखती है कि इस प्रकार के शुल्क, की गई सेवाओं के समनुरूप होने चाहिएं।

विवरण

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत वसूल किए गए शुल्क की कुल राशि तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 व एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के प्रशासन पर विभाग का कुल व्यय

31 मार्च को वर्ष समाप्ति	वसूल किए गए शुल्क की कुल राशि	किए गए व्यय की कुल राशि
1976-77	5,46,40,480 रु०	2,00,00,000 रु०
1977-78	4,02,00,500 रु०	2,11,12,210 रु०
1978-79	3,54,28,385 रु०	2,28,17,300 रु०
1979-80	4,98,78,495 रु०	2,35,42,000 रु०
1980-81	5,80,57,030 रु०	2,80,28,405 रु०

कम्पनी कानून बोर्ड द्वारा प्रार्थना-पत्रों का निपटान

4934. **श्री आर० प्रभु** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम्पनी कानून बोर्ड द्वारा कम्पनी अधिनियम को अनेक धाराओं के अन्तर्गत, जिनके सम्बन्ध में बोर्ड को शक्ति प्रदत्त की गई है, अधिनियम की प्रत्येक धारा के सम्बन्ध में अलग-अलग 2 वर्ष की अवधि से कितने प्रार्थना-पत्रों का निपटान नहीं किया गया;

(ख) इन मामलों का निपटान 2 वर्ष की अवधि के भीतर न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) कम्पनी कानून बोर्ड द्वारा प्रार्थना पत्रों का तेजी से निपटान में सुधार करने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) कम्पनी अधिनियम, 1956 की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत दो वर्षों की अवधि से अधिक निपटान के लिए अनिर्णित आवेदन पत्रों/याचिकाओं की संख्या और निपटान न करने के कारणों को दर्शाता हुआ विवरण संलग्न है।

(ख) तथा (ग) बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत मामलों का निपटान अत्यन्त निकट से नियन्त्रित किया जाता है और कम्पनी विधि बोर्ड और उसकी पीठों द्वारा आवेदन पत्रों के निपटान को तुरन्त करने के लिए प्रत्येक प्रयास किए जाते हैं। विवरण पत्र में सम्मिलित मामलों के विषय में विलम्ब सामान्यतः कम्पनी विधि बोर्ड के नियन्त्रण से बाहर परिस्थितियों के कारण हुआ है।

विवरण

दो वर्षों की अवधि से अधिक निपटान के लिए, कम्पनी विधि बोर्ड और उसकी पीठों के समक्ष अनिर्णीत आवेदन पत्रों/याचिकाओं के ब्यौरे दर्शाता हुआ विवरण-पत्र

क्रम सं०	कम्पनी अधिनियम की धारा	मामलों की संख्या	निपटान न करने का कारण
1.	111	41	एक मामले में, अवरुद्ध शेयर हस्तांतरण प्रलेख, स्टाम्प कलेक्टर, पश्चिमी बंगाल द्वारा वापिस नहीं किए गए हैं। 18 मामलों में, प्रस्तुत दस्तावेज दोषपूर्ण पाए गए थे। 15 मामले पार्टियों के इस अनुरोध के आधार पर कि सम्बन्धित कानूनी कार्यवाहियाँ अनिर्णीत हैं, अनिर्णीत रखे गए। 7 मामलों में सुनवाई की कार्यवाही चल रही है।
2.	2 (18 क)	1	एक समरूपी मामले में, सदस्य के प्राधिकार, जो इस उप-धारा के अन्तर्गत आने वाले मामलों की सुनवाई कर रहा है, पर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आपत्ति की जा रही है। यह मामला कम्पनी विधि बोर्ड के सामने आदेशों के लिए रखा जा रहा है।
3.	141	1	यह याचिका इस कारण अनिर्णीत है कि सम्बन्धित मामला उच्च न्यायालय के समक्ष अनिर्णीत है।
4.	409	1	कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा अन्तरिम आदेश पहले ही पारित कर दिया गया है। धारा 409 के अन्तर्गत जाँच प्रगति पर है तथा पार्टियों की सुनवाई समय समय पर की गई है। अन्तिम सुनवाई 3 जुलाई, 1982 को हुई थी।

कलकत्ता और मद्रास में कम्पनी कानून बोर्ड की पीठों का गठन

4935. **श्री आर० प्रभु :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी कानून बोर्ड ने कलकत्ता और मद्रास में पीठों का गठन किया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इसमें से प्रत्येक पीठ द्वारा कितने मामले निपटाए गए; और

(ग) क्या इन पीठों के पास पर्याप्त काम है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) हाँ, श्रीमान् जी।

(ख) पिछले तीन वर्षों की अवधि में उक्त दो पीठों में प्रत्येक द्वारा मामलों के निपटान के सम्बन्ध में सांख्यिकीय आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	निपटान किए मामलों की संख्या	
	कलकत्ता पीठ	मद्रास पीठ
1979-80	186	316
1980-81	136	300
1981-82	111	255
	योग 433	871

(ग) इन पीठों के पास पर्याप्त काम है।

हानिकारक औषधियों की बिक्री

4936. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ हानिकारक औषधियाँ, औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड द्वारा जिनकी बाजार से हटा देने की सिफारिश की गई थी, अभी भी खुले रूप में बाजार में बेची जा रही है :

(ख) यदि हां, तो इन औषधियों और उनके निर्माताओं के क्या नाम हैं :

(ग) क्या इन औषधियों में आई०डी०पी०एल० द्वारा निर्मित कुछ औषधियाँ भी हैं; और

(घ) यदि हो, तो इन सभी हानिकारक औषधियों के निर्माण और विपणन को रोकने के लिए उनका क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) औषध नियंत्रक (भारत) ने औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों के अनुसरण में यह निर्णय किया है कि औषधियों की 18 श्रेणियों की निर्धारित मिश्रण को समाप्त किया जाए। औषधियों की तीन श्रेणियों के बारे में अर्थात् फेनासिटीन मिश्रण, एमिडोपाइरिन मिश्रण और औषधों के हाइड्रोक्सीकुनेलाइन समूह (उन औषधों को छोड़कर जो डाइसेन्ट्री आदि के लिए निर्धारित

हैं) ऐसे औषधों को निकालने के लिए कार्यवाही पहले से ही आरम्भ की हुई है। शेष औषधों के बारे औषध मिश्रण की बिक्री को रोकने की निश्चित तिथि 31 मार्च, 1983 है।

(ग) और (घ) एमिडोपाइरिन और फेनासिटिन का उत्पादन और इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित फेनासिटिन युक्त दवाईयों का उत्पादन पर सरकार ने रोक लगा दी है। कम्पनी ने इन औषधों का निर्माण बन्द कर दिया है।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के आर० के० पुरम कार्यालय द्वारा बिल जारी न किया जाना

4937· **श्री उत्तम राव पाटिल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के आर०के० पुरम कार्यालय ने जनवरी, 1982 के मध्य के बाद बिजली की खपत के बिल जारी नहीं किए है;

(ख) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान 4 महीने तक के बिल एक साथ भेजता है, जिसका उपभोक्ताओं द्वारा एक मुश्त भुगतान करना सम्भव नहीं है;

(ग) क्या ऐसे बिलों का भुगतान दो किश्तों में करने के आदेश जारी करने पर विचार किया गया है ;

(घ) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के आर०के० पुरम कार्यालय का तथा नेहरू प्लेस स्थित मुख्यालय का यह दस्तूर रहा है कि असन्तुष्ट उपभोक्ताओं के गलत बिल बनाने, मीटरों के अनियमित चलने तथा अन्य ऐसे मामलों के बारे में प्राप्त पत्रों का उत्तर ही न दिया जाए ;

(ङ) यदि हां, तो दिनांक 1 जुलाई, 1982 तक दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के आर०के० पुरम कार्यालय में ऐसे कितने पत्र लम्बित पड़े थे, जिनका उत्तर नहीं दिया गया है; और

(च) इस मामले में उनका क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) बिल बनाने के बारे में कुछ कठिनाइयाँ हैं परन्तु उनका पता लगाया जा रहा है। जहाँ तक आर० के० पुरम का संबंध है, जून 1982 तक के बिलिंग साइकल के बिल उपभोक्ताओं को भेजे जा चुके हैं।

(ख) सामान्यत: ऐसा नहीं किया जाता है। आर० के० पुरम जिले के सम्बन्ध में केवल दो साइकलों, नवम्बर, 1981 तथा दिसम्बर, 1981 के लिए बिलकुल व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण 4 महीनों के भेजे गए थे। आर० के० पुरम जिले के कुछ उपभोक्ताओं को जनवरी, 1982 से मई, 1982 तक भी 4 महीनों के बिल भेजे गए थे।

(ग) ऐसे बिलों का भुगतान उपभोक्ताओं को आवश्यकता पड़ने पर किस्तों में करने की सुविधा पहले से ही विद्यमान है।

(घ) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आई०टी०आई० राय बरेली में नियुक्तियों में गड़बड़ी और अनियमितताये

4938. **श्री राम लाल राही** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने आई०टी०आई० लिमिटेड, रायबरेली में वर्ष 1980 के दौरान नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर कथित गड़बड़ी और अनियमितताएं होने के लिए जांच के आदेश दिए थे और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 1980 में निम्न श्रेणी लिपिक के पद के लिए चुने गए उम्मीदवारों की नियुक्ति इस तथ्य के बावजूद नहीं की गई कि उन्हें नियुक्ति हेतु जनरल मैनेजर द्वारा स्वीकृत की गई थीं और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या चुने गए उम्मीदवारों की नियुक्ति न दिए जाने पर प्रबन्ध बोर्ड को ज्ञापन दिया है और उनकी नियुक्तियां जनरल मैनेजर सीनियर पर्सनल मैनेजर और एसिस्टेन्ट पर्सनल मैनेजर द्वारा स्वीकृत किए जाने के बावजूद नहीं की गई, यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है जिसे सदन के पटल पर रख दिया जायेगा।

राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम का यूनिट-वार बिजली उत्पादन

4939. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम की यूनिटों ने देश भर में 31 मार्च, 1982 तक यूनिट वार कितनी बिजली का उत्पादन किया ?

(ख) छठी पंच वर्षीय योजना के अन्त तक विद्युत उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया है।

(ग) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में तीन करोड़ यूनिट तापीय विद्युत का उत्पादन कम करना पड़ा था क्योंकि इस अतिरिक्त बिजली की खपत के लिए वहाँ कोई उपभोक्ता उपलब्ध नहीं था ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि इस अवधि में पड़ोसी राज्यों में भी बिजली की कम मांग थी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) 31 मार्च, 1982 की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय ताप-विद्युत निगम की सिंगरौली में प्रतिष्ठापित क्षमता 200 मेगावाट थी। 31 मार्च, 1982 को 200 मेगावाट का सिंगरौली यूनिट चालू करने के बाद उसका रुटीन निरीक्षण किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय ताप-विद्युत निगम बदरपुर में 720 मेगावाट विद्युत का प्रबंध कर रहा था। 31 मार्च, 1982 को बदरपुर में यूनिट-वार उत्पादन इस प्रकार था :—

(मिलियन यूनिट)

यूनिट	1	2	3	4	5
	1.37	1.08	1.74	3.33	1.76

(ख) 720 मेगावाट की व्यवस्था बदरपुर से करने के अलावा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 2400 मेगावाट की प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता तैयार करने का कार्यक्रम है।

(ग) और (घ) जून, 1982 में सम्पूर्ण उत्तरी क्षेत्र के पास फालतू विद्युत थी। विहार और मध्य प्रदेश को सहायता दी गई थी। सिंगरौली में केन्द्रीय क्षेत्र के ताप-विद्युत् केन्द्र का उत्पादन भी कुछ हद तक कम हुआ है।

गुजरात जिले में भ्रष्टाचार, अभद्र व्यवहार और अकुशल कार्य सम्बन्धी शिकायतें

4940. **श्री रामजी भाई मावणि :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात के बुलसार, राजकोट, भावनगर और अन्य जिलों के विभिन्न डाक तथा तार और टेलीफोन कार्यालयों में पर्याप्त समय से अनेक पद रिक्त पड़े हैं जिसके परिणामस्वरूप इन कार्यालयों में कार्य समय पर नहीं निपट पाता हैं और एकत्र हो जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त जिलों में प्रत्येक स्थान में रिक्त पदों की क्या स्थिति है ;

(ग) उपरोक्त रिक्त पदों को कब और किस प्रकार भरे जाने की संभावना है ;

(घ) क्या उपरोक्त स्थानों और जिलों के कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध 1जनवरी, 1981 से 30 जून 1982 तक अनेक शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ;और

(च) उसके क्या परिणाम निकले ?

संचार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल : (क) से (च) संबंधित प्राधिकारियों से अपेक्षित जानकारी मांगी गई है, जिसे यथा संभव शीघ्र सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

"ताऊस" उर्दू दैनिक पटना

4941. **श्री डूमर लाल बैठा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "ताऊस" उर्दू दैनिक पटना के मुद्रक प्रकाशक और संपादक ने 2 मई, 1981 को समाचार पत्र पंजीयक से इस बात की शिकायत की है कि किसी ने उनकी ओर

से 1980 से मार्च, 1981 तक के लिये अखबारी कागज का आवंटन के लिए धोखे से आवेदन किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि प्रकाशक की ओर से दिनांक 3-5-81, 13-5-81, 11-9-81 और 18-9-81 को बार-बार स्मरण कराये जाने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि इस बात का आरोप लगाया गया है कि राजपत्रित लेखाकार (चार्टर्ड एकाऊन्टेट) का प्रमाण पत्र भी झूठा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खाँ) : (क) से (घ) "ताऊस" उर्दू दैनिक, पटना के मुद्रक और प्रकाशक ने भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक को दिनांक 2-5-1981 का एक पत्र भेजा था जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि उनकी ओर से किसी दूसरे ने अखबारी कागज के लिये आवेदन किया है और उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया चार्टर्ड एकाऊंटेंट का प्रमाणपत्र झूठा है। भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक को दिनांक 13-5-1981 और दिनांक 11-9-81 के अनुस्मारक भी प्राप्त हुए थे, किन्तु अन्य दो अनुस्मारक नहीं।

2. यह कहना सही नहीं है कि मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आवेदक की असलियत के बारे में आवश्यक पूछताछ की गई थी और यह पाया गया था कि उसने समाचार पत्र का मुद्रक या प्रकाशक होने का दावा न करके अपने आपको केवल भागीदार बताया था।

3. घोषणा के अनुसार, आवेदक और प्रकाशक और मुद्रक भागीदार हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि क्योंकि अखबारी कागज आबंटन नीति के अनुसार समाचार पत्र अखबारी कागज का हकदार नहीं था, इसलिए उसके आवेदन-पत्र के आधार पर उसको कोई अखबारी कागज आबंटित नहीं किया गया था।

छठी योजना के अन्त में बिजली की मांग का मूल्यांकन

4942. **श्री समर मुखर्जी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छठी योजना के अंत तक राजवार बिजली की माँग के बारे में कोई ल्यांकन किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

11वें वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण के अनुसार छठी योजना के अन्त में विद्युत की मांग का राज्यवार आकलन दिखाने वाला विवरण

राज्य	ऊर्जा की आवश्यकता (मिलियन यूनिट)	व्यस्ततमकालीन भार (मेगावाट)
1. हरियाणा	6343	1309
2. हिमाचल प्रदेश	423	163
3. जम्मू व कश्मीर	1728	346
4. पंजाब	10315	1875
5. राजस्थान	8590	1625
6. उत्तर प्रदेश	22638	4452
7. गुजरात	14696	2642
8. मध्य प्रदेश	12227	2131
9. महाराष्ट्र	26923	4391
10. आन्ध्र प्रदेश	11557	2093
11. कर्नाटक	13262	2166
12. केरल	5539	1090
13. तमिलनाडु	15150	2774
14. बिहार	5489	1044
15. प० बंगाल	8561	1579
16. उड़ीसा	5818	977
17. सिक्किम	35	13
18. असम	1478	290
19. मणिपुर	78	20
20. मेघालय	169	34
21. नागालैण्ड	63	15
22. त्रिपुरा	103	24

राजस्थान में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल और उद्योग तथा व्यापार में प्रभाव

4943. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान में बिजली कर्मचारियों की लम्बे समय से चली आ रही हड़ताल के बारे में जानकारी है जिसके कारण राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड का काम ठप पड़ गया है और राज्य के उद्योग और व्यापार में भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने समस्या के हल का पता लगाने के लिए राज्य सरकार से बातचीत की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड के कामगारों के एक वर्ग ने 19 मई, 1982 की मध्य रात्रि से हड़ताल कर दी है। हड़ताल 15-7-82 से वापस ले ली गई है। राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड के अनुसार, हड़ताल के कारण राज्य में औद्योगिक क्षेत्र पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा था क्योंकि विद्युत सप्लाई बनाए रखने के लिए व्यवस्था कर ली गई थी। यद्यपि कार्यालयों में कार्य की कुछ अस्त-व्यस्तता हुई थी, समग्र उपलब्धता की मात्रा तक समस्त राज्य में हड़ताल की सम्पूर्ण अवधि के दौरान विद्युत सप्लाई बनाए रखी गई थी।

नई दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान और नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा बिल बनाया जाना

4944. **श्री राम विलास पासवान** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उपभोक्ताओं को अनुचित ढंग से बने और बिजली के अधिक राशि के बिल भेजे जाते हैं जबकि नई दिल्ली नगरपालिका और दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अधिकारियों के बिल, बावजूद इस तथ्य के कि उनके पास टेलिविजन सेट, रेफ्रीज़रेटर, गीजर, आदि होते हैं ; अत्यंत कम होते हैं ;

(ख) यदि हां, तो नई दिल्ली नगरपालिका के निम्न अधिकारियों (एक) वर्तमान अध्यक्ष, (दो) मुख्य इंजीनियर (तीन) सुपरिन्टेन्डेन्ट इंजीनियर (इलेक्ट्रीसिटी) (चार) एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (इलेक्ट्रीसिटी) (पांच) सहायक इंजीनियर (इलेक्ट्रीसिटी) और दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के निम्न अधिकारियों :

(एक) मुख्य इंजीनियर (दो) अतिरिक्त मुख्य इंजीनियर (तीन) सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियरों (चार) कार्यकारी इंजीनियरों (पांच) सहायक इंजीनियरों श्रेणी-1 (छः) सहायक इंजीनियर श्रेणी 3 के गत दो वर्षों के बिजली तथा पानी के बिलों की मास-वार धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) उपभोक्ताओं के बिजली के बिल मीटर रीडिंग के आधार पर बनाए जाते हैं। नई दिल्ली नगरपालिका के अधिकारियों के बिल भी

बिजली की खपत के अनुसार मीटर रीडिंग के आधार पर बनाए जाते हैं, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अधिकारियों तथा स्टाफ से रिआयती टैरिफ लिए जाते हैं।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विद्युत वितरण में लापरवाही

4945. **श्री के० राम मूर्ति** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को सुनिश्चित करने का केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का क्या तरीका है कि बिजली वितरण करने में राज्य बिजली प्राधिकरणों की ओर से कोई लापरवाही न हो ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : राज्यों में उपलब्ध विद्युत का वितरण करना राज्य सरकारों और राज्य बिजली बोर्डों का प्राथमिक उत्तरदायित्व है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के संविधिक कार्यों में से एक कार्य किसी भी राज्य सरकार, बोर्ड, उत्पादन करने वाली कम्पनी या बिजली के उत्पादन और सप्लाई में लगी कोई अन्य एजेन्सी को ऐसे मामलों पर सलाह देना है जिसमें कि ऐसी सरकार, बोर्ड, उत्पादन करने वाली कम्पनी या बिजली के उत्पादन या सप्लाई में लगी कोई अन्य एजेन्सी अपने स्वामित्व या नियंत्रण में विद्युत प्रणाली का सही तौर पर प्रचालन और अनुरक्षण करने के लिए तथा जहां आवश्यक हो अन्य विद्युत प्रणाली के स्वामित्व वाली या नियंत्रण वाली किसी अन्य एजेन्सी के साथ समन्वय से प्रचालन और अनुरक्षण करना हो। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण देश में विद्युत उत्पादन की मानीटरिंग और विद्युत सप्लाई का वितरण भी करता है।

टी० वी० सेटों की मरम्मत

4946. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कई वर्षों से मुजफ्फरपुर बिहार में एक टेलीविजन केन्द्र चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि कुछ सरकारी संस्थानों में टेलीविजन सेट सप्लाई किए गए हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि मिडिल स्कूल, काचर, जमौली लाइब्रेरी, मिडिल स्कूल, मोतीपुर, पंचायत आफिस, नकटूटा और अन्य कई केन्द्रों के टेलीविजन सेट कई वर्षों से खराब पड़े हैं ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) सरकार ने उन सेटों की मरम्मत के लिए क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) मुजफ्फरपुर में एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर 14 जून, 1978 से चालू है।

(ख) जी, हां। इन सेटों को पंचायत घरों, स्कूलों, आदि जैसे विभिन्न सार्वजनिक स्थानों और संस्थानों में लगाया गया है।

(ग) और (घ) : शिकायतें मिडिल स्कूल, काचर और पंचायत कार्यालय, नकट्टा से प्राप्त हुई हैं जहां टेलीविजन सेट लगभग एक महीने खराब रहे थे।

सामुदायिक अवलोकन सेट किसी समय बिजली की अविश्वसनीय सप्लाई, पोषक केवल की चोरी, संरक्षकों की अनियमित निगरानी और वर्षा ऋतु के दौरान सड़कों की बुरी दशा के कारण खराब हो गए थे और इसलिए उनकी शीघ्र मरम्मत नहीं की जा सकी।

(ङ) इस बीच कचार और नकट्टा के सेटों की मरम्मत कर दी गई है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में नैमित्तिक कर्मचारियों की हाजिरी में हेराफेरी

4947. **श्री ए० के० राय** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के क्षेत्र नं० 6 में सूची बाह्य किए गए नैमित्तिक कर्मचारियों की संख्या को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाने से संम्बधित उस मामले की जानकारी है जो पिछले एक वर्ष के दौरान सतर्कता विभाग द्वारा पता लगाया गया था ; यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है और उसमें किन-किन अधिकारियों का हाथ था ; और

(ख) क्या सतर्कता विभाग द्वारा उस मामले में अभ्यारोपित कुछ अधिकारियों की नियमों का उल्लंघन करके पदोन्नति हो गई है ; यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) भा०को० को० लि० के एरिया सं० 6 में निकाले गए आकस्मिक कर्मचारियों की नियुक्ति के संम्बध में तथाकथित अनियमितताओं की एक शिकायत प्राप्त होने पर कम्पनी सतर्कता विभाग ने विस्तृत जाँच के लिए मामला ले लिया था। चूंकि, वर्ष 1973 के पुराने रिकार्ड तुरन्त उपलब्ध नहीं थे इसलिए अन्वेषण अधिकारी जांच पूरी नहीं कर सके और दायित्व यदि कोई होता, तो भी निश्चित नहीं कर सके। फिर भी, कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का काम सौंपा गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन आयल कारपोरेशन 'डिगबोई' असम

4948. **श्री अजीत बाग** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान ए० ओ० सी० मजदूर संगठन, डिगबोई (असम) द्वारा इंडियन आयल कारपोरेशन, असम डिवीजन में चिंतनीय स्थिति की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) सरकार ने ए० ओ० सी० मजदूर यूनियन से एक प्रतिवेदन प्राप्त किया है जिसमें कुछ मामलों पर उसने अपनी शिकायतें प्रकट की हैं।

(ख) कर्मचारियों-मालिकों के सौहार्द पूर्ण सम्बन्धों को कायम रखने के लिए जहां आवश्यकता हुई वहां आई० ओ० सी० के असम तेल प्रभाग के प्रबन्ध द्वारा, सुधारात्मक कार्यवाहियां पहले से ही आरम्भ कर दी गई हैं और सरकार इस सम्बन्ध में की गई प्रगति पर निगाह रख रही है।

"सिनेमा हाल्स ब्लफ टू स्वीटिंग आडियेन्स" शीर्षक समाचार

4949. **श्री ए० यू० आजमी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सिनेमाघरों के प्रबन्धक कम बोल्टेज के बहाने पर वातानुकूलन संयंत्र बन्द करते रहे हैं जिसके कारण सिनेमा देखने वालों को गर्मी में बैठना पड़ता था और अनेक सिनेमाघरों ने इस प्रकार के नोटिस बोर्ड भी लगा रखे हैं जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस, दिनांक 2 जुलाई, 1982 में "सिनेमा हाल्स ब्लफ टु स्वीटिंग आडियेन्स" शीर्षक समाचार में कहा गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रया है ; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाई की गई है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) जनता से इस आशय की शिकायतें प्राप्त होने पर कि कुछ सिनेमाघर शो के दौरान वातानुकूलन संयंत्र चालू नहीं रखते जिसके कारण सिनेमा देखने वालों को असुविधा होती है, दिल्ली के पुलिस उप आयुक्त (लाइसेंस) ने दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान से परामर्श करने के बाद सिनेमाघरों के लाइसेंसधारियों को ये लिखित अनुदेश जारी किए कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके वातानुकूलन संयंत्र ठीक तरीके से काम करें। पुलिस उपायुक्त (लाइसेंस) ने सिनेमाघरों के प्रबंधकों को भी अलग-अलग बुलाया और उनसे यह सुनिश्चित करने के लिये कहा कि वातानुकूलन संयंत्र चालू रहें और आडिटोरियम में एक विशिष्ट तापमान बनाए रखा जाये। पुलिस विभाग ने वातानुकूलन संयंत्र के काम न करने के कारण गोलचा सिनेमा का 24 घन्टे के लिए लाइसेंस भी निलम्बित कर दिया था।

अनुदेशों का उल्लंघन करने वाले सिनेमाघरों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिये दिल्ली प्रशासन द्वारा निरीक्षण किए जा रहे हैं।

सिन्थेटिक एण्ड कैमिकल्स लि० बरेली द्वारा अधिष्ठापति क्षमता का उपयोग किया जाना

4950. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिन्थेटिक एण्ड कैमिकल्स लि० बरेली, जिसमें 2,000 से भी अधिक श्रमिक काम करते हैं, अधिष्ठापित क्षमता का केवल 50 प्रतिशत उत्पादन कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग न करने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) सिन्थेटिक्स एण्ड कैमिकल्स लि० बरेली द्वारा 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान (एस० बी० आर०) का उत्पादन क्रमश: करीब 20,000,18,100 और 16,000 मी० टन था। एकक की लाइसेंसीकृत क्षमता प्रति वर्ष 30,000 मी० टन है।

(ख) मुख्य कारण कच्चे माल की कमी और बाजारी प्रतिबन्ध बताये गये।

सुदामडीह में वाहक पट्टा (कनवेयर वेल्ट) का लगाया जाना

4951. **श्री ए० के० राय** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुदामडीह शाफ्ट से भारत कोकिंग कोल लिमिटेड धनबाद में (कनवेयर बेल्ट) को खरीदने तथा उसे लगाने में कितनी लागत आई, तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि यह कीमती बेल्ट व्यवस्था काम नहीं कर रही है बल्कि यह वर्षों से देखने की वस्तु के रूप में खड़ा है, यदि हाँ, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि सी० सी० एल० की मूनीडीह परियोजना में भूमिगत खनन हेतु लाई गई कीमती मशीनों को बेकार ठहराकर बेचा जा रहा है, यदि हां, तो गत पांच वर्षों में बेची गई ऐसी बड़ी मशीनों और उपकरणों की सूची में दिया गया ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या उनका विचार पंजीगत सामान के उचित उपयोग और भारत कोकिंग कोल लि० की सुदामडीह और मूनीडीह पूंजी प्रधान खानों के निरन्तर घाटे पर चलने के बारे में पूरी तरह से जांच कराने का है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) सुदामडीह शाफ्ट खान और इन्क्लाइन खान के बीच कोई कन्वेयर बेल्ट नहीं लगाया गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) ऐसी कोई जांच आवश्यक नहीं है।

समाचार भारतीय और हिन्दुस्तान समाचार का विलय

4952. **श्री कुंवर राम :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "समाचार भारती" और "हिन्दुस्तान समाचार" के मजदूर संघों ने अपनी एजेंसियों की लड़खड़ाती स्थिति को देखकर मांग की है कि इन दोनों एजेंसियों का एक आत्म-निर्भर भाषायी समाचार एजेंसी के रूप में विलय किया जाए अथवा उनका प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया के साथ विलय किया जाए;

(ख) यदि हां, तो दोनों एजेंसियों के प्रबन्धकों के इस सम्बन्ध में क्या विचार हैं;

(ग) क्या प्रबन्धकों के विचार तथा मजदूर संघों की मांग एक समान है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या भाषायी समाचार पत्रों के हित में तथा भाषायी समाचार एजेंसियों के पुनर्वास की दृष्टि से सरकार दोनों भाषायी एजेंसियों का परस्पर विलय अथवा दोनों का प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया के साथ विलय कराने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग कर रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) सरकार को इन दो समाचार एजेंसियों के कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रूप से की गई किसी प्रकार की मांग की जानकारी नहीं है। तथापि, हिन्दुस्तान समाचार कर्मचारी यूनियन ने मई 1981 में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, कुलदीप नायर समिति द्वारा अनुशंसित पैटर्न पर हिन्दी समाचार एजेंसियों के एकीकरण की माँग की गई थी।

(ख) और (ग) इसके बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) समाचार एजेंसियां निजी क्षेत्र में हैं और सरकार प्रेस की स्वतन्त्रता के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता के अनुरूप उनके कार्य संचालन में हस्तक्षेप नहीं करती। तथापि, समाचार एजेंसियाँ विलीन होने या एक होने, जैसा भी वे सर्वोत्तम समझें, के लिए स्वतन्त्र हैं।

राज्यों में "मैत्री करार" का प्रचलन

4953. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "मैत्री करार" के प्रचलन के सम्बन्ध में राज्य सरकारों की टिप्पणियाँ माँगी हैं और किन-किन राज्यों में यह व्यवहार प्रचलित है;

(ख) प्रत्येक राज्य सरकार से प्राप्त उत्तरों की प्रमुख बातें क्या हैं;

(ग) प्रत्येक राज्य में विशेष कर महाराष्ट्र और गुजरात में "जीवन साथी" या "रखैल" के रूप में कितनी महिलाओं को गृह स्वामिनियों के रूप में रजिस्टर किया गया; और

(घ) "मैत्री करार" के अन्तर्गत किए गए ऐसे रजिस्ट्रीकरण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान की राज्य सरकारों से, जहां "मैत्री करार" की प्रथा बहुत प्रचलित है, अपनी टिप्पणियां भेजने का अनुरोध किया गया था।

(ख) गुजरात राज्य सरकार ने अब रजिष्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (जैसा कि वह उस राज्य में प्रवृत्त है) की धारा 22 क के अधीन एक अधिसूचना जारी की है जिसमें मैत्री करारों के रजिस्ट्रीकरण को लोक नीति के विरुद्ध घोषित किया गया है। महाराष्ट्र और राजस्थान सरकारों से टिप्पणियां अभी प्राप्त होनी हैं।

(ग) गुजरात राज्य में रजिस्टर किए गए मैत्री करारों की संख्या वर्ष 1980 और 1981 के दौरान क्रमश: 121 और 189 थी। महाराष्ट्र और राजस्थान राज्य सरकारों से जानकारी अभी प्राप्त होनी है।

(घ) सरकार इस विषय पर विचार कर रही है। महाराष्ट्र और राजस्थान राज्य सरकारों से टिप्पणियां प्राप्त हो जाने के पश्चात् तथा अन्य राज्य सरकारों से भी परामर्श करने के पश्चात् सरकार कोई विनिश्चय करेगी।

प्रत्येक राज्य में बिजली शुल्क की दरें

4954. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य बिजली बोर्ड द्वारा (एक) उद्योग (दो) कृषि (तीन) घरेलू उपभोक्ता को सप्लाई की गई बिजली के सम्बन्ध में लिए जाने वाले बिजली प्रभारों की वर्तमान शुल्क दरें क्या हैं;

(ख) सरकार ने देश में इसकी एक जैसी दरें बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) राज्यों में बिजली की माँग और सप्लाई की वर्तमान स्थिति क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) (उद्योग, कृषि तथा घरेलू उपभोक्ताओं) को सप्लाई की गई बिजली के बारे में प्रत्येक राज्य बिजली बोर्ड द्वारा वसूल की जाने वाली वर्तमान टैरिफ दरें उपाबन्ध-I तथा II में दी गई हैं।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—4473/82]

(ख) देशों में विद्युत टैरिफों की एक समान दरें नियत करने के लिए कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

(ग) जून, 1982 के दौरान देश में ऊर्जा आवश्यकता 11620 मिलियन यूनिट थी। इसकी तुलना में उपलब्धता 11092 मिलियन यूनिट थी। जून, 1982 के दौरान देश में ऊर्जा की कमी 4.6 % के क्रम में थी जबकि जून, 1981 के दौरान यह कमी 13.3 % थी।

एक रिट अर्जी की अन्तिम सुनवाई के लिए सूची में रखने से इनकार करना

4955. श्री अटल बिहारी वाजपेयी
श्री सूरज भान } : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री राम मनोहर सहाय के निर्णय के उस अंश का पाठ क्या है जिसमें उन्होंने एक रिट अर्जी को अन्तिम सुनवाई के लिए सूची में रखने के सुझाव को इनकार करने का कारण उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कमी होना बताया है; और

(ख) इस सम्बन्ध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय तथा अन्य उच्च न्यायालयों में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) माननीय न्यायमूर्ति श्री राम मनोहर सहाय के निर्णय से सुसंगत उद्धरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

(क) उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त स्थानों को भरने के लिए अधिकांश मामलों में राज्य प्राधिकारियों से पूर्ण रूप से सुनिश्चित प्रस्ताव अभी प्राप्त होने हैं। यही स्थिति इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सम्बन्ध में भी है। उन्हें बराबर स्मरणपत्र भेजा जा रहा है।

विवरण

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री राम मनोहर सहाय द्वारा तारीख 30 अप्रैल, 1982 को दिए गए निर्णय से उद्धरण

"विपक्षी पक्षकारों के विद्वान वकील ने यह दलील दी कि अन्तरिम अनुतोष के आवेदन को स्वीकार करने का प्रभाव रिट अर्जी स्वीकार करना होगा। इसलिए स्वयं अर्जी को ही सुनवाई के लिए सूची में रख दिया जाए। निःसन्देह यह सुझाव अत्यन्त आकर्षक है किन्तु परिस्थितियों को देखते हुए यह अनावश्यक और भ्रामक दोनों ही है। यह अनावश्यक इसलिए है कि गुणागुण सम्बन्धी जो विवाद था वह इस न्यायालय की एक खण्ड न्यायपीठ के विनिश्चय से समाप्त हो गया है और यह कहा गया है कि प्रत्यर्थियों ने आदेश को स्वीकार कर लिया है। यह भ्रामक इसलिए है कि न्यायाधीशों की कमी के कारण अन्तिम सुनवाई के लिए कोई न्यायपीठ उपलब्ध नहीं है और लगभग सम्पूर्ण उच्च न्यायालय नई अर्जियों और आदेश मामलों को निपटाने में व्यस्त है। इस कठिनाई के कारण रोक आदेश रद्द करने के लिए आवेदनों को भी काफी दिन के अन्तराल के पश्चात् सुनवाई के लिए सूची में रखा जाता है। जिन मामलों में सुनवाई शीघ्र करने के लिए आदेश पारित किए जा चुके हैं, वे सुनवाई के लिए सूची में नहीं रखे जा रहे हैं। 1981 के बैंच को सितम्बर में किसी समय ग्रहण किया गया था तब से छह मास बीत चुके हैं। यदि यह निर्देश भी दिया जाता है कि अर्जी एक सप्ताह पश्चात् सुनवाई के लिए सूची में रखी जाए तो भी सुनवाई कार्य अधिक होने के कारण ग्रीष्मावकाश के पश्चात् ही की जा सकती है और तब यदि अर्जी मंजूर भी कर दी जाती है तो भी अर्जीदार का एक वर्ष का अमूल्य समय नष्ट हो जाएगा।"

फिरोजाबाद में कोयले के बोगस परमिट और उसे काला बाजार में बेचना

4956. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में जारी किए गए कोयले के अनेक परमिट बोगस हैं तथा वहाँ भारी मात्रा में कोयला काले बाजार में बेचा जाता है;

(ख) फिरोजाबाद के लिए प्रतिदिन कोयले के कुल कितने वैगन सप्लाई किए जाते हैं;

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि कितने कारखाने और भट्टे ऐसे व्यक्तियों द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिन्हें कोयले के परमिट जारी कर रखे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई जाँच करायेगी तथा सभी बोगस परमिटों को रद्द करेगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क), (ग) और (घ) फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश की शीशे की यूनिटों की कोयले की आवश्यकताओं के लिए प्रायोजन उत्तर प्रदेश सरकार के उद्योग निदेशक करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी ऐसे प्रयोजन पर कोल इंडिया लि० रेल द्वारा लदान की स्वीकृति देती है। कोल इंडिया लि० की उसके सभी उपभोक्ताओं के लिए वर्तमान नीति के अनुसार सड़क द्वारा भी ले जाने के उतना कोयला दिया जाता है जितना रेल द्वारा प्रेषण में कम रह जाता है। चूंकि को० इं० लि० राज्य सरकार की सिफारिशों पर कोयला सप्लाई करती है, इसलिए यह सुनिश्चित करना राज्य सरकार के प्राधिकारियों का उत्तरदायित्व है कि वह केवल सही उपभोक्ताओं को ही कोयला देने की सिफारिश करें।

(ख) कोयले का वैगनों में लदान प्रतिदिन नहीं होता है। वैगनों में लदान कार्य तभी होता है जब रेलवे वैगनों की सप्लाई करती है। फिरोजाबाद के शीशा उद्योगों के लिए मई, जून, जुलाई, 1982 में लादे गए चार पहियों वाले वैगनों की संख्या क्रमशः 489, 428 और 234 है।

आकाशवाणी और दिल्ली दूरदर्शन द्वारा पश्चिम बंगाल कांग्रेस (आई) और कांग्रेस (एस) के समाचार दिया जाना

4957. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी और दूरदर्शन ने गत तीन महीनों के दौरान विभिन्न अवसरों पर पश्चिम बंगाल कांग्रेस (आई) और कांग्रेस (एस) पार्टियों को प्रायः किस तरह समय दिया; और

(ख) किन कारणों से सरकार पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े दल के कोई समाचार खास तौर पर उपरोक्त दोनों पार्टियों द्वारा लगाए गए सभी आरोप जिन्हें आकाशवाणी और दिल्ली दूरदर्शन, द्वारा प्रसारित किया गया के उत्तरों के समाचार देने में असफल रहीं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) यह बात कि आकाशवाणी और दूरदर्शन पश्चिम बंगाल राज्य के सबसे बड़े दल को कवर नहीं करते, सही नहीं है। ये माध्यम समाचारों के समाचारिक महत्व और सम्बन्धित बुलेटिनों के लिए प्राप्त समाचारों के आधार पर संतुलित और यथोचित कवरेज उपलब्ध करते हैं। इन माध्यमों के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों में, अन्य बातों के साथ-साथ, इस बात पर जोर दिया गया है कि उद्देश्य विपरीत दृष्टिकोण का यथोचित प्रस्तुतीकरण होना चाहिए। प्रश्न के भाग (क) में मांगी गई सूचना इस प्रकार अलग रूप में नहीं रखी जाती।

बायरा सियूल और सलाल परियोजना में उपभोक्ताओं से प्राप्त धनराशि को लेखे में न चढ़ाया जाना

4958. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बायरा सियूल और सलाल परियोजना द्वारा बिजली की सप्लाई के सम्बन्ध में कितने-कितने उपभोक्ता लैजर, मीटर रीडिंग बुक्स, रसीद बुकें, बिल बुकें, कैश बुकें आदि खरीदे गए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि अनेक मामलों में विद्युत प्रभार के भुगतान की उपभोक्ताओं को कोई रसीदें जारी नहीं की गईं तथा उपभोक्ताओं से प्राप्त ऐसी धनराशि को लेखे में नहीं चढ़ाया गया; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

घटिया किस्म के ईंधन टैंकों का निर्माण

4959. **श्री निहाल सिंह** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसे घटिया किस्म के ईंधन टैंकों के निर्माण के बारे में जानकारी है जिनमें धरातल और कस्बे का पानी मिल जाता है ;

(ख) क्या सरकार को 4 मार्च, 1982 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित समाचार बोईंग 707 विमान के लिये ईंधन नजदीक के टैंक से लिया गया था ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि हवाई जहाजों में ईंधन भरने वाले अधिकांश कर्मचारी गैर टेकनिकल आदमी हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तेल टैंकों के निर्माण के लिये कुछ मानदंड निर्धारित करने और केवल टेकनिकल स्टाफ द्वारा ईंधन की सही जांच सुनिचित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) वायुयानों में ईंधन भरने के कार्य में लगे समस्त कर्मचारियों और अधिकारियों को कड़ा प्रशिक्षण मिला है और उनके पास अनुभव है।

(घ) ईंधन भंडार टैंकों के लिए और ईंधन भरने के तकनीकी स्टाफ और वायुयान आपरेटरों द्वारा सप्लाई के उचित पर्यावेक्षण के मानक सिविल विमानन के महानिदेशक द्वारा अनुमोदित किस्म नियंत्रण नियम-पुस्तिका में पहले से ही निर्धारित किये गये हैं।

छिद्रन जहाज सागर प्रभात के लिए निमज्जन उपकरण

4960. **श्री के० लकप्पा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छिद्रन जहाज सागर प्रभात कब प्राप्त किया गया था ;

(ख) क्या यह सच है कि छिद्रन जहाज के लिये अपेक्षित निमज्जन उपकरण एक जर्मन फर्म से प्राप्त किया गया है यद्यपि एक अन्य फर्म ने इसकी सस्ती दर पर पेशकश की थी ;

(ग) दोनों फर्मों ने इसकी क्या-क्या दरें कोट की थीं ;

(घ) यदि उपरोक्त मांग (क) का उत्तर सकारात्मक है, तो दूसरी फर्म की पेशकश को नजरान्दाज कर देने के क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या उपकरण को स्वीकार करने से पूर्व, सक्षम इंजीनियरों द्वारा इस उपकरण के आवश्यक समुद्री परीक्षण और अन्य परीक्षण कर लिये गए थे ; और

(च) क्या उन परिस्थितियों की जांच कर ली गई है, जिनके अन्तर्गत वर्तमान सप्लायर की पेशकश स्वीकर की गई थी ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा "सागर प्रभात" ड्रिलशिप मई 1982 में प्राप्त किया गया।

(ख) ड्रिलशिप के लिए अपेक्षित डाईविंग उपकरणों के लिए आर्डर जर्मन की एक फर्म मैसर्स ड्रेगर वर्क ए० जी० को दिया गया था। इस फर्म से उपकरण के लिए की गई पेशकश सभी पेशकशों से कम दर की थी।

(ग) मैसर्स ड्रेगर वर्क ए०जी० द्वारा उल्लिखित दरें डी. एम. 5,823,372 (2.33 करोड़ रुपये) और मैसर्स कोमेक्स की दरें एफ. एफ. 16,421,000 (2.74 करोड़ रुपये) थी।

(घ) उपर्युक्त "ग" को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) ठेके में प्रमाणीकरण और वर्गीकरण एजेन्सी अर्थात "डेट मैरजक वेरिटलस" निर्धारण की व्यवस्था है। उपकरण "सागर प्रभात" में प्रतिष्ठापित किये गये हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अपना काम पूरा कर लेने के बाद की जायेगी।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

भाद्रक के टेलीफोन केन्द्र जिला बालासोड (उड़ीसा) के केबिल ज्वाइंट का जलना

4961. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाद्रक टेलीफोन केन्द्र जिला (उड़ीसा) के उन कर्मचारियों के विरुद्ध क्या विशिष्ट कार्यावाही की गई है जो 19 जनवरी, 1982 को भारत बंद के अवसर पर टेलीफोन केन्द्र के केबिल ज्वाइंट के जलने के लिये जिम्मेदार हैं ;

(ख) टेलीफोन केन्द्र की सुरक्षा और सुचारू कार्य संचालन सुनिश्चित करने हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किये जा रहे हैं;

(ग) क्या टेलीफोन केन्द्र में अभी भी कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिनके विरुद्ध उनके दुर्व्यवहार और घांधलीबाजी के कारण जनता द्वारा गंभीर शिकायतें की गई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) ऐसे सभी कर्मचारियों का स्थानांतरण करने के लिए कार्यवाही की गई थी जिनका कार्य और आचरण संतोषजनक नहीं था।

(ख) इस टेलीफोन एक्सचेंज को, जो घटना के समय किराये की इमारत में था, अब 4-5-82 को विभागीय इमारत में शिफ्ट कर दिया गया है।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई मामला नहीं है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

गाँधी जी की संकलित कृतियों के अप्रकाशन खंडों का प्रकाशन

4962. **श्री कुवर राम** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांधी जी की संकलित कृतियों के ऐसे कितने खंड हैं, जो अभी तक अप्रकाशित हैं;

(ख) उनके कब तक प्रकाशित हो जाने की आशा है; और

(ग) क्या उन्हें अन्य भारतीय भाषाओं में भी प्रकाशित करने का कोई प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) अंग्रेजी और हिन्दी में प्रकाशित किए जाने वाले 90-90 खंडों में से, अंग्रेजी में 5 खंड और हिन्दी में 15 खंड अभी अप्रकाशित हैं। इसके अलावा, एक या दो अवशिष्ट खंड भी प्रकाशित होने हैं।

(ख) अवशिष्ट खंडों सहित अंग्रेजी के सभी 90 खंडों को अगले वित्तीय वर्ष अर्थात् 1983-84 के अन्त तक रिलीज कर दिये जाने की उम्मीद है। तथापि, हिन्दी के शेष खंडों के प्रकाशन में 1983-84 के बाद दो और वर्ष लग सकते हैं।

(ग) जी, नहीं।

पटना टेलीफोन सलाहकार समिति

4963. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन तथा क्षेत्रीय डाक तथा तार सलाहकार समितियों के सदस्यों के नाम निर्देशन के लिए कोई मानदंड निर्धारित किये हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि पटना टेलीफोन सलाहकार समिति में उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्य का नाम निर्देशित करने के स्थान पर किसी अन्य संसद सदस्य का नाम निर्देशित किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) और (ख) (1) एक टेलीफोन सलाहकार समिति में उसके सदस्य प्रतिनिधि विभिन्न क्षेत्रों यथा राज्य प्रशासन, राज्य विधान मंडल, संसद, व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग, चिकित्सा व्यवसाय, जनसेवक तथा कानूनी व्यवसाय से लिए जाते हैं। विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले नामों की सूची टेलीफोन जिलों अथवा दूरसंचार सर्कलों के अध्यक्षों से प्राप्त की जाती है। डाक-तार विभाग इस समिति में संसद सदस्यों का मनोनयन करने के लिए संसदीय कार्य विभाग से उनके नाम मंगवाता है। सरकार (1) महाप्रबंधक/जिला प्रबंधक टेलीफोन महाप्रबंधक, दूरसंचार (2) मंत्रालय द्वारा सीधे भेजे गए तथा (3) संसदीय कार्य विभाग से प्राप्त नामों की सूची पर विचार करने के बाद ही टेलीफोन सलाहकार समिति में नामजदगी करती है।

(2) विभिन्न डाक सलाहकार समितियों में ग्रामीण, व्यापार एवं वाणिज्य, लघु उद्योग और प्रैस का प्रतिनिधित्व करने वाले और राज्य सरकारों के सरकारी और गैर सरकारी प्रतिनिधियों की नामजदगी संबंधित राज्य सरकारों की सिफारिशों पर की जाती है जबकि संसद सदस्यों की नामजदगी संसदीय कार्य विभाग द्वारा की जाती है। गैर प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की नामजदगी संचार मंत्री करते हैं।

(ग) जी नहीं। निम्नलिखित संसद सदस्यों को, जो कि अपने नाम के सामने दिए गए क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, पटना टेलीफोन सलाहकार समिति में नामजद किया गया है :—

1. श्री रामावतार शास्त्री (पटना)
2. श्रीमती प्रतिमा सिंह (पटना)

3. प्रो०के०के० तिवारी (बक्सर)

4. श्री कुंवर राम (नवादा)

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान सुपर तापीय परियोजनाओं की पावर लोड फैक्टरी

4964. **श्री बी०आर० नहाटा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान प्रत्येक राज्य में प्रत्येक तापीय और सुपर तापीय विद्युत परियोजना की पावर लोड फैक्ट्री कितनी थी ?

(ख) यदि प्रत्येक राज्य की प्रत्येक परियोजना की पावर लोड फैक्ट्री में कमी आई हो तो इस कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) यदि किसी राज्य के हस की वृद्धि हुई हो तो कितनी वृद्धि हुई और इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के लिए ताप-विद्युत परियोजनाओं का संयंत्र भार अनुपात का राज्यवार/केन्द्रवार ब्यौरा दिखाने वाला विवरण संलग्न है (उपाबन्ध-एक)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4474/82]

(ख) दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और असम को छोड़कर सभी राज्यों में संयंत्र भार अनुपात में वृद्धि हुई है। उपरोक्त राज्यों में वर्ष 1980-81 की तुलना में वर्ष 1981-82 के दौरान संयंत्र भार अनुपात में कमी आने के लिए उत्तरदायी कारण यूनिटों की जबरन बन्दी, आद्योपान्त अनुरक्षण, नवीकरण कार्य के लिए लगने वाली लम्बी समय अवधि और आंशिक अनुपलब्धता है।

(ग) 1980-81 की तुलना में 1981-82 के दौरान जिन विद्युत केन्द्रों में संयंत्र भार अनुपात में वृद्धि हुई है, उन केन्द्रों का विवरण संलग्न है (उपाबंध-दो)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4474/82]

मान्यता प्राप्त मजदूर यूनियनों की डाक-तार कार्यालय के परिसर में मीटिंग न करने की अनुमति देने के आदेश

4965. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक-तार अधिकारियों ने मान्यता प्राप्त मजदूर यूनियनों को लंच के समय अथवा ड्यूटी के घंटे पूरे होने के बाद डाक-तार कार्यालय परिसर में मीटिंग करने और डाक-तार कार्यालयों की दीवारों पर नोटिस लगाने और यूनियनों के पोस्टर लगाने की अनुमति न देने के आदेश हाल ही में जारी किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) और (ख) मौजूदा अनुदेशों के अनुसार डाक तार संघीय संस्थाओं को कार्यालय के स्थानीय अध्यक्ष को सभा की कार्य सूची दिखाकर बिना पूर्व अनुमति लिये कार्यालय के अहाते में कोई सभा करने की अनुमति नहीं है। सभी मामलों में अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि कार्यालय भवन की सुरक्षा खतरे में न पड़े, कार्यालय अहाते की शालीनता बनी रहे तथा कार्यालय के काम में किसी प्रकार की रुकावट न आये। मनोरंजन कक्ष, कैंटीन, विभागीय भवन से जुड़ा खुला मैदान आदि "कार्यालय के अहाते" में शामिल हैं। कार्यालय के अहाते को राजनीतिक सभाओं के मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त निर्देश निर्धारित करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इस आशय का एक निर्णय किया था कि संघों को कार्यालय अहातों में सभाएं करने का कोई अधिकार नहीं होगा। मान्यता प्राप्त संघों की संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप सभाएं करने की अनुमति संघों के बीच तथा प्रशासन एवं संघों के बीच प्रायः एक विवाद का विषय बन गई हैं। सभा करने की सुविधा का आन्दोलनात्मक उद्देश्यों से दुरुपयोग करने के बयान भी किए गए। अतः एक परिपत्र जारी किया गया जिसमें निर्देश दिया गया था कि यदि बैठक किसी आन्दोलनात्मक कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिये है तो उसे अनुमति न दी जाय। इन परिस्थितियों में, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभा करने की अनुमति देने के लिये निर्धारित शर्तें प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सख्ती से लागू की जा रही हैं, विशेष निदेशों पर विचार किया जा रहा है। सम्भव है कि मौजूदा परिस्थितियों में शर्तों को सख्ती से लागू करने का परिणाम यह हो सकता है कि अधिकतर मामलों में अनुमति अस्वीकार कर दी जाये। जहाँ तक मान्यता प्राप्त-संघों। एसोसिएशनों द्वारा नोटिसों, पोस्टरों आदि के चिपकाने का सम्बन्ध है, इसके लिये सूचना-पट्ट उपलब्ध हैं। फिर भी संघों/एसोसिएशनों को दीवारों पर पोस्टर आदि नहीं चिपकाने चाहियें जिससे विभागीय भवनों की शोभा बिगड़ जाती है।

राज्यों में बिजली उत्पादन का प्रतिशत तथा ट्रांसमिशन में हानियां

4966. **श्री डूमरलाल बैठा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों में राज्यवार, 1981-82 में वर्ष के दौरान उनकी बिजली की मूल्यांकन आवश्यकता के साथ बिजली की उत्पादन की प्रतिशतता क्या है, और

(ख) वर्ष 1982-83 के लिए मूल्यांकित आवश्यकता क्या है, उत्पादन का लक्ष्य क्या है और लक्ष्य के प्राप्त करने हेतु क्या उपाय अपनाये गये हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) 1981-82 के दौरान राज्यवार प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता ऊर्जा उत्पादन, संयंत्र भार अनुपात और ऊर्जा मांग को दिखाने वाला विवरण संलग्न है (उपाबंध-1)।

[*ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4475/82*]

वर्ष 1981-82 के दौरान प्रतिशत परिषण और वितरण हानियां उपाबंध-2 में दी गयी हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी-4475/82]

(ख) वर्ष 1982-83 की राज्यवार ऊर्जा मांग और ऊर्जा उत्पादन कार्यक्रम को दिखाने वाला विवरण संलग्न है (उपाबंध-3) [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी-4475/82]। 1982-83 के दौरान ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार करके तथा नई उत्पादन क्षमता में लगभग 3500 मेगावाट की बढ़ोत्तरी करके लक्ष्य प्राप्त करने की योजना है।

'जी' प्वाइंट, गोल मार्किट क्षेत्र में डाक-तार कर्मचारियों की रहन-सहन की स्थिति

4967. **श्री आर० एन० राकेश :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने 'जी' प्वाइंट, गोल मार्किट क्षेत्र में रहने वाले डाक-तार कर्मचारियों के रहन-सहन की स्थितियों को सुधारने हेतु क्या प्रयास किये हैं;

(ख) क्या निवासियों ने उस क्षेत्र में अस्वास्थ्यकारी स्थिति के बारे में अनेक बार शिकायतें की हैं जिनके परिणामस्वरूप छूत के रोग फैल रहे हैं; और

(ग) सरकार की उस पर क्यां प्रतिक्रिया है और उस समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) क्वार्टरों की उपयुक्त मरम्मत एवं रख-रखाव किया जा रहा है। 1980-81 के दौरान विशेष मरम्मत की गई थी। तथापि क्वार्टरों का सामान्य कार्यकाल पूरा हो गया है अतः बड़ी मरम्मतें करने का कोई इरादा नहीं है।

(ख) क्षेत्र में सफाई की कुव्यवस्था के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) सीवर लाइनों में से पानी बाहर बहने के कारण हुई अस्वच्छता को सीवर लाइनों की आवधिक सफाई करके दूर किया जाता है। 27-7-82 को अंतिम बार सफाई की गई थी। सीवर लाइनों से पानी बाहर बहना प्रारंभ होने पर सामयिक कार्रवाई करने के लिए निगरानी रखी जा रही है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा अंधाधुंध विस्फोट करने से बिहार के झरिया क्षेत्र में उत्पन्न गम्भीर स्थिति

4968. **श्री अजित बाग :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के प्राधिकारियों द्वारा अंधाधुंध विस्फोट करते रहने से झरिया क्षेत्र (बिहार) में गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के प्राधिकारियों द्वारा इस अंधाधुंध सुरंग लगाने की कार्यवाही को जिससे कि न केवल झरिया क्षेत्र के लोग ही उजड़ रहे हैं बल्कि इससे कस्बे को भी खतरा पैदा हो रहा है, रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) यह सच नहीं है कि भा० को० को० लि० के प्राधिकारी अंधाधुंध ब्लास्टिंग कर रहे हैं। कोयला कंपनी ने रिपोर्ट दी है कि ब्लास्टिंग पर्याप्त सावधानी बरतते हुए और प्रावधानों के अनुसार ही की जा रही है। जब कभी आवश्यक होता है तो कम्पनी इन कार्यों के संबंध में भारतीय खान विद्यालय, केन्द्रीय खनन अनुसंधान केन्द्र, केन्द्रीय खान आयोजन और डिजाइन संस्थान लिमिटेड और खान सुरक्षा महा-निदेशालय से भी परामर्श करती है।

हरिजनों को निःशुल्क अथवा रियायती दरों पर बिजली की सप्लाई

4969. **श्री नवीन रवाणी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरिजन मकानों को निःशुल्क बिजली देने या उन्हें कुछ रियायत देने हेतु कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो आज तक प्रत्येक राज्य में कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

प्रभावहीन औषधियों को बेचा जाना

4970. **श्री समर मुखर्जी**
प्रो० रूपचन्द पाल } : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विदेश विभाग तथा वाणिज्य विभाग द्वारा प्रस्तावित हाल ही की एक नीति के अन्तर्गत अमरीका में निर्मित असुरक्षित अथवा प्रभावहीन औषधियां प्लास्मा और टीकों की दवाओं जैसे चिकित्सीय औजार तथा जीवविज्ञानीय चिकित्सा उपचार तथा अन्य खतरनाक उत्पाद तथा प्रतिबंध लगे कीटनाशी आजादी से अमरीका से तथा तीसरे विश्व के देशों में बेचे जा सकते हैं जैसा कि सायंस नामक अमरीकी मैगजीन में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उस बारे में क्या उपचारात्मक कदम उठाये जाने हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) : औषध एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940 औषधों के आयात, निर्माण वितरण तथा विक्री को विनियमित करता है। इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन, किसी भी औषध का भारत में तब तक आयात नहीं किया जा सकता जब तक कि इसे औषध नियंत्रक (भारत) द्वारा अनुमोदित न किया जाए। औषध नियंत्रक (भारत) आयात के लिए तभी अनुमति देता है जब वह इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि आयात की जाने वाली औषधियां इस्तेमाल किए जाने के लिए सुरक्षित तथा लाभकारी हैं।

नई औषधियों का आयात करने की इच्छुक फर्मों को ऐसी अनुमति प्रदान करने से पूर्व फर्मों को औषधियों के बारे में विस्तृत ब्यौरे देने को कहा जाता है। जिनमें जानवरों पर जहरीलेपन के आंकड़े औषधों के साथ भेषजीय तथा जीव-रासायनिक अध्ययन, टेराटोजिनिक अध्ययन के परिणाम और औषधों के साथ किए गए क्लिनिकल परीक्षण तथा देश में औषध के विपणन का स्तर शामिल है फर्मों द्वारा दी गई सूचना की जांच यदि आवश्यक हुआ तो विशेषज्ञों की परामर्श से की जाती है। अतः हानिकारक औषधों के आयात को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं।

जहां तक कीटनाशकों का सम्बन्ध है देश में उनके प्रचलन और उनके आयात का नियंत्रण केन्द्रीय कीट-नाशी बोर्ड कीट-नाशी नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत किया जाता है। अतः प्रतिबंधित कीटनाशकों के आयात को रोकने के लिए भी व्यवस्था की गई है।

रंगीन टी० वी० सेटों के दाम

4971. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान मूल्य सूचकांक के अनुसार रंगीन टेलीविजन का प्रति सेट मूल्य 10,000 रुपया होगा;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्टूडियो को केवल रंगीन टेलीविजन में बदलने की लागत लगभग 29 करोड़ रुपया होगी;

(ग) यदि हां, तो रंगीन टी० वी० खरीदने योग्य स्पष्ट रूप से कम ग्राहकों के लिये इतनी अधिक धनराशि खर्च करने के क्या कारण हैं; और

(घ) उन थोड़े से लोगों के हितों की परियोजना को इतनी प्राथमिकता देने के क्या कारण हैं जिनके लिये सरकार ने रातों-रात रंगीन ट्यूबों और कलर-पुर्जों के अबाध आयात के लिये अपनी आयात नीति में परिवर्तन किया ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) उपलब्ध स्वदेशी रंगीन दूरदर्शन सेट का विक्रय मूल्य 7500 रुपये और 8000 रुपये के बीच होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) 8 दूरदर्शन ट्रांसमीटरों को रूपान्तरित करने और एशियाई खेलों के बाद कार्यक्रमों को रंगीन में तैयार करने हेतु ओ० बी० वाहनों का उपयोग करने के लिए दिल्ली और बम्बई में अतिरिक्त सुविधाएँ उपलब्ध करने पर 4.70 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। छठी योजना की सभी स्कीमों अर्थात् 4 मुख्य केन्द्रों और 8 रिले केन्द्रों को रूपान्तरित करने की अतिरिक्त अनुमानित लागत 5 करोड़ रुपये होगी।

(ग) और (घ) रंगीन ट्यूबों और अन्य पुर्जों के अबाध आयात के लिए सरकार की नीति में रातों-रात परिवर्तन नहीं हुआ है। एशियाई खेलों के दौरान रंगीन दूरदर्शन सेटों की मांग पूरी करने के लिये, विकल्प आयात या स्थानीय रूप से असेम्बल करने के थे। रंगीन दूरदर्शन ट्यूबों के आयातित

पुर्जों की लागत 1900 रुपये (एफ०ओ०बी०) प्रति सेट, जो पूर्ण रूप में आयात किए जाने वाले रंगीन दूरदर्शन सेट की लागत होती, से नीचे लाकर 1250 रुपये (एफ०ओ०बी०) प्रति सेट कर दी है। तद्नुसार, वर्तमान आयात नीति के उपबन्धों के अन्तरित सादे दूरदर्शन सेट निर्माताओं को पूरक आयात लाइसेंस जारी करने का प्रस्ताव है।

प्रत्येक राज्य में "कुटुंब न्यायालय" स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव

4972. **श्री जो० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह मालूम करने के लिए कि "कुटुंब न्यायालयों" का स्वरूप क्या होगा और विधि में किस प्रकार के परिवर्तन करने पड़ेंगे, कोई प्रयास किए गए हैं;

(ख) क्या यह न्यायालय बहू को जलाने संबंधी मामलों पर भी कार्यवाही करेंगे जिससे कि वर्तमान न्यायालयों द्वारा इस समय जितना समय लिया जाता है उसे कम किया जा सके; और

(ग) ये न्यायालय कब तक स्थापित कर दिए जाएंगे और क्या प्रत्येक राज्य में इस प्रकार का न्यायालय स्थापित किया जाएगा ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (ग) सरकार कुटुंब न्यायालय स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है। इस संबंध में रूपरेखा तैयार की जा रही है।

कुटुंब न्यायालय

4973. **श्रीमती गीता मुखर्जी**
श्री अर्जुन सेठी
श्रीमती माधुरी सिंह
श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी
श्री अनन्तरामुलु मल्लु : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महिलाओं के हितों की रक्षा करने और घरेलू शान्ति बनाए रखने के लिए कुटुंब न्यायालय स्थापित करने तथा अन्य उपाय करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) सरकार कुटुंब न्यायालय स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है। इस संबंध में रूपरेखा तैयार की जा रही है।

———

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : यह एक गम्भीर मामला है। विधेयक पर वक्तव्य के बारे में आपका क्या कहना है ? (**व्यवधान**)

प्रो० रूपचन्दपाल (हुगली) : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है···

अध्यक्ष महोदय : मैंने उस पर अनुमति नहीं दी है (**व्यवधान**) मैंने किसी को भी अनुमति नहीं दी है।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मैंने इस पर एक स्थगन प्रस्ताव दिया है।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने अनुमति नहीं दी है, कोई प्रश्न नहीं। मैंने अनुमति नहीं दी है। कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जा रहा है।

अगर आप सारे बोलते रहे तो क्या फायदा है ? मैंने किसी को अलाऊ नहीं किया है।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस पर अनुमति नहीं दी है।

(**व्यवधान**)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : महोदय, मेरा आपसे यही अनुरोध है, यदि आप अस्वीकार करते हैं···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं व्यवस्था के प्रश्न पर सुनूंगा महोदय, आपकी बात सुनने का कोई प्रश्न ही नहीं, शास्त्री जी, आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, यह अभूतपूर्व बात है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रेस की स्वतन्त्रता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता का संरक्षण करने के लिए यह सरकार की विफलता है।

अध्यक्ष महोदय : श्री गुप्त, मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। मैंने शास्त्री जी को अनुमति दी है। आपका क्या प्वाइन्ट है ?

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष जी, मैं यह कह रहा हूं कि बार-बार एम० पीज० फ्लेट्स में पानी की कमी का हमने सवाल उठाया है। कल रात दस बजे से पानी नहीं है। हम नहा कर नहीं आये हैं और···

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे नोट करता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री : हम पाखाने का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बारे में नियमन दीजिए। हम पाखाने के पानी से मुंह हाथ धो रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : बस हो गया।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या आपने इसे नोट कर दिया है ? वहां पानी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे नोट कर चुका हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम सब आपसे यह अनुरोध कर रहे हैं। आप उत्तेजित मत होइए। व्याकुल मत होइए।

अध्यक्ष महोदय : मैं व्याकुल नहीं हो रहा हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : दो दिन बाद सदन स्थगित हो रहा है। कृपया शान्ति बरतें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या करना चाहते हैं ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं यही कह रहा हूं कि आज कोई ऐसी घटना हुई है जो अभूतपूर्व है। मन्त्री जी संरक्षण देने में विफल रहे हैं और उसके परिणामस्वरूप प्रेस को बाध्य होना पड़ा है कि···

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही इस पर पूर्ण चर्चा के लिए अनुमति दी थी। उस पर बिना व्यवधान के पूरी चर्चा हुई थी। मैंने उस पर अनुमति दी थी। यह उनकी स्वतन्त्रता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अन्तर्गत था।

(व्यवधान)

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : अध्यक्ष महोदय, कांस्टीट्यूशन में हरिजनों के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है···

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इनसे बात कर रहा हूं, आप क्यों बोल रहे हैं ? मेरी अनुमति के बिना कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा। बारी-बारी से बात कर लीजिए। मुझे भी कष्ट नहीं होगा, आपको भी कष्ट नहीं होगा। इस पर विचार करने का यह तरीका नहीं है। आप मुझे कोई नोटिस दीजिए। ऐसा कोई तरीका नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : फिर वही बात । आपकी समझ में बात नहीं आती ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे इनसे बात कर लेने दीजिए ।

श्री रशीद मसूद : मेरी बात सुन लीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात तब सुनूं जब मैंने आपकी बात सुनी न हो ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सुनने की बात सुनता हूं, वाजिब बात सुनता हूं ।

श्री रशीद मसूद : मेरी बात सुन लीजिए । कांस्टीट्यूशन में जो अधिकार दिया गया है । उसका डिस्क्रिमिनेशन होता है ।

अध्यक्ष महोदय : आप कोई नोटिस दीजिए मुझे ।

(व्यवधान)

श्री रशीद मसूद : एडजर्नमेंट मोशन दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : उसमें नहीं आ सकता, कोई और नोटिस दीजिए ।

स्थगन प्रस्ताव नहीं है । अनुमति नहीं दी जाती । मेरी अनुमति के बिना कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा ।

(व्यवधान)**

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : सदस्य के नाते मेरा इसमें भाग लेने का अधिकार है ।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती ।

श्री रशीद मसूद : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात का क्या हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : नाट एलाउड । आप मुझे कोई नोटिस दीजिए ।

श्री रशीद मसूद : ठीक है ।

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसंत साठे) : महोदय, यह इसी प्रकार हुआ जिस प्रकार यह कहना कि मैंने विपक्षी सदस्यों को आज यहाँ चिल्लाने के लिए भड़काया है । **(व्यवधान)**

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री हरिकेश बहादुर : महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करने के बाद हम यह जान गये हैं कि सूचना मन्त्री ने मुख्य मन्त्री को भड़काया है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इस बात से इन्कार किया है । उन्होंने थोड़ी देर पहले यही कहा है ।

श्री हरिकेश बहादुर : कि उन्होंने राज्य सभा में कहा है ।

अध्यक्ष महोदय : हद हो गई, आप सुनते तो हैं नहीं । आप ही के जवाब में उन्होंने कहा है । उन्होंने कहा है कि यह उसी प्रकार है जैसे मैंने आपको भड़काया है । अनुमति नहीं दी जाती है । (व्यवधान)**

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : अध्यक्ष महोदय, मैं कल की घटना की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जो हाउस में हुई··· ।

अध्यक्ष महोदय : किस चीज की घटना ?

श्री हरीश कुमार गंगवार : मैंने चिट्ठी लिखी है, कल डिप्टी स्पीकर महोदय ने···

अध्यक्ष महोदय : यह असंगत है । बिल्कुल असंगत । अनुमति नहीं दी जाती है । इस पर बहस नहीं की जा सकती है ।

श्री हरीश कुमार गंगवार : वह कन्सेन्शस की बात कर रहे हैं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती है । नियम के विरुद्ध है ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : अध्यक्ष जी, मैंने एक ऐडजर्नमेंट मोशन दिया है आपको, एक लड़का है शैड्यूल्ड कास्ट का प्रताप सिंह है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह इंडिविजुअल का नहीं है, आप कोई 377 दे दीजिए ।

कोई प्रताप सिंह हो । आप 377 में दीजिए । यह कोई तरीका नहीं है ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : शैड्यूल्ड कास्ट के लड़कों को नहीं दी जा रही है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कोई दूसरा नोटिस दीजिए । आप दीजिए कोई चीज ।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : आप देखें अध्यक्ष जी, मेरे पास पूरी लिस्ट···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुन लें । अगर आप कोई दूसरा मोशन देंगे तो मैं कंसीडर करूंगा ।

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री जगपाल सिंह : इनके मंत्रियों को हम बार-बार लेटर लिखते हैं और कोई कार्यवाही नहीं उस पर होती है। एक भी मिनिस्टर इनके नहीं सुनते हैं। 30) कैटेगरीज रेलवे की है, एक भी शैड्यूल्ड कास्ट से नहीं भरी गई है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : मुझे अभी-अभी एक पत्र मिला है। यह सूचना और प्रसारण मन्त्री की सहमति से है। पत्र में लिखा है···

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आकर बात कर लीजिए। माननीय वाजपेयी जी, बाद में डिस्कस कर लेंगे। आप मेरे से बाद में डिस्कस कर लीजिये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : पत्र में लिखा है :

"यदि बिहार विधान मंडल में विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व सरकार द्वारा कोई परामर्श आवश्यक समझा गया था तो वह उचित मन्त्रालय जिसे संदर्भ तैयार करना अपेक्षित था, गृह मंत्रालय है।"

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे से बात कर लीजिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सूचना और प्रसारण मन्त्रालय गृह मंत्रालय पर टाल रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे से बात कर लीजिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या गृह मंत्रालय से परामर्श किया गया था।

श्री के० लकप्पा (टुमकुर) : कल मैंने प्रो० मधु दण्डवते की नेपाल यात्रा के सम्बन्ध में टिप्पणी की थी, समाचार पत्रों में यह उल्लेख किया गया है कि मैंने यह कहा था कि प्रो० मधु दण्डवते को वहां नहीं जाना चाहिए था। महोदय, मैंने उनकी नेपाल यात्रा पर कभी भी आपत्ति नहीं की। मेरी आपत्ति मात्र यह थी कि उन्होंने नेपाल में गलत वक्तव्य क्यों दिया है, जिससे इन दोनों देशों में गलतफहमी पैदा हो गई। इसलिए, इसे देखना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : महोदय, आपने नियम 115 के अन्तर्गत मेरे नोटिस का पिछले 15 दिनों से जवाब, नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप मुझसे मिल लें।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : हां, श्री राय ?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : शेड्यूल्ड कास्ट का मामला है, आप कब तक ध्यान देंगे ? (**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती है। इन्हें अनुमति नहीं दी जाती है। रिकार्ड नहीं किया जाएगा।

श्री जगपाल सिंह : अध्यक्ष जी, संविधान में इनके लिये रिजर्वेशन की व्यवस्था है··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह कोई प्रजातन्त्र चलाने का ढंग है कि नहीं मुझे पता नहीं। अगर इस तरह से शोर करने से···

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यह शोर नहीं किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात तो सुनते नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूं आपसे कि आपको अपनी बात ढंग से पेश करने का ढंग भी नहीं आता है। मैंने कह दिया कि आप कोई अन्य मोशन दे दीजिए, मैं डिस्स करवा दूंगा। इस पर ऐडजर्नमेंट नहीं होगा।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : तो काल अटेंशन मन्जूर कर लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : कहा तो मैंने, उतनी देर से और क्या झक मार रहा हूं। मुझे देंगे तब पता लगेगा।

अध्यक्ष महोदय : हां, श्री राय···

श्री ए० के० राय : कृपया मेरी बात सुनिए···

अध्यक्ष महोदय : मैंने अनुमति नहीं दी है। मैंने इसे देखा है। यह असंगत है।

श्री ए० के० राय : महोदय, कृपया मेरी बात सुनिए।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, वक्तव्य के बारे में क्या स्थिति है ?

अध्यक्ष महोदय : कौन सा वक्तव्य ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : प्रधान मंत्री का वक्तव्य।

अध्यक्ष महोदय : वक्तव्य का प्रश्न ही नहीं है।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : वह इसे पहले ही कह चुके हैं। आप यहां पर नहीं थे।

(व्यवधान)

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के उपबन्धों की क्रियान्विति के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : मैं एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 62 के अन्तर्गत एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के उपबन्धों की क्रियान्विति के बारे में 1 जनवरी 1981 से 31 दिसम्बर, 1981 तक की अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गइ। देखिए संख्या एल० टी० 4433/82]

वाणिज्य पोत परिवहन (नाविकों के कल्याण कार्यों के लिये शुल्क) संशोधन नियम, 1982

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : मैं वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत वाणिज्य पोत परिवहन (नाविकों के कल्याण कार्यों के लिए शुल्क) संशोधन नियम, 1982 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 3 जुलाई, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 588 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 4434/82]

सोडा एश के भंडार के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 1864 के 20 जुलाई, 198 . को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने वाला विवरण

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मन्त्री (श्री पी०शिव शंकर) : मैं सोडा ऐश के भंडार के बारे में श्री के० टी० कोसलराम के अतारांकित प्रश्न संख्या 1864 के 20 जूलाई, 1982 को दिए गये उत्तर को शुद्ध करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4435/82]

वन्य प्राणी (संव्यवहार और चर्म प्रसाधन) राजस्थान (संशोधन) नियम, 1982

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : मैं वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 63 की उपधारा (2) के अंतर्गत वन्य प्राणी (संव्यवहार और चर्म प्रसाधन) राजस्थान (संशोधन) नियम, 1982 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 28 जुलाई, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 511 (अ) में प्रकाशित हुए थे। सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 4436/82]

संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत भारत के नियन्त्रण-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : मैं संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के वर्ष 1981 के प्रतिवेदन—संघ सरकार (वाणिज्यिक)—भाग 12– रुचि के विविध विषय की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 4437/82]

———

राज्य सभा से सन्देश

सचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है—

(एक) मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने आज 9 अगस्त, 1982 को हुई अपनी बैठक में विश्वभारती (संशोधन) विधेयक, 1978 सम्बन्धी दोनों सदनों की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बारे में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया—

> "कि विश्वभारती (संशोधन) विधेयक, 1978 सम्बन्धी दोनों सदनों की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय राज्य सभा के 125वें सत्र के अन्तिम दिन तक और बढ़ाया जाये।"

(दो) मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 7 अगस्त, 1982 को अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 19 जुलाई, 1982 को पारित चिट फंड विधेयक, 1982 को निम्नलिखित संशोधनों सहित पास किया है—

खण्ड 7

(1) कि पृष्ठ 6 पर, उपखंड (2) के प्रथम परन्तुक की मद (ग) के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाये, अर्थात्—

> "(घ) प्रधान किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, जो नैतिक अधमता से सम्बन्धित है और किसी ऐसे अपराध के लिए कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है, जब तक कि उसके निर्मोचित होने से पांच वर्ष की अवधि बीत न गई हो।"

खंड 16

(1) कि पृष्ठ 9 पर उपखंड (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड प्रतिस्थापित किया जाय, अर्थात् --

"(3) जहां इनाम की कोई रकम इन आधार पर नहीं निकाली गई थी कि ऐसे अभिदाता जिनकी उपस्थिति उपधारा (2) के अधीन रकम निकालने के समय अपेक्षित थी, उपस्थित नहीं थे या किसी अन्य आधार पर वहां, रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से या प्रधान द्वारा या अभिदाताओं में से किसी के द्वारा आवेदन किये जाने पर यह निदेश दे सकेगा कि इनाम की रकम उसकी उपस्थिति में या उसके द्वारा प्रतिनियुक्त किसी व्यक्ति की उपस्थिति में निकाली जायेगी।"

अतः मैं राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 128 के उपबन्धों के अनुसरण में उपरोक्त विधेयक को एतद्द्वारा वापस करता हूं और अनुरोध करता हूं कि उपरोक्त संशोधनों के लिये लोक सभा की सहमति इस सदन को भेजी जाये।

चिट फंड विधेयक

सचिव : महोदय, मैं चिट फंड विधेयक, 1982, जो राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटा दिया गया है, सभा-पटल पर रखता हूं।

(व्यवधान)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (गढ़वाल) : यह सदन प्रधान मन्त्री द्वारा अपनी अमरीका यात्रा के बारे में वक्तव्य दिये जाने की उत्सुकता से प्रतीक्षा करता रहा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कल प्रश्नोत्तर काल है। कल के प्रश्नोत्तर काल के लिये तारापुर के सम्बन्ध में एक प्रश्न है। वक्तव्य का कोई प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : हम वक्तव्य चाहते हैं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में नहीं लिया जायेगा।

(व्यवधान)**

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) हिमाचल प्रदेश में नदियों से भूमि के कटाव का अध्ययन करने के लिए सर्वेक्षण दल भेजने की आवश्यकता

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला):अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश राष्ट्र का एक ऐसा प्रान्त है जहां बहुत ज्यादा वर्षा होती है और यहां बहुत से नदी नालों का संचालन होता है। मैं भारत सरकार का ध्यान इस क्षेत्र के जमीन के कटाव की ओर दिलाना चाहता हूं और इस कारण से गरीब किसानों की हजारों एकड जमीन कटाव हो जाने की वजह से बर्बाद हो गयी है। यही नही जो चराएं व घासनियां जिससे इस क्षेत्र के लोगों के पशु पालन का काम होता है, वह भूमि भी अधिक मात्रा में खराब हो जाने के कारण बर्बाद हो गई है, जिसको यहां के किसान सुधार करने के काबिल नहीं रहे। कई परिवार तो इस प्रकार के हैं जिनके पास अगर 100 बीघा भूमि थी, वह सब की सब कटाव में बर्बाद हो गई और अब वह अपने आपको लाचार पाते हैं। इस कटाव को रोके जाने के लिए एक ही उपाय है कि भारत सरकार हिमाचल प्रदेश की इन बडी-बड़ी नदियों और नालों की तरफ ध्यान देकर एक सर्वेक्षण दल को राज्य सरकार में भेजे और वहां के नदी नालों का सर्वे करे और किसानों के नुकसान का अन्दाजा करके भारत सरकार को दे और इस सम्बन्ध में योजना मंत्री हिमाचल सरकार को उतनी राशि देने का प्रबन्ध करे जो इन नदी नालों के पानी को ठीक किया जा सके और यहां के किसानों के जमीन के कटाव को रोका जा सके।

मैं यह भी प्रार्थना करूंगा कि किसानों के नुक्सान, जो कटाव की वजह से हुआ है, उसको पूरा करने के लिए भारत सरकार तुरन्त कार्यवाही करे और जिस सिरमौर में जमना नदी, मारकंडा, रनाट नदी और इसके साथ ही नदी नालों को तुरन्त ठीक किया जाये और इसी प्रकार जिला सोलन में सरसा नदी और गिरी नदी, अश्नी नदी, ऊना में सोवा नदी, चम्बा में रावी, मण्डी में व्यास नदी, इन नदियों के बहाव को रोकने हेतु अगर तुरन्त कदम नहीं उठाए गए तो हिमाचल प्रदेश की उन पहाडियों को जो एक पर्यटन स्थल के रूप में भी है, खराब होने का भय है।

अतः मैं भारत सरकार से आशा रखता हूं कि हिमाचल सरकार इस सम्बन्ध में उस समय तक पूरी मदद नहीं कर सकती जब तक भारत सरकार राज्य सरकार को अनुदान के रूप में करोडों रूपयों का प्रावधान नहीं करती। इसलिए इस गंभीर समस्या को सामने रखते हुए राज्य सरकार को अधिक धन देने का प्रावधान किया जाए।

(दो) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लघु-उद्योगों को वित्तीय सहायता दिये जाने की आवश्यकता

श्री भीखाभाई (बांसवाडा) : अध्यक्ष महोदय, लघु उद्योगों एवं कुटीर उद्योगों का महत्व समझते हुए ही हमरी 1956 की औद्योगिक नीति में इनकी स्थापना एवं प्रादुर्भाव की समुचित व्यवस्था की गई थी। तदन्तर और भी कई योजनाएं इस संदर्भ में बनाई गई। हाल ही में बनाई

गई ऐसी ही एक योजना है "जिला औद्योगिक केन्द्र" योजना । इसके तहत इन उद्योगों को एक ही छत के नीचे वित्त, तकनीकी सहायता आदि आदि सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं ।

इन्हीं योजनाओं से प्रेरित हो कर बहुत से लोगों ने, जिनमें शिक्षित नवयुवक भी शामिल हैं, ऐसे छोटे उद्योग लगाने का फैसला किया । इनमें एक उद्योग फरीदाबाद में घड़ी बनाने के कारखाने का था । खेद का विषय है कि यद्यपि यह तकनीकी रूपेण सक्षम घोषित किया गया, तथापि इसके लिए वित्त की व्यवस्था नहीं हो पाई । यह उद्योग बैंक आफ बड़ोदा की एक स्थानीय शाखा के पास गया । बजाए इसके कि वहां से इस उद्योग को धन प्राप्त होता, उलटा बैंक ने इसका कोई 10,000 रूपया बेकार में खर्च करवाया । इसी तरह का एक और उदाहरण कलकत्ते का है । वहां की आंध्र बैंक चौरंगी ब्रांच के पास यह उद्योग एक शिक्षित बेरोजगार द्वारा कार्बन फिल्म रजिस्टर बनाने के लिए गया । बैंक ने न ही कोई वित्त की व्यवस्था की और न ही इस बारे में पार्टी का जवाब दिया । ऐसे और उदाहरण मेरे पास हैं ।

मेरी समझ में नहीं आता कि जब सरकार की नीति इस बारे में स्पष्ट है, तो फिर ये संस्थाएं क्यों नहीं सरकारी नीतियों को अमल में लाती हैं । क्या चन्द एक व्यक्ति इस तरह से निहित स्वार्थ की वजह से सरकार की नीतियों को निरर्थक बना सकते हैं ?

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

कुछ माननीय सदस्य : महोदय कल आपने इतिहास बना दिया ।

उपाध्यक्ष महोदय: विपक्ष के रूप में आपने अपना कर्त्तव्य पूरा किया और उपध्यक्ष के रूप में मैंने अपना कर्त्तव्य पूरा किया ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मूल्यांकन में अन्तर है ।

(तीन) सस्ती दरों पर बाल-साहित्य उपलब्ध कराने की आवश्यकता

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौडगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, बाल साहित्य का देश में अत्यन्त ही अभाव है । जो थोड़ा बहुत उपलब्ध है, वह भी बहुत ही महंगा है । देश का गरीब मजदूर, कृषक और आदिवासी का बच्चा जो कुछ प्रतिशत स्कूल में पढ़ने जाता है, वह भी इन महंगी पुस्तकों को खरीद कर नहीं पढ़ सकता । अतः स्वस्थ मनोरंजन तथा स्वस्थ साहित्य के अभाव में बच्चों में मानसिक शून्यता तथा भटकाव की स्थिति रहती है । अतः केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय से मैं निवेदन करूंगी कि देश की ऐतिहासिक धरोहर, महापुरुषों, देश-प्रेमियों, देश-विदेश की भौगोलिक तथा आर्थिक तथा वैज्ञानिक विकास की जानकारी चित्रमय कथाओं के माध्यम से देने के लिए ऐसी पुस्तकें निःशुल्क या बहुत ही सस्ती दर पर बच्चों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए । सोवियत रूस में बहुत ही सस्ती निःशुल्क ऐसी पुस्तके बच्चों को दी जाती है । क्यों नहीं हमारे देश

[श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत]

में नन्हें बच्चों के ज्ञान-वर्द्धन तथा स्वस्थ मनोरंजन के लिए सस्ता, बढ़िया बाल साहित्य हम चित्रमय प्रस्तुत करें। शिक्षा मंत्रालय शिक्षा में बाल साहित्य के लिए भी विशेष मद रखे, जिससे बच्चों को सस्ती दर पर बाल साहित्य उपलब्ध कराया जा सके।

(चार) बांस पानी जखपुरा रेल लाइन के निर्माण के विलम्ब के बारे में

*श्री हरीहर सोरन (क्योंझर) : उपाध्यक्ष महोदय, जखपुरा-बांसपानी रेल लाईन के निर्माण में असाधारण विलम्ब का उडीसा की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस लाइन की कुल लम्बाई 179 किलो मीटर है और इसको तीन चरणों में बांटा गया है। इस लाइन का प्रथम चरण, जो जखपुरा से धायत्री तक है, केवल 33 किलो मीटर है। इस प्रथम चरण का निर्माण पूरा कर लिया गया है। परन्तु दुर्भाग्य से धायत्री से क्योंझर तक के दूसरे चरण का निर्माण अभी तक आरंभ नहीं किया गया है यद्यपि इस 95 किलो मीटर की दूरी के लिये धन-राशियां आवंटित की जा चुकी है।

जिला क्योंझर मुख्य रूप से खनिज बाहुल्य वाला जिला है और लौह अयस्क, मैंगनीज तथा अन्य खनिज, जो विभिन्न खानों में भारी मात्रा में जमा है, उनकी इस लाइन के निर्माण द्वारा निर्यात के लिये परादीप तक रेल द्वारा ढुलाई की जा सकती है। इस खनिज से यही से उच्च ग्रेड के अयस्क का निर्यात करके केन्द्र सरकार विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकती है।

इस को देखते हुए मैं मांग करता हूं कि जखपुरा-बांसपानी लाइन के दूसरे चरण का निर्माण तेजी से किया जाये। क्योंझर से बांसपानी तक लाइन के तीसरे चरण के निर्माण को छठी योजना में सम्मिलित किया जाये।

(पांच) बम्बई उपनगरीय रेल सेवा के बारे में

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई-उत्तर दक्षिण) : जन संख्या में निरन्तर वृद्धि के साथ बम्बई उपनगरीय रेलवे पर भारी दबाव पड़ रहा है। यह दबाव बहुत भारी है क्योंकि यातायात क्षमता तथा यात्री आवागमन में भारी वृद्धि के बीच तुलनात्मक वृद्धि रखा जाना संभव नहीं हो सका है। पिछले 30वर्षों में जनसंख्या तथा दैनिक यात्रियों में दैनिक वृद्धि क्रमश: 173 प्रतिशत तथा 430 प्रतिशत हुई। जबकि गाडियों की संख्या में केवल 113 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

यदि जनसंख्या में 3 लाख प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हो और अनुदार अनुमानों के अनुसार ट्रैफिक में 6 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हो तो दक्षिण बम्बई में 2000 सन् तक गाड़ियों की मांग भीड़ के घण्टे में 172 हो जायेगी। इस समय 54 गाड़ियां प्रति "पीक" घंटा चलाई जा रही हैं जबकि मांग 100 गाड़ियों की है।

*उडिया में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

योजना आयोग द्वारा बम्बई में निम्नलिखित योजनाओं के लिए रेलवे क्षेत्र को 70 करोड़ रुपयों का अतिरिक्त आवंटन किया गया :—

(एक) बांद्रा और अन्धेरी के बीच अतिरिक्त दोहरी लाईनों के लिये उपबन्ध ।

(दो) मानखुर्द-बेलापुर लाईन का निर्माण और बांद्रा, कुर्ला, वेलापुर, पन्वेल मार्ग के साथ प्रस्तावित पूर्व-पश्चिम 'कारिडोर' का निर्माण ।

इन दोनों परियोजनाओं को राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति द्वारा अपने मई 1980 के प्रतिवेदन में उच्चतम प्राथमिकता दी जा चुकी है । मुझे बताया गया है कि बाद वाली परियोजना को बम्बई महानगर क्षेत्र में विकास परियोजनाओं के लिये पर्यावरण मामलों पर अध्ययन समूह द्वारा पर्यावरण की दृष्टि से भी मंजूरी दी जा चुकी है । दुर्भाग्य से 1982-83 के रेलवे बजट में इसके लिये 1.95 करोड़ रुपयों की छोटी सी राशि को उपलब्ध किया गया है ।

बांद्रा-अन्धेरी सैक्शन वर्तमान जाल का सबसे संकटपूर्ण सैक्शन है और छठे 'कोरिडोर' का एक समेकित भाग है जिसके लिये अन्तिम स्थापना स्थल सम्बन्धी सर्वेक्षण दिसम्बर 1974 में पूरा किया गया था । इस सैक्शन पर इस समय देश में सबसे अधिक गाड़ियां चलती हैं । अतः इसे तत्काल राहत दिये जाने की आवश्यकता है ।

राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने मई 1980 के अपने प्रतिवेदन में विशेष रूप से सफारिश की है कि बांद्रा और अन्धेरी के बीच अतिरिक्त दोहरी लाइनों की व्यवस्था की जाये और राओली जंकशन पर एक रेलवे उपरि पुल बनाया जाये तथा हार्बर ब्रांच लाइन में अन्य अनुषंगी कार्य किये जायें ।

मैं मांग करता हूं कि सरकार इन मामलों में तत्काल कार्यवाही करे ।

(छः) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में नियुक्त किये गये भूतपूर्व सैनिकों की समस्याएं

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : सेवा मुक्त किये गये/सेवा से निवृत्त हुए भूतपूर्व सैनिकों ने अपनी दीर्घावधि से चली आ रही मांगों की ओर जो उन्होंने प्रधानमन्त्री को जुलाई 1980 में दिये गये अपने मांग-पत्र में उठाई थीं । सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये 2 अगस्त, 1982 को बोट क्लब पर विरोध में एक विराट रैली आयोजित की । उनकी मांगों में निम्नलिखित मांगें हैं :—

(1) सैनिकों की सेना सेवा को मान्यता देना ;

(2) एक समान ढंग से लागू किये जाने वाले सरकारी आदेशों के अनुरूप वेतन नियत किया जाना ;

(3) भूतपूर्व सैनिकों के लिये उपयुक्त एवं सम्मानपूर्ण नौकरियों के अवसर ; और

[श्री अमल दत्त]

(4) भूतपूर्व सैनिकों के विभिन्न वर्गों/रैंकों के बीच भेदभाव समाप्त करना।

यह बहुत ही दुःख की बात है कि हमारे बहादुर जवानों को बाध्य किया जा रहा है कि वे अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करें, जवानों ने अपना सारा यौवनकाल देश की सुरक्षा के लिये अपने जीवन को जोखिमों में डालकर बिताया और अब सक्रिय सेवा से सेवा निवृत्त होने पर उनकी उपेक्षा तथा वेइज्जती की जा रही है।

रैंक में उनके पुनर्वास पर उनको रक्षा सेवा का कोई लाभ नहीं दिया जाता। उनको सेवा में नए आने वाले के समान नए सिरे से अपना केरियर आरम्भ करना पड़ता है। पेन्शन का मिलने वाला छोटा सा लाभ भी ले वापस लिया जाता है। देश के प्रति सेवा के लिये उसके साथ यह व्यवहार किया जाता है। सरकार के इन भूतपूर्व सैनिकों की उचित तथा न्यायपूर्ण मांगों के प्रति इस प्रश्न का उदासीनता भरा व्यवहार सक्रिय सेवा में रत सैनिकों में निराशा की भावना पैदा कर देगा।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि भूतपूर्व सैनिकों की मांगों पर उचित विचार किया जाये और तेजी से कार्यान्वित किया जाये।

(सात) उत्तर प्रदेश में डाक और टेलीफोन व्यवस्था के बेहतर कार्यकरण के लिये कदम उठाने की आवश्यकता

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर): उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में डाक तार और टेलीफोन व्यवस्था लगभग पूरी तरह अस्त-व्यस्त होती जा रही है। यहां तक कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बहुत से टेलीफोन महीने में आधे दिन खराब हालत में पडे रहते हैं। टेलीफोन का बिल उपभोक्ताओं से ज्यादा वसूल किए जाने की सूचना मिलती रहती है। टेलीफोन विभाग जनता की शिकायतों पर ध्यान नहीं देता। लगातार कहते रहने के बावजूद टेलीफोन की खराबी दूर नहीं की जाती। पत्रों का तो यह हाल है कि दिल्ली से भेजा गया पत्र लखनऊ पहुंचाने में प्रायः एक सप्ताह का समय लेता है। इसी प्रकार प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले में भेजे गए पत्र के सप्ताह से पहले प्रायः नहीं पहुंचते। आजकल डाक टिकटों की भी बहुत चोरी होने के समाचार सामने आए है। लगता है कि डाक, तार, टेलीफोन विभाग द्वारा जनता की कठिनाई को दूर करने का कोई भी ठोस प्रयास नहीं किया जा रहा है। गोरखपुर जिले के टेलीफोन अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार किए जाने की सूचना भी प्राप्त हुई है तथा मैंने संचार राज्य मंत्री को लिखना भी है। अतः इन परिस्थितियों में मैं सरकार से मांग करता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में डाक, तार, टेलीफोन व्यवस्था को ठीक करने हेतु कदम उठाया जाए।

(आठ) सहारनपुर से लखनऊ के लिये एक प्रथम श्रेणी के सवारी डिब्बे की व्यवस्था करना और संगम एक्सप्रेस को सहारनपुर से चलने की आवश्यकता

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मेरे जनपद

सहारनपुर के रेल यात्रियों से सम्बन्धित विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस जनपद में लोगों की संख्या 25 लाख है। इस जनपद से 10 विधायक एवं दो संसद सदस्य चुने जाते हैं। इनके अलावा एक राज्य सभा के सदस्य, दो उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य हैं। रुड़की जहां सेना की छावनी, हरिद्वार धार्मिक स्थल है। लेकिन सहारनपुर से इलाहाबाद व लखनऊ को जाने के लिए पर्याप्त रेलवे सीटों का आरक्षण नहीं है।

सायंकाल 5.40 पर पैसेंजर गाड़ी चलती है, उसी में सिर्फ 8 प्रथम श्रेणी की बर्थ लगाई जाती हैं, जो बहुत अपर्याप्त हैं। कभी-कभी विधान सभा के सदस्यों को विधान सभा का सत्र भी छोड़ना पड़ता है।

अतएव रेल मन्त्री से प्रार्थना है कि सहारनपुर से लखनऊ के लिए प्रथम श्रेणी का एक पूरा डिब्बा लगाया जाए और साथ ही संगम एक्सप्रेस को मेरठ से न चलाकर सहारनपुर से चलाने का कष्ट करें।

धन्यवाद।

(नौ) जलगांव से दिल्ली को केले भेजने के लिये अधिक मालडिब्बों का आवंटन करने की आवश्यकता

श्री वाई० एस० महाजन (जलगांव): मेरे जलगांव जिले ने केले के उत्पादन में विशेष स्थान प्राप्त कर लिया हैं। प्रति वर्ष हमें दिल्ली तथा उत्तर में अन्य स्थानों के लिये केला भेजने के लिये 25000 वैगनों की जरूरत होती है। केलों का मौसम आंरभ हुए 6 सप्ताह बीत चुके हैं परन्तु उत्पादकों द्वारा एक भी वैगन का लदान नहीं किया गया है। बजट के परिणामस्वरूप एक सी० आर० टी० वैगन का भाडा जो 3200 रुपये था बढ़ा कर 4200 रुपये कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त रेल मंत्री ने केलों के परिवहन के लिये भाड़े की रियायत को 50 प्रतिशत से 30 प्रतिशत कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप सी० आर० टी० वैगन का भाडा जो मार्च में 3200 रु० था एक जुलाई 1982 को बढ़ कर 5900 रु० हो गया है। यह भाडे में 85 प्रतिशत वृद्धि है चूंकि भाड़ा बहुत अधिक है इस कारण एक भी वैगन का अभी तक लदान नहीं किया गया है।

इस स्थिति के कारण केलों के उत्पादकों के सामने खतरा पैदा हो गया है। गरीब उत्पादकों के फल का उत्पादन कम हो जायेगा तथा हमारे क्षेत्र की अर्थ व्यवस्था नष्ट हो जायेगी। मेरा रेल मंत्री महोदय से अनुरोध है कि रियायत को 50 प्रतिशत के पुराने स्तर पर लाया जाये।

मोटर यान (संशोधन) विधेयक

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीता राम केसरी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं "कि मोटर यान अधिनियम, 1939 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[श्री सीता राम केसरी]

उपाध्यक्ष महोदय, गत वर्ष सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में अनपेक्षित वृद्धि हुई है। माननीय सदस्यों ने सदन के पिछले सत्र में इस संबंध में काफी क्षोभ एवं चिन्ता व्यक्त की। हाल में हुए परिवहन मंत्रियों के सम्मेलन में भी इस विषय में शीघ्र ही सार्थक कदम उठाने के लिए निर्णय किया गया। जहां एक ओर इन बढती हुई दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावशाली कदम उठाने की आवश्यकता महसूस की गई वहीं दूसरी ओर यह भी सोचा गया कि इन दुर्घटनाओं में मृत एवं गम्भीर रूप से परमानेंट डिसएबल्ड व्यक्तियों तथा उनके परिवारों को शीघ्र ही राहत मिल सके। मुआवजे के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार यह राहत काफी समय बाद उपलब्ध होती थी। अत: विधि आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए तथा संबंधित मंत्रालयों से विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय किया गया कि इन संशोधनों में इस दिशा में भी प्रावधान किया जाए। अत: देश में पहली बार (किसी भी कानून में) हमने ऐसे प्रावधान किए हैं, जिन से इस समस्या का काफी हद तक समाधान हो सकेगा। एक प्रावधान के अनुसार ऐसे मामलों में जहां मोटर चालक टक्कर मारने के बाद भाग गया है और इसका पता लगाना सम्भव न हो, उन मामलों में शीघ्र राहत पहुंचाने के लिए "सोलेसियम फण्ड" की स्थापना की जाए, जिसके अन्तर्गत इस प्रकार की दुर्घटनाओं से प्रभावित मृत अथवा आहत व्यक्तियों को अविलम्ब सहायता प्राप्त हो सके। एक दूसरा प्रावधान यह किया गया है कि मोटर गाड़ी से मृत या गम्भीर रूप से आहत व्यक्तियों को, यह सिद्ध होने पर कि दुर्घटना मोटर गाडी से टक्कर के कारण हुई है, विस्तृत छानबीन के पहले ही, एक निश्चित धन-राशि प्रदान कर दी जाए। परन्तु प्रभावित व्यक्ति का यह अधिकार नहीं छीना गया है कि इस राशि के प्राप्त होने पर वर्तमान प्रावधानों के अन्तर्गत अधिक मुआवजा न प्राप्त कर सके। जैसा मैंने पहले कहा, ये दोनों प्रावधान देश के कानूनी इतिहास में पहली बार प्रस्तुत किए जा रहे हैं और इस के दूरगामी अच्छे प्रभाव हो सकते हैं।

दुर्घटनाओं पर विचार करते समय यह भी पाया गया कि अन्य कारणों के अतिरिक्त एक कारण यह भी है कि सड़कों पर बहुत अधिक संख्या में चलने वाले ट्रक स्वीकृत क्षमता से बहुत अधिक भार ले जाते हैं, जिससे ने केवल सडकों का बहुत नुक्सान होता है, अपितु दुर्घटना होने की अधिक संभावना होती है। इस के अतिरिक्त यह भी पाया गया कि विभिन्न राज्यों ने अपनी-अपनी स्थितियों के अनुकूल भिन्न-भिन्न अधिकतम माल ढोने की सीमायें निर्धारित कर दी हैं। इस कारण से न केवल सुचारू यातायात में कठिनाई हो रही थी, वरन् एक विचित्र प्रकार की अव्यवस्था फैल गई थी। इस स्थिति को देखते हुए यह आवश्यक समझा गया कि केन्द्र सरकार अधिकतम माल ढोने की क्षमता निर्धारण का अधिकार स्वयं अपने हाथ में ले ले, जिससे विभिन्न राज्यों में प्रचलित विषमता समाप्त हो सके तथा ट्रक यातायात क्षेत्र पर प्रभावशाली नियंत्रण किया जा सके।

माननीय सदस्यों को यह तो विदित ही है कि आगामी नवम्बर-दिसम्बर माह में दिल्ली में नवम् एशियाई खेलों का आयोजन किया गया है। तब बहुत बड़ी संख्या में पर्यटन एवं दर्शकों के आने की संभावना है। इस अवसर पर सुचारू ट्रेफिक व्यवस्था बनाए रखने तथा अधिनियम के

अधीन दंडनीय अपराधों का शीघ्र निर्णय करने के लिए यह आवश्यक समझा गया कि विधेयक में कुछ ऐसे संशोधन किए जायें जिनसे इस दिशा में ट्रेफिक पुलिस को सार्थक सहायता मिल सके। अतः विधेयक की कुछ धाराओं में संशोधन प्रस्तावित किया गया है।

मान्यवर, ये सभी ऐसी समस्यायें थी, जिनका अविलम्ब प्रतिकार आवश्यक हो गया। अतः समयाभाव के बावजूद भी हम यह संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्यगण इन संशोधनों में निहित प्रशासनिक और मानवीय भावनाओं को समझ कर इसमें अपना सहयोग प्रदान करेंगे।

मान्यवर, मैं विधेयक प्रस्तुत करता हूं।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : इस विधेयक के लिए कितना समय आबंटित किया गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : कोई समय आबंटित नहीं किया गया है। आप समय निर्धारित कर सकते हैं। यह तो छोटी सी बात है।

श्री नारायण चौबे : कल का अनुभव बहुत बुरा था।

उपाध्यक्ष महोदय : भूतकाल को भूल जाइए। वर्तमान पर आइए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीर हाट) : कल कार्य-मंत्रणा समिति के निर्णय को अलंघनीय समझा गया था। परन्तु आज हमें बताया गया है कि कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : समय निर्धारित नहीं किया गया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कल, समय के विषय में एक विवाद चल रहा था। परन्तु दुर्भाग्यवश आपने गलत निष्कर्ष निकाला था।

उपाध्यक्ष महोदय : समय निर्धारित नहीं किया गया है। मुझे यही बताया गया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपने हमें गलत समझा है। आपने गलत निष्कर्ष निकाला है कि हम विधेयक में बाधा डालना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई गलत फहमी नहीं है। मैंने आप सबको ठीक ही समझा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम कल और आज के बीच समय के आबंटन के लिए पूछ रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं किसी चीज को कभी गलत नहीं समझता हूं।

श्री नारायण चौबे : कल आपकी भूमिका बहुत शानदार थी। इसे संसद के इतिहास में अनेक वर्षों तक याद रखा जाएगा कि 1982 में एक उपाध्यक्ष थे जिन्होंने इस प्रकार शासन किया। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपने कल एक गलत निष्कर्ष निकाला कि हम विधेयक में बाधा डालना चाहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने इसे रिकार्ड करने की अनुमति दी थी ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ऐसा पुनः नहीं होना चाहिए ।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : महोदय, सरकार एक ऐसा विधेयक लाई है जिससे यह प्रतीत होता है सरकार की मोटर दुर्घटना के मामलों का शिकार होने वालों के प्रति काफी सहानुभूति है । निःसन्देह, ऐसे मामले हैं जिनके लिए विशेष उपबंध किए जाने चाहिएं, जैसाकि वे इस विधेयक में करना चाहते हैं । इसके लिए मुआवजा निधि और उसका नियन्त्रण करने वाला एक प्राधिकरण बनाया जाना चाहिए । और इससे उन दुर्घटनाओं के शिकार लोगों को मुआवजा दिया जाए, जिनमें टक्कर मारकर भाग जाने के मामले आते हैं, अर्थात् जिसने टक्कर मारी या घायल किया या जान से मार दिया वह वहां नहीं रुकता है, अतः कोई नहीं जान पाता कि यह कौन था। यह बहुत अच्छी बात है कि सरकार इतनी सहानुभूति रखती है । परन्तु इस संदर्भ में यह नोट किया जाना चाहिए और माननीय मन्त्री जानते हैं और जैसा उद्देश्य और कारणों में कहा गया है कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से विभिन्न सुझाव आए थे । विधि आयोग से भी विभिन्न सुझाव आए थे । अब वह कहते हैं कि समय की कमी के कारण इन सुझावों को शामिल नहीं किया जा सका । अतः स्वयं उद्देश्यों और कारणों के कथन से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकारों और विधि आयोग के सुझावों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है । राज्य सरकारों से ये सुझाव आमंत्रित किए गए थे ? आयोगों की नियुक्ति क्यों की गई थी ? इस विधि आयोग का व्यय पूरा करने के लिए काफी सरकारी धन व्यय किया गया है । वे पूरे देश के दौरे पर जाते हैं और किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं । वे काफी कर्मचारी भी नियुक्त करते हैं । यहां पर अनेक आयोग रहे हैं परन्तु ऐसे शायद एक या दो मामले रहे हैं कि सरकार ने विधि आयोग की सिफारिशों पर ध्यान दिया हो और वर्तमान विधि में उचित संशोधन किया हो । यह एक ज्वलंत मामला है जिसमें वे विधि आयोग के सुझावों पर निश्चय ही विचार कर सकते थे, परन्तु वे ऐसा नहीं कर सके और वे कहते हैं कि वे समयाभाव के कारण ऐसा नहीं कर सके । परन्तु उन्हें कितने समय की आवश्यकता थी ? यह बात उद्देश्यों और कारणों के कथन में नहीं कही गई है । क्या ऐसा तो नहीं कि विधि आयोग ने अपनी सिफारिशें पिछले महीने ही दी हों अथवा दो वर्ष पूर्व दी हों ? यह कह कर छुटकारा पाने से पूर्व कि समयाभाव के कारण इन सुझावों को सम्मिलित नहीं किया जा सका, मन्त्री जी को उपरोक्त बात कहनी चाहिए थी । मेरा नम्र निवेदन है कि यह तर्क जाली है क्योंकि सरकार सुझावों को सम्मिलित नहीं करना चाहती है और उन्होंने यह कह कर आश्रय लिया है कि समयाभाव के कारण ऐसा नहीं किया गया ।

अब, यह सहानुभूति वाली सरकार टक्कर मारकर भाग जाने के मामलों पर आंसू बहा रही है । परन्तु क्या उन्होंने टक्कर मारकर भाग जाने के मामलों के शिकार होने वाले लोगों के आंकड़े दिए हैं ? वे कहते हैं कि प्रति वर्ष 20,000 लोगों की मोटर वाहनों की घातक दुर्घटनाएं

होती हैं और 1,45,000 लोग मोटर वाहन के मामलों में घायल होते हैं। परन्तु इनमें से कितने टक्कर मार कर भाग जाने के मामले हैं ? मैं यह बात जानना चाहता हूं क्योंकि यह इस पूरे विधेयक का केन्द्र बिन्दु प्रतीत होता है। अब, टक्कर मारकर भाग जाने से अलग मामले भी हैं। वे लोग न्यायाधिकरण में दावा करते हैं। मोटर यान अधिनियम के अन्तर्गत अलग दावा न्यायाधिकरणों की व्यवस्था की गई है, इसका कारण यह है कि न्यायाधिकरण स्थापित करने से पूर्व साधारण न्यायालय, विधिक न्यायालय जिसमें लोग जाया करते थे बहुत समय लेते थे। और इसीलिए एक अलग न्यायालय की व्यवस्था की गई। एक अन्य कारण यह भी था कि अधिकांश राज्यों में, सामान्य विधिक न्यायालय में जब कोई व्यक्ति मुआवजे के लिए जाता था तो उसे यथामूल्य न्यायालय फीस देनी होती थी जो ऐसा दावा करने वाले लोगों की पहुंच से बाहर की बात थी। इसलिए, दावा न्यायाधिकरण स्थापित किए गए। मेरा विश्वास है कि इन सभी मामलों में से 20,000 घातक दुर्घटनाए और 1,45,000 वैयक्तिक चोट के मामलों में से—80 प्रतिशत दावा न्यायाधिकरण में जाते हैं अथवा यदि उन्हे कुछ कानूनी सहायता उपलब्ध हो तो दावा न्यायाधिकरण में जाएंगे। यदि वे ऐसा नहीं करते, तो इसका अर्थ यह है कि उन्हें कानूनी सहायता उपलब्ध नहीं है कानूनी रूप से अवसर मिलने पर यदि वे व्यवहारिक कारणों से ऐसा नहीं कर सकती तो सरकार उन लोगों की सहायता के लिए कौन से प्रभावी कदम उठाना चाहती है जिन्हें बिना यह सिद्ध किए कि वाहन का मालिक या चालक गलती पर था, 15,000 रुपये का मुआवजा आसानी से मिल जाएगा अथवा टक्कर मार कर भाग जाने के मामले में वे मुआवजा निधि से धनराशि का दावा करेंगे। यदि कोई प्रभावी और व्यवहारिक तंत्र नहीं बनाया गया है तो इस प्रकार का विधेयक केवल कागजों पर ही रहेगा और इसका कुछ भी प्रभाव नहीं रहेगा। मैं इस विधेयक में कुछ नहीं देखता हूं जिससे पता चले कि सरकार ने इस व्यावहारिक प्रश्न पर अपना दिमाग नहीं लगाया है कि इन लोगों की वैयक्तिक मालिक के विरुद्ध या सरकार के मुआवजा निधि के विरुद्ध दावा करने में कैसे सहायता की जाएगी। इनमें से कितने मामले न्यायालय में जाते हैं? यदि वे न्यायालय जाते हैं तो मामलों को निपटाने के लिए मोटर यान दावा न्यायाधिकरण द्वारा कितने वर्ष का समय लिया जाता है ? एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। पृथक न्यायाधिकरणों की स्थापना की गई है ताकि लोगों के दावे शीघ्रता से निपटाए जा सके। मामले किसके विरुद्ध हैं? यह सर्वविदित है कि भारत में पिछले दस वर्षों से कम से कम सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है अधिकांश मामलों में, वाहनों के मलिकों से कम से कम वर्तमान कानून के अन्तर्गत लेकिन इस संशोधन के बिना, तीसरी पार्टी के विरुद्ध बीमा ले लेने की अपेक्षा की जाती है। अत: मोटर यान दावा न्यायाधिकरण के किसी पंचाट से किसी दावे का भुगतान बीमा कम्पनियों को ही करना होता है। दावे के इन मामलों में बीमा कम्पनियां ही मुख्य प्रतिवादी होती हैं। वे सभी सरकार के नियंत्रणाधीन हैं। वे दावा न्यायाधिकरण में क्या करते हैं ? क्या माननीय मंत्री को पता है ? वे सदैव वहां जाते है और मामले में सफाई देते हैं। उनका प्रथम बचाव यह होता है जो कानूनी शब्दावली में "लिखित बयान" कहलाता है, सभी बातों से इन्कार करना, इस बात से इन्कार करना कि वह व्यक्ति दुर्घटना में मरा। इसी तरह वे मामले को सुलझाते हैं क्योंकि वैसे ही लोग जो निजी क्षेत्र में थे, अब भी वहीं हैं। वे अब भी उसी नीति का पालन कर रहे हैं जिसका निजी क्षेत्र

[श्री अमल दत्त]

में पालन किया जा रहा है। उनका प्रमुख उद्देश्य मामले में देर करना है ताकि अन्त में, दावेदार थक-हार जाए। वह छोटे साधनों वाला व्यक्ति होता है। उसे किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता प्राप्त नहीं होती है। वह कब तक न्यायालय आ जा सकता है? वह कितनी धनराशी अपने वकीलों को दे सकता है और कितनी धनराशी फुटकर मदों पर खर्च कर सकता है। आपको पता है कि न्यायालय में जाने पर किसी को कई तरीकों से कितनी धनराशी खर्च करनी पड़ती है। लेकिन वहां कानूनी सहायता का कोई उपबन्ध नहीं है हालांकि वहां मुआवजे की योजना है।

एक प्राधिकरण है जिसके अधीन विशाल धनराशि होगी है। इस धनराशि के एक भाग को उन लोगों के वाहनों के दावों के मामलों को निपटाने के लिए, जो इसके लिए कानूनी सहायता चाहते हैं, इसको बांट देने में सरकार के रास्ते में क्या बाधा आती है? उनका लोगों के साथ कोई सम्पर्क नहीं है। उन्हें यह भी पता नहीं कि दिन प्रति दिन क्या हो रहा है। इसीलिए उन्होंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। मैं आशा करता हूं कि इस सुनवाई के बाद वे अपना दिमाग लगाकर इसकी जांच करेंगे। मैं यह नहीं कहता कि मेरी बात मानें। लेकिन मैं यहां यह कह रहा हूं कि एक भी मामला पांच से छः वर्ष की अवधि के अंदर समाप्त नहीं हुआ। किसी दावे का निर्णय प्राप्त करने में कम-से-कम पांच से छः वर्ष लगते हैं। इसलिए वही लोग जो बीमा के विरुद्ध थे, अब सरकार का मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि सरकार का उन पर कुछ प्रशासनिक नियंत्रण होता है। क्या वे नियंत्रण रखते हैं, इसका उत्तर सरकार को ही देना है। लेकिन मोटर गाड़ी क्लेम्स ट्रिब्यूनल में वही लोग दावों का इन्कार करते हैं, अधिनिर्णय में विलम्ब करते हैं और उसके बाद दावों को व्यवहार में लाकर यह कह कर नहीं कि दावा करने वाला व्यक्ति गलत है, बल्कि उन्हें परेशान करके उन्हें पराजित करते हैं। अब सरकार यह प्रस्ताव लेकर आई है कि किसी को अपराधी न देखते हुए उसे स्वयमेव 15,000 रुपए का भुगतान हो। यह एक बहुत अच्छा उपाय है और मैं इसका समर्थन करता हूं।

लेकिन मैं नहीं जानता कि इन आंकड़ों की कोई वास्तविक गणना हुई है। आमतौर पर किसी व्यक्ति की आयु और निर्धारित धनराशि के बीच कुछ सम्बन्ध होना चाहिए। यदि कोई जवान व्यक्ति मरता है तो उसका मुआवजा बड़ी आयु के व्यक्तियों के लिए कम होना चाहिए। प्रत्येक आदमी जानता है कि बीमा के क्षेत्र में मुआवजा अनुमानित आय की धनराशि पर निर्भर करता है, जो किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर समाप्त हो जाती है। यहां यह कहना है कि जो हानि उसके उत्तराधिकारी को होती है और ऐसे व्यक्ति के मामले में जो हमेशा के लिए पंगु हो जाता है, उसे अपनी आय से हाथ धोना पड़ता है। यह वास्तविक गणना है। मुझे संदेह है कि सरकार ने इन बातों के बारे में विस्तृत रूप से नहीं सोचा है और यों ही 15,000 रु० तथा 7,500 रु० की धनराशि के आंकड़े बनाए हैं। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि माननीय मन्त्री जी ने न तो विधेयक में शामिल किए उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में और न ही अपने आज के भाषण में इन आंकड़ों के लिए कोई कारण नहीं बताया है। माननीय मंत्री जी हमें यह बताने

की कृपा करेंगे कि क्या इसके पीछे कोई सामग्री है, इसके पीछे वास्तविक गणना है, क्योंकि सैद्धान्तिक रूप से व्यक्ति की आयु के अनुसार आंकड़ों में अन्तर होना चाहिए। मैं किसी व्यक्ति के स्तर अथवा उसकी आय अर्जित करने की क्षमता की ओर संकेत नहीं कर रहा हूं बल्कि उसकी आयु की ओर संकेत कर रहा हूं। यह छोटी आयु के लोगों के लिए अधिक और अधिक आयु के लोगों के लिए कम होना चाहिए क्योंकि यह सिद्धान्त सभी मामलों मे अपनाया जाता है।

अब मैं मोटर यान अधिनियम के प्रशासन को मजबूत करने के बारे में उपबंध की ओर आता हूं, जिसमें यह जरूरी है कि लाइसेंस पर चालक का फोटो चिपका हो। उसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। इसका तरीका बेतुका है। मेरे पास एक लाइसेंस है, जिसे 1951 में बनाया गया था, मैंने उस पर अपना फोटो 1951 में लगाया था। अब मान लीजिए कि कोई पुलिस अधिकारी मेरा लाइसेंस देखता है और तब मुझे मेरे फोटो से तुलना करता है, तो वह तुरन्त कहेगा कि यह मेरा फोटो नहीं है क्योंकि वह फोटो उस समय का है जब मैं 18 वर्ष का था और वह मेरी इस समय की सूरत से बिल्कुल भिन्न हैं। फोटो के नवीकरण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

एक माननीय सदस्य : यह बात श्री केशरी पर भी लागू होती है।

श्री अमल दत्त : इसलिए किसी व्यक्ति, जो अपना फोटो साथ लेकर चल रहा है, को गिरफ्तार किया जा सकता है।

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : पिछले 30 सालों से उनमें कोई अन्तर नहीं आया है।

श्री अमल दत्त : मैं श्री के० पी० सिंह देव को 30 वर्ष से कम समय से जानता हूं। अतः वे ऐसा कैसे कह सकते हैं ?

यह एक बेतुका प्रावधान है क्योंकि इसमें लाइसेंस के नवीकरण के समय फोटो को बदलने का प्रावधान नहीं है, जैसे कि पासपोर्टों के मामले में किया जाता है। जब कभी किसी पासपोर्ट का पांच वर्ष बाद नवीकरण किया जाता है, तब नए पासपोर्ट के लिए कहा जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस के मामले में ऐसा ही उपबन्ध होना चाहिए। अन्यथा, किसी भी व्यक्ति के गिरफ्तार होने का खतरा रहेगा चाहे वह अपने लाइसेंस में अपना फोटो लगा कर चल रहा हो।

एक उपबन्ध जुर्माने में वृद्धि करने के बारे में है। यह हमेशा अच्छा है। लेकिन क्या आंकड़े दे सकते हैं कि वास्तव में अनेक लोगों को कैसे दण्डित किया गया ? मोटर वाहन के सभी मामले, जो फौजदारी न्यायालय में जाते हैं, वर्षों तक वहां पड़े रहते हैं और अंत में कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में जाता है तथा उन्हें रद कर लेता है। उन मामलों को गम्भीरतापूर्वक नहीं लिया जाता है, मैं यह नहीं कहता कि यह केन्द्रीय सरकार की गलती है क्योंकि इन अधिनियमों का प्रशासन राज्य सरकारों के हाथों में है। लेकिन उन्हे कम से कम उन पर ध्यान रखना चाहिए। आखिर

[श्री अमल दत्त]

यह केन्द्रीय सरकार अधिनियम है और उन्हें इस पर निगरानी करनी चाहिए तथा उन्हें उस समय सदन के समक्ष बताने के लिए समर्थ होना चाहिए जब वे ऐसा कोई विधेयक संशोधन के लिए प्रस्तुत कर रहे हों और यह कह रहे हों कि इस जुर्माना में वृद्धि की जानी चाहिए, चाहे लोगों को वास्तव में कोई जुर्माना मिलता है। उन्हें कोई दण्ड नहीं मिलता है। इसे 500 रु० से बढ़ाकर 1000 रु. या इससे अधिक करने का क्या उपयोग है और जबकि वे आज भी कुछ नहीं दे रहे हैं?

उपाध्यक्ष महदोय : श्री दत्त, वे भी आपकी तरह अवश्य ही बहुत अच्छे वकील हैं।

श्री अमल दत्त : मैं कोई अच्छा वकील नहीं हूं। बात यह है कि उनके पास अधिनियमों का संम्पूर्ण कार्यकरण की आम हड़ताल करने के लिए आंकड़े नहीं है। उनके प्रशासन नियंत्रण में जो एजेंसियां हैं, वे अधिनियम में लागू उनकी स्वयं की स्वीकृत नीति के विरुद्ध कार्य कर रही हैं। जब तक इन बातों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता तब तक ये अधिनियम निष्फल रहेंगे।

इसके साथ और विधेयक के संशोधन होने वाले उपबन्धों के लिए मेरा समर्थन तथा सुझावों के साथ-साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जनता की आवश्यक मांग को देखते हुए ये मोटर व्हीकल अमेंड़मेंट बिल-1982 प्रस्तुत किया है।

ज्यों-ज्यों जनसंख्या बढ़ती जाती है और रोड़ ट्रांस्पोर्ट बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों रोड एक्सीडेंट्स बढ़ते जाते हैं और इन दुर्घटनाओ के बारे में जो सूचना आब्जेक्टिव में दी गई है, उसमें भी स्पष्ट है कि 20 हजार औसतन सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु हो जाती है और 1.45 लाख जख्मी हो जाते हैं और मैंने जब जानकारी ली तो मालूम हुआ कि जो दुर्घटनाएं होती हैं, दुनिया में होने वाली दुर्घटनाओं में हिन्दुस्तान में सबसे अधिक दुर्घटनाएं होती हैं।

हमारे देश में दुनिया के कुल वाहनों का एक प्रतिशत से भी कम वाहन हैं फिर भी यहां कुल दुर्घटनाओं में से लगभग 6 प्रतिशत दुर्घटनाएं होती हैं।

और शहरों में जो दुर्घटनाएं होती हैं, उनमें सबसे ज्यादा दिल्ली में होती हैं। इन दुर्घटनाओं के कारणों में मैं जाना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि जो विधेयक प्रस्तुत हुआ है, उस विधेयक में जो आब्जेक्ट्स हैं और जिस उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है वह बहुत ही अच्छा उद्देश्य है। क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, टक्कर लगती है और टक्कर लगने पर व्हीकल का पता नहीं पड़ता कि कौन व्हीकल चला रहा था। यह मालूम न पड़ने से क्लेम्स और कंपंसेशन के केसेस सक्सेसफुल नहीं हो सकते और इस संबंध में कार्यवाही नहीं हो सकती।

मैं स्वयं की एक दुर्घटना के बारे में बतला रहा हूं जो मेरे साथ घटी है। दुर्घटना हुई और एकदम मोटर चली गई, ड्राइवर मोटर को भगाकर ले गया और पता नहीं चला। पता न चलने से कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। कंपंसेन्शन के लिए कोई क्लेम नहीं कर सकते।

इसलिए यह जो प्रावीजन रखा गया है, वह बहुत ही साउंड और फुल प्रूफ पर आधारित है, लेकिन यह स्थिति पैदा हो सकती है कि इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। तो इसलिये यह बहुत आवश्यक है कि उनकी भी जो कम्पेनसेशन क्लेम करेंगे उनको भी साबित करना चाहिये कि यह जो ऐक्सीडेंट हुआ है कि वह मोटर से ही हुआ है। यह भी साबित करना आवश्यक है कि उसके कारण ही चोट लगी है और यह भी साबित करना बहुत आवश्यक है कि ड्राइवर या ओनर ट्रेसिबिल नहीं है। यह जानकारी और प्रूफ देना आवश्यक है। अगर ऐसा प्रूफ नहीं देंगे तो ऐसे केसेज को कोई भी मान्यता नहीं दे सकता है। और कानून का दुरुपयोग भी किया जा सकता है कि मोटर से ऐक्सीडेंट ही न हुआ हो और ऐसी घटनायें सामने आ सकती हैं। इसलिए इस सम्बन्ध में पूरी तरह से सावधानी बरतना आवश्यक है। जो अधिकतम माल ढोने की सीमा निर्धारित करने का अधिकार सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने लिया है...

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जैन, आप 2 बजे के बाद बोल सकते हैं।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात 2 बज कर 7 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मोटर यान (संशोधन) विधेयक-जारी

उपाध्यक्ष महोदय: श्री वृद्धि चन्द्र जैन।

श्री भीष्म नारायण सिंह : विपक्ष की तरफ कोई नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: परन्तु, मेरे भाई रामावतार शास्त्री वहां हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : कन्स्ट्रक्शन विपक्ष वहां है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, आज कल की तरह मत कीजिए।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मोटर व्हीकल्ज (एमैंडमेंट) बिल, 1982 में जो चेप्टर 7ए जोडा गया है, वह वास्तव में एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। उसमें दिया गया क्लाज 92ए (2) इस प्रकार है :

> "(2) ऐसे प्रतिकर की रकम, जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के बारे में उपधारा (1) के अधीन संदेय होगी, पन्द्रह हजार रुपयों की नियत राशि होगी और किसी

[श्री वृद्धि चन्द जैन]

व्यक्ति की स्थायी निःशक्तता के बारे में इस उपधारा के अधीन संदेय प्रतिकर की रकम सात हजार पांच सौ रुपये की नियत राशि होगी।"

इसमें दिया गया "फिक्स्ड" शब्द इम्पार्टेन्ट है। इस शब्द को जोडने से जो भी ट्रिब्यूनल या एथारिटी इस बारे में निर्णय करेगा, उसके लिए कोई डिस्क्रीशन नहीं है कि वह 15,000 रुपये या 7,500 रुपऐ से कम तय कर सके। ऐसा प्राविजन ला में नहीं होता है। जैसा कि मुझ से पहले वक्ताओं ने कहा है, अगर एक्सिडेंट में एक नौजवान की मृत्यु हो जाए और एक 75 वर्ष के वृद्ध की मृत्यु हो जाए, तो उन दोनों के लिए बराबर कम्पेन्सेशन देना न्याय के हिसाब से उपयुक्त नहीं है। इसलिए इसमें संशोधन कर के "फिक्स्ड" शब्द को हटा देना चाहिऐ और "नाट एक्सीडिंग रुपीज 15,000" और "नाट एक्सीडिंग रुपीज 7,500" रखना चाहिये, ताकि इस बारे में डिस्क्रीशन का इस्तेमाल किया जा सके।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि ये जो फैटल ऐक्सीडेंट्स होते हैं उन के अन्दर जो शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं और उस से इस तरह के फैटल ऐक्सीडेंट्स हो जाते हैं उन के बारे में कोई भी प्राविजन मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट में नहीं है। उन को कोई दण्ड इस बात के लिए देने का प्राविजन नहीं है। आइ०पी०सी० और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अन्दर भी इस तरह के ऐक्सीडेंट्स जो होते हैं वह बैलेबल आफेंस की श्रेणी में आते हैं। मेरी राय है कि मंत्री महोदय ला मिनिस्टर से यह रिक्वेस्ट करें कि इस प्रकार के जो आफेंसेज होते हैं, शराब पीकर गाड़ी चलाने से जो ऐक्सीडेंट्स होते हैं जिस में आदमी की मृत्यु हो जाती है, ऐसे आफेंसेज नान-बेलेबल आफेंसेज होने चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि इस तरह के आफेंस कमिट हो जाते हैं, उसमें जिस की मृत्यु होती है उस को जलाया या दफनाया भी नहीं जाता उस के पहले ही उस की जमानत हो जाती है। इस का बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए सम्बन्धित मंत्री जी ला मिनिस्टर का ध्यान इस तरफ आकर्षित करें ताकि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में वह अमेंडमेंट करें।

तीसरी बात यह है कि मोटर वाहन के अन्दर जनरली जो ऐक्सीडेंटस हुआ करते हैं उस का कारण यह है कि ऐसे आदमियों को लाइसेंस दिए जाते हैं जो उपयुक्त नहीं होते हैं। ट्रांसपोर्ट आफिसर को यह अधिकार दिए गए हैं जो टेक्निकल परसन नहीं होता है। लाइसेंस देने के लिए एक्सपर्ट्स मौजूद होने चाहिए। पहले प्राविजन था कि सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस भी मौजूद होना चाहिए और ट्रांसपोर्ट आफिसर भी होना चाहिए। मेरे विचार से इस के लिए एक कमेटी होनी चाहिए, वह कमेटी निर्धारित करे तब किसी को लाइसेंस मिले तो उस का सही तरीके से उपयोग हो सकेगा।

यह वाहन जो आई०ए०एस० आफिसर और दूसरे बडे-बड़े अधिकारी चलाते हैं उन से अगर कोई ऐक्सीडेंट होता है तो उस की जिम्मेदारी वह ड्राइवर पर लाने की कोशिश करते हैं। मुझे खुद का अनुभव है, एक अधिकारी गाड़ी चला रहे थे, जब उन से ऐक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने यह

दिखलाने का प्रयास किया कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और मुझसे भी कहलवाने की कोशिश की कि ड्राइवर ही गाड़ी चला रहा था। तो अधिकांश ऐक्सीडेंट्स इस प्रकार के होते हैं जिन में जो बड़े-बड़े अधिकारी होते हैं वह खुद गाड़ियां चलाते हैं। इस के बारे में डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के भी, विशेष तौर से जो आई०ए०एस० अधिकारी या दूसरे बड़े-बड़े अधिकारी हैं उन को बड़ा घमंड और मद होता है, वे ड्राइवर का कहना नहीं मानते हैं, खुद गाड़ियां चलाते हैं जिस के कारण ऐक्सीडेंट्स होते हैं और जिस की व्यवस्था नहीं हो पाती है।

ट्रेफिक के नियमों के बारे में जनता को ज्ञान नहीं है, खास कर ग्रामीण जनता को इस के बारे में ज्ञान नहीं है। मेरा सुझाव है कि हिन्दी जानने वाले हों तो उन के लिए हिन्दी में अंग्रेजी जानने वाले हों तो अंग्रेजी में, उर्दू जानने वाले हों तो उर्दू में या राजस्थानी जानने वाले हों तो उन के लिए राजस्थानी में बिलकुल सरल भाषा में इस का प्रचार होना चाहिए और, डाकूमेंट्री फिल्म्स में ट्रैफिक नियमों के बारे बताना चाहिए। डाकूमेंट्री फिल्म्स का बहुत अच्छा असर पड़ेगा। इसलिए इस सम्बन्ध में कार्यवाही करनी चाहिए।

यह जो फंड क्रियेट किया है उस के बारे में जो मेरे साथी ने सुझाव दिया है, मैं भी उस सुझाव को मानता हूं, क्योंकि यह सही है कि गरीब आदमी अपनी पैरवी नहीं कर पाता। अगर कोई क्लेम वह रेज करे कम्पेन्सेशन के लिए तो यह फंड जो क्रियेट किया गया है उस में इस के लिए भी कोई व्यवस्था हो ताकि उस का लाभ वह उठा सके, तभी उस को इस का लाभ मिल सकेगा। तो उनको भी लाभ हो सकेगा।

ला कमीशन आफ इन्डिया ने जो 51 वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसके आधार पर यह विधेयक यहां पर लाया गया है। उसमें जो भी सिफारिशें की गई थीं। उनका परिपालन पूरी तरह से आपने इसमें किया हैं इसलिए हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन 85वीं रिपोर्ट में जो रेकमेंडेशन्स की गई हैं उनका परिपालन आपने नहीं किया है। मेरा आपसे निवेदन है कि उन रेकमेंडेशन्स को भी मान्यता देकर, जो भी संशोधन किए जा सकते हैं वह आप यहां पर लाने का कष्ट करें।

यह विधेयक जो आपने यहां प्रस्तुत किया है यह बहुत अच्छा है, जनता के लाभ के लिए है और हिन्दुस्तान की जनता इसका स्वागत करेगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : मैं समझता हूं कि यह विधेयक सराहनीय है। यद्यपि विलम्ब से लाया गया है फिर भी मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि उसने मोटर यान अधिनियम में उन कतिपय उपबन्धों को रखा है जो लम्बे समय से नहीं थे जिसके द्वारा आम लोगों

[श्री नारायण चौबे]

को, जो दुर्घटनाओं में मरे हैं, कोई मुआवजा नहीं दिया गया। अब शायद उनमें से कुछ को कुछ मुआवजा मिलने की गारन्टी। मैं इन बातों पर बाद में बोलूंगा। किन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक को विधि आयोग की इकानवीं रिपोर्ट के अनुसार लाया गया है और यह इकानवीं रिपोर्ट मई 1972 में प्रस्तुत की गई थी। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उस समय वही पार्टी की सरकार थी जिस पार्टी की सरकार इस समय है और उन्होंने यह विधेयक लाने में दस वर्ष का समय लगाया। इसलिए मैं कहता हूं यह विलम्बित विधेयक है।

केवल इतना ही नहीं, आपने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है : "विधि आयोग ने अधिनियम के अध्याय-आठ के अन्तर्गत मुआवजे के लिए दावों सम्बन्धी अपनी इकासीवीं रिपोर्ट में अनेक सुझाव दिए हैं। इन सुझावों की जांच करने में कुछ समय लगेगा।" अतः मैं आशा करता हूं कि निकट भविष्य में एक अन्य व्यापक विधेयक आयेगा। लेकिन वह विधेयक कब और कितने समय बाद लाया जाएगा? कभी-कभी न्याय जो बाद में मिलता है, वह न्याय नहीं माना जाता है। मैं समझता हूं कि इन बातों के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक विधेयक तत्काल या यथाशीघ्र लाया जाएगा।

यह मेरा प्रथम निवेदन है।

दूसरे, मैं यह कहना चाहता हूं कि इसे दो भागों में रखना उचित होगा—होने वाली दुर्घटनाएं तथा पहचान लिए गए लोग और वाहन, तथा होने वाली दुर्घटनाएं व न पहचाने गए लोग और वाहन। पहचाने गए लोगों तथा वाहनों के लिए आपने 15,000 का मुआवजा निर्धारित किया है और जो लोग स्थायी रूप से अपंग हो जाएं उनके के लिए 7,500 रुपये निर्धारित किए हैं। मैं यह कहता हूं कि जब वर्ष 1972 में यह मुआवजा 15,000 और 7,500 था तो आपसे अनुरोध है कि इस पर जरा सोचिए—क्या 1982 में एक व्यक्ति के लिए, दुर्घटना में मरने वाले 25 अथवा 26 वर्ष के एक नौजवान के लिए, आपकी 15,000 रुपये की यह मुआवजे की राशि पर्याप्त होगी अथवा नहीं? मेरा सुझाव है कि इस राशि को बढ़ाकर 20,000 रुपये किया जाए तथा स्थायी रूप से अपंग हो जाने वाले व्यक्ति के लिए यह मुआवजा 10,000 रुपये होना चाहिए। मेरा आपसे यह भी अनुरोध है कि इसमें एक और बात शामिल की जाए। (व्यवधान)

आप जरा सोचो, आपको मरने से कितना मिलेगा और उनको कितना मिलेगा? आप तो मरोगे नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : चौबे जी, जब आप कोई मांग कर रहे हैं तो अपनी मांग में आप किफायती क्यों हो रहे हैं? पता नहीं आप क्यों किफायती हैं?

श्री नारायण चौबे : महोदय, मैं नहीं चाहता कि किसी व्यक्ति की दुर्घटना से मृत्यु हो। मैं चाहता हूं कि हम सभी किसी अन्य कारण से मरें—दुर्घटनाओं से नहीं।

वास्तव में, मैं पुस्तकालय में कुछ दस्तावेजों को पढ़ रहा था और मैंने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय का 1981 का एक विनिर्णय है जिसमें यह बताया गया है कि एक श्री अजीत सिंह 1966 में मारा गया था। लेकिन उसके परिवार को 19,120 रुपये का मुआवजा लेने के लिए 15 वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ी। 1966 में विनिर्णीत की गई 19,120 रुपये की मुआवजे की राशि का 1981 में उतना महत्व नहीं है। स्वभावतः, मेरा निवेदन है कि इस बारे कुछ विचार किया जाए। दूसरे, दुर्घटना करके भाग जाने वाले वाहनों द्वारा उस दुर्घटना में मारे गए किसी व्यक्ति के मामले में किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता और किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। व्यक्ति तो मर ही जाता है—

"राम नाम सत्य है, यह तुम्हारी गत्य है" और तत्पश्चात कुछ नहीं होता। स्वाभाविक है कि इसके लिए विधेयक में जो उपबन्ध किया गया है वह स्वागत योग्य है। (व्यवधान) अभी आपका राम नाम नहीं होगा। (व्यवधान) स्वाभाविक है कि दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त जो वाहन पहचान लिए जाते हैं और दुर्घटना से मरने वाले जिस व्यक्ति की शिनाख्त हो जाती है, उन दोनों के लिए इस विधेयक में एक अन्यखण्ड जोड़ा जाना चाहिए। मान लीजिए कि जो व्यक्ति गम्भीर रूप से जख्मी हो गया है वह पूर्णतया अपंग न हो। लेकिन, फिर भी वह तीन अथवा चार महीने तक बिस्तर पर पड़ा रह सकता है। हो सकता है उसका एक हाथ काम करे और दूसरा हाथ न करे। इसके लिए भी इस विधेयक में कोई उपबन्ध किया जाना चाहिए। दुर्घटना करके भाग जाने वाले मामले में जो व्यक्ति अपने दोनों हाथ खो बैठा हो और जो गम्भीर रूप से जख्मी हो गया हो, ऐसे दोनों व्यक्तियों के लिए भी सोचा जाना चाहिए।

इस समय हमारी राज्य बसें राज्य सरकारों अथवा केन्द्रीय सरकार स्वामित्व में हैं। पिछले वर्ष एक राज्य परिवहन की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गयी थी। दिल्ली से देहरादून जा रही दिल्ली परिवहन निगम की एक बस गिर गई थी जिसके परिणामस्वरूप एक मिलेट्री अफसर, जोकि एक बंगाली था, मारा गया। आज तक उस व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। जब सरकार कानून बनाती है तो मामूली रूप से जख्मी हुए व्यक्ति को तथा गम्भीर रूप से जख्मी हुए व्यक्ति को मुआवजा देने के सम्बन्ध में सुलह का दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। दुर्घटनाएं क्यों होती हैं? एक कारण यह हो सकता है कि वाहनों को ठीक चालू हालत में नहीं रखा जाता। निरीक्षक नियुक्त हैं जिनसे आशा की जाती है कि वे उन वाहनों की जांच करें और यह देखें कि क्या वे उचित हालत में रखे गए हैं अथवा नहीं। एक समय सीमा होती है जिसके भीतर उन्हें वाहनों की जांच करनी होती है। लेकिन अद्भुत बात यह है कि यदि आप एक अच्छे वाहन को निरीक्षक के पास ले जाते हैं तो वह उसे 'पास' नहीं करेगा। लेकिन यदि आप खराब हालत के वाहन को ले जाते हैं और निरीक्षक को पैसे दे देते हैं तो वह उसे 'पास' कर देगा। इस प्रयोजन के लिए निर्धारित मानदण्ड होने के लिए निर्धारित मानदण्ड होने चाहिए। मैं नहीं जानता कि आप नौकरशाही को अधिकाधिक शक्तियां देकर कैसे व्यवस्था ला सकेंगे। मुझे यह भी मालूम नहीं कि आप यह कैसे सुनिश्चित कर सकेंगे कि इन निरीक्षकों द्वारा वाहनों की उचित जांच की जाती है अथवा नहीं। इसकी जांच की जानी चाहिए।

[श्री नारायण चौबे]

एक अन्य बात जिससे संभवतया यह मन्त्री सम्बन्धित नहीं है, इस प्रकार है । अनेक नकली फैक्टरियां दूसरे दर्जे के अथवा तीसरे दर्जे के फालतू पुर्जे बना रही हैं । वे समूचे देश में, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कलकत्ता और बिहार में सक्रिय हैं तथा अनेक दुर्घटनाओं का कारण यह है कि मोटर वाहनों में इन दूसरे तथा तीसरे दर्जे के नकली फालतू पुर्जों को इस्तेमाल किया जाता है। क्या मोटर वाहन अधिनियम के अधीन आपके मन्त्रालय की यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि प्राईवेट फर्मों द्वारा बनाए जा रहे फालतू पुर्जों पर किस्म नियन्त्रण रखा जा रहा है अथवा नहीं अर्थात् क्या वे प्रथम दर्जे के पुर्जे बना रहे हैं या केवल दूसरे और तीसरे दर्जे के फालतू पुर्जे बनाकर लोगों को ठग रहे हैं ? इसकी जांच की जानी चाहिए ।

अन्त में, महोदय, दुर्घटनाओं का एक कारण यह भी है कि चालक अधिक घण्टे ड्यूटी करते हैं और उन्हें शारीरिक और मानसिक आराम नहीं मिलता । वे लगातार 16 से 18 घण्टे ड्यूटी करते हैं । उन्हें इतने अधिक समय तक बसें और ट्रक चलाने के लिए विवश किया जाता है । अतः मेरा सुझाव है कि चालकों के कार्यकाल, आराम तथा अवकाश के सम्बन्ध में कुछ प्रावधान होना चाहिए । महोदय, ये चालक अपनी लगभग 25 वर्ष की युवा अवस्था में इस सेवा में आ जाते हैं। उस अवस्था में वे सख्त परिश्रम करने में सक्षम होते हैं लेकिन छः अथवा सात वर्ष की सेवा के बाद वे आयु में कुछ ढल जाते हैं और वाहनों के स्वामी उन्हें सेवा से निकाल देते हैं । अतः, मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि आप सुनिश्चित करना चाहते हैं कि दुर्घटनाएं कम हों तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि इस व्यवसाय में नियमित लोगों को उचित सुविधाएं तथा संरक्षण मिलें ।

एक माननीय सदस्य : यह सुनिश्चित करना श्रम विभाग की जिम्मेदारी है ।

श्री नारायण चौबे : लेकिन वह विभाग श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार के ही अधीन आता है (व्यवधान) । इसलिए, महोदय, इन बातों की जांच की जाए । लम्बे समय के बाद आपने एक विधेयक प्रस्तुत किया है जो एक सही दिशा में कदम है और मैं अपने द्वारा सुझाए गए संशोधनों के साथ इस विधेयक का संमर्थन करता हूं ।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : मान्यवर, अभी मेरे पूर्ववक्ता हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासनकाल के बारे में कुछ आलोचना कर रहे थे । मैं उन से कहना चाहूंगा कि जितने भी मानव-कल्याण के विधेयक या अधिनियम बने वे श्रीमती इन्दिरा गांधी के पहले रिजीम में बने और उन के बाद अब आप का शासन आया—आप का ध्यान उन की तरफ कतई नहीं गया ।

श्री नारायण चौबे : हमारा शासन कभी नहीं रहा ।

श्री राम सिंह यादव : आज इस बिल के लिये आप को श्रीमती इन्दिरा गांधी जी को

धन्यवाद देना चाहिये क्योंकि आज का यह बिल भी मानव-कल्याण के लिये, आम आदमियों के हित के लिये हैं जो सड़क दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं···(व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : हम शासन में नहीं थे, हम तो उस समय भी विरोधी थे।

श्री राम सिंह यादव : आप मानव कल्याण की दुहाई देते हैं, आम जनता की दुहाई देते हैं, लेकिन मानव-कल्याण के लिये कभी नहीं सोचते और न सोच सकते हैं और न सोचने का कभी इरादा रहा है।

मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा—15 सितम्बर, 1972 को लॉ कमीशन ने अपनी 51वीं रिपोर्ट पेश की, वह 51वीं रिपोर्ट 1977 में भी थी,

सन् 1978 और सन् 1979 में भी यहां पर वह रिपोर्ट थी और उस रिपोर्ट में लॉ कमीशन ने यह सुझाव दिया था :

> तद्नुसार हम निम्नलिखित विधायी उपबन्ध की सिफारिश करते हैं जिसे मोटर वाहन अधिनियम में एक खण्ड के रूप में अन्तः स्थापित किया जा सकता है :
>
> > 109 (क) (1). जहां किसी दुर्घटना में किसी व्यक्ति की किसी मोटर यान से अथवा उसके इस्तेमाल से मृत्यु अथवा शारीरिक आघात हो जाता है और यह सिद्ध हो जाता है कि ऐसी दुर्घटना के लिए मुआवजे का दावा नहीं किया जा सकता क्योंकि जिस व्यक्ति द्वारा उस मुआवजे का भुगतान किया जाना हो उसके बारे में उचित प्रयत्नों के बावजूद पता न चले तो जो व्यक्ति ऐसे मुआवजे का पात्र है वह राज्य से मुआवजा पाने का पात्र होगा।"

श्री नारायण चौबे : श्रीमती गांधी के सत्ता में आने से पहले ही इस प्रकार का नियम अथवा अधिनियम विश्व के कई देशों में लागू था।

श्री राम सिंह यादव : यह वह रिपोर्ट है जिसे श्रीमती गांधी की सरकार द्वारा प्राप्त किया गया था। यह वह रिपोर्ट है जिसे श्रीमती गाँधी की सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जा जा रहा है।

मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि सैक्शन 109 में संशोधन के लिए लॉ कमीशन ने सुझाव दिया था। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि लॉ कमीशन की इस रिपोर्ट के अनुसार सैक्शन 109 (ए) इन्होंने इन्सर्ट किया है और आज वे यह विधेयक लेकर आए हैं। मान्यवर, इस 51 वीं रिपोर्ट के ऊपर जिस समय ला कमीशन ने गंभीरतापूर्वक विचार किया था, उस समय उसने इंगलैंड, अमेरिका और रूस और जितने भी देश थे, उनके सम्बन्धित कानूनों को

[श्री राम सिंह यादव]

देखा और वह इस नतीजे पर आया कि जिस तरीके से एक्सीडेंट करके कोई भी आटोमोबाइल का ओनर या ड्राइवर भाग जाता है और उस के बाद जिस व्यक्ति की क्षति होती है, उस को किसी तरह का मुआविजा न मिले, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है लेकिन अभी भी माननीय मंत्री जी ने जो प्रावधान किया है, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि उस में और एमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ेगी इसलिए कि आप ने जो सौलेसियम फंड कायम किया है, वह सेन्ट्रल लेविल पर किया है और पार्लियामेंट आप को एप्रोप्रियेशन के जरिये से एलाऊ करेगी और उस के जरिये से आप फंड को क्रीयेट करेंगे। इस के साथ ही स्टेट गवर्नमेंट जो कन्ट्रीब्यूट करेगी, वह भी इस फंड में आएगा और इस के अलावा प्राइवेट इन्डिविजुअल्स से गिफ्ट्स के रूप में या किसी और कन्ट्रीब्यूशन के रूप में जो पैसा आएगा, वह भी इस फंड में शामिल होगा लेकिन मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि स्टेट लेविल पर भी आप को इस तरह का एक सौलेसियम फंड क्रीयेट करना चाहिए। केवल यूनियन के लेविल पर आप इस के लिए प्रावधान न कीजिए बल्कि स्टेट के लेविल पर, हर इन्डिविजुअल स्टेट में यह सोलेसियम फंड होना चाहिए। इसलिए मैं आप को यह सुझाव दूंगा कि प्रत्येक स्टेट के लेविल पर यह सोलेसियम फंड आप मुकर्रर करें और उन के लिए यह कम्पलसरी कर दीजिए, आबलीगेटरी कर दीजिए कि वहां पर इस तरह का फंड हो।

मैं आप से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप ने इस में जो ये पेमेंट करने का तरीका रखा है और आप जो यह रकम ले रहें, उस में जो व्यक्ति क्षति करता है, जो एक्सीडेंट कर देता है, वह फिर भी छूट जाता है। आप क्यों नहीं इस तरह का एक सोलेसियम फंड बनाते हैं कि उस में जितने भी आटोमोबाइल्स आप के यहां रजिस्टर्ड हैं उन सब पर एक टैक्स लगाइए और उस को आप सोलेसियम फंड टैक्स या सालेसियम फंड लेवी, कोई भी नाम दे सकते हैं। जिस तरह से हर व्हीकिल इंस्योर्ड होती है और अगर कोई क्षति होती है, तो इंश्योरेंस कम्पनी से उस का क्लेम दिलाते हैं, उसी तरह से व्हीकिल की जो भी इयरली रजिस्ट्रेशन फी है, उसी अनुपात से आप उस से सोलेसियम सेस लीजिए, जिस से आप के पास एक रेगूलर फंड क्रीयेट हो सके और जिस में से आगे चल कर आप पैसा दे सकें।

एक निवेदन और यह करना चाहूंगा कि मोटर व्हीकिल्स एक्स के सेक्शन 110 में जो आप कम्पन्सेशन देते हैं, इस सेक्शन के तहत कोई भी आदमी कोर्ट फीस लगा कर क्लेम कर सकता है। वह 10 रुपये हो या 20 रुपये हो और अलग-अलग स्टेट्स में वह अलग-अलग है, कम्पेन्सेशन क्लेम करने के लिए वह कोर्ट फी लगाएगा लेकिन अगर प्रोपर्टी के डेमेजेज का क्लेम है और 2 हजार रुपये से अधिक प्रोपर्टी के डेमेज का क्लेम है, तो उस के लिए क्लेम करने वाला सिविल कोर्ट में जा सकता है और सिविल कोर्ट में ज्यों ही क्लेम रेफर होता है, तो साढ़े 7 रुपये फी सैंकड़ा या जिस स्टेट में जैसा भी है, उस हिसाब से उस को देना पड़ता है। तो मेरा कहना यह है कि सेक्शन 110 के प्रोविजो में आप संशोधन कीजिए कि जो क्लेम सिविल कोर्ट में रेफर होता है, उस में कोर्ट फी नहीं लगेगी और जिस तरह से फिक्स्ड कोर्ट फी वहां पर क्लेम के लिए

वह देता है, उसी तरह का प्रावधान वहां के लिए भी कीजिए क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिस की डेथ हो जाए या जिसकी प्रोपर्टी बिलकुल खत्म हो जाए, तो इस तरह से उस की एक लाख रुपये की गाड़ी खराब हो गई या खत्म हो गई, या और दूसरे जो नुकसान हुए हैं उन सब के कम्पेनसेशन के लिए वह सिविल कोर्ट में जाता है। सिविल कोर्ट में ऐसे क्लेम्स के लिए जाने के लिए उस पर कोर्ट फीस नहीं लगनी चाहिए। इसका पोजिटिव प्रोविजन आप इस एक्ट में कीजिए कि सिविल कोर्ट में जाने पर उसकी कोर्ट फीस नहीं देनी पड़ेगी।

आपके मोटर व्हिकल्स एक्ट की सेक्शन 110 में सब से बड़ी कमी यह है कि आपने क्लेम के लिए 6 महीने की मियाद रखी है जबकि आपके दूसरे जो पेरेलल लाज हैं उनमें तीन साल की मियाद रखी है। आप क्यों नहीं इस में भी तीन साल की मियाद का प्रोविजन रखते हैं जो कि आपके सिविल लाज में है ? बहुत से लोग अशिक्षित होते हैं, गांव के आदमी होते हैं उनको मालूम ही नहीं होता है वे एडवोकेट या जानकारी रखने वाले से सलाह लेते हैं और इस सलाह लेने में ही 6 महीने का वक्त निकल जाता है। फिर 6 महीने के बाद उनके पास कोर्ट फीस का पैसा भी नहीं होता है क्योंकि बहुत अमाऊंट उन्हें लगाना पड़ता है। इसलिए आप इस 6 महीने का जो लिमिटेशन पीरियड है इसको आप तीन साल का कीजिए जैसा कि आपके सिविल लाज में है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपका जो मौजूदा एक्ट है, इस एक्ट में आपको कुछ और प्रोविजंस करने होंगे। कुछ स्टेट्स में ट्रेक्टर ट्रालीज के ऊपर टेक्स वसूल किया जाता है। उन ट्रालीज पर वसूल किया जाता है जो कि एग्रीकल्चर के काम में आती हैं। इस एक्ट के अन्दर गवर्नमेंट आफ इण्डिया के जो रूल्स बने हुए हैं उनमें इसका प्रोविजन नहीं है। इसलिए आप सारी स्टेट गवर्नमेंट को यह हिदायत दीजिए कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को ट्राली पर टेक्स वसूल करने का अधिकार नहीं होगा। यह नहीं हो कि आप उनकी डिस्क्रिशन पर छोड़ दें जैसा कि आपने अब छोड़ा हुआ है। इन ट्रालीज पर किसी स्टेट गवर्नमेंट को न टैक्स लगाने और न टैक्स वसूल करने का अधिकार होना चाहिए। आजकल क्या है कि आपाधापी और लूटखसोट होती है। अगर गांव को कोई गरीब आदमी शहर में ट्राली ले जाता है तो पुलिस वाले उसको पकड़ते हैं, ट्रांस्पोर्ट इंस्पेक्टर उसको पकड़ता है और कहते हैं कि तुम्हारे पास रजिस्ट्रेशन के कागज नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ये कागज नहीं हैं, वे कागज नहीं है और इस तरह से बहुत बड़ी रकम उस से ऐंठने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए अगर आप गरीब आदमी को सुविधा देने का इरादा रखते हैं तो इसमें पोजिटिव प्रोविजन कीजिए की किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को ट्रेक्टर्स ट्राली पर टैक्स लगाने का अधिकार नहीं होगा और न वसूल करने का अधिकार होगा।

जब हम इस की दूसरी साइड लेते हैं तो पाते हैं कि हमारी जो नेशनल ट्रांस्पोर्ट पालिसी कमेटी और एनर्जी पालिसी कमेटी की रिपोर्ट आयी है उनके मुताबिक हमारे मुल्क के अन्दर 39 परसेंट मेसेंजर्स का कोटा रेल उठाती हैं और रेलों द्वारा 67 परसेंट कोटा गुड्स का उठाया जाता है। हमारी नेशनल ट्रांस्पोर्ट पालिसी कमेटी की सिफारिश है कि रेलवे का जो पेसेंजर कोटा है वह 39 परसेंट रहना चाहिए, इस से नीचे नहीं जाना चाहिए और जो गुड्स का कोटा

[श्री राम सिंह यादव]

है उसको 67 परसेंट के बजाए 72 परसेंट पर लाना चाहिए। इसके लिए आपके ऊपर विशेष जिम्मेदारी आती है। आपको बस ट्रांस्पोर्ट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना होगा।

आज बस ट्रांस्पोर्ट की जो हालत है उसके बारे में मैंने बजट की सप्लीमेंटरी डिमाण्ड्स के ऊपर बोलते हुए भी कहा था कि आपकी स्टेट रोड ट्रांस्पोर्ट जितनी भी हैं सब घाटे में हैं। पहले जो 78 और 79 के साल थे जब कि जनता गवर्नमेंट थी उस समय सारे देश में 110 करोड़ रुपये का इनमें घाटा हुआ, उसके दूसरे साल में वह घाटा दो सौ करोड़ रुपये का हो गया। आज सो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि यह घाटा कई हजार करोड़ रुपये का होगा। आपकी स्टेट रोड ट्रांस्पोर्ट पर सारे इंडिया में करीब तीन हजार रुपये का घाटा है। आपका पब्लिक अण्डरटेकिंग्स का इतना बड़ा यह प्रोजेक्ट है, अगर इसको आप नहीं देखेंगे तो इसका घाटा बढ़ता ही जाएगा और यह बढ़ता हुआ घाटा सेन्ट्रल गवर्नमेंट के लिए सिर दर्द बनेगा। इसलिए आपको विशेष रूप से इस को देखना है।

आज जो रोड ट्रांस्पोर्ट में सबसे बड़ी कमियां हैं वे यह हैं कि ट्रकों द्वारा जो सामान ले जाया जाता है उन पर बहुत ऐनर्जी खत्म होती है। उनमें 150 करोड़ रुपये का डीजल ट्रेक्टरों के चुंगी पर खड़े रहने के कारण खर्च होता है। अगर वे चुंगी पर खड़े न रहें तो 150 करोड़ रुपये की एनर्जी में बचत हो सकती है। और आप जानते हैं कि चुंगी चौकी पर जो आक्ट्राय पर आपका ट्रक खड़ा रहता है वह क्यों खड़ा रहता है। इसको खत्म करने के बारे में पूर्ववर्ती मंत्री श्री पाटिल साहब ने भी ऐलान किया था कि आक्ट्राय को अबालिश करेंगे। आक्ट्राय सेस जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक समस्या का समाधान नहीं हो सकता। यह अपने आप में एक ऐसी बुराई है, जिससे और कई बुराइयां पैदा होती हैं—इससे रिश्वत जुड़ी हुई है। एक ट्रक मालिक जब तक आक्ट्राय ड्यूटी वाले को खुश नहीं करेगा, पैसा नहीं देगा तब तक उसका ट्रक खड़ा रहेगा। आधा घंटा, एक घंटा और कई बार तो और ज्यादा समय निकल जाता है। इसलिए आप सारे मुल्क के अन्दर आक्ट्राय ड्यूटी को खत्म करिए और जिस तरह से नार्थ जोन कायम किया गया है, उसी तरह से पूरे राष्ट्र के लिए "नेशनल रोड ट्रांस्पोर्ट जोन" कायम किया जाए। जब तक यह कायम नहीं करेंगे, तब तक एफिसिएंसी नहीं आएगी।

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपसे जो उम्मीद सिक्स्थ फाइव इयर प्लान में की जा रही है, उसके तहत बताया गया है कि इस समय चल रही प्रत्येक बस 22 लाख यात्री किलोमीटर प्रतिवर्ष ढोती है। 2000 ईसवी तक अनुमानित 180 मिलियन यात्री किलोमीटर ढोने के लिए हमें 77,000 और बसें चलानी होंगी। तो ये जो 77 हजार बसें हैं, बढ़ती हुई अबादी को कवर करने के लिए और बसेस को बढ़ाने के लिए आप एक्सपेंडीचर को देखते हुए किस तरह से व्यवस्था करेंगे। यह करना जरूरी है।

इसके साथ-साथ नेशनल परमिट के बारे में जो पालिसी है वह डिफेक्टिव है। नेशनल

परमिट स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर छोड़ दिए गए हैं और एक स्टेट गवर्नमेंट 500 नेशनल परमिट दे सकती है तो 50 परमिट आज दे दिए और इसके बाद 6 महीने की तारीख लगा देते हैं, इसके बाद एक साल की तारीख लगा देते हैं। हर स्टेट में गोलमाल होता है। इसलिए कोई पालिसी मुकर्रर करनी होगी और जो परमिट दिए जाते हैं उसके लिए स्टेट्स के लिए एक अवधि निर्धारित करनी चाहिए, जिससे नेशनल परमिट ठीक तरह से प्राप्त हो सकें और इसके लिए क्राइटेरिया यह फिक्स करना चाहिए कि वह उसी स्टेट का रहने वाला हो, बोनाफाइड ट्रांसपोर्टर हो, आपरेटर हो, उसी को परमिट दिया जाये। इस तरह से यह नेशनल परमिट का मामला बहुत गंभीर है, इसको स्ट्रीम लाइन करने की जरूरत है।

इसके अलावा सिटी बसेस की सर्विसेस को रेगुलर करने की बहुत आवश्यकता है। इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। दिल्ली के कुल बजट का 11 प्रतिशत इस पर खर्च होता है फिर भी सर्विसेस में सुधार नहीं आया है। किसी स्टेट रोडवेज सर्विसेस से पैसेंजर को कोई फायदा नहीं पहुंचता। कभी ठहरती नहीं हैं और कई गाड़ियां ऐसी हैं, जिनकी हालत बहुत खराब है। इसलिए स्टेट रोडवेज कारपोरेशंस को पूरी तरह से चैक करके उचित स्डेंडर्ड पर लाएं।

मैं आशा करता हूं कि इन सुझावों को किसी अन्य अवसर पर समावेश किया जायेगा। इसके साथ-साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

***श्री ईरा मोहन** (कोयम्बटूर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं द्रविड़ मुनेत्र कषगम की ओर से मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक् 1982 के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मूल अधिनियम 1939 में पारित हुआ था और अब 43 वर्ष पश्चात् इसमें संशोधन किया जा रहा है। इस विधेयक में निहित बहुत सी सुन्दर व्यवस्थाओं पर कुछ कहने से पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि पिछले 20 वर्षों के दौरान इस देश में ही नहीं विश्व के अन्य देशों में भी वाहनों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। वाहनों की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ दुर्घटनाओं में भी वृद्धि हुई है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रतिवर्ष औसतन 1.45 लाख दुर्घटनाएं होती हैं जिनमें से 20,000 दुर्घटनाएं घातक होती हैं। बहुत सी दुर्घटनाओं की सरकार को जानकारी ही नहीं होती। कई बार दुर्घटनाओं की सूचना पुलिस को नहीं दी जाती या थाने में दर्ज नहीं कराई जाती। यदि उन दुर्घटनाओं को भी गिना जाये तो दुर्घटनाओं की संख्या कहीं अधिक होगी। सड़क परिवहन के लिए हमें मार्ग निदेश बनाने चाहिएं। मुझे आशा है कि यह विधेयक इस दिशा में पहला कदम होगा।

इस विधेयक के अन्तर्गत वाहन मालिक को, जिसकी वजह से सड़क पर मृत्यु होती है, मरने वाले परिवार को 15000/- रुपये तथा स्थायी रूप से हुए अपंग व्यक्ति को 7500/- रुपये मुआवजे के रूप में देने चाहिए। सड़क पर दुर्घटना में मरने वाले व्यक्ति के परिवार को खैर,

*तमिल में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री ईरा मोहन]

कुछ सहायता दी जा रही है। यदि यह विधेयक कुछ वर्ष पहले लाया जाता तो बहुत से परिवारों को सर्वनाश से बचाया जा सकता था। 'कभी नहीं से तो देर भली' के सिद्धान्त के अनुसार आखिर सरकार यह विधेयक लाई तो सही औरलोगों को सरकार द्वारा उनके हितों की ओर ध्यान देने के लिए सरकार का आभार प्रकट करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त सरकार एक प्रतिपूर्ति निधि बनायेगी जिसमें से 5000/- रुपये उस व्यक्ति के परिवार को दिये जाएंगे जिसे वाहन मार कर भाग गया हो और ऐसी दुर्घटना में स्थायी रूप से अपंग हुए व्यक्ति को 1000/- रुपये दिए जाएंगे। पूरी सभा को इसकी सराहना करनी चाहिये।

महोदय, विमान दुर्घटना में मरने वाले व्यक्ति के परिवार को 1,00,000 रुपये दिए जाते है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि विमान में धनवान् व्यक्ति ही यात्रा करते हैं। फिर भी उन्हें मुआवजे के रूप में काफी धनराशि दी जाती है। इसी प्रकार रेल दुर्घटना में मरने वाले व्यक्ति के परिवार को 50,000 रुपये दिये जाते हैं। परन्तु सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों में 100 में से 90 व्यक्ति साधारण होते हैं। कई बार तो मरने वाला व्यक्ति परिवार का प्रमुख कमाई करने वाला होता है। उनके परिवार अशिक्षित होते हैं। मेरा सुझाव है कि मरने वाले को वाहन मालिक द्वारा 2000/- रुपये तथा स्थायी रूप से अपंग होने वाले व्यक्ति को 1000/- रुपये दिए जाने चाहिए। इसी प्रकार मरने वाले व्यक्ति के परिवार को प्रतिपूर्ति निधि से 10000/- रुपये तथा स्थायीरूप से अपंग होने वाले व्यक्ति को 5000/- रुपये दिये जाने चाहिएं। जब तक आप मुआवजे की धनराशि नहीं बढ़ाएंगे तब तक वाहन मालिकों को यह पता नहीं चलेगा कि वे निर्धन परिवारों पर क्या-क्या जुल्म ढा रहे हैं। भारी दण्ड की व्यवस्था किए बिना वे गाड़ी चलाने में सावधान नहीं हो। सकते इसी प्रकार, यदि दुर्घटना शराब पीकर गाड़ी चलाने से हुई है तो ड्राइवर का लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाना चाहिए। कठोर दण्ड व्यवस्था से ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी की जा सकती है। यदि शराब पीकर गाड़ी चलाने से घातक दुर्घटना हुई है तो ड्राइवर को फिर गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और उसका लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द किया जाना चाहिए। इस विधेयक में इसके लिए कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए।

तीसरी पार्टी बीमा प्रणाली राज्य परिवहन निगमों पर भी लागू होनी चाहिए। यह सिर्फ प्राइवेट कार मालिकों के लिए ही नहीं होनी चाहिये। राज्य परिवहन निगम की बस में तीव्र गति से गाड़ी चलाने के कारण हुई दुर्घटना में मरने वाले व्यक्ति को आसानी से मुआवजा नहीं मिलता। यहां तक कि बीमे की धनराशि प्राप्त करने में भी वर्षों लग जाते हैं। मेरी मांग हैं कि सारे देश में हजारों बसें चलाने वाले राज्य परिवहन निगमों पर भी कानूनी तौर पर तीसरी पार्टी बीमा प्रणाली लागू की जानी चाहिए।

महोदय, इस विधेयक में रजिस्ट्रेशन नम्बरों के लिए अरबी अंकों की प्रयोग की व्यवस्था का मैं स्वागत करता हूं। इसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिये। अब तक तो इसे जरूरी कर

दिया जाना चाहिए था। परन्तु इसे टाला जा रहा है। मान लो तमिलनाडु में एक ऐसी भारी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर हिन्दी में है, तो तमिलनाडु पुलिस को नम्बर नोट करने में कितनी असुविधा होगी। इसी प्रकार दिल्ली में यदि कोई ऐसी लारी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर, तमिल, कन्नड़, मलयालम या तेलगू में दिया गया है तो दिल्ली पुलिस को उसका नम्बर नोट करने में कितनी कठिनाई होगी। यदि कोई लारी आन्ध्र प्रदेश में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और उस पर रजिस्ट्रेशन नम्बर हिन्दी में है तो आन्ध्र प्रदेश पुलिस उसका नम्बर नोट नहीं कर सकेगी। इसलिये मैं यह मांग कर रहा हूं कि सभी वाहनों पर उनके रजिस्ट्रेशन नम्बर अरबी अंक अनिवार्य रूप से लिखे जाने चाहिये। इसका उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए। इस समय नियम का उल्लंघन दण्डाभाव के कारण होता है। आज के पश्चात् इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो देश की सड़कों पर अव्यवस्था फैल जाएगी।

महोदय, दुर्घटना में मरने वाले व्यक्तियों के परिवार अशिक्षित तथा निर्धन होते हैं। वे दावा प्रपत्र आदि नहीं कर सकते। मेरा सुझाव है कि प्रत्येक जिले में नि:शुल्क कानूनी सहायता कक्ष खोले जायें। इन लोगों के लिए आर० टी० ओ० कार्यालयों में नि:शुल्क कानूनी सहायता कक्ष खोले जाएं

मैं माननीय मंत्री का ध्यान विधेयक के उद्देश्य और कारणों के वक्तव्य में उल्लिखित बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं :—

"भारत के विधि आयोग ठेले वाहनों द्वारा मार कर भाग जाने के कारण हुई हानि के लिए मुआवजा देने सम्बन्धी अपने 51वां प्रतिवेदन में कुछ सुझाव दिए हैं। विधि आयोग ने अधिनियम के अध्याय-8 के अन्तर्गत मुआवजा देने सम्बन्धी अपने 85 वें प्रतिवेदन में भी बहुत से सुझाव दिए हैं। इन सुझावों का अध्ययन करने में समय लगेगा।"

महोदय, ये प्रतिवेदन 1972 में प्रस्तुत किए गए थे और मुझे आश्चर्य होता है कि सरकार इन सिफारिशों का अध्ययन करने में और कितना समय लेगी। क्या इन सिफारिशों पर कार्यवाही करने के लिए 10 वर्ष का भी समय पर्याप्त नहीं है? यदि इसमें और समय लिया जाता है तो इससे सरकार की अकर्मण्यता का पता लगता है।

महोदय, जिस प्रकार दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्तियों के परिवारों की सहायता के लिए यह कानूनी कदम उठाया जा रहा है, उसके लिए में द्रविड़ मुनेत्रा कषगम की ओर से इस विधेयक का स्वागत करता हूं। परिवहन मंत्री, श्री सीताराम केसरी इस विधेयक को पारित कराने के लिए पूरे सदन का सर्वसम्मति से समर्थन पाने के हकदार हैं।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधक विधेयक स्वागत योग्य है, मगर इसके प्राविजन्ज वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। हमारे कुछ मित्रों ने कहा

[श्री हरीश रावत]

है कि प्रतिकर की मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन सवाल इस बात का नहीं है कि प्रतिकर कितना मिलना चाहिए, बल्कि सवाल इस बात का है कि जो व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होता है, उसको समय पर प्रतिकर मिल सके। इस समय स्थिति यह है कि इस एक्ट को इनफोर्स करने का काम स्टेट गवर्नमेंट्स का है और जब ऐसे मामले कोर्ट में जाते हैं, तो पुलिस और यान में मालिक की मिलीभगत के कारण दुर्घटनाग्रस्त लोगों को कम्पेन्सेशन नहीं मिल पाता है।

(श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए)

उन लोगों की हालत बदतर होती है, जो दूर से आते हैं, जिन्हें किसी दूर स्थान पर चोट लगती है, जो लोकल लोग नहीं होते हैं। इसलिए एक टाइम-लिमिट फिक्स करनी चाहिए कि इतनी समयावधि के अन्दर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को मुआवजा मिल जाएगा।

देश में जितने ट्रांसपोर्ट कोरपोरेशन्ज हैं, परिवहन निगम हैं, उनका "नि" तो खत्म हो चुका है, "गम" ही "गम" है। स्टेट-गवर्नमेंट्स के परिवहन निगमों की हालत और भी बदतर है। उनकी बसें बिल्कुल कनडेम्ड हैं और उनके लिए कोई वर्कशाप नहीं होता है। हर एक स्टेट में मांग के मुताबिक बसें नहीं हैं, जिसकी वजह से हर बस में ओवरलोडिंग होता है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश में कई दुर्घटनाएं हुई हैं।

उत्तर प्रदेश के अन्दर कोई महीना ऐसा नहीं बीतता है जब भयंकर दुर्घटना घटित न होती हो तो कम से कम जो स्टेट ट्रांसपोर्ट एथारिटीज हैं उनसे इस सम्बन्ध में बातचीत करनी चाहिए कि वह इन दुर्घटनाओं को नियन्त्रित करने की दिशा में ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन्स में सुधार लाएं और वर्कशाप्स की हालत जो आज इतनी खराब है उसमें सुधार लाएं। ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन्श के अन्दर जो इस समय अफसरशाही का ही बोलबोला है और गलत दिशा में ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन्श को वह ले जा रहे हैं, उसको लासेज में डाल रहे हैं उसके ऊपर भी नियन्त्रण होना चाहिए। जनरली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन्श को जब भी घाटा होता है तो पैसेंजर टेक्स बढ़ा देते हैं और उससे अपने घाटे की पूर्ति करते हैं, फिर भी हर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन को घाटा रहता है। तो उसके ऊपर कोई एफेक्टिव नियन्त्रण सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए जिससे कि स्टेट ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन्स को कह सके कि वे ठीक तरह से काम करें।

दुर्घटनाओं के पीछे एक कारण हमारी ट्रांसपोर्ट इन्डस्ट्री भी है जिसमें कल पुरजे बनते हैं। आज सारे पार्ट्स डुप्लीकेट मिल रहे हैं। असली पुरजे तो बिल्कुल गायब हैं। जैसे ही बस आती है ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन में असली पुरजे उसके बदल कर उसकी जगह पर नकली पुरजे लगा दिये जाते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसके ऊपर भी सोचना पड़ेगा कि यह जो कल पुरजे और स्पेयर पार्ट्स बनाने की इन्डस्ट्री है इसका भी नेशनलाईजेशन होना चाहिए। इसके ऊपर भी कोई ऐसा एफेक्टिव कन्ट्रोल होना चाहिए जिसमें कि असली पुरजे बन सकें, डुप्लीकेट पुरजे न

बने। नहीं तो जब तक डुप्लीकेट पुरजे बनते रहेंगे इस तरह की दुर्घटनाओं को आप कन्ट्रोल में नहीं ला सकते।

रोड्स का खराब होना भी एक कारण है दुर्घटनाओं का कई जगह रोड्स इतना खस्ता हालत में है कि उन पर चलने वाली अच्छी से अच्छी बस भी दुर्घटनास्त हो जायेगी। तो रोड्स के बारे में भी स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत होनी चाहिए कि उनकी भी एक सेट प्लानिंग होनी चाहिए, उस प्लानिंग के अन्तर्गत रोड्स बनें और उनकी मेंटिनेंस भी ठीक तरीके से की जाये।

इसके अतिरिक्त आज जो आधी बसें आपरेट करती हैं या वेहिकल्स आपरेट करते हैं। वह अनएथोराज्ड होते हैं, उनके पास लाइसेंस ही नहीं होते हैं। उनको आप देख नहीं सकते। जो ट्रकें होती हैं उनमें इतना ओवरलोडिंग होता है और इतना सामान भरा होता है कि उनको दूर से आते देखकर ही जो हाई वे पर चलने वाला है वह घबड़ा जायगा। ऐसी ट्रकों को निश्चित तौर पर दुर्घटनाग्रस्त होना ही होना है क्योंकि जितनी उनकी क्षमता होती है उससे चौगुना सामान उनमें भरा जाता है। इसलिए उनको भी कन्ट्रोल करने की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही साथ ऐसे वेहिकिल्स, बसेज और ट्रक्स में जो ओवरलोडिंग होती हैं उस पर पुलिस का कन्ट्रोल होना चाहिए। जनरली पुलिस से मिल कर इस तरह की ओवरलोडिंग और अनएथोराज्ड आपरेशंस का काम चलता रहता है। तो इस दिशा में भी विचार करने की आवश्यकता है।

आपका जो इन्टर स्टेट बस टर्मिनस है उसकी हालत बहुत खस्ता है। उसको देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि हम देश की राजधानी के जन्दर आ गए हैं। मेरा निवेदन है कि यहां का जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन है उसको आप कम से कम कहें कि यह जो आपका इन्टर स्टेट बस टर्मिनस है उसकी हालत को सुधारें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपर) : सभापति महोदय, मानवीय समस्याओं को ध्यान में रखकर माननीय परिवहन मन्त्री जी ने इस बिल को पेश किया है। हम सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं कि उन्होंने इस बिल को इस ढंग से पेश किया है। यह बिल दस वर्ष पहले 1972 में भी आया था और उस समय भी यही सरकार थी। इसके बाद आज भी यह बिल आया है। हिन्दुस्तान के देहातों में शहरों में रहने वाले लाखों गरीब आदमी जो सड़कों पर चलते हैं और दुर्घटना में मर जाते हैं उसे सुरक्षा देने तथा उसको उचित मुआवजा देने के उद्देश्य से यह बिल लाया गया है। निश्चय ही यह बिल स्वागत योग्य है। बड़ी खुशी की बात है। ज्यों-ज्यों देश में साधन बढ़ रहे हैं त्यों-त्यों अनेक ऐसी अमानवीय चीजें बढ़ती चली जा रही हैं जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती।

विगत दो-तीन वर्षों में जो मौतें दुर्घटनाओं से हुई हैं उसका हवाला इस बिल में दिया गया है। इसमें बताया गया है कि 1 लाख 45 हजार दुर्घटनायें प्रति वर्ष हो रही है जिसमें 20 हजार

[श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री]

व्यक्तियों की जानें जा रही है। (व्यवधान) अगर कोई व्यक्ति एक टक्कर मार कर भाग जाए, उसको पकड़ा जाए तो उसको कितनी सजा दी जाए या कितना जुर्माना किया जाए—इन बातों पर इस बिल में ज्यादा ध्यान दिया गया है। इस बिल को लाने से पहले माननीय मंत्री जी को यह सोचना चाहिए था कि इन दुर्घटनाओं के कारण क्या हैं? आज हम देहातों में देखते हैं, जो कस्बे हैं वहां पर देखते हैं बसें चलती हैं शादी-ब्याह के अवसर पर उनमें काफी भीड चलती है। 50-60 आदमियों की सीटें होती हैं लेकिन ढ़ाई-तीन सौ आदमी इन बसों में ठूंस दिए जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वह बसें न होकर चिड़ियाघर के पिंजरे हों। ढ़ाई-तीन सौ आदमी एक बस में ऊपर नीचे बैठ जाते हैं। अभी हमारे यहां गाजीपुर में एक आदमी की एक बस में दम घुट जाने से मृत्यु हो गई। इसी प्रकार से बलिया में एक की मृत्यु हो गई। लोग किसी शादी में जा रहे थे, सवारी का कोई साधन नहीं था इसलिए ज्यादा लोग बस में बैठ गए और इस वजह से एक बच्चे की उसमें मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से जो मौतें हो जाती हैं उनकी आप क्या विवेचना करेंगे और क्या ऐसे मामलों में भी मुआविजा दिया जाएगा?

इसी के साथ-साथ में हम यह भी देखते हैं कि सड़कों पर बसें जा रही हैं लेकिन उनका कोई परमिट नहीं है। आर० टी० ओ० को कुछ पैसे मासिक मिलते हैं और बगैर परमिट की बसेज को चलने की इजाजत दे दी जाती है। परमिट देने वाला जो आर० टी० ओ० होता है वह भी कोई टेक्निकल आदमी नहीं होता है। मैं दस-बीस ऐसे आदमियों को जानता हूं जिन्हें न तो बस चलाना आता है और न जीप और कार चलाना आता है लेकिन उनको परमिट दे दिया गया है। ऐसी 10-15 नजीरें वाराणसी में हमारी जानकारी में है। इसके अलावा कुछ आफिसर्स हैं जिनके पास वेहिक्लिज होती हैं, उनके ड्राइवर मेम साहब की सब्जी लेने के लिए चले जाते हैं और अधिकारी गाड़ी लेकर मस्ती में घूमने निकल जाते हैं तो इस प्रकार से भी घटनायें हो जाती हैं। झांसी में ऐसी एक बड़ी दुर्घटना हो गई थी जिसका बड़ा मार्मिक विवरण ब्लिट्ज और दूसरे अखबारों में छपा है। सात-आठ आदमी लड़की का तिलक चढ़ाने के लिए जा रहे थे और उधर से अधिकारी महोदय आ रहे थे, उनका ड्राइवर साथ में नहीं था, आमने सामने जीप और टैक्सी की भिड़न्त हो गयी जिससे टैक्सी उलट गई और 6 आदमी वहीं पर मर गए। कहा यह गया कि लड़की ही दुर्भाग्यशाली थी। तो इस प्रकार के जो मामले हैं उनमें कौन मुआवजा देगा? यह 5 हजार या साढ़े सात हजार की अनुग्रह राशि इसमें लागू होगी या नहीं इसका क्लेरिफिकेशन होना चाहिए।

इस बिल में प्रतिकर के बारे में लिया गया है कि इसका लाभ उन्हीं दुर्घटनाओं में उठाया जा सकता है जिनमें यह साबित किया जा सके कि किसी व्यक्ति की मृत्यु चालक की लापरवाही से हुई है।

इस संबंध में सभी लोग अपने यहां के नियमों से परिचित हैं। वकील की लड़ाई शुरू होती है कि कौन सी दुर्घटना लापरवाही से हुई, कौन सी दुर्घटना शराब पीकर हुई, कौन सी दुर्घटना

अज्ञानता के कारण हुई और कौन सी दुर्घटना किस ढंग से हुई अदालत में यह साबित करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए इस उपबन्ध में सीधे विचार करना चाहिए और सीधे लॉ बनाना चाहिए कि दुर्घटना हुई और उसको साबित करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कोई गरीब आदमी सड़क पर जा रहा है और यदि वह···

श्री मूलचन्द डागा : इस बिल में यही बात है।

श्री राज नाथ सोनकर शास्त्री : इसको साबित करना है।

श्री मूलचन्द डागा : यह साबित नहीं करना है।

श्री राज नाथ सोनकर शास्त्री : इसमें साफ लिखा है कि जिनमें यह साबित किया जा सके कि दुर्घटना संबंधित यानों के स्वामियों या चालकों के सदोष कार्य या उपेक्षा के फलस्वरूप हुई है यह साबित करना होगा।

इसमें आगे एक जगह लिख दिया गया है कि—स्वामी या चालक की त्रुटि या उपेक्षा साबित न होने पर भी प्रतिकार दिया जाए, इस बात को इन्होंने बाद में कहा है। 'साबित न होने पर दिया जाए, ऊपर कहा है साबित करना होगा आप खुद को कन्फयूजन पैदा कर रहे हैं।

मैं अनुग्रह राशि 15 हजार के बारे में भी विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा कि आप इस पक्ष की ओर भी देखें। एक माननीय सदस्य ने इसी बिन्दु पर बोलते हुए कुछ पूर्व अभी कहा है कि हम माननीया श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के आभारी हैं कि जब से देश में उनकी सरकार है और पूर्व में रही, तब से मानव कल्याण के अनेक बिल पेश हुए हैं। मेरी समझ में नहीं आता इस बिल से कैसे मानव कल्याण संभव है, एक तरफ जबकि आदमी हवाई जहाज में सफर करता है और वह हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो मरने वाले व्यक्ति के संबंधी को एक लाख रुपया दिया जाता है और ट्रेन में सफर करने वाले को दुर्घटनाग्रस्त होने पर 50 हजार रुपए दिए जाते है तथा जो सड़क पर चलता है, उसको सिर्फ 2-4-5 या 15 हजार रुपए ज्यादा से ज्यादा दिए जायेंगे मेरी दृष्टि में आपको इसके बारे में विचार करना चाहिए। मैं समझता हूं कि सड़क पर मरने वाले व्यक्ति को एक लाख रुपया देना चाहिए और हवाई जहाज वाले को देना ही नहीं चाहिए। यह पैसा भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तुरन्त देना चाहिए।

दूसरी बात, यदि कोई 80 वर्ष का बुढ्ढा मरता है, तो उसको भी 15 हजार रुपए ही देंगे—और यदि कोई नौजवान मरता है तो उसको भी 15 हजार रुपये ही देंगे—मैं समझता हूं कि आप को इस बारे में भी सोचना चाहिए। इस बिल का कड़ाई के साथ पालन होना चाहिए। आर० टी० ओ० के दफ्तर की ओर, पुलिस की ओर और परमिट वगैरह के बारे में भी आपको ध्यान देना चाहिए।

इन्हीं संशोधनों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति जी, परिवहन निगम की स्थिति चाहे किसी राज्य की ही क्यों न हो, बड़ी दयनीय और विचारणीय है। दिल्ली के ही परिवहन निगम में 60 करोड़ का घाटा है। आप किसी भी राज्य के परिवहन निगम को लें, तो वहां घाटा ही घाटा है। मैं समझता हूं कि हमने इसको इस उद्देश्य से नहीं बनाया था कि इस प्रकार हमारी घाटे की दुकानें चलती रहे और घाटा भी कई सालों से बराबर चलता आ रहा है। कोई भी ऐसा राज्य नहीं है, जहां नफा हो गया हो या नो-प्राफिट, नो-लास पर चलती हों—कहीं भी हो चाहे वैस्ट-बंगाल हो या केरल हो। सवाल यह है कि कुछ···

श्री सैयद मसुदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : घाटा इस लिये ज्यादा होता है कि कांग्रेस (आई) के गुण्डे बस जलाते हैं।

श्री मूल चन्द डागा : जिस उद्देश्य से परिवहन निगम बनाये गये थे वह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। घाटा होने के बाद भी उन के पास गाड़ियों की सुविधा नहीं है जिस से लोगों को राहत मिल सके। लोग बसों में जाना चाहते हैं लेकिन बसें नहीं मिलती। आप ने नेशनलाइजेशन किया, राष्ट्रीयकरण किया, यह अच्छी बात है, करना चाहिये था, लेकिन राष्ट्रीयकरण का लाभ जनता को न मिले उस राष्ट्रीयकरण का क्या लाभ है। आप इन निगमों को गाड़ियां भी उपलब्ध नहीं करा सकते। आज जो एक्सीडेन्ट्स होते हैं इस का मुख्य कारण क्या है ? आप राज्यों में जा कर वहां की सड़कों को देखें, मेरे ख्याल में बहुत से एक्सीडेन्ट्स तो इन सड़कों के कारण होते हैं। सड़क बनाने के लिये जो एक रुपया केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार देती है उसमें से सड़क पर सिर्फ 4 आने लगते हैं, 12 आने कहां जाते हैं, भगवान जानता है, ठेकेदार के घर में जाते हैं, इन्जीनियर के घर में जाते हैं, ओवरसीयर के घर में जाते हैं, जहां भी जाते हों, लेकिन जो धनराशि हम सड़क पर लगाते हैं वह पूरी सड़क पर नहीं लगती। इस भ्रष्टाचार ने जीवन के किसी भी अंग को अछूता नहीं छोड़ा है। इस परिवहन निगमों में घाटे की व्यवस्था का मुख्य कारण यही है कि उन में भ्रष्टाचार कूट-कूट कर भरा है। अब सीता राम जी केसरी आये हैं, मेरे विचार में अब भ्रष्टाचार भागने वाला है, क्योंकि ये भागदौड़ करना जानते हैं, उस के पीछे भागेंगे तो शायद भाग जायगा।

इन्होंने बतलाया कि 1980 में रिपोर्ट पेश हुई। इन के यहां काम करने वाले बहुत कम लोग हैं, 2 साल में पूरा बिल पेश नहीं किया जा सका। इतनी बात जरूर कहनी पड़ेगी कि सीताराम जी केसरी अपनी गलती को मान लेते हैं, किसी बात को छिपाते नहीं हैं। इन्होंने कहा है—

> "भारत के विधि आयोग ने वाहनों द्वारा मार कर भाग जाने के कारण हुई हानि के लिए मुआवजा देने सम्बन्धी अपने 51 वें प्रतिवेदन में कुछ सुझाव दिए हैं। निधि आयोग ने अधिनियम अध्याय-8 के अन्तर्गत मुआवजा देने सम्बन्धी अपने 85 वें

प्रतिवेदन में भी कुछ सुझाव दिए हैं। इन सुझावों को अध्ययन करने में अभी ओर समय लगेगा। इन सुझावों में अधिक महत्त्वपूर्ण सुझाव, जिसे तुरन्त लागू करने की आवश्यकता है, न्यायोचित है।"

इन्होंने कहा है कि कुछ मुख्य-मुख्य बातों को ले रहे हैं। इनका यातायात का महकमा छोटा सा है, इनके यहां रिपोर्ट आ गई लेकिन दो साल उसकी जांच में लग गये—यह काम की कैसी गति है। मोटरें तेज गति से चलती हैं जिससे एक्सीडेन्ट होते हैं लेकिन आपका डिपार्टमेंट धीमी गति से कैसे चल रहा है—आप तो स्वयं तेज चलने वाले हैं। दो साल के बाद भी कम्प्रीहैन्सिव बिल नहीं लाते हैं और कहते हैं कि यह कम्प्रीहैंन्सिव बिल नहीं है, इससे क्या लाभ होगा। यह ठीक है कि एक-दो अच्छे क्लाज इसमें आ गये हैं जिस को उधर बैठने वालों ने भी माना है और हमने भी माना है, लेकिन कम्प्रीहैन्सिव बिल जल्दी लाना चाहिये था। रिपोर्ट आये दो साल हो गये, उसके बाद भी आप कम्प्रीहैन्सिव बिल नहीं ला सके। इसके लिए किसका कुसूर है? आपका डिपार्टमेंट किस प्रकार से काम करता है, इस पर सोचना चाहिए।

आपने क्लेम के बारे में सैक्शन 110 में कहा है—अगर कोई क्लेम करना चाहे तो आप कहते हैं—

अनुच्छेद 110 में कहा गया है :—

"राज्य सरकारें सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिसूचना में दिए गए क्षेत्रों के लिए मुआवजे के निपटान हेतु एक या अधिक मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण बना सकती हैं (इसके पश्चात् दावा न्यायाधिकरण कहा गया है)।"

सेक्शन 110 में आप क्लेम्स ट्रीब्यूनल रखना चाहते हैं, तब इसमें 'मैं' क्यों रखते हैं। क्लेम्स ट्रिब्यूनल में किसी आदमी को फीस नहीं देनी पड़ती है लेकिन सिविल कोर्ट में अगर 20 हजार रुपये का क्लेम कोई करता है, तो उसे 2 हजार रुपये कोर्ट फीस के देने पड़ेंगे। आप इतना प्रोग्रेसिव कानून बनाना चाहते हैं और कहते हैं कि अब इतना प्रगतिशील कानून बन रहा है और हमारी श्रीमती राम दुलारी सिन्हा, इस्पात और खान मंत्री आज बहुत खुश हैं क्योंकि जितने भी बिल आ रहे हैं, वे बिहार के बड़े-बड़े मंत्री पारित कर रहे हैं। इसलिए इनको खुशी होनी ही चाहिए।

इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : मैं तो आपको खुश होते हुए देख कर खुश हो रही हूं।

श्री मूल चन्द डागा : सीता राम केसरी जी ने अपने बिल में अपनी गलती को माना है।

[श्री मूलचन्द डागा]

इसलिए हमें इनकी सराहना करनी चाहिए। वह आदमी अच्छा है, जो अपनी गलती को मान लेता है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने इस सेक्शन में यह कहा है :

"राज्य सरकारें, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक या अधिक मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण बना सकती हैं।" आप "सकती है" क्यों कहते हैं, यह अनिवार्य होना चाहिए। चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे कोई और स्टेट हो, यह होना चाहिए कि क्लेम का पैसा बिना कोर्ट फी के मिल जाए।

एक बात और कहना चाहता हूं कि ज्यों ही एक्सीडेन्ट हो जाए, दुर्घटना हो उसका पंचनामा बनता हैं। अब जो क्लेम करने वाला होता है, तो उसका इन्श्योरेंस नम्बर चाहिए, गाड़ी का नम्बर चाहिए। मेरा कहना यह है कि एक्सीमेंट होने पर जो सारी हिस्ट्री बनती है और एस० एच० ओ० या जो चालान करने वाला है, उसके पास होती है, वह बिना पैसे दिये क्लेम करने वाले को यह मिलनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि वह कोर्ट में घूमता फिरेगा और नम्बर जानने के लिये, इन्श्योरेंस नम्बर जानने के लिये, उस बेचारे को कितने ही पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इसलिए कानून में यह बात आ जानी चाहिये कि जिस किसी की दुर्घटना हो जाए, तो क्लेम करने वाले को ये सारी चीजें दे देनी चाहिये, सारे कागजात दे देने चाहिये और कागजात लेने में उसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए।

एक और बात मैं यह कहना चाहता था कि आपने जो सजा मुकर्रर की है वह यह है कि 100 रुपये के 200 रुपये कर दिये और 200 रुपये के 400 रुपये कर दिये। आप जानते ही होंगे कि इतने सारे चौकीदार आर० टी० ओ० के खड़े रहते हैं कि गाड़ी चलाना मुश्किल होता है। मैं तो यह समझता हूं कि यह धंधा एक सरदार ही कर सकता है और इसको करने के लिए सरदार का दिल चाहिए। नेशनल हाईवे पर जगह-जगह पर चौकीदार खड़े रहते हैं और एक गाड़ी चलाने वाला अपनी जेब में 200-400 रुपये भर कर चलता है और वहां पर खड़े इन लोगों को देता है तब कहीं जा कर अपने ठिकाने पर पहुंचता है। भगवान जाने, यह क्या तरीका बन गया है। अभी तक आक्ट्राय ड्यूटी माफ नहीं की गई है और बातें कर कर के हम थक गये और इतना सारा पैसा इसी पर खर्च कर दिया लेकिन अभी तक आक्ट्राय ड्यूटी माफ नहीं हुई। हमारी सरकार बहुत गहराई तक सोचती है लेकिन इतनी गहराई में चली जाती है कि ऊपर आने में वक्त लगता है। यह कहा जा रहा था कि हम आक्ट्राय खत्म कर रहे हैं लेकिन अभी तक वह खत्म नहीं हुई है और जगह-जगह पर इनके चौकीदार खड़े हैं और जैसे ही मोटर आती है, वे उसको पकड़ते हैं। बाबू की गाड़ी जाती है, तो उसको पकड़ते हैं लेकिन अगर मिनिस्टर की गाड़ी हुई, तो पेड़ के नीचे जाकर छुप जाते हैं। इससे हर एक गाड़ी वाले को कितनी तकलीफ होती है। मैं समझता हूं कि रात को दारू पी कर लोग घूमते हैं और जैसे रात को उल्लू आता है वैसे ही जैसे ही कोई गाड़ी रात को आती है, तो वे तैयार हो

जाते हैं उसको पकड़ने के लिए और कहते हैं कि लाओ पैसा। रोड पर कितनी आफतें हैं, यह सब जानते हैं। सड़कें पक्की नहीं होती हैं और गाड़ी चलाने वाले की गाड़ियों को क्षति होती है और चलाने में ही तकलीफ होती है। अब अगर कम्पेंसेशन की बात हो तो नेशनल हाईवे, तो यातायात विभाग के पास है, उससे लिया जाए। होता क्या है कि कोई सड़क बनती है और उसके लिए अगर 1 लाख रुपये का बजट है, तो उसमें से केवल 30 हजार रुपये ही खर्च होता है। मैटीरियल लगाया जाता है। हिन्दुस्तान में इतनी दौलत इकट्ठा करते हैं, तो उस खजाने के एक एक पैसे का सही उपयोग होना चाहिए।

श्रीमान जी देश में जो नेशनल हाईवेज हैं, उन पर रोड्स पर कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। रोड्स पर यह नहीं लिखा हुआ है कि इस पर इतने मोड़ हैं।

श्रीमान् जी यह जो बिल पेश किया गया है इसका तो मैं समर्थन करता हूं लेकिन आपने जो फाईन रखा है कि दो सौ, चार सौ या आठ सौ रुपये किये जायेंगे, खाली इससे काम नहीं चलेगा। सीधी बात है कि लाएसेंस तो कैंसिल होना चाहिये लेकिन मेण्डेटरी पनिशमेंट भी होना चाहिए। वेशक वह सिम्पल हो। जब तक उसको यह ख्याल नहीं होगा कि तिहाड़ जेल में या किसी और जेल में सींखचों में बन्द रह कर वहां की दाल-रोटी खायी थी तब तक वह ऐसे काम करने से बाज नहीं आयेगा। इसलिए यह पनिशमेंट जरूरी है।

वैसे इस बिल में कोई खास बात नहीं है। केसरी जी ने एक चीज को लेकर यह बिल रख दिया है। आपको एक कम्प्रीहेंसिव बिल लाना चाहिए। आपके डिपार्टमेंट के अधिकारी एक ऐसा बिल बनाएं जिससे कि जनता को लाभ पहुंचे।

आपका जो राष्ट्रीयकरण है वह एक सरकारीकरण हो गया है। इसके कारण आज जनता बहुत दुःखी है।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : सभापति जी, मोटर यान संशोधन विधेयक जो प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं विरोध नहीं समर्थन ही करता हूं। लेकिन इस विधेयक का जो रूप रंग होना चाहिए था वह नहीं है।

चूंकि इस दिशा में 1972 में गठित विधि आयोग ने जो कहा था उस पर हमारे बहुत से मित्रों ने कह दिया है, मैं उसको नहीं कहना चाहता। विधि आयोग पर काफी व्यय होता है। विधि आयोग ने सभी राज्यों, संघ शासित राज्यों और विभिन्न प्रकार के मोटर चालक संघों एवं जन प्रतिनिधियों से बहुत से विचारों को ग्रहण किया था और दुर्घटनाओं को रोकने में व्यावहारिक जीवन में जो कठिनाइयां आती हैं उनको उसने बताया था और उसके उपाय भी बताये थे। उन सबको मद्देनजर रखते हुए सरकार को एक व्यापक विधेयक लाना चाहिये था। लेकिन मन्त्री जी

[श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा]

केवल एशियाई खेलों की दृष्टि से इस विधेयक को लाये हैं। यहां पर जो दुर्घटनाएं बढ़ी हैं उनके लिए जो मुआवजे का प्रावधान किया गया है वह बहुत सराहनीय है। मैं उसके बारे में शिकायत नहीं करता।

लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि दुर्घटनाओं में मृत व्यक्तियों को प्रतिकर के देने की जो संदाय राशि मन्त्री जी ने निर्धारित की है वह बहुत कंजूसी से की है। यह खेदपूर्ण है। जब एक तरफ हम हवाई जहाज और रेल दुर्घनाओं में मरने वालों को क्रमशः एक लाख पचास हजार रुपये देते हैं तो इन दुर्घटनाओं में मरने वालों को इतनी कम राशि क्यों? आखिर जान तो गरीब और अमीर की बराबर होती है। जो सड़क दुर्घटना में मरता है या जो रेल या हवाई जहाज दुर्घटना में मरता है सभी की जान बराबर है। आपने इन दुर्घटनाओं में मरने वालों को 15 हजार रुपये और परमानेंट डिसेब्ल्ड या स्थायी तोर पर अपंग व्यक्तियों के लिए साढ़े सात हजार रुपये रखे हैं। यह राशि नाकाफी है। इस दृष्टिकोण से मन्त्री जी ने कंजूरी की है। भले ही उनका दिल अच्छा हो, लेकिन जो उन्होने राहत की राशि रखी है वह कम है।

विधि आयोग ने और भी सुझाव दिये थे जिनको कि नजरअन्दाज किया गया है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि 1972 से 1982 तक दस वर्षों का समय कम नहीं होता। चाहे जो भी सिफारिश आयोग ने की हो उसको लागू करना चाहिए। दस वर्ष लगाकर भी अभी ये मान रहे हैं कि और समय लगेगा। न जाने और कितने दस वर्ष या पांच वर्ष लगेंगे? कुछ बताते कि इतने समय के बाद इसमें संशोधन करेंगे लेकिन इसको भी उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है।

टक्कर मार कर लोग भाग जाते हैं, गाड़ियों को भगाकर ले जाते हैं। इस तरह दुर्घटनाएं बहुत बढ़ती चली जा रही है। हिन्दुस्तान में तो विश्व भर के देशों से ज्यादा इस तरह की घटनाएं होती हैं। मन्त्री महोदय ने तीन वर्ष का आंकड़ा लिया है और बताया है कि बीस हजार प्रतिवर्ष लोग मरते हैं इन दुर्घटनाओं में। 1 लाख 45 हजार का इन्होंने विवरण दिया है। जो आंकड़े संग्रह करने वाले लोग हैं वे सभी आंकड़े भी नहीं देते है। मेरा ख्याल है कि बीस हजार नहीं बल्कि तीस हजार के करीब लोग प्रतिवर्ष दुर्घटनाओं में मरते होंगे। हमने इस बात पर भी विचार नहीं किया लगता है कि सड़कों पर जो सिगनल लगे होते हैं उनका बहुत ज्यादा अतिक्रमण होता है, सड़कों के किनारे दुकाने वन जाती हैं, सड़कें कटी-छंटी होती हैं, डैमेज्ड होती हैं, उनको बनाने में सब स्टेंडर्ड मैटीरियल का उपयोग किया जाता है, सड़के बनवाने वाले जो इंजीनियर हैं या मैटीरियल सप्लाई करने वाले जो कांट्रेक्टर हैं उन पर भी नजर रखी जाए इसकी कोई व्यवस्था नहीं की जाती है, जांच पड़ताल इसके बारे में करने का कोई उपबन्ध नहीं किया है। ये जो चीजें है इनको देखना भी बहुत आवश्यक है और अगर आप चाहते हैं कि दुर्घटनाएं कम से कम हों तो इन बिन्दुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा।

आपने कहा है कि आप एक तोषण निधि बनाएंगे और उसमें से दुर्घटनाग्रस्त लोगों की मदद करेंगे जिनकी मृत्यु हो जाती है या जो घायल हो जाते हैं, अपंग हो जाते हैं, वे चक्कर लगाते रहते हैं, प्रभावित लोग सरकारी अधिकारियों के दरवाजों को खटखटाते रहते हैं और आने जाने

में उनके जूते घिस जाते हैं लेकिन उनको जो क्षतिपूर्ति की राशि मिलनी चाहिए नहीं मिल पाती है। साल-साल, दो-दो साल और पांच साल तक डिसिशन ही नहीं हो पाता है उनके मामलों का। इसमें इन्होंने उदारता बरती है और कहा है कि उनकी क्षतिपूर्ति शीघ्रतापूर्वक की जाएगी। मैं चाहता हूं कि इसके बारे में समय की सीमा होनी चाहिए और आपको इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए कि इतने दिनों के अन्दर उनको क्षतिपूर्ति की राशि मिल जाएगी, टाइम बाउन्ड प्रोग्राम आपको इसके लिये बनाना चाहिये इसका कोई उपबन्ध आपको करना चाहिए। इस तरह की व्यवस्था न होने के कारण जो लाभ उनको मिलना चाहिए, जो क्षतिपूर्ति उनकी होनी चाहिये वह नहीं हो पाती है और वह लाभ उनको नहीं मिल पाता है।

गाड़ियां, देखने में आता है कि, बहुत तेज गति से लोग भगाते हैं। दिल्ली बम्बई कलकत्ता आदि शहरों में तो बहुत ही तेज गति से इनको भगाया जाता है। गाड़ियों की स्पीड पर रोक लगाने, उनकी स्पीड को लिमिट करने का कहीं पर कोई प्रावधान नहीं है। इस तरह से दुर्घटनाएं रुक सकती हैं। आप क्षतिपूर्ति करते जाएं, इससे ही काम नहीं चल सकता है। जो अपराध कर्मी है, जो मोटर चालक हैं, या जो वाहनों के स्वामी हैं वे गलतियां करते रहेंगे और भाग जाते रहेंगे, टक्कर मारी और गाड़ी को तेज भगाकर ले गए। इसके बारे में भी आपको कुछ व्यवस्था करनी होगी। अमरीका, जापान आदि कई देश हैं जहां पर स्पीड लिमिट से ज्यादा अगर कोई गाड़ी को भगा रहा होता है तो उसका फोटो ले लिया जाता है और दूसरे स्टेशन पर जब वह गाड़ी पहुंचती है तो उसको पकड़ लिया जाता है। टेलीपंथी या इलैक्ट्रानिक व्यवस्था जैसी कोई व्यवस्था वहां है। हिन्दुस्तान में भी ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि गाड़ी टक्कर मारकर अगर भाग रही हो तो आगे पूरी सूचना मिलने पर उसको पकड़ा जा सके ताकि उससे क्षतिपूर्ति का जितना अंश आपने रखा है उतना वसूल किया जा सके और अपराधी को पकड़ा जा सके। आपने जो रकम रखी है पन्द्रह हजार और साढ़े सात हजार इसको आपको बढ़ाकर तीस हजार और पन्द्रह हजार कर देना चाहिए। सीरियस इंजरी के लिये आपने एक हजार रखा है। उससे कुछ नहीं होगा। दिल्ली में डी० टी० सी० बस गाड़ियां बहुत तेज गति से दौड़ाई जाती हैं। कोई गिरता है, मरता है कोई परवाह नहीं की जाती है। परसों की ही बात है। संसद का सीनियर चेम्बर अटेन्डेन्ट भूप सिंह सैनी का लड़का सुनील आठ तारीख को डी० टी० सी० बस से धक्का खाकर गिर गया और कल यानी नौ तारीख को उसकी मृत्यु सफदरजंग अस्पताल में हो गयी। अब यह केस सीरियस इंजरी में आएगा या दूसरे दिन वह मर गया तो मौत में आएगा और उसके लिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था क्या होगी? दुर्घटनास्थल पर मृत्यु हो जाती है और दुर्घटना के फलस्वरूप एक दो दिन के बाद हो जाती है तो इसके बारे में स्पष्ट इसमें प्रावधान होना चाहिये, इस पर विचार होना चाहिये। इसे भी 15000 की क्षतिपूर्ति दी जाय क्योंकि यह एक गरीब परिवार है। और ऐसे लोगों को भी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करनी चाहिये। अभी इसका इस विधेयक में अभाव है।

इसी तरह से नेशनल परमिट बड़ी-बड़ी ट्रांसपोर्ट कम्पनियों को मिल जाता है। बहुत सी ऐसी ट्रांसपोर्ट कम्पनीज हैं जो बोगस नामों से परमिट ले लेती हैं, जबकि देश में शिक्षित बेरोजगार और ड्राइवर्स को नेशनल परमिट नहीं मिलते हैं। इसके लिए कोई पाबन्दी होनी चाहिए कि किसी

[श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा]

बड़ी कम्पनी को 4, 5 लाइसेंस से अधिक नेशनल परमिट नहीं मिलेंगे ताकि औरों को भी कुछ हिस्सा मिल सके। आप जांच करायें तो नेशनल परमिट बड़ी-बड़ी कम्पनियों को ही उपलब्ध हैं।

नेशनल हाईवेज पर स्पीड ब्रेकर्स लगे हुए हैं जिनसे माल से लदी गाड़ियां टूट जाती हैं। बिहार में 40,50 दिन की हड़ताल प्राइवेट ट्रक औपरेटर्स ने की, उनकी मांग थी कि सरकार इस ओर ध्यान दे। इसी तरह से टायर का वजन कितना होना चाहिए यह अच्छी बात है, लेकिन टायर महंगे होने से लोग पुराने टायर्स को ही ठीक कराकर इस्तेमाल में लाते हैं। इसके चलते पुलिस वाले इस अधिकार का दुरुपयोग कर नाजायज लाभ उठायेंगे। यह भूतलक्षी उद्देश्य है या आगे से लागू होगा इसका कोई जिक्र विधेयक में नहीं है। ड्राइवर का तो फोटो लेंगे, लेकिन अगर शराब पीकर चलाते हैं तो इसको मना करने के लिये इस विधेयक में कोई चीज नहीं रखी। चुंगी पोस्ट्स जितनी राज्य सरकारों ने रखी हैं वहां गाड़ियों को रोक कर तबाह करते हैं। इसीलिये इनको उठा देना चाहिए। इसी तरह से नेशनल हाईवेज पर वे ब्रिज सरकारी होने चाहियें ताकि हर 50 किलोमीटर की दूरी पर उनका वजन किया जा सके। इससे लोगों में थोड़ा डर पैदा होगा। मन्त्री जी को इस ओर विचार करना चाहिये ताकि अधिक लदान न हो सके और लोग शराब न पी सकें। ड्राइवर की जगह कभी-कभी मालिक ट्रक चलाते हैं और दुर्घटना होने के कारण फंस ड्राइवर जाते हैं और उसको सजा होती है। इस बारे में भी कुछ व्यवस्था की जानी चाहिये। अभी इस बिल में बहुत सी खामियां रह गई हैं, जो है वह तो ठीक हैं, लेकिन सरकार को व्यापक विधेयक बनाना चाहिए।

श्री चिन्तामणि जेना (बालासौर) : सभापति महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं जो उपयोगी भी है और समय पर भी लाया गया है परन्तु इसका समर्थन करते समय मैं उन कुछ खामियों को बताऊंगा जो इस विधेयक में हैं और जिनको सरकार उचित संशोधन करके दूर कर सकती है। इस विधेयक को प्रवृत्त करने से पहले हमें समाज के उन लोगों की दशा पर ध्यान देना चाहिये था जिनसे इस विधेयक का सम्बन्ध है। अधिकांश दुर्घटनाओं के लिए मुख्यत: ऐसे ड्राइवर उत्तरदायी हैं जिनको मोटर गाड़ियों की ड्राइविंग का उचित प्रशिक्षण नहीं मिला है। क्या देश में ड्राइवरों के लिए किसी उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था है। सभापति महोदय, आपको मालूम होगा कि रूस में ड्राइवरों को दो वर्ष का प्रशिक्षण तथा छः महीने का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। तब जाकर ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है अन्यथा उसे यह नहीं मिलेगा। और जब कभी भी कार ड्राइवर दुर्घटना करता है तो उसका लाइसेंस जब्त कर लिया जाता है और उसे कोई भी गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस नहीं दिया जायेगा। न्यायालय में मुकद्दमा चलने के बाद ही उसे मुक्त कर दिया जाता है तो उसे ड्राइविंग लाइसेंस बहाल किया जाता है तथा उससे छः महीने के व्यवहारिक प्रशिक्षण का नवीकरण पाठ्यक्रम पूरा कराया जाता है। नवीकरण प्रशिक्षण लेने के बाद ही उसका लाइसेंस वापस मिलता है। परन्तु हमारे देश में क्या हो रहा है। यहां तो हर आदमी ड्राइवर है। कोई व्यक्ति जो कल तक क्लीनर या कन्डक्टर

था और जिसने ड्राइविंग का कुछ भी नही सीखा, एक सप्ताह में लाइसेंस प्राप्त कर लेता है और गाड़ी चलाना आरम्भ कर देता है अत: स्वाभाविक है कि हमारे यहां अनेक दुर्घटनाएं होती हैं।

इसके अलावा लोग सड़क सुरक्षा विनियमों का उचित ढ़ंग से पालन नहीं करते हैं। लोगों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पहलुओं की जानकारी नहीं दी जाती है। अत: मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया इसकी जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि लाइसेंस जारी करने से पहले ड्राइवरों को उचित प्रशिक्षण दिया जाये।

महोदय आपको मालूम ही है कि हमारे देश के कुल यात्री यातायात का लगभग 60 प्रतिशत यातायात सड़क परिवहन द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार लगभग 32 प्रतिशत माल यातायात भी सड़क परिवहन द्वारा होता है। परन्तु दुर्भाग्यवश हम सड़क परिवहन, इसकी सुरक्षा और इसके सुचारू संचालन में उचित शिक्षा नहीं दे रहे हैं। राष्ट्रीय परिवहन समिति ने अपने प्रतिवेदन में कुछ बातें बताई हैं जिनमें से एक-दो वाक्य उद्धृत कर रहा हूं :

> "समिति ने 1950-1951 से लेकर 1977-1978 तक सड़कों पर मोटर गाड़ियों और उनकी संख्या तथा घनत्व में वृद्धि के बारे में आंकड़ों की गणना करने के बाद यह नोट किया है कि यात्री और माल, दोनों ही परिवहन के सम्बन्ध में कुल यातायात में सड़क परिवहन में 1950-1951 से 1977-1978 तक भारी वृद्धि हुई है अर्थात् यात्री यातायात में 26 प्रतिशत से 59 प्रतिशत तक की और माल यातायात में 11 प्रतिशत से 32 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है।"

इसके बावजूद हमने सड़क परिवहन की ओर उचित ध्यान नहीं दिया है। इस अधिनियम को क्रियान्वित करने से पहले हमें समस्या के इस पहलू की भी जाँच करनी चाहिये।

महोदय,इसके अलावा सड़क सुरक्षा आयोग ने अपने प्रतिवेदन में कुछ सिफारिशें की हैं जिनको हमने अभी तक क्रियान्वित नहीं किया है। मैं 1979 के बारे में बता रहा हूं। अखिल भारतीय सड़क सुरक्षा कांग्रेस ने त्रिवेन्द्रम में 16 फरवरी, 1979 को हुए अपने सातवें अधिवेशन में सभी राज्यों में यातायात इंजीनियरिंग सैलों के गठन का समर्थन किया था। इसी प्रकार उसने प्राधिकारियों से सिफारिशें भी की थीं कि वे 'ट्रेफिक वार्डन सिस्टम' आरम्भ करने पर विचार करें। इस कांग्रेस ने जो अन्य सिफारिशें की थीं वे ये हैं : सड़क की और अच्छी बतियां, चौराहों के निर्माण में और अधिक सावधानी, ड्राइविंग लाइसेंस की प्रणाली में सुधार और आम जनता के लिये यातायात शिक्षा।

इस अधिनियम को व्यवहार में लाते समय हमें इस पहलू पर भी ध्यान देना चाहिये। मैं एक-दो बातें और बताना चाहता हूं। हमारे माननीय नौवहन और परिवहन मंत्री श्री वीरेन्द्र पाटिल ने 25 सितम्बर, 1981 को हुई परिवहन विकास परिषद की बैठक में इस बात पर बल दिया कि अधिकांश राज्यों ने सड़कों के रख रखाव की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। यदि यह

[श्री चिन्तामणि जेना]

अपर्याप्ता समाप्त कर दी जाती है तो इससे न केवल ईंधन की बचत होगी अपितु बसें समय पर भी चलने लगेंगी और बसों के ऐसे ब्रेकडाउन नहीं होंगे तथा फालतू पुर्जों के उपयोग में कमी होगी।

जब हम दुर्घटनाओं के बारे में विचार कर रहें तो हमें अपने देश में सड़कों की बुरी हालत की ओर ध्यान देना चाहिये। यह एक और कारण है जिससे मोटर गाड़ियों की दुर्घटनाएं होती हैं। जब तक ड्राइवरों को उचित व्यवहारिक प्रशिक्षण नहीं दिया जाता तब तक मेरे विचार में गाड़ियों के मालिकों से मुआवजा वसूल करना उचित नहीं होगा। मैं समझता हूं कि मुआवजा जीवन बीमा कम्पनियों द्वारा दिया जाना चाहिये जिसके लिए योजना चलाई जानी चाहिये। परन्तु आज हो यह रहा है कि प्रतिवर्ष लगभग डेढ़ लाख दुर्घटनाएं होती हैं। जिनसे 20,000 व्यक्ति मर जाते हैं। जब हम इतने महत्वपूर्ण मामले पर विचार कर रहें तो हमें यह भी देखना चाहिये कि श्रेयस्कर ढंग से मुआवजा किस प्रकार दिया जाये ताकि जो लोग बेचारे दुर्घटना के शिकार हुए हैं उनको सरल प्रक्रिया से बिना किसी विलम्ब के मुआवजा दिया जाये ताकि उसे इसे प्राप्त करने में उन्हें किसी औपचारिकता की परेशानी का सामना न करना पड़े।

इन्हीं कुछ शब्दों के साथ, मैं तहेदिल से विधेयक का समर्थन करता हूं।

महोदय, आज राजधानी नगर दिल्ली में यह हो रहा है। कुछ अन्य मित्रों ने भी इसके बारे में बताया है। मैं यहां 1 नवम्बर, 1981 के स्टेट्समैन में प्रकाशित समाचार को उद्धृत करता हूं :

> "2754 बसों की वर्तमान 'फ्लीट' अपर्याप्त है; कम से कम 2000 अतिरिक्त बसें ही वर्तमान मांग को पूरा कर सकेगी। छठी योजना के अन्त तक 2134 नई बसें प्राप्त करने का विचार था परन्तु उस स्थिति में लगभग 1800 वर्तमान बसें बेकार हो जायेंगी। अत: वास्तविक वृद्धि बहुत ही मामूली होगी।"

महोदय, जब हम यह समस्या का सामना कर रहे हैं तो हमें गाड़ियों की संख्या में वृद्धि करने तथा सड़क सुरक्षा की ओर भी ध्यान देना चाहिये।

जब तक सड़क सुरक्षा की ओर उचित ध्यान नहीं दिया जायेगा, दुर्घटनाओं से बचा नहीं जा सकता और यदि हमने समस्या के इस पहलू की ओर ध्यान नहीं दिया तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में गड़बड़ होगी।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का तहेदिल से समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

सभापति महोदय : श्री रामलाल राही। (श्री सोमनाथ चटर्जी)

श्री राजेश कुमार सिंह : सभापति महोदय; माननीय मंत्री जी ने सदन में आश्वासन दिया

था। एशियाड के लिए सदस्यों को टिकट देने के बारे में आज निर्णय हो जायगा। क्या इस बारे में कोई सीमा निर्धारित की गई हैं या नहीं ?

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि कोई वक्तव्य दिया जायेगा।

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : मोटर यान संशोधन विधेयक सरकार ने पेश करके सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने और सड़क दुर्घटनाओं में जो लाखों लोगों की जान जाती है उससे बचाने के प्रयास किए हैं, इसलिए मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। परन्तु मैं निवेदन के तौर पर कहना चाहूंगा कि हम आम तौर से यह देखते रहे हैं कि इस सदन में कोई भी ऐसा सत्र नहीं जाता जिसमें 15-20-25-30 बिल पेश न होते हों, उन पर संशोधन न दाखिल किए जाते हों और उसके बाद पास न किए जाते हों। विधेयक पेश होते रहते हैं, कानून बनते रहते हैं, लेकिन जब तक उन पर अमल नहीं होगा तब तक उनको बार-बार पेश करने, बनाने और संशोधन करने से फायदा क्या है ? और इसकी जिम्मेदारी किस पर है ? आज आपने एक मोटर यान संशोधन विधेयक रखा है, एक सड़क परिवहन निगम संशोधन विधेयक पेश है, एक और विधेयक पेश है, लेकिन जब तक प्रभावी ढंग से इन पर आपका प्रशासन अमल नहीं करेगा तब तक विधेयक पास कराने से कोई फायदा नहीं है।

वैसे यह सही है कि हर साल लाखों लोग सड़क दुर्घटनाओं में मरते हैं। सड़क दुर्घटनाएं केवल मोटर से और बसों से नहीं होती हैं, सड़क दुर्घटनाएं केवल साइकिलों से, स्कूटरों से या और छोटी-छोटी गाड़ियां जो इंजन से तेज रफ्तार से चलने वाली चल रही हैं उनसे भी होती हैं। मंत्री जी जवाब देते समय यह बताएंगे कि क्या मोटर या चार पहिये वाली या तीन पहिये वाली गाड़ियों के अतिरिक्त दो पहिये वाली गाड़ियों पर भी आपका यह विधेयक लागू होगा या नहीं ? यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि केवल मोटर, बस, ट्रक या तीन पहिये वाली गाड़ियों से ही ऐक्सीडेंट नहीं होते हैं, मोटर साइकिल, स्कूटर और छोटी-छोटी दूसरी गाड़ियों से भी ऐक्सीडेंट होते हैं। उनसे भी लोगों की जानें जाती हैं। उनको भी इस विधेयक के सीमा-क्षेत्र में लाने की आवश्यकता है। अगर नहीं लाएंगे तो उनसे जो लोग मरते हैं उनके बारे में और उनके परिवार के लोगों को सहायता देने के बारे में आप क्या कर सकेंगे ? इसलिए इसके लिए भी मैं आप से निवेदन करूंगा कि उनको भी अंदर लाइए।

आम तौर पर हम देख रहे हैं कि दुर्घटनाएं तीन चार कारणों से होती हैं। एक तो मोटर यानों की यांत्रिक खराबी के कारण। दूसरे, जो उसके चालक हैं वे शराब के नशे की हालत में गाड़ी चलाते हैं, तीसरे ड्राइवर जो हैं चाहे वह रोडवेज के ड्राइवर हों, चाहे ट्रक के, वे कभी-कभी लापरवाही बरत जाते हैं। चौथा कारण है जो आपका फौजदारी कानून है जिस कानून के तहत सड़क दुर्घटनाएं जब होती हैं तो लोग बन्द किए जाते हैं और उनके खिलाफ चालान होता है उसमें भी कभी और कानूनी खामी है। इसके अलावा सरकार की अदूरदर्शिता भी है। ये चार पांच ऐसे कारण है जिनसे दुर्घटनाएं होती हैं। हम सब लोग जानते हैं चाहे जिस ट्रांसपोर्ट को ले लीजिए,

[श्री राम लाल राही]

ट्रक को छोड़ दीजिए, केवल बसों को ले लीजिए, जितनी बसें रोड्स पर चलती हैं आम तौर पर सब रोडवेज की हैं। अभी हिमाचल प्रदेश में पिछले महीने दो ऐक्सीडेंट हो गए, एक पूर्वी उत्तर प्रदेश में हो गया। हिमाचल प्रदेश में जो दुर्घटना हुई उसमें कई आदमी रोडवेज की बसों से मरे।

मैं यह जानना चाहता हूं कि परिवहन निगम जो हैं उनकी बसेज को सुधारने के लिए और आन्तरिक खराबियों को ठीक करने के लिए क्या निगम पर आप कोई दबाव डाल रहे हैं? क्या आपको पता है कि जब से यह निगम बने हैं तब से उनमें लूट हो रही है। उस लूट में केवल अधिकारी ही शामिल नहीं हैं, उसमें प्रान्तीय सरकार का भी हिस्सा लगता है। जो मौजूदा मन्त्री है उन्होंने अच्छी-अच्छी रकमें डकारी हैं। मैं उत्तर प्रदेश की बात जानता हूं। अभी 8-10 दिन पहले मैं यहां पर जब आ रहा था तो जब मैं बस स्टेशन पर गया तो मालूम हुआ कि बस खराब हो गई। जब दूसरी बस चली तो वह आगे जाकर रास्ते में खराब हो गई। लौट कर फिर मुझे स्टेशन पर आना पड़ा और तब किसी प्रकार प्राइवेट व्हीकल से मैं लखनऊ तक पहुंचा और वहां से गाडी पकड़कर यहां आ सका। आज रोडवेज की क्या हालत है यह भी आपको देखना चाहिए। आपके सरकारी क्षेत्र में जितनी भी व्हीकल्स चलती हैं उनमें ज्यादातर यांत्रिक खराबी रहती है। जब आप स्वयं इसको दुरुस्त करेंगे तभी प्राइवेट व्हीकल्स पर नियन्त्रण रख सकने की आपमें हिम्मत आयेगी।

माननीय मन्त्री जी को पता है कि जनता सरकार ने शराब बन्दी के सिलसिले में ठोस कदम उठाए थे। उसने इस बात का प्रयास किया था कि हम सत्ता चलायेंगे लेकिन पाप की कमाई से नहीं चलायेंगे। इसीलिए जनता सरकार ने पहला कदम शराबबन्दी की दिशा में उठाया था। लेकिन आपने आते ही आते कहा कि चाहे कितने ही पाप की कमाई क्यों न हो, हम उससे सरकार चलायेंगे। आपने शराबबन्दी का कानून हटाकर शराब जगह-जगह, यहां तक कि मन्दिर, मस्जिद और अन्य सार्वजनिक स्थानों के पास बेचनी शुरू कर दी। जब आप पीने के लिए शराब दे रहे हैं तो ड्राइवर भी उसको पियेंगे और गाड़ी चलायेंगे जिससे दुर्घटनायें होंगी। इसलिए शराबबन्दी के प्रश्न पर आपको पुनः विचार करना चाहिए यदि आप चाहते हैं कि दुर्घटनायें न होने पायें।

प्रस्तुत विधेयक की दो तीन बातों की ओर भी मैं इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। रजिस्ट्रेशन नम्बर वगैरह की बात ठीक है लेकिन वह अरेबिक में ही क्यों? हिन्दी हमारी राष्ट्र भाषा है उसमें आपने क्यों नहीं रखा है? इसमें आपको रखना चाहिए।

सभापति महोदय : आप अपना सुझाव दीजिए।

श्री राम लाल राही : आप हिन्दी राष्ट्र भाषा का अपमान न करें। इसी में आप इसको रखें।

इसमें आपने फोटो की बात भी कही है कि ड्राइवर के पास फोटो होनी चाहिए। यह ठीक है लेकिन ड्राइवर के पास फोटो हो और चला कोई दूसरा रहा हो तब आप क्या करेंगे। मेरा

सुझाव है कि ड्राइवर की फोटो गाड़ी में ही किसी स्थान पर लाक होनी चाहिए। जो भी ड्राइवर गाड़ी चलाता है उसकी फोटो गाड़ी में कहीं एक जगह लाक होनी चाहिए। इस बात की व्यवस्था आपको करनी चाहिए, तभी फोटो की जो मंशा है वह स्पष्ट और हितकारी हो सकेगी।

जो मुआवजा आपने इस बिल में किया है, वह मेरी दृष्टि में बहुत ही कम है। पन्द्रह हजार रुपये की राशि मौत की दिशा में बहुत कम है। एक्सीडेंड में यदि चोट लग जाए, तो आप सात या साढ़े सात हजार रुपये दे दें, तो कोई बात नहीं है। मेरे विचार में यह कम से कम 50 हजार रुपये होनी चाहिए। मेरी यह मांग है कि आप यह राशि 50 हजार रुपए करें।

एक बात मैं और कहना चाहूंगा, आपको ऐज के बारे में भी फर्क करना पड़ेगा कि किस वर्ग का व्यक्ति मरा। क्योंकि एक मिनिमम ऐज यहां मानी गई है, उसका आप औसत लगा कर कि उसको कितनी आमदनी है, उस हिसाब से यह राशि बहुत कम बैठती है। इसलिए यदि आप फिक्स करना चाहते हैं, तो पचास हजार रुपये से आपको कम नहीं करना चाहिए।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उपाध्यक्ष महोदय, कानून के बारे में भी कहना चाहता हूं कि कानून भी प्रभावी नहीं है। अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है। सड़क पर जो दुर्घटनाएं होती हैं, वे आई० पी० सी० की धारा और सी० आर० पी० सी० की धारा 302 और 304 के तहत दर्ज की जाती हैं। मान लीजिए सड़क पर कहीं आम का पेड़ लगा हो और हम पत्थर मार कर आम तोड़ें और वह पत्थर किसी के लग जाए, तो हम धारा 302 और 304 के तहत मुल्जिम होंगे और हमें इस कानून के तहत हथकड़ी लग जावेगी। यदि कोई बड़ा आदमी शराब पीकर गाड़ी चलाता है और वह बीसियों आदमियों को रौंदता हुआ चला जाता है और आगे थाने में रिपोर्ट लिखाने जाता है, तो धारा 304 (ए) के तहत वह रिपोर्ट लिखी जाएगी। बड़ा आदमी अपने बचाव के कितने ही रास्ते ढूंढ लेता है। 304(ए) में वह रिपोर्ट दर्ज होगी और उसको कुर्सी दी जाएगी, तथा कहा जाएगा कि आपका टाइम खराब कर दिया और उसकी जमानत हो जाएगी। मैं समझता हूं कि यह कानून कारगर नहीं है और 304 (ए) को आई० पी० सी० से हटाया जाना चाहिए। जब तक यह धारा नहीं हटाई जाएगी, तब तक गाड़ी चलाने वालों के अन्दर, मालिकान के अन्दर, अम्पाला व एम्बेसडकर तथा ट्रकों के ड्राइवरों के अन्दर भय पैदा नहीं होगा। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि कानून में से धारा 304 (ए) को हटाना चाहिए।

यह तो आप जानते हैं कि हमारे देश में शिक्षा का अभाव है। जिस तरह की आप शिक्षा दिला रहें हैं, उससे दोहरे नागरिक पैदा हो रहे हैं। आपका दोहरा मानदण्ड है। यह सर्वविदित है कि हमारे देश में शोषक और शोषण की पद्धति विद्यमान है। इस तरह से समुचित शिक्षा नहीं मिल पा रही हैं। गांव के लोग अज्ञान हैं। सड़कों पर किस तरह चलना चाहिए, इनको इसका ज्ञान नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपको इस प्रकार की ट्रेनिंग देने

[श्री राम लाल राही]

की व्यवस्था करनी चाहिए। एक बात यह है कि जो ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं, उनके लिए आप के पास जांच पड़ताल करने के लिए कोई वाया-मिडिया नहीं है। इस सम्बन्ध में भी आपको सुधार करना चाहिए और एक संस्था बनानी चाहिए और उन संस्थाओं को जगह-जगह पर चलाना चाहिए। जब वे ट्रेंड हो आयें, तो उनकी परीक्षा होनी चाहिए। परीक्षा में यदि वे सफल हों तो उनको गाड़ी चलाने देना चाहिए। इस प्रकार से जो रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, वे कम होंगे।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

श्री कृष्ण प्रताप सिंह (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, एक लम्बे अर्से के बाद माननीय राज्य मंत्री जी मोटर वाहन विधेयक का जो प्रस्ताव लाये हैं, मैं उस का समर्थन करता हूं तथा उन को धन्यवाद देता हूं। हमारे डागा जी ने चाहे जिन शब्दों में कहा हो, चाहे जिस भाव से कहा हो, लेकिन सचमुच में इस विधेयक को इस रूप में यहां प्रस्तुत करने का श्रेय आप को है। हमारे विरोधी दलों के सभी माननीय सदस्यों ने, जिन्होंने इस बहस में भाग लिया है, यद्यपि कहने के लिये उन्होंने किन्तु और परन्तु का उपयोग किया है, लेकिन सभी ने इस का समर्थन किया है। हमारे सोनकर जी ने भी इस विधेयक का स्वागत किया है, करीब-करीब सभी लोगों ने इस का स्वागत किया है, लेकिन कुछ इस तरह की बातें जो इस विधेयक से सम्बन्ध नहीं रखती हैं उन को भी यहां रखने की चेष्टा उन लोगों ने की है। कुछ दुर्घटनाओं की चर्चा की है। इन सब के बावजूद भी उन सब ने यही कहा है कि यह विधेयक स्वागत करने के योग्य है। आप ने ड्राइवर के लाइसेंस पर फोटो चिपकाने का जो प्रावधान किया है इस से निश्चित रूप से दुर्घटनाओं में कमी आयेगी। आज जिन लोगों के पास ड्राईविंग लाइसेंस नहीं है फिर भी वे गाड़ी चलाते हैं या दूसरों के ड्राईविंग लाइसेंस अपनी पाकेट में रख कर चलते हैं—उन पर इस प्रावधान से कुछ प्रतिबन्ध लगेगा। जो सरकारी अधिकारी बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं उन पर भी प्रतिबन्ध लगेगा और मुझे विश्वास है कि इस से दुर्घटनाओं की रोकथाम हो सकेगी। हम देखते हैं कि विभिन्न राज्यों में यातायात के उलंघन के असंख्य मामले विचाराधीन पड़े हैं— उन मामलों का शीघ्र निबटारा करने का प्रावधान भी किया गया है। इन सब बातों को देखते हुए मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं तथा कुछ सुझाव आप के सामने रखना चाहता हूं—

1. कानून का पालन करवाना राज्य सरकार के जिम्मे है, इस लिये कानून के स्ट्रिक्ट एन्फोर्समेन्ट के लिये एम० वी० एक्ट होना चाहिये।

2. ला कमीशन तथा स्टेट गवर्नमेंट की रिकोमण्डेशन के आधार पर इस एक्ट में जो काम्प्रीहैन्सिव अमेण्डमेन्ट लाने का प्रस्ताव सरकार के पास है, उसे यथाशीघ्र मूलभूत रूप दिया जाय।

3. सरकार ने जो एक्सीडेन्ट्स कमेटी बनाई है उस की रिपोर्ट जल्दी दी जाय।

4. सेफ-एक्सल-कमेटी तथा लेडन-वेट-कमेटी की रिकमेण्ड़ेशन्ज को तत्काल एक्सेप्ट कर इम्प्लीमेन्ट किया जाय।

5. हर राज्य में रोड-सेफटी कमीशन की बहाली का जो प्रस्ताव माना गया है उसे इम्लीमेन्ट किया जाय।

6 हाई वे पेट्रोलिंग स्कीम को बढ़ाया जाय।

7. राज्य सरकार के अधीन ट्रांसपोर्ट विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार का उन्मूलन किया जाय।

8. एक्सीडेन्ट ट्रिब्यूनल के निर्णय जल्दी दिये जाये और उनका पालन करवाया जाय।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : उपाध्यक्ष महोदय मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह सही दिशा में स्वागत योग्य कदम है जिसके लिए सरकार श्रेय की पात्र है। वास्तव में यह, संविधान के अनुच्छेद 41 में उल्लिखित सामाजिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार, सामाजिक सुरक्षा का एक उपाय है। अनुच्छेद 41 का पाठ इस प्रकार है :

"राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के तथा बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अंग हानि तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में सार्वजनिक सहायता पाने के, अधिकार को प्राप्त कराने का कार्य साधक उपबन्ध करेगा।"

अत: हम देखते हैं कि अब राज्य उन आहतों की सहायता के लिए आगे आ रहा है जो अन्यथा किसी प्रकार का मुआवजा पाने की स्थिति में न होते। यह विधेयक जब कानून बन जाएगा तो दुर्घटना से आहत व्यक्तियों को मुआवजा देने के संबंध में वर्तमान कानून में काफी हद तक क्रान्ति लाएगा। अत: हम यह कहेंगे कि सामाजिक सुरक्षा का एक प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाया गया है। वास्तव में, मुआवजे के प्रत्येक दावे के संबंध में देयता निर्धारित करने का वर्तमान सिद्धान्त अब पुराना हो चुका है। अब यह स्वीकार कर लिया गया है कि मोटर यान अधिनियम, आहतों को दण्ड देने के लिए नहीं है, यह आहतों को मुआवजा देने के लिए है जो दृष्टिकोण अब अपनाया जा रहा है यह सर्जनात्मक है जिसके लिए सरकार हर श्रेय की पात्र है। वास्तव में, विधि आयोग ने अपने प्रतिवेदन में ध्यान दिलाया है कि : "जो जोखिम पैदा करता है उसे उसके परिणामों को भुगतना होगा"। अत: इस संबंध में मैं यह कहूंगा कि इस सभा का प्रत्येक वर्ग इस उपाय का स्वागत करता है और उसे करना चाहिए।

यद्यपि इस विधान का पूरा स्वागत है तथापि मेरा सविनय निवेदन है कि संविधान के अनुच्छेद 41 के प्रति, जिसका मैंने अभी उद्धरण दिया है, जितना उत्साह दिखाना चाहिए था उतना

[श्री जी० एम० बनातवाला]

नहीं दिखाया गया है। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसी विधान में जितनी दृढ़ता की आशा की जाती है इसमें उतनी दृढ़ता नहीं है। मेरा निवेदन है कि यह अपेक्षतया आधेमन से किया गया उपाय है और इसमें कुछ कमियां है। मैंने यह केवल इसलिये बताया है ताकि यदि आज नहीं तो जब कभी सरकार को अकल आएगी,.....

एक माननीय सदस्य : क्या इस समय अकल नहीं है ?

श्री जी० एम० बनातवाला : एक बेहतर विधेयक भी हमारे सम्मुख आ जाएगा।

प्रथमत: मैं कहूंगा कि विधि आयोग ने अपने 51 वे प्रतिवेदन के साथ 85 वे प्रतिवेदन में भी यह सुझाव दिया है कि मुआवजे के सभी मामलों में दोष-देयता का सिद्धान्त समाप्त किया जाना चाहिए, जिसे मोटर यान अधिनियम की धारा 110, उपधारा (1) के अधीन परिकल्पित किया जा सकता है। अर्थात धारा 110 के अधीन की जाने वाली शिकायत के प्रत्येक मामले में शिकायत-कर्ता को यह सिद्ध नहीं करना होगा कि दोष चालक अथवा किसी अन्य व्यक्ति का था लेकिन इस विधेयक विशेष में यह बात नहीं है। महोदय, मेरा निवेदन है कि वर्तमान विधेयक में निर्दोष-देयता (नो फाल्ट-लायबिलिटी) सिद्धान्त कुछ मामलों तक ही सीमित है मैं समझता हूं कि इस संबंध में इस सभा में काफी गलत-फहमी है। सदस्य समझते है कि दुर्घटना करके भाग जाने के प्रत्येक मामले में मुआवजा दिया जाएगा। यह समझा जाता है कि हर मामले में आहत व्यक्ति को यह सिद्ध करने की जरूरत नहीं होगी कि चालक अथवा वाहन मालिक अथवा किसी अन्य व्यक्ति का दोष है। इस विधेयक के संबंध में मैं ऐसा नहीं समझता। मैं दृढ़ता से यह कहूंगा कि विधेयक में यह उपबन्ध है कि केवल आहत व्यक्ति की मृत्यु के मामले में और आहत व्यक्ति के स्थायी रूप से अंपग हो जाने के मामले में यह सिद्ध करना आवश्यक नहीं होगा कि चालक का दोष था। मान लीजिए हड्डी टूटने जैसी कोई शारीरिक चोट हुई है तो वह आहत व्यक्ति इस संशोधनकारी विधेयक विशेष के अन्तर्गत नहीं आता। अत: यह एक बहुत गंभीर खामी है। विधि आयोग के 51 वें प्रतिवेदन में विशेष शब्द सुझाए गए हैं। मैं उन शब्दों को उद्धृत नहीं करूंगा क्योंकि मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। उन शब्दों के अनुसार, निर्दोष-देयता का सिद्धान्त, आहत व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के मामले के साथ-साथ, शारीरिक चोट के मामले में भी लागू होगा, जैसा कि धारा 110 में उल्लिखित है। लेकिन यहां बहुत ही चालाकी से संशोधन लाया गया है। इस कानून में अब आपने स्थायी अंपगता की एक नई धारणा प्रस्तुत की है। केवल स्थायी रूप से अंपग हो जाने अथवा मृत्यु हो जाने के मामले में यह सिद्ध करना जरूरी नहीं होगा कि चालक का दोष था। शारीरिक चोट के मामले में आहत व्यक्ति को फिर उसी धारा 110 का सहारा लेना होगा, और तदनुसार, उसे चालक का दोष सिद्ध करना होगा।

इसी प्रकार, दुर्घटना करके भाग जाने के मामले में, यह बताया गया है कि केवल आहत व्यक्ति की मृत्यु अथवा स्थायी रूप से अपंग हो जाने के मामले में मुआवजे का भुगतान प्रतिपूर्ति

निधि से किया जाएगा अतः मेरा सुझाव है कि 51वें और 85वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिश के अनुसार—मेरे पास सभी उद्धरण उपलब्ध हैं—दुर्घटना करके भाग जाने के मामलों में भी स्थायी रूप से अपंग हो जाने और शारीरिक चोट लग जाने, दोनों ही मामलों में मुआवजा दिया जाना चाहिये; तथा निर्दोष-देयता का सिद्धान्त वहां भी लागू किया जाना चाहिए।

मेरा दूसरा प्रश्न मुआवजे की राशि कम होने के बारे में है। मृत्यु के मामले में मात्र 15,000 रुपये तथा अन्यथा 7,500 रुपये का प्रावधान किया गया है। कनकार्ड इन्श्योरेंस कम्पनी बनाम निर्मला देवी, 1979 3 एस० सी० आर० 694, मामले में न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने टिप्पणी की है :

> "मोटर दुर्घटनाओं के लिए मुआवजे का विधिशास्त्र निर्दोष-देयता की दिशा में विकसित होना चाहिए और राशि का निर्धारण उदारता से किया जाना चाहिए, न कि कंजूसी से, क्योंकि एक स्वतन्त्र देश में कानून जीवन और अंग का मूल्य उदार पैमानों पर आंकता है।"

पैमाने कितने उदार रखे गए हैं। दुर्घटना कर के भाग जाने के मामले में, मृत्यु हो जाने पर 5,000 रुपये तथा स्थायी रूप से अपंग हो जाने पर एक छोटी सी राशि देने का प्रावधान है। इसलिए मेरा सुझाव है कि उचित रवैया अपनाया जाना चाहिए।

मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि विधि आयोग की सिफारिशों से उल्लेखनीय रूप से पलायन हुआ है। विधि आयोग के मई 1980 के 85वें प्रतिवेदन में यह सिफारिश की गई थी कि ऐसे दावे के मामले में देयराशि निम्नलिखित से अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात् :—

(क) शारीरिक चोट के मामले में, दावा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 1 लाख रुपये ;

(ख) मृत्यु हो जाने के मामले में, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिसके लाभ के लिए दावा किया गया हो, एक लाख रुपये।

यहां हमने मुआवजे की यह राशि इस ढंग से निर्धारित की है कि "लो और भाग जाओ।" निश्चय ही, यह की गई सिफारिशों से एक अन्य पलायन है।

इसी तरह की सिफारिशें सर्वोच्च न्यायालय ने भी विभिन्न मामलों में की हैं। यह सब कुछ होते हुए भी, हम यह कह सकते हैं कि कहीं न कहीं कोई शुरूआत की जानी होगी। जैसाकि ध्यान दिलाया गया है, यह न्याय के द्वार पर अपेक्षतया पहली दस्तक है। विधि आयोग की सभी सिफारिशों को शामिल नहीं किया गया है। उनका कहना है कि एशियायी खेलों के कारण कुछेक महत्वपूर्ण सिफारिशें ली गई है—एशियायी खेल के हम आभारी हैं। आशा है कम से कम अगले ओलम्पिक खेल तक विधि आयोग की सभी सिफारिशों को शामिल करके एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा।

[श्री जी० एम० बनातवाला]

अन्त में, राज्य द्वारा मुआवजे का सिद्धान्त, मोटर दुर्घटना के परिणामस्वरूप उत्पन्न अंगहीनता अथवा आर्थिक संकट तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। हमें चोट के सभी मामलों में मुआवजा देना चाहिए ; यहां तक कि हिंसा की घटनाओं में भी। सरकार को आगे आना चाहिये, जिम्मेदारी लेनी चाहिये और उन हिंसात्मक घटनाओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न आर्थिक संकट को दूर करने के लिये उपबन्ध किया जाना चाहिये।

आशा है मेरे सुझावों पर सरकार उचित विचार करेगी। मैं जानता हूं कि माननीय मन्त्री अपेक्षतया निस्सहाय हैं, वह विधेयक को यथास्थिति पारित करने का आग्रह करेंगे, यथास्थिति भी यह एक अच्छा कदम है, भले ही यह आधेमन से उठाया गया कदम है ; और हमें आशा है कि विधि आयोग द्वारा अपने 51वें और 85वें प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों के अनुसार, यथाशीघ्र एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा।

श्री सीताराम केसरी : मान्यवर, माननीय सदस्यों को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि इस विधेयक पर बहस में उन्होंने भाग लिया और इस बिल का स्वागत भी किया।

माननीय अमल दत्त साहब ने एक प्रश्न यह उठाया कि मुआवजा उम्र के आधार पर आधारित नहीं किया गया है। मैं समझता हूं कि जिन्दगी की कीमत बराबर होती है चाहे वह जवान हो या बूढ़ा। मुआवजे की राशि की व्यवस्था सब चीजों को मद्देनजर रख कर ही तय की की गई है। फिर भी मैं कहूंगा कि क्या कारण है कि इस बिल को इतना शीघ्र लाया गया है। जैसा मैं पहले अपने भाषण में कह चुका हूं विगत सत्र में इस सदन में दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में गम्भीर चिन्ता व्यक्त की गई थी और इसकी वजह से एक भावना बनी, एक प्रेरणा मिली कि तत्काल इसके बारे में कुछ किया जाना चाहिये। मैंने देश के ट्रांस्पोर्ट मन्त्रियों की एक मीटिंग भी की। चूंकि यह प्रश्न गरीबों से, कमजोर वर्ग के लोगों से, राहियों से सम्बन्ध रखता है और जैसा माननीय सदस्यों ने कहा है कि दुर्घटनाओं में मरने वालों की अधिकतर संख्या गरीबों की होती है, इस वास्ते —ये सब चीजें सरकार की नजर में रही और उसने इस बिल को पेश किया। यह ठीक है कि लॉ कमिशन की रिपोर्ट के बाद कुछ समय इसको लाने में लगा। इसको मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन विगत सत्र में संसद में यह प्रश्न उठा और उसके तत्काल बाद ही यह संशोधन विधेयक आपके सामने हमने पेश किया। जहां तक कम्प्रिहैंसिव बिल का सम्बन्ध है और जिसको लाने का कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है, उसको लाने का मैं शीघ्र प्रयत्न करूंगा।

दत्त साहब ने चालकों, ड्राइवरों के फोटोग्राफ की बात कही है और कहा है कि पच्चीस-तीस साल बाद आकृति में परिवर्तन हो जाता है। यह ठीक बात है। यह सोचने वाली बात है। मैं इस पर विचार करूंगा। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि यह जो संशोधन विधेयक है इसे शीघ्रातिशीघ्र पास कर दिया जाए ताकि इसी सत्र में पास होने के बाद इसको क्रियात्मक रूप दिया जा सके।

कुछ मित्रों ने प्रश्न उठाया है कि जीप और ट्रक से दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर मुआवजा

मिल सकेगा ? इसके बारे में मोटर वीहिकल्ज एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है। किसी भी गाड़ी से दुर्घटना होने पर मृत्यु हो जाये या परमानेन्ट डिसएबिलिटी हो जाये जिससे मेरा मतलब है कि व्यक्ति इस लायक न रहे कि अपना जीवन अर्जन कर सके, तो उसको मुआवजा मिल सकेगा। इसका स्पष्ट अर्थ यही होता है।

हमारे मित्र ने कहा कि मुकदमा वगैरह करने में गरीबों का काफी खर्च होता है। यह भी एक प्रश्न था। इस पर विचार करने के बाद इस नतीजे पर सरकार आई कि तत्काल ही मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों को पन्द्रह हजार रुपया नोफाल्ट लायबिलिटी प्रावधान के अन्तर्गत मुआवजा के रूप में दिया जाये और उत्तराधिकारी यह समझे कि कोर्ट में जाना है चूंकि मुआवजे की राशि कम है तो उन्हें इसका भी अवसर मिलेगा। इस मुआवजे की राशि की प्राप्ति में कोई अधिक दिक्कत होने की सम्भावना नहीं है। इतना मैं आश्वासन देता हूं।

माननीय रामलाल राही ने कहा कि सदनों से बिल पास हो जाते हैं लेकिन उनको क्रियात्मक रूप देने में सरकार की ओर से विलम्ब होता है। मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि यह जो मोटर वेहीकिल अधिनियम में संशोधन का विधेयक है, ज्यों ही यह दोनों सदनों से पास हो जायेगा इसको शीघ्रातिशीघ्र क्रियात्मक रूप दिया जायेगा, इसमें कोई सन्देह नहीं है।

एक माननीय सदस्य : एक्ट नहीं, बिल है।

श्री सीताराम केसरी : शब्दों के जाल में मैं नहीं फंसता। मैं एक वर्कर हूं। शब्दों के जाल में फंसने का काम बुद्धि जीवियों का है, उनका मैं सम्मान करता हूं। जैसे माननीय अमल दत्त जी ने अच्छा भाषण दिया उससे मैं प्रेरित हुआ हूं।

आपने जो ऐक्ट और बिल के सम्बन्ध में कहा है, दोनों का हिन्दी एक ही होता है।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : विधेयक और अधिनियम में फर्क है।

श्री सीताराम केसरी : अमेंडमेंट का हुआ संशोधन। ऐक्ट का हुआ अधिनियम···

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : चलिये आपके समझने की बात नहीं है।

श्री सीताराम केसरी : डी० एम० के० के माननीय सदस्य ने अपने प्रदेश के सम्बन्ध में कहा कि हिन्दी में नम्बर होने से दिक्कत होती है और जिस ट्रक से दुर्घटना होती है उसको पकड़ने में दिक्कत होती है। रीजनल भाषा में भी नम्बर होने चाहिये। यह विचारणीय बात है, इस पर हम विचार करेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : खण्ड 6 का पाठ है, 'उपर्युक्त आंकड़े अरबी आंकड़ों में दर्शाये जायेंगे।' इससे आपका क्या अभिप्राय है।

श्री सीता राम केसरी : जो हमारे यहां राष्ट्रीय भाषाएं हैं उनमें भी कम चीज रहेगी। मेरा मतलब यह है कि जिस भाषा को आप आसानी से पढ़ सकें।

प्रो० एन० जी० रंगा (पाली) : हम क्षेत्रीय भाषाओं के आंकड़ों का प्रयोग नहीं करते।

श्री मूलचन्द डागा : खण्ड 6 का पाठ इस प्रकार है—

'मूल अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (3) के परन्तुक में, "उपर्युक्त अक्षर और अंक निम्नलिखित रूप में दर्शित किए जाएंगे" शब्दों के स्थान पर "उपर्युक्त अंक आर्थिक संख्याओं में दर्शित किये जाएंगे और उपर्युक्त अक्षर और अंक निम्नलिखित रूप में दर्शित किए जाएंगे" शब्द रखे जाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डागा, क्या आपने कोई संशोधन रखा है ?

श्री मूलचन्द डागा : जी, नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : तो उन्हें उतर देने हैं। वह सामान्य चर्चा का उत्तर दे रहे हैं।

श्री सीताराम केसरी : मैंने पहले भी कहा था, उसका अर्थ स्पष्ट होता है इंगलिश में। मगर मैंने यह कहा कि जो क्षेत्रीय भाषा है, आपने देखा होगा रीजनल भाषा को भी कहीं-कहीं इस्तेमाल करते हैं, जैसे तमिल, कन्नड, बंगला, मगर एक भाषा सभी जगह रहेगी और उसके साथ क्षेत्रीय भाषा भी रहे तो स्थानीय लोगों की जानकारी के लिये उसमें कोई बाधा नहीं है।

प्रो० एन० जी० रंगा : हम एक दूसरे को नहीं समझते। यही कठिनाई है।

श्री सीता राम केसरी : कुछ माननीय सदस्यों ने कहा 15,000 रु० का मुआवजा बहुत कम है और दूसरे देशों में या विमान और रेल दुर्घटना में मुआवजा अधिक है। जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि चूंकि यह बात सदन में आई, आपने चिन्ता प्रकट की, सरकार ने इसे महसूस किया, इसलिये शीघ्रता में यह बिल संशोधन के रूप में लाये हैं। अभी मौजूदा हालत में इस देश की जो अर्थ-व्यवस्था है, उसमें और दूसरे देशों की अर्थ-व्यवस्था में अन्तर है, मगर फिर भी जो आपने सुझाव दिया है उस पर हम विचारेंगे, मगर अभी तो तत्काल 15 हजार और साढ़े सात हजार रुपये का जो मुआवजा है, उसे आप स्वीकार करें।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : यह मुआवजा नहीं है, एक्स-ग्रेशिया ट्रिब्यूनल से मुआवजा मिलेगा। आपको बाद में न्यायाधिकरण से मुआवजा मिलेगा।

श्री सीताराम केसरी : जहां तक हमारे श्री कृष्ण प्रताप सिंह ने कहा कि इस अधिनियम का पालन कराने के लिये राज्य सरकारों से कहा जाये, मैं आश्वासन देता हूं कि अभी जो मोटर व्हीकल एक्ट आप पारित करेंगे, इसको क्रियान्वित करने में सरकार कभी पीछे नहीं रहेगी, पूर्ण रूप से इसे क्रियात्मक रूप देगी।

श्री हरीश कुमार गंगवार : यह तो 3, 4 कमेटियों के लायक आश्वासन हो गये ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : आश्वासन भी होता है, काम भी होता है । (व्यवधान)

श्री सीताराम केसरी : जहां तक तोषण निधि के सम्बन्ध में आपने कहा और शंका प्रकट की, मैं एक बात फिर कहना चाहता हूं कि इसके लिये सरकार अलग से फंड बनायेगी जिसमें 15 प्रतिशत राज्य सरकार, 15 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार देगी और 70 प्रतिशत जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी की तरफ से होगा । इस तरह से फंड के द्वारा, टक्कर मारकर भागने के कारण जिस व्यक्ति की मृत्यु होगी या घायल होगा, उनको यह मुआवजा एक्स-ग्रेशिया के रूप में दिया जायेगा । इन शब्दों के साथ मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि आप···

प्रो० एन० जी० रंगा : मैं उनकी अन्तिम बात नहीं समझ सका । वे सामाजिक बीमे के बारे में कुछ कह रहे हैं । वे अंग्रेजी में अपनी बाते बतायें ।

श्री सीता राम केसरी : मैं सदन को बता चुका हूं कि माननीय सदस्यों द्वारा मुआवजे तथा अनुग्रह अनुदान के बारे में दिये गये सभी सुझावों को लिया है । जब यह विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जायेगा और विधेयक बनेगा तब मैं इसे कार्यान्वित कराने के लिये सभी प्रयास करूंगा और उसे व्यवहारिक रूप दिया जायेगा । मैं सदन को इस बारे में फिर से आश्वासन देता हूं ।

प्रो० एन० जी० रंगा : सामाजिक बीमे की स्थिति क्या है ?

श्री सीता राम केसरी : जहां तक तोषण निधि बनाये जाने का सम्बन्ध है राज्य सरकारों द्वारा 15 प्रतिशत, केन्द्र सरकार द्वारा 15 प्रतिशत तथा आम बीमा कम्पनियों द्वारा 70 प्रतिशत अंशदान दिया जायेगा । इस निधि का गठन इस प्रकार होगा । ट्रक अथवा मोटर वाहन से टक्कर के कारण मरने वाले किसी भी व्यक्ति को इस निधि में से तत्काल अनुग्रह राहत प्रदान की जायेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मोटर यान अधिनियम 1939 का और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन द्वारा अब भी विधेयक पर खण्डवार चर्चा की जायेगी । खंड 2 से 4 तक पर कोई संशोधन नहीं है । प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिये गये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

"खण्ड 5 से 9 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 5 से 9 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 11

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 13,—

"नि:शक्तता" के पश्चात्
"या शारीरिक क्षति" अन्त:स्थापित किया जाये। (27)

पृष्ठ 4, पंक्ति 16,—

"नि:शक्तता" के पश्चात्
"या शारीरिक क्षति" अन्त:स्थापित किया जाये। (28)

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 21 के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये।

"(2क) किसी व्यक्ति की शारीरिक क्षति के बारे में उप-धारा (1) के अधीन संदेय प्रतिकर की रकम उतनी होगी, जो नियमों द्वारा विहित की जाये। (29)

पृष्ठ 4, पंक्ति 24,—

"नि:शक्तता" के पश्चात् "या शारीरिक क्षति" अन्त:स्थापित किया जाये। (30)

पृष्ठ 4, पंक्ति 28,—

"नि:शक्तता" के पश्चात् "या शारीरिक क्षति" अन्त:स्थापित किया जाये। (31)

पृष्ठ 4, पंक्ति 30,—

"नि:शक्तता" के पश्चात् "या शारीरिक क्षति" अन्त:स्थापित किया जाये। (32)

पृष्ठ 4, पंक्ति 30,—

"नि:शक्तता" के पश्चात् "या शारीरिक क्षति" अन्त:स्थापित किया जाये। (33)

पृष्ठ 4 पंक्ति 33,—

"नि.शक्तता" के पश्चात् "या शारीरिक क्षति" अन्त:स्थापित किया जाये। (34)

पृष्ठ 5, पंक्ति 1,—

"नि:शक्ता" के पश्चात् "या शारीरिक क्षति,' अन्त:स्थापित किया जाये। (35)

पृष्ठ 5, पंक्ति 3,—

"नि:शक्तता" के पश्चात् "या शारीरिक क्षति" अन्त:स्थापित किया जाये। (36)

पृष्ठ 5, पंक्ति 8,—

"नि:शक्तता" के पश्चात्
"या शारीरिक क्षति" अन्त:स्थापित किया जाये। (37)

पृष्ठ 5, पंक्ति 29,—

नि:शक्तता" के पश्चात्
"या शारीरिक क्षति" अन्त:स्थापित किया जाये। (38)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब खण्ड 11 पर श्री बनातवाला के संशोधन संख्या 27 से 38 मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 11 और 12 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 11 और 12 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 14

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 7, पंक्ति 4,—

"पांच" के स्थान पर
"पन्द्रह" प्रतिस्थापित किया जाये। (39)

[श्री जी० एम० बनातवाला]

पृष्ठ 7, पंक्ति 7,—

"एक हजार रुपये" के स्थान पर

"सात हजार पांच सौ रुपये" प्रतिस्थापित किया जाये । (40)

पृष्ठ 7, पंक्ति 11 से 13,—

"वहां ऐसा दावा संदाय करने के लिये उस समय तक लम्बित रखा जा सकेगा जब तक उसे पूरा करने के लिए आवश्यक राशि निधि में उपलब्ध नहीं हो जाती है।" के स्थान पर

"ऐसे दावे का संदाय भातर की संचित निधि में से किया जायेगा और जैसे तथा जब संदत की गई रकम तोषण निधि में उपलब्ध होगी, संचित निधि की प्रतिपूति की जायेगी।" प्रतिस्थापित किया जाये । (41)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं खण्ड 14 पर श्री बनातवाला के संशोधन संख्या 39 से 41 मतदान लिये रखता हूं ।

संशोधन संख्या 39 से 41 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खण्ड 14 से 19 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 14 से 19 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड 20 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 21 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 22 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 23 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 24 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 25 से 27 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री सीताराम केसरी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये" ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक पारित किया जाये" ।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : रेलों के कारण मरने की अपेक्षा सड़कों पर अधिक लोग मर रहे हैं । रेलवे के कारण मरने वालों की सूचना सदन को प्रचार के कारण मिल जाती है जबकि सड़कों पर प्रतिवर्ष मरने वाले हजारों लोगों के भाग्य की ओर न तो समाचार पत्र और न ही संसद पर्याप्त ध्यान दे पाता है ।

मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मेरे मित्र श्री केसरी ने विपक्ष के एक सदस्य द्वारा इस ओर ध्यान आकर्षित करने के कारण उनकी प्रशंसा की है और इस कारण हम उनका धन्यवाद करते हैं । हम श्री केसरी का भी धन्यवाद करते हैं क्योंकि सदन में दोनों पक्षों के अनेक सदस्यों द्वारा शिकायत की गई कि सिफारिशें किये जाने के बाद भी प्रशासन पिछले 10 वर्षों से सो रहा था और इस बारे में कुछ नहीं किया है । यह बात उनके पक्ष में जाती है कि लोगों की इस मुसीबत की ओर जैसे ही उनका ध्यान आकर्षित किया गया श्री केसरी ने अपने मंत्रालय की सलाहकार समिति तथा राज्यों के मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया और अपने मंत्रालय को इस विधेयक को तैयार करने को कहा और विधेयक लाया गया है । अतः मैं अपनी ओर से तथा इस सदन की ओर से उनको बधाई देता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय आप भी रंगा द्वारा व्यक्त किये गये उद्गारों के लिये उनको धन्यवाद दे सकते हैं ।

श्री सीता राम केसरी : मैं उनको धन्यवाद देता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक लेंगे । इसके लिये 2 घण्टे का समय नियत है ।

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये" ।

[श्री भागवत झा आजाद]

वेतन-मजदूरी संदाय अधिनियम उद्योग में काम करने वाले किसी वर्ग के व्यक्तियों के वेतनों के संदाय को विनियमित करता है। इसके द्वारा यह भी सुनिश्चित होता है कि अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों को देय मजदूरी वेतन नियोजकों द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर वितरित किये जायें। अधिनियम के कार्यकरण से अनेक खामियों का पता चला है सरकार को इसके काम में सुधार करने और इसे अधिक प्रभावी एवं लाभप्रद बनाने के लिए संशोधन करने हेतु सुझाव प्राप्त हुए थे। सरकार को यह भी सुझाव दिया गया था कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों के विस्तार में वृद्धि करके इसके अन्तर्गत लिये जाने के लिये वेतन सीमा को प्रतिमास 1000 रु० से बढ़ा कर 1600 रु० करके अधिनियम के लाभ अधिक कर्मचारियों को दिये जाने चाहिएं। सरकार ने विभिन्न सुझावों पर विचार किया और अधिनियम का संशोधन करने का निर्णय किया।

सदन के समक्ष संशोधन विधेयक के द्वारा इन उद्देश्यों को प्राप्त करने का विचार है। अन्य प्रतिष्ठानों को इसके अन्तर्गत लेने के लिये "औद्योगिक प्रतिष्ठान" की व्याख्या का विस्तार किया गया है। इसके द्वारा राज्य सरकार को अधिनियम के उपबन्ध अन्य प्रतिष्ठानों पर भी, जो इसकी व्याख्या के अन्तर्गत लाये गये हैं, लागू करने की शक्ति दी गई हैं, परन्तु केन्द्र सरकार के स्वामित्व वाले प्रतिष्ठानों पर इसे लागू करने के लिये केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त की जानी होगी। विधेयक के द्वारा अधिनियम का लाभ उन कर्मचारियों को भी दिया जा रहा है जिनके वेतन 1600 रुपये प्रतिमास से कम है जबकि वर्तमान वेतन सीमा 1000 रुपये प्रतिमास थी।

अधिनियम की धारा 7 का, जिसका सम्बन्ध नियोजित कर्मचारियों के वेतनों से की जाने वाली प्राधिकृत कटौतियों से है, संशोधन किया जा रहा है ताकि नियोजित व्यक्तियों अथवा उनके पारिवारिक सदस्यों अथवा दोनों के कल्याण हेतु नियोजक अथवा मजदूर संघ अधिनियम 1926 के अन्तर्गत पंजीकृत मजदूर संघ द्वारा गठित किसी निधि में जो राज्य सरकार द्वारा अथवा उसके द्वारा इसके लिये निर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा मंजूर की गई हो, अंशदान का संदाय करने के लिये नियोजित व्यक्ति के लिखित प्राधिकार पर वेतनों से कटौतियों के लिये उपबन्ध किया जा सके। संशोधन विधेयक में नियोजित व्यक्ति के लिखित प्राधिकार से मजदूर संघ अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किसी मजदूर संघ की सदस्यता के लिये उसके द्वारा देय शुल्क के संदाय हेतु कटौतियों के लिये भी उपबन्ध है।

इन्हें अधिक कठोर बनाने की दृष्टि से अधिनियम के अन्तर्गत व्यवस्था किये गये जुर्माने की राशि और कारावास की अवधि बढ़ाने का प्रयोजन है। इस अधिनियम के अन्तर्गत कुछ अपराधों के लिये न्यूनतम दंड देने की व्यवस्था करने के लिये भी प्रस्ताव है। यह आशा की जाती है कि इन संशोधनों का मजदूरी संदाय अधिनियम के प्रवर्तन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

इस अधिनियम में एक नयी धारा भी जोड़ने का प्रस्ताव है जिससे रोजगार में लगे हुए किसी व्यक्ति को देय राशियों का निपटान किया जा सके यदि ये राशियां भुगतान से पूर्व उसकी

मृत्यु के कारण अथवा उसका अता-पता मालूम न होने के कारण अदा नहीं की जा सकी। इस अधिनियम में इस नई धारा को लागू करने से नियोजक का दायित्व निर्धारित प्राधिकरण के पास राशि को जमा कराके समाप्त हो जायेगा और यह प्राधिकरण इस प्रकार जमा कराई राशियों पर कार्यवाही करेगा। इस अधिनियम में कुछ अन्य छुट-पुट संशोधनों का भी प्रस्ताव है। इनसे इस अधिनियम को अच्छी प्रकार से लागू करने में सहायता मिलेगी।

इन शब्दों के साथ मैं सभा से इस विधेयक को पारित करने के लिये अनुरोध करता हूं जो अधिक व्यक्तियों को इस अधिनियम के अन्तर्गत लाता है, इस अधिनियम को अच्छी तरह से लागू करता है और इसलिये इसमें ऐसे उपबंध हैं जो श्रमिक वर्ग के लिये लाभप्रद हैं।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि मजदूरी संदाय विधेयक, 1936 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

श्री एम० एम० लारेंस (इदीक्की) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा पेश किया गया यह एक अन्य काला श्रमिक विधेयक है।

एक माननीय सदस्य : सभी काले विधेयक हैं; सफेद विधेयक कोई नहीं है।

श्री एम० एम० लारेंस : कल ही उन्होंने औद्योगिक संबंध विधेयक पारित किया है। वे नियोजकों के हितों की सुरक्षा के लिये, न कि श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा के लिये विधेयक पास करने का प्रयास कर रहे हैं। वे भारत की अधिकांश व्यवसाय संघों के विरोध के बावजूद ऐसे विधेयक ला रहे हैं।

भूतपूर्व श्रम मंत्री ने केन्द्रीय कार्मिक संघों को आश्वासन दिया था कि श्रमिकों से संबंधित महत्वपूर्ण विधेयकों को लाने से पूर्व सरकार भारतीय श्रम सम्मेलन में कार्मिक संघों से परामर्श लेगी। भारत सरकार द्वारा इस आश्वासन का उल्लंघन किया गया है। भारतीय श्रम सम्मेलन बिना कोई कारण बताये ही भारत सरकार द्वारा तीन बार स्थगित किया गया था। अब सरकार, जल्दी-जल्दी एक-एक करके श्रम सम्बन्धी ये काले विधेयक ला रही है।

खण्ड 7, पृष्ठ 3 पर संशोधन में यह कहा गया है :

"मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) में खण्ड (ट) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(टट) नियोजित व्यक्तियों या उनके कुटुम्ब के सदस्यों या दोनों के कल्याण के लिये नियोजक द्वारा या व्ययसाय संघ अधिनियम, 1926 के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय

[श्री एम० एम० लारेंस]

संघ द्वारा स्थापित और राज्य सरकार द्वारा या इस निमित्त उनके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित निधि के लिये, ऐसे अनुमोदन के जारी रहने के दौरान, उसके अभिदाय का संदाय करने के लिए नियोजित व्यक्ति के लिखित प्राधिकार से की गई कटौती, इसमें कहा गया है "नियोजक द्वारा स्थापित कोई निधि"।

इस शब्दावली से ही सरकार के पूरे स्वरूप का पता लग रहा है···

श्री भागवत झा आजाद : इससे अगले शब्द "या व्यवसाय संघ द्वारा" क्यों नहीं पढ़ते ?

श्री एम० एम० लारेंस : वह भी मैंने पढ़ लिया है।

श्री भागवत झा आजाद : अतः आप दोनों को कहें।

श्री एम० एम० लारेंस : इसको भी ध्यान में रखते हुए मैं इस बारे में अपनी टिप्पणियां कर रहा हूं।

श्री भागवत झा आजाद : आप दोनों कहें और इसके बाद अपनी टिप्पणियां करें।

श्री एम० एम० लारेंस : यहां पर सरकार ने कर्मचारियों के मालिक के रूप में नियोजक की श्रेष्ठता को दोहराया है क्या इसमें कोई शक है कि यह श्रमिकों के खिलाफ शोषकों की सरकार है ?

नियोजक ने श्रमिकों की मेहनत से अर्जित मजूरी का एक हिस्सा लेते हुए श्रमिकों के कल्याण के लिए एक कोष बनाने का निर्णय किया है। यह 'मजूरी का भुगतान' नहीं है। यह 'मजूरी की गैर-अदायगी' है। इस संशोधन विधेयक को 'मजूरी की गैर-अदायगी विधेयक' कहना बेहतर है।

यह सरकार हमेशा उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी के बारे में बातचीत करती है। वे प्रबन्ध में कर्मचारियों की भागीदारी का यह रूप हमारे देश में इस श्रमिक वर्ग को देने जा रहें हैं ?

अपनी मजूरी से धनराशि खर्च श्रमिक वर्ग स्वयं ही अपने कल्याण की देख-रेख कर सकते हैं। उन्हें इसके लिए अपने नियोजकों से किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है।

वास्तव में श्रमिक कल्याण के नाम पर मजूरी का एक हिस्सा जब्त करने के लिए इस संशोधन में यह खण्ड जोड़ा गया था।

यह भूतपूर्व कांग्रेस-आई० द्वारा लागू की गई कुख्यात अनिवार्य जमा योजना से कम नहीं है। (व्यवधान)

मात्र अन्तर यह है। कल्याण कोष अब नियोजक द्वारा उपयोग में लाया जा सकता है। इससे

पहले यह सरकार द्वारा उपयोग में लाया गया था। इसी प्रकार इस खंड में उप-धारा (टटट) लें। मैं उद्धृत करता हूं :

"(टटट) व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी व्यवसाय संघ की सदस्यता के लिये नियोजित व्यक्ति द्वारा संदेय फीस का संदाय करने के लिये नियोजित उसके लिखित प्राधिकार से की गई कटौती।"

इस 'चेक-आफ सिस्टम' कहते हैं। यह केवल "इंटक" ही थी जिसने 'चेक-आफ सिस्टम' की मांग की थी जिसमें नियोजक को अधिकार दिया गया था कि वह श्रमिक की मजूरी से यूनियन की सदस्यता के लिये शुल्क काटे और इसे यूनियन को दे। यह पद्धति श्रमिकों पर दबाव डालने का कार्य करती है कि वे कम्पनी यूनियन के पक्ष में 'चेक आफ' फर्मों पर हस्ताक्षर करें। श्रमिकों द्वारा ऐसे फार्मों पर उनसे हस्ताक्षर कराने के लिये अधिकारियों और पर्यवेक्षकों को खुले रूप से उपयोग में लाया गया है। जो इंकार करते हैं उन्हें श्रमिकों को डराने-धमकाने के लिये तुच्छ आधारों पर आरोप-पत्र दिये जाते हैं।

वास्तविक लक्ष्य यह है कि सरकार इस प्रकार की प्रतिकूल पद्धतियों के जरिए 'इंटक' के कम हो रहे प्रभाव को बढाना चाहती है। 'इंटक' के इलावा सभी केन्द्रीय कार्मिक संघों ने इसका विरोध किया है और उन्होंने संघ के सदस्यों की संख्या का पता लगाने के लिये एक गुप्त मतदान की मांग की है। यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता तो बम्बई कपडा मिलों की हड़ताल का मामला श्रमिकों के वास्तविक प्रतिनिधियों सहित कई महीने पूर्व हल हो जाता। लेकिन अपने असदभाव से प्रस्तुत श्रमिक विरोधी बम्बई औद्योगिक अधिनियम के जरिए महाराष्ट्र सरकार ने तथाकथित जांच के जरिए राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ को कपड़ा मजदूरों का एकमात्र प्रतिनिधि बनाया है। इस समय अपने सात महीने से चल रहे जोरदार संघर्ष द्वारा बम्बई की कपड़ा मिलों के श्रमिकों ने प्रमाणित किया है कि उन्होंने राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ को कभी मान्यता नहीं दी थी। राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ ने मिल मालिकों के हितों की सुरक्षा के लिये 'चेक आफ सिस्टम' को प्रोत्साहन दिया है। इस काले श्रमिक विधेयक को पास करने से पूर्व राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ प्रबंधकों के जरिए सदस्यता के लिये गैर कानूनी रूप से शुल्क एकत्र कर रहा था।

यदि उन्हें लेशमात्र भी शर्म है तो उन्हें गलत तरीके से ली गई इस राशि को तत्काल ही श्रमिकों को लौटा देनी चाहिये।

ट्रेड यूनियनों के लोक तंत्रात्मक कार्यकरण के लिये 'चेक आफ सिस्टम' की अन्य हानियां भी हैं। इस से ट्रेड यूनियन का स्वैच्छिक स्वरूप समाप्त हो जाता है। फार्म पर हस्ताक्षर करने के बाद श्रमिक के लिये सदस्यता अनिवार्य हो जाती है। किसी श्रमिक के लिये 'चेक आफ फार्म' को वापस लेना असंभव है क्योंकि नियोजक नाम वापस लेने सम्बन्धी पत्रों को स्वीकार नहीं करते हैं। श्रमिकों से सीधे ही चंदा वसूल करने से एक यूनियन इस योग्य हो जाती है कि वह अपने सदस्यों से नियमित सम्पर्क रख सके। लेकिन यह सरकार यह नहीं चाहती है कि कोई यूनियन अपने

[श्री एम० एम० लारेंस]

सदस्यों के साथ नियमित सम्पर्क रखे। अब यह सम्पर्क 'चेक आफ सिस्टम' द्वारा प्रबंधकों के जरिए किया जाता है। अनुभव से प्रमाणित हुआ है कि 'चेक आफ सिस्टम' केवल श्रमिकों की बडी संख्या पर कम्पनी यूनियन को लादने के लिये मदद करती है। जब श्रमिकों में निरक्षरता बहुत अधिक है, जैसा कि हमारे देश के मामले में है, तो इस पद्धति के दूरगामी और खतरनाक परिणाम हैं।

जुर्माने में वृद्धि करने से समस्यायें हल नहीं हो सकती हैं। इस अधिनियम के कार्यकरण के अनुभव से पता चलता है कि इसका उल्लघंन कर रहे नियोजक साफ बच जाते हैं। सरकार ने कई बार स्वीकार किया है कि इस अधिनियम के उल्लघंन को रोकने के लिये इसकी मशीनरी पर्याप्त नहीं है। हमारे पास यह दर्शाने के लिये आंकडें नहीं हैं कि सरकार ने मजूरी संदाय अधिनियम का उल्लघंन करने के लिये नियोजकों के खिलाफ कोई कार्यवाही की है। जुर्माना नाममात्र का है। इस संशोधन के बाद भी उनके लिये इस अधिनियम का उल्लघंन करना सस्ता रहेगा और वे इसे लागू करने की बजाए जुर्माना अदा करेंगे क्योंकि 100 मामलों में से केवल एक मामला ही पकड़ा जाता है। 1936 में अधिकतम जुर्माना 500/- रुपये था और अब यह बढ़ा कर 1000/- रुपये कर दिया गया है। जबकि इस अवधि के दौरान मूल्यों में 18 गुना वृद्धि हुई है, लेकिन जुर्माना केवल दुगुना किया गया है। मूल्यों में वृद्धि के अनुसार यह जुर्माना कम से कम 9000/- रुपये होना चाहिये। यदि सरकार उल्लंघन रोकने के बारे में पूरी तरह से गम्भीर है तो वे ऐसा उपाय करें जिसमें इस अधिनियम का उल्लंघन करने वाले नियोजकों के लिये अनिवार्य कारावास का उपबन्ध है।

1600/-रुपये की अधिकतम सीमा अभी भी बहुत से श्रमिकों को इस अधिनियम की परिधि में शामिल नहीं करेगी। सरकार द्वारा श्रमिक कानूनों में वेतन सीमा बांधने से केवल नियोजकों को ही सहायता मिलती है।

निर्माण कार्य उद्योग में ठेकेदारों द्वारा मजूरी का भुगतान न किया जाना हमारे देश में एक नियमित बात है। यहां तक कि कुछ संगठित उद्योग भी इस अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं। क्या मैं एक उदाहरण दूं ? सिरसा, हरियाणा में जी० टी० एम० मिल नायक एक कपड़ा मिल है। यहां पर लगभग 1400 श्रमिक कार्य कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने कुछ वर्ष पूर्व श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजूरी अधिनियम बनाया था। लेकिन इन श्रमिकों को इन सभी वर्षों में न्यूनतम मजूरी नहीं दी गई थी हालांकि हरियाणा सरकार द्वारा एक अधिनियम बनाया गया था। अभी हाल ही में वे एक यूनियन भी बना सके थे। लगभग तीन वर्ष पूर्व उन्होंने एक यूनियन बनाने का प्रयास किया था लेकिन उन्हें राज्य सरकार की सांठ-गांठ से पुलिस की सहायता से नियोजक द्वारा समाज विरोधी तत्त्वों द्वारा रोका गया था। गुंडों ने उन पर हमला किया था। उन्होंने श्रमिकों पर बन्दूकें भी इस्तेमाल की थीं और उन पर गोलियां चलाई थीं। उनके परिवार के सदस्यों को, जहां वे रह रहे थे, भगा दिया गया था। उनके लिये पानी और बत्तियां उसी तरह काट दी गईं

जैसे इस समय इस्राइली लेबनान में फलीस्तीनियों के खिलाफ कर रहे हैं। इन सभी हमलों को सहते हुए मजदूरों ने यूनियन बनाई और उस यूनियन को अभी हाल ही में पंजीकृत किया गया है, यद्यपि वे गत तीन वर्षों से इसके लिये कोशिश कर रहे थे।

सरकार श्रमिकों के हितों की रक्षा नहीं कर पाई है। श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के नाम पर सरकार मालिकों तथा अपनी ही संस्था 'इन्टक' के हितों की रक्षा करने के लिये विधेयक ला रही है दूसरी ओर ये मालिक मजदूरी का भुगतान नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के लिये, भारत सरकार ने केरल में काजू उद्योग में आये गतिरोध को दूर करने के लिये दिल्ली में एक महीने पहले सम्मेलन आयोजित किया था। राज्य सरकार के पास प्राप्ति के माध्यम से एकत्रित काफी मात्रा में काजू पड़ा था परन्तु गैर-सरकारी मालिक इस स्टाक को उठाने में आनाकानी कर रहे थे। सम्मेलन के बाद यह निर्णय किया गया कि काजू का स्टॉक उठाया जाये और कारखानें खोले जायें; परन्तु मालिकों ने कारखाने नहीं खोले हैं। यदि वे ओणम के त्यौहार के दौरान कारखाने खोल कर काम आरम्भ करते तो नियोजकों को बोनस और मजूरी देने के लिये बाध्य किया जाता। इस समय लगभग एक लाख श्रमिक और उनके परिवार भूखमरी की हालत में हैं। पहली सितम्बर को केरल का सबसे बड़ा राष्ट्रीय त्यौहार आरम्भ हो रहा है। ओणम् त्यौहार के दौरान काजू श्रमिकों के लाख परिवारों की भूखमरी की हालत जारी रहेगी। हम चाहे कोई भी कानून बनायें, ये नियोक्ता उन पर बहुत सरलतापूर्वक काबू पा लेते हैं और श्रमिकों को धोखा देते है तथा उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए वहां कोई सरकार नहीं है।

यहां तक कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भी अनेक ठेकेदार श्रमिकों को मजूरी का भुगतान किये बिना ही बच निकलते हैं परन्तु प्रधान नियोक्ता इसके लिये कोई उत्तरदायित्व नहीं लेता है।

अत: मैं सरकार से सग्रह अनुरोध करता हूं और अपील करता हूं कि वह इस विधेयक को वापस ले ले क्योंकि यह भारतीय श्रम सम्मेलन के मतैक्य के विरुद्ध है और मैं मन्त्री महोदय से अपील करता हूं कि वह इन प्रश्नों पर भाररतीय श्रम सम्मेलन की अगली बैठक में चर्चा करें और हमारे देश के श्रमिक वर्ग के हितों में एक व्यापक विधेयक लाये।

श्री केयूर भूषण (रायपुर) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को, जो राज्य सभा के बाद यहां आया है। मैं हार्दिक समर्थन करता हूं।

इस बिल में संशोधन की आवश्यकता बहुत पहले थी और अब वह पूरी सम्बन्धित हैं, श्रम जीवियों से सम्बन्धित है. जिनके अधिकारों की रक्षा और जिनके परिवार को सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था इसके अन्दर हैं। मुझे इस बात का बड़ा खेद है कि ट्रेड यूनियन से सम्बन्धित और मजदूर वर्ग के हितैषी लोगों का इससे ज्यादा सम्बन्ध है, इसका समर्थन उस विरोधी पक्ष से होना चाहिए था, जो मजदूरों के क्षेत्र में काम कर रहा लेकिन यहां पर उस विरोधी पक्ष द्वारा जो

[श्री केयूर भूषण]

आलोचना हुई, उसको मैंने समझने का प्रयत्न किया। क्या इसका विरोध इस बिल की धाराओं से सम्बन्धित है और क्या उसे वे चीजें इसमें नहीं दिखाई दीं, जोकि होनी चाहिए थी या केवल भावनात्मक रूप से इसका विरोध किया गया और इसलिए किया गया क्योंकि यह इस पक्ष से आया है और यह भी मजदूरों के हित के लिए काम कर रहा है और दूसरा पक्ष भी मजदूरों के हित के लिए काम कर रहा है। इसलिए इसका विरोध केवल विरोध के लिए होना चाहिए और उसी रूप में यह विरोध इस बिल के बारे में आया है।

कहने के लिए कहा गया है कि यह बिल मालिकों के पक्ष में है और मजदूरों के हित में नहीं है। यह शब्दों के उच्चारण में ही हुआ है मगर सिद्ध करने के रूप में कोई चीज सामने नहीं लाई गई। उन्होंने यह अपील की है कि यह बिल पूरी तरह से लागू हो क्योंकि लागू न होने की उन्होंने अपनी सम्भावना प्रकट की है। यह ठीक ढंग से लागू किया जाएगा, ऐसा संदेह व्यक्त किया गया है। मगर यह ठीक ढंग से लागू करने के लिए ही लाया गया है। इसको पढ़ने से ऐसा कुछ नहीं मालूम पड़ता कि यह मजदूरों के हित में है और मालिकों द्वारा जो उनके अनहित किये जाते हैं उनको रोकने के लिए ही है।

इस बिल के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि हम मजदूरों के हित के लिए जो चिंतन करते रहे हैं, एक राष्ट्रीय आधार पर जो हम सोचते रहे हैं आज उसी को पूरा करने जा रहे हैं। मजदूरों का हित बहुत पहले हमारे सामने आ गया था। राष्ट्रीय आन्दोलन के समय से, 1907 से आज तक मजदूर हमारी अगुआई कर रहे हैं और आज के निर्माण युग में भी वे हमारी आगु आई कर रहे हैं। इसलिए उनका हित-चिंतन करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है और यह हम कर रहे हैं।

ब्रिटिश कानून जो 1936 का था उसमें परिवर्तन करना आवश्यक था। आज वह परिवर्तन हो रहा है और मुझे आशा है कि आगे चलकर उसमें आमूल-चूल परिवर्तन करने की जो मांग हो रही है, वह भी अवश्य होगा। लेकिन जब तक वह हो, आज की मौजूदा स्थिति में यह जो परिवर्तन हम कर रहे हैं यह बहुत आवश्यक है।

इसके साथ साथ मेरा निवेदन है कि इस बिल के द्वारा जिन मजदूरों का हित निश्चित किया गया है उनकी संख्या कम है। हमारे 75 प्रतिशत ऐसे मजदूर हैं जोकि इस बिल की परिधि से बाहर है। उनके लिए भी आपको सोचना होगा। आप औद्योगिक मजदूरों के हित के लिए यह कानून लागू किये हैं। औद्योगिक मजदूरों के बाहर भी खेत मजदूर हैं, वे बहुत बड़ी तादाद में हैं। उनके लिए भी आपको चिंतन करना होगा जो कि बहुत ही गरीबी की स्थिति में हैं। बन्धक मजदूर भूखे मर रहे हैं। उनका हित भी इस बिल से पूरा नहीं हो पाता है। उनकी तरफ भी आप ध्यान दें।

आपने इसको उद्योगों तक सीमित रख दिया है। मगर जिस उद्योग के लिए आपने सीमा रखी है उस उद्योग से बाहर भी बहुत से काम करने वाले हैं। जैसे कि बिल्डिंग्स और रोड्स की

आपने सीमा रखी है लेकिन उनके बाहर ईंटों के भट्टों में काम करने वाले भी मजदूर हैं। भट्टों में काम करने वाले मजदूरों की स्थिति बहुत ही दयनीय है।

जब आप किसी कारखाने में मजदूरों की संख्या को आधार बना देते हैं तो क्या होता है कि उस संख्या से कम संख्या में काम करने वाले लोगों की एक तरह से उपेक्षा हो जाती है। उनके हितों की सुरक्षा नहीं हो पाती। मालिक लोग, अगर मशीन से उस कारखाने में काम होता है, तो वे ऐसे कानून से बचने के लिए कई तरीके निकाल लेते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर मशीन से कोई चीज काटी जाती है या मशीन से छेद किया जाता है तो वह काम मशीन से न करा कर उसके बदले हाथ से काम कराया जाता है जिससे कि इस कानून से बचा जा सके। कारखाने में वह काम न करा कर उसके बाहर कराया जाता है। इस तरह से मजदूरों के हित की रक्षा नहीं हो पाती।

इसके साथ खादी ग्रामोद्योग के अन्दर जो काम करने वाले हैं उनके हितों की भी इससे सुरक्षा नहीं हो पाती है। वहां भी लेबर लगे हुए हैं, पूरी लेबर करते हैं, लेकिन उनकी पूरी सुरक्षा नहीं हो पा रही है। उनको जो लाभ मिलना चाहिए या उनका जो कल्याण होना चाहिए वह नहीं हो पाता है। उनको पूरी मजदूरी समय पर मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल पाती। जैसे कि माचिस उद्योग में लगे हुए लोग हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरों के अन्दर भी लोग हैं। ये सैकड़ों की तादाद में हैं लेकिन वे इस बिल की परिधि में नहीं आते। खादी ग्रामोद्योग में टिन का काम होता है, बड़ी-बड़ी अलमारी, पलंग और छोटे-छोटे औजार बनते हैं। मगर इसमें काम करने वाले मजदूर भी ग्रामोद्योग में आने के कारण इन सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं।

ऐसी अनेक चीजें हैं जिनकी तरफ विशेष ध्यान आपको देना होगा। खेती मजदूर की स्थिति को आप देखें। जहां पर फार्मिंग भी लोग कर रहे हैं उनके मजदूरों को आप देखें। कारखाने जैसी चीजों का उपयोग वहां पर हो रहा है। चूंकि वे खेत मजदूर हैं इस वास्ते वे इस तरह के लाभ से वंचित है। चाहे बगीचे में काम करते हों या ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के बीच में काम करते हों, उनकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

कल्याण निधि आप बनाने जा रहे हैं। उसका उपयोग सही होना चाहिए। चन्दे की राशि है वह प्रभावशाली ट्रेड यूनियनिस्टों को ही नहीं जानी चाहिये। आपको यह भी देखना होगा कि कौन सी ट्रेड यूनियन मजदूरों का सही प्रतिनिधि करती है, उसको ही जो अधिकार हैं वे प्राप्त होने चाहिये। जो ट्रेड यूनियन मजदूरों के पास पहुंचती हो, उनके पास जाकर चन्दा लेती हो कहीं ऐसा न हो कि इस वजह से मजदूरों और ट्रेड यूनियन के नेताओं का जो सम्बन्ध है वह विकृत हो जाए, टूट जाए। इस ओर भी विशेष ध्यान आपको देना चाहिये।

आपने कारावास की सजा का प्रावधान किया है। आपने यह भी निर्धारित किया है कि दण्ड की राशि पांच सौ से बढ़ा कर एक हजार कर दी जाएगी। इसको आप व्यावहारिक रूप देंगे यह तो मुझे विश्वास है। लेकिन हमारा आज तक का जो अनुभव है वह यह बताता है कि एक

[श्री केयूर भूषण]

मजदूर से काम लेकर जब चाहे उसको निकाल दिया जाता है और आप कुछ नहीं कर सकते है। उनकी सुरक्षा के सम्बन्ध में, उनके वेतन जो हैं, जो रोजी उनको मिल रही है, वह पूरी तरीके से मिल रही है या नहीं, इसके बारे में सारे नियम तो आपने बना रखे हैं लेकिन उन नियमों के अनुसार आपको यह देखना होगा कि रजिस्टर भी मेंटेन किया जाता है या नहीं किया जाता है और अगर किया जाता है तो उसको आप दण्डनीय अपराध करार देते हैं। तो मेरा निवेदन है कि जब आप दण्डनीय अपराध करार देते हैं तो इसका व्यावहारिक रूप भी हमारे सामने आना चाहिये और इसको व्यावहारिक रूप भी आपको देना चाहिये, कार्यरूप में भी इसको आपको परिणत करना चाहिये। ऐसा किया गया तभी मजदूर वर्ग में विश्वास की भावना पैदा होगी और वह समझेगा कि उसके हित के काम हो रहे हैं।

आज तक हमारी परम्परा यही रही है कि हमने मजदूरों के हित में काम किया है। हमारा समाजवादी लक्ष्य है। उस लक्ष्य को हम पूरा करने जा रहे हैं। इसका प्रमाण भी उसको मिलना चाहिए। यह बहुत आवश्यक है।

आलोचकों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। जिस तरीके से मजदूरों को सुरक्षा प्रदान हो सकती हो, उसके हमें उपाय करने चाहिये। पुरानापन जो है कि केवल हड़ताल के माध्यम से या कानून व्यवस्था को तोड़ कर कोई चीज मनवाई जा सकती है उसको छोड़कर हमारा लक्ष्य परस्पर सहयोग का होना चाहिए। उत्पादन जो हम कर रहे हैं वह भी राष्ट्रीय है और पूंजी जो है वह भी राष्ट्रीय है, इसको हमें समझना चाहिये। एक दूसरे के साथ सहयोग कर हम इस काम को पूरा करें। मजदूरों के हित साधन का लक्ष्य सर्वोपरि होना चाहिये, हमारा भी और आपका भी। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बिल का जो मजदूरों के हित में है, हम और आप दोनों मिलकर समर्थन करें।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। कटौती करके एक कोष बनाने का इसमें प्रावधान किया गया है और उससे निर्मित कोष कारखाने या प्रतिष्ठान के मालिक के पास रहेगा। इस सम्बन्ध में मुझे दो बातें कहनी हैं। भविष्य निधि में जो रुपया है। उसके बारे में सारे देश की फैक्ट्रियों के कर्मचारियों और यूनियनों की तरफ से अनेक बार आपके पास शिकायतें आई होंगी कि वह पैसा मालिकों द्वारा जमा नहीं कराया जाता है, देने की बात तो बाद में आती है। मैं आपको मिसाल देता हूं। मेरे यहां अभी पीलीभीत की एल० एच० शूगर मिल दोनों ने लाखों रुपया भविष्य निधि का काट कर न तो अपना शेयर और न ही मजदूरों का काटा हुआ पैसा जमा किया। 20 बार लिख चुके हैं, आन्दोलन कर चुके हैं मगर पूंजीपतियों का कुछ नहीं हुआ। आज फिर आप कटौती करके कोष का निर्माण कर रहे हैं। पूंजीपति पहले ही भविष्य निधि का पैसा न जमा कर रहे हैं और न दे रहे हैं, यद्यपि कानून बना हुआ है जिसमें जुर्माने की व्यवस्था है, लेकिन फिर भी भविष्य निधि का रुपया जमा न करने के लिये कितने पूंजीपतियों का आपने चालान किया और दण्ड दिया ? और अब नहीं किया

है तो मैं चाहूंगा मन्त्री जी स्फेसिफिक आश्वासन दें आप इनके खिलाफ दृढ़तापूर्वक कार्यवाही करेंगे तब मैं समझूंगा कि आप पूंजीपतियों के समर्थक नहीं हैं बल्कि मजदूरों के समर्थक हैं।

आप एक काम्प्रीहैसिव बिल लाये होते। बहुत सी चीजें मजदूरों के हित में और होनी चाहिये थीं। लेकिन आप पीस पील लेजिस्लेशन लाते हैं। ग्रेचुटी का जहां तक सवाल है मैं तो अपने यहां का उदाहरण दे सकता हूं कि पीलीभीत में हमारे यहां 30 दिन का महीना लगाया जाता है ग्रेचुटी को बेस बनाने के लिए, जब कि 26 दिन का लगाया जाना चाहिए। इसकी शिकायत की गई श्री टी० अंजैया के समय। उत्तर प्रदेश की सारी व्यक्तिगत चीनी मिलों का यही हाल है। इस सम्बन्ध में पीलीभीत शुगर फैक्ट्री की यूनियन के मंत्री ने पत्र लिखा अंजैया जी को और उसके बाद बहुगुणा जी को उसकी कापी भेजी। 24-7-80 को यह उत्तर दिया गया :

नई दिल्ली में 10 और 20 जुलाई, 1980 को हुए श्रम मंत्रियों के सम्मेलन ने सिफारिश की थी कि उपदान संदाय अधिनियम, 1972 में यह स्पष्ट करने के लिये संशोधन किया जाये कि सेवा के प्रत्येक साल के लिये उपदान 15 दिनों की मजूरी की दर से देय हो। इस संशोधन तथा अधिनियम में सशोधन के अन्य प्रस्तावों पर कार्यवाही की जा रही है और मेरा यह प्रयास होगा कि आवश्यक संशोधन कानून शीघ्रातिशीघ्र लाया जाये। जो माननीय टी० अंजैया जी का आश्वासन है 1980 के बाद से आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, कोई लेजिस्लेशन नहीं लाया गया।

इसी तरह से श्री स्वामीनाथन ने 1980 के प्रारम्भ में पांडिचेरी में यह कहा :

"हम शीघ्र ही राष्ट्रीय मजूरी नीति बनाकर लायेंगे।"

लेकिन आज तक नेशनल वेज पालिसी के सम्बन्ध में कोई कार्य नहीं किया गया, कोई चीज सदन में नहीं लायी। मंत्री जी मैं फिर से कहना चाहता हूं कि श्री स्वामीनाथन ने 1980 में ऐलान किया कि नेशनल वेज पालिसी हम बहुत जल्दी बनायेंगे और इस सम्बन्ध में कार्यवाही करेंगे। लेकि आज तक कुछ नहीं हुआ। तो इस पर भी आप एक नेशनल पालिसी बनायें, इसकी घोषणा करें।

कानून बनते रहते हैं जिनमें दण्ड का प्रावधान भी रहता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं विभिन्न जो दंड विधान बने हैं उनमें श्रमिकों को तो आपने पीड़ा पहुंचायी, लेकिन किसी पूंजीपति को भी आज तक पीड़ा पहुंचायी ? स्वदेशी काटन मिल के मजदूरों ने 1969 में कहा 5 महीने तक उनको वेतन नहीं दिया गया। बहुत जोर लगाया गया, टेक ओवर करने की कोशिश की, लेकिन अब सुनाई दे रहा है कि उसको फिर वापस करने जा रहे हैं उसी आदमी को। तो कितने इण्डस्ट्रियलिस्ट्स को आपने तकलीफ पहुंचायी है इन दंड विधानों के द्वारा ? एक तरफ 7, 7 महीने वर्कर्स की, मजदूरों की हड़ताल चलती है, आप उनके लिये कोई काम नहीं करते, कोई सुविधा नहीं पहुंचाते, दूसरी तरफ इण्डस्ट्रियलिस्ट्स का चालान नहीं करते।

[श्री हरीश कुमार गंगवार]

कितने इण्डस्ट्रियलिस्ट्स ऐसे हैं जिनकी तरफ इनकमटैक्स, प्राविडैंड फंड और एक्साइज ड्यूटी का रुपया बकाया है, लेकिन उनके खिलाफ आप कार्यवाही करते हुए डरते हैं। क्यों आप उनमें से किसी के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर पाते ?

अगर किसी की मिल को आप टेक-ओवर करते भी हैं तो उसको पहले इतना फायदा पहुंचा देते हैं कि उसे टेक-ओवर करने का कोई पश्चाताप नहीं होता। यह आपकी पालिसी समझ में नहीं आती है। आप वाह-वाही श्रमिकों की लेना चाहते हैं और चुनाव इण्डस्ट्रियलिस्ट्स के पैसे से लड़ना चाहते हैं।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : यह असत्य है, असत्य है।

श्री हरीश कुमार गंगवार : यह आप कह रहे हैं :

यह बिल मजदूरों की दृष्टि से बहुत खतरनाक है।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : अच्छी भाषा का प्रयोग कीजिये।

श्री हरीश कुमार गंगवार : आपकी भाषा तो आचार्य भगवान देव की भाषा है जो उन्होंने उस दिन इस सदन में कही थी, जिसे सारे देश में सुना था।

आचार्य भगवान देव : आप तो बड़े प्रभावित हुए मेरी भाषा से, ऐसा लगता है। आप मेरे चेले हो।

श्री हरीश कुमार गंगवार : मैं यह चाहता हूं कि केवल औद्योगिक प्रतिष्ठानों के मजदूरों के लिये नहीं, एक बहुत बड़ा वर्ग खेती में काम करने वाले मजदूरों का भी बाकी है। उसके लिये भी आपने कुछ नहीं किया है। उनको अगर कोई तनख्वाह न दे, ज्यादा काम ले, उनके साथ अन्याय करे, तो आपके पास कोई ऐसा मेजर नहीं है, ऐसा प्रभावी उपाय नहीं है, जिससे उनको कोई राहत पहुंचाई जा सके। यही नहीं, 10 लाख से ऊपर इस देश में बन्धुआ मजदूर हैं।

आप गया के महन्त का भी कुछ नहीं कर पाये, जो पुश्त-दर पुश्त लोगों को गुलाम बनाये हुए है, लेकिन उस महन्त को आपने क्या कोई दण्ड दिया है ? क्या आपने उन बन्धुआ मजदूरों को कोई मुक्ति दिलाई है, जो ढाई सेर अनाज के पीछे अपनी जिन्दगी रहन रख देते हैं, जो एक मन अनाज लेने पर पूरी अपनी सन्तान को गिरवी रख देते हैं ? उन ईंट और भट्टे वाले मजदूरों के लिये क्या आपने कोई प्रबन्ध किया है ?

खेतिहर मजदूरों के लिए आप कौनसा लैजिस्लेशन ला रहे हैं ? अगर आपने कुछ किया भी है तो उसकी इम्पलीमैंटेशन नहीं हुई। मजदूरों को आपने उस जाल में फंसा दिया है कि वह हड़ताल नहीं कर सकते, यह सब आपने किया है, लेकिन आप उनको कोई राहत नहीं पहुंचा पाये। इसका कारण एक है कि आप एक तरफ श्रमिक को फायदा पहुंचाने की इच्छा रखते हैं और दूसरी

तरफ इण्डस्ट्रियलिस्ट्स से बिगाड़ने में आपको बहुत भय लगता है। इसलिए आप इन दोनों के रिलेशन्स को एक साथ जोड़ नहीं पाये।

मैं तो कहता हूं कि इण्डस्ट्रियलिस्ट्स खुद कोई पैसा पैदा नहीं कर सकते, देश की इकनामी को नहीं बढ़ा सकते। उनके पास सिर्फ पैसा है, उसमें भी आपका दिया हुआ पैसा है, ज्यादा पैसा कर्जे का है। वह भी बहुत चालाक हैं, अपने पास से कुछ नहीं लगाता और श्रमिकों के बगैर वह एक रुपए में एक पैसा भी नहीं कमा सकता। इसलिए आपको श्रमिकों का ज्यादा कल्याण करना चाहिए, उसके हित की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए बजाए इण्डस्ट्रियलिस्ट्स के जो आपसे कर्जा लेता है और उसके बाद उसका सूद, ब्याज भी नहीं देता और फिर सरकार असल के पैसे और ब्याज के पैसे की अदायगी के लिए बार-बार एक्सटेंशन देने के लिए मजबूर हो जाती है। जैसे, बरेली की सिन्थेटिक रबर कम्पनी पर कम से कम 20 करोड़ रुपया एक्साइज ड्यूटी का बकाया है, लेकिन सरकार उसे बन्द नहीं कर सकती, क्योंकि उसे चलाने के लिए ऐसे एक्सपर्ट नहीं मिल सकते। इण्डस्ट्री वाले सरकार को ऐसे जंजाल में फंसा देते हैं, जिससे वह निकल नहीं सकती और उसे रियायत देनी ही पड़ती है। आप सोच सकते हैं कि अगर दो करोड़ रुपए के बकाये की पेमेंट के लिए एक साल की तौसीअ मिल गई, तो उस अरसे में उसे कितना मुनाफा हो जाता है। यह सारे देश में हो रहा है और सब बड़े-बड़े इण्डस्ट्रियलिस्ट्स इसका सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। इस लिए हमें मजबूर होकर कहना पड़ता है कि श्री आजाद की नीयत में कोई फर्क नहीं है, वह ट्रेड यूनियन में रहे हैं और लेबर का हित करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें ?—वह एक ऐसी सरकार में फंसे हुए हैं, जो पूंजीपतियों की सरकार है, उनके पैसे के बगैर वह चुनाव नहीं लड़ सकती, तो वह बेचारे अकेले क्या करें ? (व्यवधान)

जब मजदूर कुछ आंदोलन करता है, तो आप कहते हैं कि वह अनुशासनहीन है, मर्डरर है, न जाने क्या-क्या संज्ञा उसको देते हैं। लेकिन जो पूंजीपति पैसा हज्म कर लेता है और वक्त पर नहीं देता है, उसको आप कुछ नहीं कहते। मंत्री महोदय इस बात का ख्याल रखें कि भविष्य निधि का पैसा सारे देश में मिल-मालिक अपने पास रखे हुए हैं, खास तौर से पीलीभीत की शुगर मिल और बरेली की शुगर मिल के मालिक लाखों रुपए डकारे हुए हैं। मंत्री महोदय उसके बारे में कुछ कार्यवाही करें। ऐसा करने से वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे, लेकिन मुझे आशा है कि वह मजबूत होकर कुछ काम करेंगे।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने आजाद साहब के बारे में कहा है कि वह वास्तव में मजदूरों का हित करने वाले हैं। मैंने पहली बार ऐसी बात सुनी है। मैं कई सालों से पार्लियामेंट में हूं, लेकिन जितते लेबर लेजिस्लेशन्ज आज कान्टीन्युअसली आ रहे हैं, उतने पहले कभी नहीं आए। इन कानूनों का मकसद है कि मजदूरों का हित किया जाए। श्री गंगवार पता नहीं किस दुनिया में घूम रहे थे। उनकी बहुत एक्टिविटीज हैं, इसलिए

[श्री मूल चन्द डागा]

उन्हें बिल को पढ़ने का समय नहीं मिलता। माननीय सदस्य ने आजाद साहब की तारीफ की है, वह तो ठीक है, लेकिन श्रम मंत्री का जो काम है, आजाद साहब ने वास्तव में वह किया है। इस बिल के स्कोप को बहुत बढ़ा दिया गया है। सब प्रकार की इण्डस्ट्रीज इस बिल से कवर होंगी।

श्री हरीश कुमार गंगवार : मैंने इस बिल में क्या नहीं पढ़ा है, वह बता दीजिए। आप महज कहने के लिए कोई बात न कहा करें।

श्री मूल चन्द डागा : माननीय सदस्य ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। बिल का क्लाज 2 जो है उसके अन्दर जितनी इण्डस्ट्रीज हैं उन सबको कवर किया है···(**व्यवधान**)···मुझे तो मोहब्बत है अच्छे कामों से और जो मजदूरों का हित करता है उससे मोहब्बत है।

"औद्योगिक उद्योग उद्यम का अर्थ है—सड़क द्वारा या किराये से या प्रतिफल (रिवार्ड) स्वरूप यात्री या माल या दोनों यातायात में लगी कोई ट्रामवे सेवा या मोटर परिवहन सेवा, केन्द्र की थल सेना, नौ-सेना या वायु-सेना में लगी या सरकार के नागर विमानन विभाग में एकान्तिक रूप से लगी ऐसी सेवा को छोड़कर विमान परिवहन सेवा, गोदी, वार्फ (घाट), जेटी (घाट), अन्तर्देशीय जहाज, यंत्रचालित, खनन, खदान, तेलक्षेत्र, बागान वर्कशॉप या अन्य उद्यम जिनमें वस्तुएं वहां परिवहन में काम लाने के लिये उत्पादित होती हैं, अनुकूल बनाई जाती हैं और निर्मित की जाती है। इसके अलावा ऐसे उद्यम, जिनमें निर्माण, विकास या भवनों के रख-रखाव, सड़कों, पुलों, नहरों से सम्बन्धित कार्य हो या नौचालन, सिंचाई, विकास या भवनों के रख-रखाव, सड़कों, पुलों या बिजली के वितरण या किसी न किसी रूप में विद्युत के वितरण से सम्बन्धित परिचालन से सम्बन्धित कोई कार्य किए जा रहे हों।"

श्रमिकों के लिये जो पहले दायरा था उस दायरे को बढ़ा कर इन्होंने कह दिया :

"कि केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व वाले किसी उद्यम के सम्बन्ध में सरकार की सम्मति के बिना ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की जायेगी।"

उन्होंने कहा, हर जगह इसको लागू किया जा सकता है केवल गवर्नमेंट की कान्फरेंस ले लेनी चाहिए। इतना स्कोप इसका बढ़ा दिया है यह मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है।···(**व्यावधान**)···

श्री हरीश कुमार गंगवार : मैंने वह नहीं कहा जो आप कह रहे हैं। आप फिर से

मेरी स्पीच पढ़ लीजिएगा। आप मेरी स्पीच को सुनते नहीं हैं, मेरे नाम से मोहब्बत है, ले लेते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने यह कहा :

"धारा 2 के खण्ड (दो) की उपधाराएं (ए) से (जी) तक में निर्दिष्ट किसी औद्योगिक या अन्य उद्यम में नियुक्त व्यक्ति"

उन्होंने सभी धाराओं को कवर किया है।

तो उन्होंने 'ए' से 'जी' में सारा कुछ कवर कर दिया है। सारे सेक्शंस को कवर करने की कोशिश की है। मैंने यह पहला कानून देखा है कि अगर कोई ट्रेड यूनियन का मेम्बर बनना चाहता है और वह लिखकर देता है तो उसका चन्दा जो उद्योगपति है वह वसूल कर सकेगा। यह नहीं कहा कि जबर्दस्ती ले लेगा।

"ट्रेड यूनियन एक्ट, 1926 के अन्तर्गत पंजीकृत किसी ट्रेड यूनियन की सदस्यता के लिये नियुक्त व्यक्ति द्वारा देय फीस के भुगतान के लिये लिखित मंजूरी से की गई कटौतियां"

ट्रेड यूनियन ऐक्ट के अन्तर्गत अगर कोई सी० पी० एम० का मेम्बर है, कोई सी० आई० टी० यू० का है, कोई आई० एन० टी० यू० सी० का है, वह लिखकर दे देगा, उसका चन्दा काट दिया जायेगा। सारा झगड़ा इससे मिट जायेगा। उन्होंने कहा कि मालिकों का असर आ जायेगा, लेकिन यह तो जब वह राइटिंग में लिखकर देगा तभी डिडक्शन होगा। डिडक्शन परसन कन्सर्न्ड के रिटेन एथोराइजेशन पर ही होगा। यह इसमें कह दिया गया है कि डिडक्शन वहीं किया जायेगा जहां मजदूर अपने हाथ से लिखकर दे देगा। आज सवाल क्या पैदा होता है, चन्दा इकट्ठा करने में क्या होता हैं—मैंने देखा है जहां उद्योग लगे रहते हैं, लोग बाहर खड़े रहते हैं, एक ईमानदार और भले मजदूर को सब तरफ से परेशान किया जाता है, कोई कहता है कि मुझे चन्दा दे दो, दूसरा कहता है कि मुझे दे दो। अब मजदूरों से सीधे मिल मालिक चन्दा वसूल कर लेगा और वह उस यूनियन को दे देगा कि इतना चन्दा आपका आया है। आजकल कुछ तथा-कथित नेता जो मजदूरों के बन जाते हैं वह चन्दे पर जिन्दा रहना चाहते हैं। उस चन्दे पर वे जिन्दा रहना चाहते हैं। जिनकी रोजी-रोटी छीन ली गई है उनको कष्ट पहुंचेगा।

आपने कहा कि मालिक अपने फायदे की संस्था खड़ी कर देगा। लेकिन इसमें लिखा है :

खण्ड 7 के अन्तर्गत :—

"नियुक्त व्यक्तियों या उनके परिवारों के सदस्य या दोनों के कल्याण के लिये नियोक्ता द्वारा गठित किसी कोष या ट्रेड यूनियन एक्ट, 1926 के अधीन पंजीकृत किसी

[श्री मूल चन्द डागा]

ट्रेड यूनियन के लिये अंशदान के भुगतान के रूप में नियुक्त व्यक्ति की लिखित मंजूरी से की गई कटोतियां और राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत या ऐसी स्वीकृति के रहते हुए सरकार की ओर से निर्दिष्ट अधिकारी की स्वीकृति ;''

इसमें कहा गया है कि अगर मजदूरों के हित का कोई काम होता है और वह लिखकर दे दे कि चन्दा ले लिया जाए तो वह ले लिया जायेगा। इसमें वह काम होंगे जिनको स्टेट एप्रूव करेगी। मिल-मालिक के ऊपर इसको नहीं छोड़ा गया है। अब इसके बाद भी अगर किसी को कोई एतराज है तो उस पर मुझे आश्चर्य होता है। विरोधी दल के लोगों को तो मैं समझता हूं बहुत नाप-तोल कर बातें कहनी चाहिए क्योंकि उनकी कही बात का वजन पड़ता है। इसमें लिखा हुआ है कि दो सौ रुपए जुर्माना भी देना होगा। पहले दो सौ रुपए तक की बात थी और अब दो सौ रुपए मैनडेटरी रखे जा रहे हैं। आप इसको पढ़ लीजिए।

खण्ड 11(ए) :

'"जो दो सौ रुपए से कम नहीं होगी परन्तु एक हजार रुपए से अधिक नहीं हो सकती है।''

जुर्माना दो सौ से कम नहीं होगा और हजार तक वह जा सकता है। आगे लिखा है :

खण्ड 11(ग) :

"जो पांच सौ रुपये तक बढ़ाई जा सकती है'' शब्दों के लिये "जो दो सौ रुपये से कम नहीं होगी परन्तु एक हजार रुपये से अधिक नहीं हो सकती'' शब्द'

तो कानून में यह संशोधन होने जा रहा है और हमारे भाई यहां पर कुछ और ही बातें कह रहे थे। उनको यह बिल देख लेना चाहिए था। जो उद्योगपति समय पर पैसा नहीं जमा करता है उसके लिए इम्प्रिजनमेन्ट तक की व्यवस्था की गई है।

खण्ड 11(ई) :

"जो तीन महीने तक बढ़ाई जा सकती है या जुर्माने के साथ जो एक हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है''

एक महीने की सजा तो कम्पलसरी है। वह अनिवार्य उपबन्ध होगा। कृपया खण्ड (11) पुनः देखिए :

"जो एक महीने से कम नहीं परन्तु जो छह महीने तक बढ़ सकता है और जुर्माने

के साथ जो पांच सौ रुपये से कम नहीं होगा परन्तु एक हजार रुपये तक बढ़ सकता है" शब्द रखे जायेंगे ।'

सवाल यह था कि बिल के सम्बन्ध में कोई बात यहां पर कही जाती । उधर से कोई कांस्ट्रक्टिव सजेशन्स आते तो हम भी समझते कि उधर से अच्छी बातें आ रही हैं लेकिन वे तो सारी दुनिया में घूमकर जनरल बातें कहते जा रहे थे । अगर कोई हवा में ही तीर फेंकता है तो फेंकने दो, वह लगता ही किसके है ? यूं ही वे अपनी सारी बारूद खर्च कर रहे थे जिसका कोई असर नहीं हो रहा था ।

इसमें एक बात यह कही गई है कि अगर कोई मजदूर प्रेस्क्राइब्ड फार्म पर लिख देता है कि फलां व्यक्ति मेरा वारिस है तो उस मजदूर की मृत्यु हो जाने की स्थिति में सारा पैसा उसके वारिस को मिल जायेगा जबकि आज सक्सेशन सर्टिफिकेट वगैरह लेना पड़ता है । इससे ज्यादा क्या हो सकता है ।

"इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसरण में इस सम्बन्ध में नामित व्यक्ति को अदा की जाये; या

(ख) जहां ऐसा कोई नामांकन नहीं किया गया हो या जहां इस प्रकार नामित व्यक्ति को ऐसी राशियां किन्हीं कारणों से अदा नहीं की जा सकती, निर्धारित प्राधिकारी के पास जमा कराई जाये..."

यह नहीं कि पैसा मालिक के पास जाए या वह हड़प जाए, वह पैसा मजदूरों के पास जाना चाहिए । यदि वह न ले सके तो वह एक प्रिस्क्राइब्ड अथारिटी के पास जमा हो जाए । मैं यह चाहता हूं कि वह पैसा भी मजदूरों के हित में लगाना चाहिए, वह पैसा श्रमिकों के वैलफेयर में लगाना चाहिए । तभी ज्यादा अच्छा हो सकता है ।

"(ख) जहां ऐसा कोई भेदभाव न किया गया हो या जहां इस प्रकार नामित व्यक्ति को किन्हीं कारणों से ऐसी राशियां अदा नहीं की जा सकतीं, निर्धारित प्राधिकारी के पास जमा कराई जाये जो इस प्रकार जमा कराई गई राशियों पर निर्धारित ढंग से कार्यवाही करेगा ।"

जब आप रूल्स फ्रेम करें, तो उसमें आप यह व्यवस्था कर दें वह पैसा उसी वैलफेयर फण्ड में लिया जाए । जहां मजदूर ने काम किया है, वहीं मजदूरों के हित में वह पैसा खर्च किया जाए । दूसरे आपने रूल मेकिंग पावर को एमेंड किया है । मैं समझता हूं कि इस बिल के अन्दर ऐसी कोई बात नहीं है । जहां-जहां भी मंत्री महोदय ने बिल में अमेंडमेंट की है, वहां उन्होंने कुछ न कुछ प्रोग्रेस की है । कल के भी बिल में जो पारित हो गया उसमें कुछ बातें प्रशंसनीय हैं, लेकिन हमारे विरोधी दल के लोग हाउस से उठ कर चले गए । पता नहीं उनका क्या मोटिव था ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मोटिव से बाहर गए और अन्दर भी आए ।

श्री मूलचन्द डागा : बिल तो पारित होना था, और वह पारित हो गया। मैं कहना चाहता हूं कि यह बिल श्रमिकों के हित का बिल है। जैसा कि कहा जा रहा था कि यह धनिकों की पूंजी वादी सरकार है, मैं कहना चाहता हूं कि यह बिल पूंजीपतियों के हित में नहीं है। यह श्रमिकों के हित का बिल है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रम मंत्री महोदय द्वारा जो बिल सदन में विचारार्थ पेश किया गया है, मैं समझता हूं कि यह बहुत ही साधारण बिल है। जैसा कि प्रावधान किया गया है, उस मुख्य एक्ट के तहत और अधिक श्रमिक वेतनभोगी उसकी परिधि में आ सकेंगे।

दूसरे यह है कि जो अनधिकृत कटोतियां हो जाती है, चाहे वह श्रमिक के कल्याण निधि के लिए या यूनियन फीस के रूप में हो, उनकी कटौती को रोका जाएगा। तीसरे यह है कि समय पर श्रमिक के वेतन का भूगतान हो जाना चाहिए, उसमें विलम्ब नहीं होना चाहिए। जो अन्य मुख्य संशोधन किया गया है, वह यह है कि जो एम्प्लायर इस नियम का पालन नहीं करेंगे, उनको सजा देने के लिए, दंड देने के लिए, और सख्ती बरती जाएगी। ऐसा मैंने समझा है। इस विधेयक के सम्बन्ध में जहां तक मेरे मत का प्रश्न है, इस का कोई विरोध नहीं हो सकता है, मैं इस का समर्थन करता हूं। लेकिन एक बात में आपत्ति जरूर होती है कि यह एक्ट 1936 में पास हुआ था, उस के बाद 1947 में देश आजाद हुआ और तब से अब तक 35 सालों के अन्दर यह ध्यान नहीं दिया गया कि इस तरह की व्यवस्था शीघ्र से शीघ्र की जाय। इस बीच में चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या जनता सरकार रही हो जो व्यवस्था आज तक चली आ रही है उस पर पहले ध्यान नहीं दिया गया।

मैं इस बात को भी समझता हूं कि 35 सालों की आजादी के बाद आज यह बिल यहां लाया गया है यह इस बात का द्योतक है कि हमारे एम्पलायर्स या पूंजीपतियों की नीयत हमारे श्रमिकों के प्रति अच्छी नहीं है। अभी भी वे श्रमिकों की वेजेज में से अनआथोराइज्ड डिडक्शन्ज करते हैं, समय पर उन की वेजेज का भुगतान नहीं करते हैं या इस तरह के कार्य करते हैं जिन की वजह से यह संशोधन यहां लाना पड़ा है।

अब जहां तक अधिक श्रमिकों को उस परिधि में लाने का प्रश्न हैं, मैं समझता हूं ज्यादा ध्यान फैक्ट्री-लेबर, इण्डस्ट्रीयल लेबर या आर्गेनाइज्ड लेबर की ओर दिया गया है। लेकिन जैसे गोदी मजदूर, यद्यपि संगठित हैं या ऐसे श्रमिक, जैसा हमारे कुछ साथियों ने कहा है, कृषि श्रमिक, उन के वेजेज के पेमेन्ट के लिये क्या सुनिश्चित किया जा रहा है—उनके लिये शायद इस बिल में कोई व्यवस्था नहीं है। 1948 में जो मिनिमम वेजेज एक्ट पास हुआ था उस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जो मिनिमम वेजेज फिक्स किया जाय उस के पेमेन्ट की व्यवस्था भी सुनिश्चित हो। उदाहरण के लिये आप एशियाड को लीजिये, दिल्ली में एशियाड के लिये कंस्ट्रक्शन का काम चल

रहा है। समय-समय पर यहां चर्चा की गई है कि जो श्रमिक वहां पर कार्य कर रहे हैं उन के साथ उचित व्यवहार नहीं हो रहा है या उन को मजदूरी का पूरा भुगतान नहीं दिया जा रहा है। यह बात कई बार यहां पर आई है और हमेशा सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया कि ऐसी बात नहीं हैं, उन को पूरी मजदूरी दी जा रही है ओर उन के साथ न्याय हो रहा है। लेकिन आज भी मैंने अखबार में पड़ा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तीन सदस्यों की जांच समिति बैठाई गई थी, उस ने रिपोर्ट दी है कि मजदूरों को पूरी मजदूरी का भुगतान नहीं हो रहा है। जो कांन्ट्रैक्टर्स एशियाड के काम में लगे हुए हैं वे डेढ़ रुपया प्रति मजदूर डिडक्शन करते हैं। यह अनआथोराइज्ड डिडक्शन है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप ने इस विधेयक में यह व्यवस्था की है कि राज्य सरकारे नोटिफिकेशन के द्वारा जिन संस्थानों को उचित समझती है इस कानून की परिधि में ला सकती है। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि कोई भी श्रमिक या एम्लाइज जो काम कर रहे हैं आटोमेटिकली इस की परिधि में आ जाने चाहिए, नोटिफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़े। जिस ने काम किया है उसका भुगतान होना ही चाहिये—इस में कोई दो राये नहीं हो सकती, लेकिन जो व्यवस्था आप ने इस कानून में की है कि राज्य सरकारे उस संस्थान को इस की परिधि में लाने के लिये नोटिफिकेशन निकालें तथा जो केन्द्रीय सरकार के संस्थान हैं उन को तब इस के अन्तर्गत लाया जा सकेगा जब केन्द्रीय सरकार से राय ले ली जायगी—यह बात मेरी समझ में नही आती है। आप ने प्राइवेट के लिये तो कह दिया कि नोटिफिकेशन जारी कर सकेंगे, लेकिन केन्द्रीय सरकार के संस्थान के लिये केन्द्रीय सरकार से राय क्यों ली जाय ? मैं समझता हूं इस की कोई आवश्यकता नहीं है। इस में तो डिस्क्रीमिनेशन दिखाई देता है। इस लिये मैं ऐसा महसूस करता हूं कि जितने श्रमिक हैं, चाहे वे किसी भी संस्थान में हों, सभी को इस की परिधि के अन्तर्गत लिया जाना चाहिये।

जहां तक अनआथोराइज्ड डिडक्शन्ज का प्रश्न है, अभी तक यह व्यवस्था रही है कि एम्पलायर जैसे चाहे, बगैर एम्पलाई के सहमति के डिडक्ट कर लिया करते थे—यह नहीं होना चाहिये। जब तक वह लिखित रूप में न दे, चाहे कल्याण निधि हो या वह किसी यूनियन से सम्बद्ध है, तब तक किसी प्रकार की अनधिकृत कटौती नहीं की जानी चाहिए, यह व्यवस्था ठीक है और होनी चाहिए। बगैर उसकी राय के कोई बात नहीं होनी चाहिए।

इस में पनिशमेंट की बात कही गई है, वह यह है कि पहले 500 रुपये तक जुर्माने की बात थी लेकिन अब यह कर दिया गया है कि कम से कम 200 रुपये जुर्माना होगा और 1 हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता है। इस में जो आडफेंर्स के लिए यह राशि रखी गई है वह मुझे बहुत कम लगती है क्योंकि मान लीजिए कि अगर कहीं पर अनआथोराइज्ड डिडक्शन हो गया और वहां पर सैकडों मजदूर अगर हैं, तो उन के कैसेज में अनआथेराज्ड डिडक्शन बहुत काफी होगा जबकि जुर्माना बहुत कम होगा। उन महीनों उनके वेतन का भुगतान नहीं हुआ, तो हजारों रुपये का फायदा एम्पलायर्स को होगा जबकि उनको 200 रुपये या अधिक से अधिक 1000 रुपये तक जुर्माना देना होगा। मेरी समझ में यह नहीं आया कि जहां पर बहुत ज्यादा संख्या में श्रमिक हैं,

[श्री बी० डी० सिंह]

उन पर किस तरह से यह लागू होगा, जहां पर हजारों मजदूर हैं, उन पर यह कैसे लागू होगा क्योंकि बहुत से कैसेज में ऐसा होता है जैसे शूगर मिलों की बात बताई गई कि वहां पर ऐसी बातें हो जाया करती हैं। इस में कुछ रिकार्ड मेन्टेन करने की बात भी है। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है, ऐसे संस्थान हैं, जहां पर दो-चार नहीं बल्कि 8-10 सालों से श्रमिक काम करते आ रहे हैं लेकिन वे अस्थायी ही हैं। वे टैम्पोरेरी रूप से काम करते हैं और उन के रिकार्ड का मैन्टीनैन्स उचित तरीके से नहीं होता। इसलिए इस पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि इस से श्रमिकों का बड़ा शोषण होता है।

अन्त में मैं दो बातों की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा। मिनीमम वेजेज के पेमेन्ट की बात हो या बोनस के पेमेंट की बात हो या ट्रेड यूनियन्स से सम्बन्धित और दूसरी बातें हों या लेबर से सम्बन्धित दूसरे मसले हों, जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा है, इन सब के लिए एक काम्प्रीहैंसिव बिल होना चाहिए। मेरी भी राय यह है कि एक ऐसा काम्प्रीहैंसिव बिल सरकार को लाना चाहिए जिस में मजदूरों से सम्बन्धित सभी प्रमुख मामले हों चाहे वह वेजेज का मामला हो या वर्किंग कांडिशन्स का मामला हो। इन सारी बातों का समावेश करते हुए एक बिल मंत्री जी को लाना चाहिए। इस की बहुत आवश्यकता है। मैं आप को इस बात के लिए बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि आप सितम्बर में एक नेशनल ट्रिपारटाइट कान्फ्रेन्स करने जा रहे है और ऐसा बहुत दिनों के बाद हो रहा है। उस में आप इस सम्बन्ध में चर्चा करेंगें, एक काम्प्रीहैंसिव बिल लाने के लिए आप उस में चर्चा करेगें। ऐसा मेरा ख्याल है कि इस सम्बन्ध में आप कुछ कार्यवाही करेंगे।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे कुछ साथियों ने नेशनल वेज पालिसी की बात कही। मैं भी ऐसा मानता हूं कि देश में एक नेशनल वेज पालिसी होनी चाहिए। इस से जो वेज अर्नर्स हैं, उन को ही फायदा नहीं होगा बल्कि जो दूसरे लोग हैं उन को भी फायदा होगा क्योंकि वेज पालिसी से प्राइसेज पर फर्क पडेगा। इसलिए देश के हर एक नागरिक को इस से फायदा होगा एक वेज पालिसी बननी चाहिए। इस बात के लिए मैं जनता सरकार को बधाई दूंगा मैं इस के मेरिट या डी-मेरिट में नहीं जाना चाहता, मैं भूतलिंगम कमीशन की रिपोर्ट की मेरिट या डी-मेरिट में नहीं जाना चाहता लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जनता सरकार ने इस बात को रियेलाइज किया था कि एक नेशनल वेज पालिसी होनी चाहिए और उस ने एक कमीशन मुकर्रर किया था। मैं यह नहीं कहता कि उस कमीशन की रिपोर्ट को आप मानिये लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जो प्रान्तीय सरकार के प्रतिनिधि हैं, उन को बुलाइए, जो पूंजीपति हैं या मिल वाले हैं, उन के प्रतिनिधि बुलाइए, लेबर के प्रतिनिधि बुलाइए, आप बैठिये और फिर एक नेशनल वेज पालिसी बनाइए। इस का केवल लेबर मिनिस्ट्री से ही सम्बन्ध नहीं है, यह मैं मानता हूं लेकिन आप इस में पहल कीजिए और इस के लिए मैं आप से आग्रह करता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री एन० सेलवाराजु (तिरूचिरापल्ली) : महोदय, द्रविड मुनेत्र कषगम दल की ओर से मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक के संबंध में मैं कुछ शब्द कहना चहूंगा । लोक सभा के इस सत्र को श्रम कल्याण सत्र कहा जा सकता है क्योंकि माननीय श्रम मंत्री द्वारा प्रमुख ओद्योगिक विवाद संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है और इस सदन द्वारा स्वीकृत किया गया । इस अवसर पर मैं यह कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय वेतन नीति निर्धारित करते समय अपने मंत्री महोदय अपने कार्य काल के दौरान अपनी छिपी हुई प्रतिभा और श्रमिकों के कल्याण के लिये अपनी चिंता सिद्ध करेंगे यद्यपि इसमें सुधार करने की व्यापक गुंजाइश है तो भी इस विधेयक द्वारा इस दिशा में कुछ कदम उठाये गये हैं । इस विधान द्वारा सीमित किये गये वेतन की सीमा को बढ़ाकर 1,600 रुपया कर दिया गया है जैसा कि ओद्योगिक विवाद संशोधन विधेयक के मामले में किया गया था ।

यद्यपि अनेक श्रमिक संघ बोनस के मामले में सीमा बढ़ाने की वकालत कर रहे हैं किन्तु मंत्री जी 1600 रु० की सीमा तक दृढ़ रहे है । मुझे आशा है कि वह इस मांग पर पहले से सहमत होंगे ।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को इस विधेयक के दायरे में लाने की अत्यधिक आवश्यकता है । कृषि श्रमिक और हथकरघा बुनकरों को इस विधेयक के दायरे से अलग रखा गया है यद्यपि भारत में उनकी संख्या बहुत अधिक है । उन्हे इस विधेयक के दायरे में अवश्य रखा जाना चाहिए । यदि हमारे वर्तमान श्रम मंत्री ऐसा न कर सके तो इसे कोई भी नहीं कर सकेगा ।

इस विधेयक के द्वारा राज्य सरकारों को बहुत सारे प्रतिष्ठानों पर उसके उपबन्धों को लागू करने का अधिकार प्राप्त हो गया है । इस प्रकार, अब राज्यों को इस मामले में केन्द्रीय सरकार की सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है ।

द्रविड मुनेत्र कषगम श्रम संघों में चार से अधिक राज्यों में 5 लाख से अधिक श्रमिक हैं । कोयम्बतूर वस्त्र उद्योग के अधिकांश श्रमिक द्रविड़ मुनेत्र कषगम संघों में हैं । भेल, त्रिचुरी, स्मॉल आर्य फैक्टरी, त्रिचुरी, गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप, त्रिचुरी, अवधी फैक्टरी, मद्रास जैसे अधिकांश केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र उद्यमों के अधिकांश श्रमिक द्रविड मुनेत्र कषगम संघ में हैं । वास्तविकता यह है की इन एककों के द्रविड मुनेत्र कड़घम संघ को अखिल भारतीय संघ के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई है । जहां तक अन्य संघों का प्रश्न है । वे केवल धन बटोरने के लिये कार्य कर रहे हैं । उदाहरण के तौर पर हिन्दुस्तान फोटो फिल्म, कोरडाइट फैक्टरी, कुनोर, कोलार गोल्ड फील्ड, सिमको मीटर, त्रिचुरी के संघ हैं । वे केवल सदस्य शुल्क की वसूली करते हैं । इन कारखानों के श्रमिकों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है कि इन एककों के प्रबन्धकों के साथ उनकी मिली भगत हैं और इस प्रकार वे श्रमिकों के हित के विरूद्ध कार्य करते हैं ।

[श्री एन० सेलवाराजु]

इसलिये श्रम मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि द्रविड़ मुनेत्र कषगम श्रमिक संघ को अखिल भारतीय श्रमिक संघ के रूप में मान्यता प्रदान की जाये (व्यवधान)। 5 लाख से अधिक श्रमिक हमारे संघ के सदस्य हैं।

नियोक्ता समिति में कर्मचारियों को देय राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन के मामले में वे निर्विरोध समझौता करने के लिये सक्षम है। आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन को राष्ट्रीय विपक्षी समिति द्वारा सितम्बर में अनुमोदित कर दिया गया है।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

6.00 म० प०

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, 11 अगस्त 1982/20 श्रावण, 1904 (शक) के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

मुद्रक : आकाशदीप प्रिन्टर्स, 20, दरियागंज, दिल्ली-2